

HARYANA VIDHAN SABHA

REPORT

OF THE

COMMITTEE ON GOVERNMENT
ASSURANCES

2020–2021

FIFTIETH REPORT



Presented to the House on 18th March, 2021.

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT, CHANDIGARH

2021

TABLE OF CONTENTS

Composition of the Committee	(iii)
Introduction	(v)
Report	(vii)
Appendix-I	(ix)
Appendix-II	(xi)

Statement showing the number of Assurances etc. given by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the months of February/March , 2020 and August, 2020 which are pending for implementation.

(iii)

COMPOSITION OF THE COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

CHAIRPERSON

1. Shri Jagbir Singh Malik, M.L.A.

MEMBERS

*2. Shri Jaiveer Singh, M.L.A.	Member
3. Shri Bishan Lal Saini, M.L.A.	Member
**4. Shri Rajinder Singh Joon, M.L.A.	Member
5. Shri Gopal Kanda, M.L.A.	Member
6. Shri Mahipal Dhanda, M.L.A.	Member
***7. Shri Pardeep Chaudhary, M.L.A.	Member
8. Smt. Nirmal Rani, M.L.A.	Member
****9. Shri Satya Prakash, M.L.A.	Member
10. Shri Amarjeet Dhanda, M.L.A.	Member
*****11. Shri Subhash Gangoli, M.L.A.	Member

SPECIAL INVITEE

- ***** 1. Shri Dura Ram, M.L.A.

SECRETARIAT

1. Shri R.K. Nandal, Secretary
2. Shri Gaurav Goyal, Deputy Secretary

-
- * Sh. Jaiveer Singh, M.L.A. has resigned from the Membership of the Committee on Government Assurances on 16th June, 2020 and his resignation has been accepted by the Hon'ble Speaker w.e.f. 17th June, 2020.
- ** Sh. Rajinder Singh Joon, M.L.A. was nominated by the Hon'ble Speaker as Member to serve on the Committee on Government Assurances w.e.f. 17th June, 2020 for the remaining period of the year 2020-2021.
- *** Sh. Pardeep Chaudhary, M.L.A. was disqualified from the Membership of Haryana Vidhan Sabha vide notification letter No. HVS-LA-50/2021/3 dated the 30th January, 2021.
- **** Sh. Satya Prakash, M.L.A. has resigned from the Membership of the Committee on Government Assurances on 12th June, 2020 and his resignation has been accepted by the Hon'ble Speaker w.e.f. 15th June, 2020.
- ***** Sh. Subhash Gangoli, M.L.A. was nominated by the Hon'ble Speaker as Member to serve on the Committee on Government Assurances w.e.f. 10th July, 2020 for the remaining period of the year 2020-2021.
- ***** Sh. Dura Ram, M.L.A. was nominated by the Hon'ble Speaker as Special Invitee to serve on the Committee on Government Assurances w.e.f. 28th July, 2020 for the remaining period of the year 2020-2021.

(v)

INTRODUCTION

1. The Chairperson of the Committee on Government Assurances for the year 2020-21 has been authorized by the Committee to present the 50th Report of the Committee.
2. The work done by the Committee after the presentation of the 49th Report on 4th March, 2020 is kept set forth in this Report.
3. A brief record of the proceedings of each meeting of the Committee for the year 2020-21 has been kept in the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.
4. The Committee is grateful to the representatives of P.W. (B&R), Horticulture, Agriculture & Farmers Welfare, School Education, Information Technology, Electronics and Communication, Power, Welfare of SCs and BCs, Home, Irrigation and Water Resources, Development and Panchayats, Food & Supplies, Labour and Employment, Rural Development, Public Health Engineering, Urban Local Bodies, Sports and Youth Affairs, Transport, Cooperation, Higher Education, New and Renewable Energy, Revenue and Disaster Management, Social Justice & Empowerment, Medical Education and Research, Excise & Taxation and Tourism departments who appeared before the Committee for oral examination and rendered useful assistance in its work.
5. The Committee places on record its thanks and high appreciation for the wholehearted co-operation and assistance rendered by Secretary, Deputy Secretary and Branch officials of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat in its deliberations.

**SHRI JAGBIR SINGH MALIK,
CHAIRPERSON**

Dated : 24th February, 2021.

REPORT

1. The Committee on Government Assurances for the year 2020-21 consisting of nine Members was nominated by the Hon'ble Speaker, Haryana Vidhan Sabha on 3rd June, 2020. Shri Jagbir Singh Malik, M.L.A., a member of the Committee, was nominated as Chairperson of the Committee by the Hon'ble Speaker.

SITTINGS OF THE COMMITTEE

2. The Committee held 35 sittings during the year 2020-21 (till finalization of the Report).
3. The Committee scrutinized the statements made by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the months of February/March and August, 2020. The statements, which in the opinion of the Committee constituted assurances were sent to the Administrative Secretaries concerned for intimating the manner in which and the extent to which the Government has implemented the same.
4. The Committee scrutinized the replies received from the Government from time to time in regard to the implementation of the assurances shown as outstanding in Appendix-I of the 49th Report. A statement showing the total number of assurances dropped and the number of pending assurances is at Appendix-II. The Committee noted that in many cases the Government has taken undue long time for implementation of assurances. The Committee have made certain observations in respect of some of the replies scrutinized by it in order to elicit further information from the Government and dropped the rest.
5. The statement showing the number of assurances etc. given by the Ministers on the floor of the House during the Sessions held in the months of February/March and August, 2020 departments wise, which are pending for implementation is given in Appendix-I to the Report.

ORAL EXAMINATION

6. With a view to expedite action and ensure prompt implementation of the outstanding assurances, the Committee orally examined the representatives of the P.W. (B&R), Horticulture, Agriculture & Farmers Welfare, School Education, Information Technology, Electronics and Communication, Power, Welfare of SCs and BCs, Home, Irrigation and Water Resources, Development and Panchayats, Food & Supplies, Labour and Employment, Rural Development, Public Health Engineering, Urban Local Bodies, Sports and Youth Affairs, Transport, Cooperation, Higher Education, New and Renewable Energy, Revenue and Disaster Management, Social Justice & Empowerment, Medical Education and Research, Excise & Taxation and Tourism departments during the year. The Committee felt that some Departments were unable to implement certain assurances given by the Ministers on the floor of the House because as per version of the representatives of the Government, it becomes difficult to implement these assurances for certain reasons which are beyond the control of the Government.

7. The assurances which have outlived their utility due to passage of time or in respect of which Committee felt satisfied with the action taken by the Government to implement them have been dropped.

The Government Departments are not required to send replies in respect of those Assurances which do not find mention in this Report.

GENERAL OBSERVATIONS IN REGARD TO IMPLEMENTATION OF ASSURANCES

8. The Committee recommends that normally the Assurances should be implemented by the Government within three months from the date on which the Assurances are given. In case it is not possible to implement an Assurances within this period, the cause of delay should be communicated to the Committee so that it may judge whether the reasons given for the delay are justified or not.

The Committee further urge the Government to issue strict instructions in this behalf.

9. The Committee invites the attention towards U.O. No. 11/1/96. Pol. (2p) dated the 28th August, 1996 issued by the Chief Secretary to Government, Haryana and addressed to all the Administrative Secretaries wherein it was impressed upon:-

“That if an Assurance is received by the Administrative Secretary who is not concerned with the particular Assurances, it should be transferred demi officially to the Administrative Secretary concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat who will then pursue the matter with the Administrative Secretary concerned.”

^ In spite of instructions issued vide U. O. mentioned above and subsequent reminders thereof, some of the Departments simply informed Haryana Vidhan Sabha Secretariat that particular Assurances did not relate to them. The Committee again recommends that if Assurances does not relate to a particular Department, the same should be transferred to the Department to which it relates within a fortnight positively on the receipt of the Assurances under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat and Chief Secretary to Government, Haryana. This will obviate unnecessary delay and correspondence.

10. The Committee have come to the irresistible conclusion that some of the Assurances given several years back have not been implemented by the Government so far. However, the Committee realized that there may be some genuine case where the implementation of Assurance is bound to take a long time because of various factors involved but that cannot be true in all cases. The Committee, therefore, recommends that the Government should take necessary steps so that these may be implemented as far as practicable within the period of three months from the date of presentation of the Report.

APPENDIX—I

S. No.	Name of Department	Sr. No. of Outstanding Assurances	Pages
1.	Finance	1-2	1-4
2.	Home	3-12	5-22
3.	Vigilance	13-15	23-28
4.	Agriculture & Farmers Welfare	16-49	29-58
5.	Co-operation	50	59-62
6.	Revenue and Disaster Management	51-60	63-80
7.	Industries & Commerce	61-76	81-108
8.	Transport	77-84	109-124
9.	Irrigation & Water Resources	85-102	125-150
10.	Power	103-116	151-174
11.	Public Works (B&R)	117-171	175-244
12.	Public Health Engineering	172-189	245-262
13.	Higher Education	190-205	263-276
14.	School Education	206-219	277-300
15.	Health Services	220-243	301-326
16.	Medical Education & Research	244-252	327-336
17.	Ayush	253-260	337-342
18.	Urban Local Bodies	261-295	343-390
19.	Welfare of SCs & BCs	296-297	391-394
20.	Technical Education	298-301	395-402
21.	Development and Panchayats	302-308	403-416
22.	Information Technology, Electronics & Communication	309	417-420
23.	Animal Husbandry & Dairying	310-331	421-442
24.	Town and Country Planning	332-349	443-460
25.	Sports and Youth Affairs	350-357	461-468

S. No.	Name of Department	Sr. No. of Outstanding Assurances	Pages
26.	Administration of Justice	358	469-470
27.	Tourism	359-360	471-476
28.	Food, Civil Supplies & Consumer Affairs	361	477-482
29.	Personnel	362	483-488
30.	Civil Aviation	363-365	489-498
31.	Sainik and Ardh Sainik	366	499-500
32.	Horticulture	367-369	501-506
33.	Fisheries	370	507-508
34.	Jail & Judicial	371-374	509-512
35.	Archaeology & Museums	375-376	513-516
36.	Information, Public Relations & Languages	377	517-518
37.	Skill Development and Industrial Training	378-380	519-524
38.	Environment and Climate Change	381-382	525-530
39.	General Administration	383-389	531-536
40.	Women and Child Development	390-391	537-540
41.	New and Renewable Energy	392-393	541-544
42.	Rural Development	394-396	545-550
43.	Labour & Employment	397-398	551-555

(xi)

APPENDIX-II

Statement showing the number of assurances and replies received from the Government with regard to pending assurances of 49th Report and the Session held in the months of February/March, 2020 and August, 2020.

Total Number of Assurances given by the Government from February/March, 2020 and August 2020	49th Report	344
	February/March, 2020	104
	August, 2020	14
	Total :	462
Number of Assurances dropped by the Committee.	49th Report	64
	Total :	398
Number of outstanding Assurances:	49th Report	280
	February/March, 2020	104
	August, 2020	14
Outstanding Assurances in the 50th Report:	Total :	398

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

FINANCE DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

1. श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 7: क्या वित्त मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या हरियाणा में सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के वेतन पंजाब सरकार के समक्ष बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा
(ख) यदि हां, तो इसके कब तक लागू किये जाने की संभावना है तथा उसका वित्तीय भार कितना है ?

24-03-2015

(क) एक वेतन विसंगति आयोग का गठन श्री जी. माधवन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में दिनांक 11 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के संदर्भ में किया गया है।

(i) हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 और हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित जीविका प्राप्ति) नियम, 2008 तथा समय समय पर किए गए संशोधन के कार्यान्वयन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई वेतन विसंगति और विचलन को हटाने के लिए, व्यवहागत कर्मचारियों, संस्थानों, संघों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए तथा इस तरह के प्रतिवेदनों पर सरकार को उपयुक्त सिफारिशें करना।

(ii) एल.टी.सी. भुगतान, अतिरिक्त डी.ए. किश्तों की विसंगति, उसके बकाया दो साल के लिए नव-नियुक्त कर्मचारियों के लिए वास्तविक वेतन सहित अन्य लाभ, भुगतान, पात्रता शर्तों, वेतनमान में पंजाब और हरियाणा के बीच अंतर

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(15-01-2018)

आदि बातों के साथ अध्ययन करने के लिए
(अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी, 2015 द्वारा
जोड़ा गया)

(ख) इस संदर्भ में उपयुक्त निर्णय आयोग को रिपोर्ट
प्राप्त होने के बाद लिया जायेगा।

25.3.2015

2. हरियाणा विनियोग (सं.1) विधेयक, 2015
के बारे में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा उठाये
गये मामले के संदर्भ में XXX अध्यक्ष महोदय,
भारत सरकार तो अपना कानून जब बनायेगी
तब बनायेगी लेकिन आज मेरा निवेदन यह
है कि अगर मंत्री जी इनिव्किंग प्रोविजन यह
कर दें और इनिव्किंग प्रोविजन यह हो सकता
है that this Bill shall stand
repealed at the end of this
financial year. अगर ये इसमें
एक लाइन यह डाल देंगे अगर यह एक
साल का नहीं करना चाहते तो दो साल
का कर दें। सर, यह एप्रोपिएशन बिल का
अंशों के जमाने से ये रिवाज सर चला
आ रहा है जिका कोई महत्व नहीं होता
XXXX

XX अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि एप्रोपिएशन
एक्ट की लाईफ एक साल की ही होती है।
फिर भी माननीय सदस्य का जो सुझाव है हम
उस पर आगे के लिए विचार करेंगे XX

The Committee would like to
know the latest position in this
regard.
(15-01-2018)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

HOME DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

5.03.2018

3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में

मेरी सरकार ने पूरे राज्य के लिए 153 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत तथा 40 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की चालू लागत से एक केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष (हरियाणा 100 परियोजना) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना सीधे रूप से सेक्टर-3, पंचकुला में स्थापित किए जा रहे पुलिस नियंत्रण कक्ष से उच्च स्तर के प्रशिक्षित पेशेवर कर्मियों द्वारा चलाई जाएगी। प्रत्येक पुलिस थाने में दो पीसीआर वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो 15 मिनट के अंदर किसी भी अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे।

• केन्द्रीयकृत पुलिस नियंत्रण कक्ष (इमारत) आपातकालीन केंद्र सेक्टर 3 की इमारत का निर्माण कार्य पंचकुला हरियाणा पुलिस आवास निगम (MPHC) द्वारा लगभग पूरा हो चुका है शेष भाग जल्द पूरा हो जाएगा। इस संबंध में, सी-डैक के प्रतिनिधियों, एचपीएचसी/वास्तुकार, ईवाई एलएलपी और पुलिस अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें हुईं। इसके बाद, आवश्यक दस्तावेज अर्थात् संशोधित चित्र आदि को पहले ही आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एचपीएचसी, पंचकुला को भेज दिया गया है।

• हरियाणा 112 ईआरएसएस परियोजना के लिए 630 ईमरजेंसी रिसांस व्हीकल्स ईआरवी की खरीद का प्रस्ताव 94.50 करोड़ राशि के रूप में राज्य सरकार को भेजा गया है जिसकी स्वीकृति प्रतीक्षित है।

- समय सीमा के अनुसार प्रस्ताव यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) (C-DAC केरल द्वारा प्रस्तुत के रूप में कुल समाधान प्रदाता हरियाणा 112 ERSs के लिए जनवरी 06.01.2020 पर), परियोजना की गतिविधियों और समय-सीमा के अंतर्गत थे :

क्र.	परियोजना गतिविधि	हफ्तों में समय	अनुसूची की तारीखें
1	राज्य द्वारा कार्य आदेश जारी करना और अग्रिम भुगतान प्राप्त करना	T0	26.02.2020
2	पुलिस, अग्नि और स्वास्थ्य प्रणाली का अध्ययन	T0+1	04.03.2020
3	राज्य के लिए जीआईएस मानचित्र तैयार करना	T0+15	10.06.2020
4	सॉफ्टवेयर अनुकूलन	T0+15	10.06.2020
5	C-DAC द्वारा हार्डवेयर उपकरणों की खरीद	T0+15	10.06.2020
6	कनेक्टिविटी सेवाएँ (PRI,BB,SMS,E-mail,LBS)	T0+15	10.06.2020
7	सी-डैक सॉफ्टवेयर समाधान की स्थापना	T0+19	08.07.2020
8	प्रणाली एकीकरण	T0+20	15.07.2020
9	पूर्व परीक्षण	T0+13	22.07.2020
10	उपयोगकर्ता प्रशिक्षण	T0+22	29.07.2020
11	कमीशनिंग और गो लाईव	T0+23	05.08.2020
12	राज्य को प्रणाली की स्वीकृति और सौंपना	T0+24	12.08.2020

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

संक्षिप्त नवीनतम स्थिति केंद्रीयकृत राज्य पुलिस नियंत्रण आपातकालीन केंद्र सेक्टर-3, पंचकुला (हरियाणा-112 ERSS) की स्थापना के बारे में और उसके कार्यान्वयन के रूप इस प्रकार है:-

सेक्टर-3 पंचकुला में केंद्रीयकृत राज्य पुलिस नियंत्रण आपातकालीन हरियाणा 112 इमरजेंसी रिसपास सपोर्ट सिस्टम (ERSS) की स्थापना और इसके कार्यान्वयन, अनुमोदन के लिए प्रस्ताव परियोजना हरियाणा-112 (इमरजेंसी रिसपास समर्थन प्रणाली के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी प्रदान करने के लिए) -151.97 करोड़ के वित्तीय परियोजना के आधार पर नामांकन के आधार या वास्तविक लागत, जो भी कम हो पर कुल समाधान प्रदाता के रूप में सी-डैक को मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 31.01.2020 को आयोजित में अनुमोदित किया गया। इस के अनुपालन में, खरीद/कार्य केंद्र उन्नत के विकास के लिए, कम्प्यूटिंग (C-DAC), वेल्लायमबलम, तिरुवनंतपुरम, केरल (कुल समाधान प्रदाता के रूप में) को 151.97 करोड़ रु (अनुमानित लागत) दिनांक 07.02.2020 को C&DAC को जारी किया गया तथा सेवा स्तर समझौते (SLA) पर हस्ताक्षर किए गए।

- अनुबंध/समझौते के अनुसार, राज्य सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 47.02 करोड़ रुपये C-DAC को अग्रिम भुगतान के रूप में दिनांक 26-02-2020 को जारी की गई है।

इसके अलावा, C-DAC ने अपने ई-मेल दिनांक 12.05.2020 द्वारा यह सूचित किया कि देश भर में कोविड-19

के अमूलपूर्व प्रकोप के कारण, सिस्टम की तैनाती में लगभग तीन महीने की देरी होगी। C-DAC परिचालन ERSS-112 के लिए संशोधित समयसीमा का प्रस्ताव किया है, जो इस प्रकार है:-

क्र.	परियोजना गतिविधि	निर्धारित तिथि
1	रोलआउट सर्वर के साथ ERC, पंचकुला से ERSS-112 का संचालन	24 अगस्त 2020
2	पंचकुला में HCI के साथ ERSS-112 का संचालन	21 सितंबर 2020
3	संचालन MERC, गुडगाँव	5 अक्टूबर 2020
4	संचालन ईआरसी-एमईआरसी-डीआरसी	2 नवंबर 2020

इस कार्यालय के ई-मेल दिनांक 15-06-2020 के द्वारा डीपीआर जमा करने के दौरान और लॉकडाउन अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रस्तावित समयसीमा के अनुरूप, डीपीआर के खंड के अनुसार विस्तृत प्रस्तावित समयसीमा प्रदान करने के लिए सी-डीएसी को अनुरोध किया गया है।

- इसके अलावा, वित्त मंत्रालय, व्यय अधिप्राप्ति नीति विभाग, ऑफिस मैनेजमेंट (OM) दिनांक 13 मई 2020 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पीपीपी अनुबंधों में रियायत अवधि समाप्त होने या 20 फरवरी 2020 के बाद अनुबंध को तीन महीने से कम और छह महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। विस्तार की अवधि (तीन और छह महीने के बीच) मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर तय की जा सकती है।

- संपूर्ण हरियाणा 112 ईआरएसएस परियोजना को संभालने के लिए जनशक्ति (Manpower) की आवश्यकता का मसौदा

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

इस कार्यालय में प्रक्रियाधीन है, राज्य सरकार को ठोस प्रस्ताव बहुत जल्द भेज दिया जाएगा।

- सीपी गुरुग्राम, कार्यालय में दर्पण आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (एमईआरसी) का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में एक बैठक 25-06-2020 को आयोजित की गई, जिसमें यह फैसला किया है कि स्थानीय अधिकारियों की तरफ से और वीडियो साझा करेंगे, ताकि सिस्टम इंटीग्रेटर यानी C-DAC और हरियाणा पुलिस आवास निगम (HPHC) तदनुसार आईटी और गैर-आईटी घटकों का प्रावधान किया जा सके।

10

- हरियाणा के नागरिकों के बीच हरियाणा 112 ईआरएसएस को लोकप्रिय बनाने के लिए परियोजना आईसीसी (सूचना शिक्षा और संचार) एक अनिवार्य घटक है। इस संबंध में, HARTON और DPR को लोगो डिजाइनिंग और परियोजना और IEC की ब्रांडिंग से संबंधित गतिविधियों के लिए एजेंसियों की सूची प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

- नागरिकों की स्थिति, ईआरबी के गश्त मार्ग आदि को ट्रैक करने के लिए हरियाणा 112 ईआरएसएस परियोजना में जीआईएस (GIS) घटक को एकीकृत किया जाएगा। इस संबंध में, हरसैक (HARSAC) से अनुरोध किया गया है कि वे हरियाणा के जीआईएस (GIS) मैप में राज्य भर के पुलिस स्टेशनों की प्रमुख परतों और जियो फेंसिंग में अपना समर्थन प्रदान करें।

- हरियाणा 112 (ERSS) परियोजना के अंतर्गत SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए पुलिस महानिदेशक, हरियाणा कार्यालय आदेश क्रमांक 3583-87/SPL/ आईटी-5 दिनांक 19-06-2020 द्वारा अधिकारियों की एक समिति का गठन कर दिया गया है।
- EYLLP (PMU) द्वारा सर्वे के जरिए ट्रेनिंग नीड एसेसमेंट (टीएनए) का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा 112 जनशक्ति के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण समूहों (ईआरवी पायलट, ईआरवीएस फील्ड स्टाफ, सीओ, सह पर्यवेक्षक, डीओ, डीओ सुपरवाइजर और जीओ) से प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया ली जा रही है।
- हरियाणा 112 ईआरएसएस के तहत खरीदे जाने वाले आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों (ईआरवी) के विशेष वाहन पंजीकरण संख्या श्रृंखला के आवंटन के लिए डीजीपी, हरियाणा कार्यालय पत्र क्रमांक 3118/spl/IT-5 दिनांक 02-06-2020 द्वारा परिवहन विभाग हरियाणा को अनुरोध किया गया। इस मुद्दे पर उत्तर/प्रतिक्रिया का इंतजार है।
- C-DAC केंद्र (टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में) ने अपने ई-मेल्स दिनांक 24th और 30th जून, 2020 द्वारा टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस (RFP) में बदलाव के लिये अनुरोध भेजा है, जो कि अभी विचारधीन है।
- हरियाणा-112 ईआरएसएस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, पीएमयू (परियोजना प्रबंधन इकाई) M/s Ernst & Young LLP को तिथि 16-03-2020 से अनुमति दी गई है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

10.09.2018

4. अतारंकित प्रश्न संख्या 703 के सन्दर्भ में श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदोन्नति कोटे के पुलिस उप-अधीक्षक के रिक्त पदों की संख्या कितनी है तथा उक्त पद कब से रिक्त पड़े हैं तथा उपरोक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से कब तक भरे जाने की संभावना है?

श्रीमान जी, पदोन्नति कोटा के अधीन उप-पुलिस अधीक्षक के पांच पद रिक्त हैं, ये पद 31 जुलाई, 2018 के बाद सृजित हुये हैं, और जल्द ही भरे जायेंगे।

इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि आज तक उप पुलिस अधीक्षक पद पर पदोन्नती कोटे के 59 पद रिक्त हैं आगे सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एण्ड हरियाणा द्वारा सी०डब्ल्यू०पी० नं० 13496-2009(ओ०एण्ड एम०) में सी०एम० नं० 8831- सी०डब्ल्यू०पी०-2019, सी०एम० नं० 8833- सी०डब्ल्यू०पी०-2019, सी०एम० नं० सी०डब्ल्यू०पी०-2019, सी०एम० नं० 13290- सी०डब्ल्यू०पी०-2019 व सी०एम० नं० 6565- सी०डब्ल्यू०पी०-2016 के आदेश दिनांक 13.09.2019 पारित किये थे जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी। इस सम्बन्ध में मामले माननीय उच्च न्यायालय, पंजाब एण्ड हरियाणा में विचाराधीन है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(20-7-2020)

05.11.2019

5. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।

**** नई तकनीक का उपयोग करते हुए मोबाइल फोरेंसिक युनिट्स तथा हिसार व पंचकुला में क्षेत्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करके अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाएगा।

MFU: राज्य सरकार 12 जिलों में मोबाइल फोरेंसिक युनिट्स स्थापित कर चुकी है और 11 बाकी जिलों में मोबाइल फोरेंसिक युनिट्स स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचारधीन है।

RPSL: इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 6/2/ 2014-4HGII दिनांक 10.12.2015 के द्वारा क्षेत्रीय न्यायवैदिक प्रयोगशालाएं मोगीनंद (पंचकुला) व हिसार स्टाफ सहित स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

26.02.2020

6. विभिन्न मामले/मार्गे उठाना के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री आफताब अहमद द्वारा पूछा गया प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस जीरो ऑवर में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हिंसा किसी भी रूप में अपने आप में निंदनीय है और हिंसा

XX अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन यह है कि हम जिस प्रकार से यहां वर्णन कर रहे हैं, वह भावनाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि वास्तविकता के आधार पर होना चाहिए। इस विषय की वास्तविकता के लिए हम उसकी जानकारी ले लेंगे और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

क्र.० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

जब किसी धार्मिक, जाति और नस्ली आधार पर की जाए तो वह और भी निंदनीय है। इस बारे में मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा कि कल रेवाड़ी में हमारे एक हरियाणा वक्फ बोर्ड का इम्प्लायी अपने परिवार (अपनी बीबी, अपने बेटे और बेटे की बहू और अपनी बेट्टी) के साथ जा रहा था। इस दौरान रेवाड़ी बस अड्डे पर उसकी गाड़ी की हरियाणा रोडवेज की बस के साथ टक्कर हो जाती है और जब वह अपनी गाड़ी से उतरकर हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर से उस बात पर ऐतराज करता है तो वहां की सवारियों और स्थानीय लोगों की भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी। उसकी बात सुनने की बजाए, उसके परिवार पर भी हमला किया जाता है। यह घटना भरे बाजार की है, जहां पर रेवाड़ी का बस स्टैंड भी है। वहां पर पुलिस चौकी भी है और पुलिस की भी उपस्थिति थी, परन्तु वहां पुलिस ने संबंधित परिवार का कोई बचाव

नहीं किया। यह प्रदेश पांच साल पहले भी हिंसा का दश झेल चुका है। अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं दोबारा हों।

7. तारकित प्रश्न संख्या-150 के संदर्भ में श्रीमती गीता भुक्कल एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 में बलात्कार के 1248 केस हुए थे जो अब बढ़ कर 1734 हो गये हैं। इसी प्रकार से महिला उत्पीड़न के मामले 4868 हो गये हैं। दहेज हत्या के मामले भी बढ़े हैं। रोजाना 57 घरों में चोरी हो रही है और रोजाना 5 रेप हो रहे हैं। मेरा पहला सप्लीमेंट्री तो यह है कि क्राइम अगेंस्ट वूमन और जनरल क्राइम जिसमें चोरी, डकैती और लॉ एण्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। तो इस बारे में मेरी पहली सप्लीमेंट्री यह है कि who is the nodal Department and who is the nodal agency. यह मामला महिला एवं बाल विकास विभाग से भी जुड़ा हुआ है और इसमें स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राईट्स भी है, पॉक्सो एक्ट भी है और वूमन कमीशन

02.03.2020

अध्यक्ष महोदय, जो क्राइम अगेंस्ट वूमन के आंकड़े हैं उनमें वर्ष 2018-19 में 3.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसमें स्लाइटली इनक्रीज हुआ है। इसी प्रकार से वर्ष 2018-19 में क्राइम अगेंस्ट विल्डन में 3.8 प्रतिशत की कमी आई है और क्राइम अगेंस्ट अदर विकर सैक्शन 7.9 प्रतिशत बढ़ा है। हमने इसको कम करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। हमने लगभग 30 महिला थाने खोले हैं और दुर्गा शक्ति ऐप हमने लांच की है और अब तक 1,66,920 लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं। ओवरऑल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए अगर देखा जाए जिसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं तथा सभी आ जाते हैं। अगर पुलिस एक डिस्ट्रेस टाईम पर जल्दी लोगों तक पहुंच पाए तो भी क्राइम रेट कम हो सकता है। इसके लिए हम डायल 112 चालू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने सी-डैक को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तथा पुलिस पर्सोनल को ट्रेनिंग देने का

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भी है, तो क्या यह केवल गृह विभाग की जिम्मेदारी नहीं है? आपने जो स्कीमज लिखी हैं वे ज्यादातर महिला एवं बाल विकास की स्कीमज हैं तथा कुछ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की भी हैं। इसलिए यह बताया जाए कि नोडल एजेंसी कौन सी है? बहुत सारी जो स्कीमज आपने इसमें मेन्शन की हैं क्या एक्ट, कानून, हैल्पलाईन, पुलिस स्टेशन, वन स्टॉप सेंटर, पोक्सो एक्ट तथा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड होने के बावजूद भी क्या कारण है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े यह बताते हैं कि हरियाणा में स्थिति बहुत खराब है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री नोडल एजेंसी का है और दूसरा लॉ एण्ड ऑर्डर से जुड़ा हुआ तथा तीसरा प्रश्न यह है कि एग्जिक्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? स्कीम तो हैं पर इनका क्या एग्जिक्यूशन है? क्यों हम बंद से बदतर होते जा रहे हैं।

कांटेक्ट हमने अलॉट कर दिया है तथा उनके साथ इस बारे में एम.ओ.यू. साईन हो चुका है। हम 630 नई गाड़ियों की खरीद करने जा रहे हैं। हर थाने में 2-2 गाड़ियां दी जाएंगी। कॉल आने पर 15 मिनट के अन्दर-अन्दर पुलिस पहुंचेगी। हम काफी कदम उठा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जो कदम उठा रहे हैं, जो फंक्शनिंग ठीक कर रहे हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं उसी के कारण वर्ष 2018-19 में जो क्राइम रेट डाउन आया है वह वर्ष 2019-20 में और डाउन आयेगा, हम इसको और इम्प्रूव करेंगे।

02.03.2020

अध्यक्ष महोदय, हम ऑफिसर्ज को इम्पावर्ड करेंगे और उनको ट्रेनिंग भी दिलाएंगे। उनको हम साईकोलोजिस्ट भी भेजेंगे। महिला थानों के साथ एक डी.एस.पी. भी अटैच किया गया है ताकि उनकी फंशनिंग को और अच्छे ढंग से चलाया जा सके।

8. तारांकित प्रश्न संख्या-150 के संदर्भ में श्रीमती गीता भुक्कल एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि महिलाओं के लिए जो पुलिस स्टेशन हैं। उसमें से एक महिला ए.एस.आई. को पीट दिया गया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी की महिला पुलिस स्टेशन और बाकी पुलिस स्टेशन को भी आप उपकरणों के साथ पूर्ण संचालित कीजिए क्योंकि अधिकतर पुलिस स्टेशन में लाठी डंडों वगैरह भी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, महिला पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्ज नियुक्त हैं उनको सबसे पहले बढ़िया से बढ़िया असला प्रोवाइड करें और उनको इम्पावर्ड करें। धन्यवाद।

02.03.2020

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हिसार में 11 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। मैं उनको करैक्ट करना चाहूंगा। वहां पर 11 की बजाय 13 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं। इनमें से 4 रेलवे क्रॉसिंग्स पर काम कम्प्लीट कर दिया है, 3 रेलवे क्रॉसिंग्स पहली, सूर्य नगर वाली

9. तारांकित प्रश्न संख्या-150 के संदर्भ में डॉ. कमल गुप्ता एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: *** अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि जो बाकी 6 रेलवे क्रॉसिंग्स रह गए हैं उनका भी प्रोसैस शुरू करके उन पर

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाए
ताकि शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या
से मुक्ति मिल सके।

एल.सी. 89 और 60, दूसरी सदरन बाइपास
सैक्टर-16 और सैक्टर एल.सी. 4 ए., तीसरी
हिसार से कैमरी रोड एल.सी. 6 बी. पर काम
चल रहा है। इनके अलावा बालसमंद
डिस्ट्रिक्ट्री पर रेलवे लाइन है। उसकी
फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ चुकी है और उसका
जी.ए.डी. (जनरल अर्रेंजमेंट ड्राइंग) बनने के
लिए दिया जा चुका है। वहां पर स्टड फार्म
के साथ एक सड़क है। वह स्टड फार्म आर्मी
का है। हमने उसके लिए आर्मी से आग्रह
किया था कि वह जमीन हमें दे दें लेकिन
उन्होंने हमें मना कर दिया। अतः अब हम
उसका पुनः जी.ए.डी. बनवा रहे हैं ताकि
उसको किस तरीके से आगे लेकर जाया
जाए। इसके अलावा हमने बचे हुए ब्रिजिज
की रिपोर्ट मंगवाई है। रिपोर्ट के आ जाने के
बाद हम उसे चैक करेंगे। हमारी सरकार का
प्रयास है कि जहां यात्रियों और गाड़ियों की
अधिक क्रांसिंग है और अत्यधिक सघन क्षेत्र है
उनको हम जीन्द के बाइपास या रोहतक के
रेलवे ब्रीच जैसी सुविधा उपलब्ध करवा दें।
इसके लिए उनकी स्टडी करवायेंगे।

02.03.2020

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शायद बजट को पूरा नहीं पढ़ा है। हमारी सरकार ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि प्रदेश में अगर कोई भी एन.डी.आर. स्टेट हाइवे होगा तो उसको फाटक मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा माननीय सदस्य जिस सड़क की बात कर रहे हैं उसको भी 10 मीटर चौड़ी करने का प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमारी सरकार के पास है।

10. तारांकित प्रश्न संख्या-150 के संदर्भ में श्री धर्म सिंह छोककर एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मैं कोई नया पुल बनवाने की मांग नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो पुल बने हुए हैं उनसे नेशनल हाइवे की तरफ जाने वाला रोड सिंगल है। वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसलिए उस रोड को फॉरलेन बनाकर स्टेट हाइवे का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा गांव मनाना और गांव चुल्काना में जो रेलवे क्रॉसिंग हैं, को क्रॉस करने वाले रोड को आगे नेशनल हाइवे तक मिला दिया जाए।

02.03.2020

****एक नाबालिग लड़की के लापता होने की घटना के संबंध में दो मामलों की सी.बी.आई. को जांच सौंपने का अनुरोध अर्थात् एफ.आई.आर. नं. 127 दिनांक 28.01.2016 यू/एस 365 आई.पी.सी. पी.एस. सिटी पानीपत और एफ.आई.आर. संख्या 222 दिनांक 30.09.2017 यू/4 पोस्को एक्ट और 120-बी आई.पी.सी.

11. श्री प्रमोद कुमार विज, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 395 : क्या गृह मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान पानीपत में बड़ी संख्या में गुमशुदा बच्चों के मामले सामने आए हैं;

क्र. संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पी.एस. किला, जिला पानीपत को गृह विभाग को भेज दिया गया था, इस कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 19234/सी.आर.-4 दिनांक 27.09.2018 को रद्द कर दिया गया था। यह राज्य सरकार के विचाराधीन भी है।

(ख) सरकार द्वारा इन बच्चों के ठिकानों की तलाश करने के लिए क्या पग उठाए गए ; तथा
(ग) क्या उपरोक्त मामलों जिनके मानव तस्करी से जुड़े होने का संदेह है, में एस. आई.टी. या सी.बी.आई. द्वारा जांच करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

26.08.2020

श्रीमान्

(क) अभियोग अंकित होने उपरांत अनुसंधान अमल में लाया गया है। सिविल अस्पताल, गुरुग्राम द्वारा गठित डॉक्टरों के दो बोर्डों द्वारा दी गई विरोधामासी रायों के मध्य नजर दिनांक 01.08.2020 को पी.जी. आई. रोहतक से निवेदन किया गया कि डॉक्टरों का ऐसा बोर्ड गठित करने उपरांत राय दी जाये। चिकित्सा अधीक्षक, पी.जी.आई. रोहतक ने 17.08.2020 को डॉक्टरों का एक बोर्ड गठित किया है।

12. श्री राकेश दौलताबाद, द्वारा पूछा गया अतारंकित प्रश्न संख्या 125 क्या गृहमंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) सदर पुलिस थाना, गुरुग्राम में दिनांक 19.09.2019 को दर्ज हुई एफ.आई.आर. सं. 0985 पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा उपरांत एफ.आई.आर. पर कार्यवाही करने में देरी करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; तथा

(ख) उपरोक्त एफ.आई.आर. पर कार्यवाही में देरी करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

जिसकी रिपोर्ट अभी लंबित है। इसलिए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए विशेषाग्रेसी रायों का मामला महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा के संज्ञान में लाया जा चुका है।

(ख) पी.जी.आई. रोहतक से रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत, यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को उक्त अभियोग की कार्रवाई करने में देरी के लिए ज़िम्मेदार पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध उचित कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

VIGILANCE DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

13. श्री बनवारी लाल, द्वारा पूछा गया तारांकित

प्रश्न संख्या 732- क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) *****

(ख) क्या मार्च, 2009 से सितम्बर, 2014 तक की अवधि के दौरान भूमि उपयोग परिवर्तन (सी.एल.यू) जारी करने के लिए भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं; यदि हां, तो उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

इसी प्रश्न के संदर्भ में श्री अमर सिंह चौटाला द्वारा पूछा गया अनुसूक्त प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता से यह पूछना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जो उत्तर दे रहे हैं, यह ऑन बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री दे रहे हैं। मैं सदन के नेता से यह जानना चाहूँगा कि हमने इस सदन के पहले और दूसरे अधिवेशन में भी इस बारे में कहा था। दोनों दफा हम महामहिम से भी इस बारे में मिले थे

अध्यक्ष महोदय, *** पूर्व में मुख्य संसदीय सचिव रहे श्री रामकिशन फौजो के खिलाफ लोकायुक्त की सिफारिश पर राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा 4-12-2014 को एफ.आई.आर. नम्बर-10 रजिस्टर की गई थी। इसके अलावा एक और इन्क्वायरी नम्बर-4 दिनांक 18.5.15 को अम्बाला में रजिस्टर की गई है। श्री राजेश शर्मा और स्वामिनी नागरिक वेलफेयर सोसायटी, अम्बाला शहर की शिकायत पर श्री रामकुमार, जिला नगर योजनाकार अम्बाला, नगर तथा ग्राम आयोजन हरियाणा व राजस्व विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध इन्क्वायरी अभी राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा द्वारा की जा रही है। *** शिकायत का जब तक मैटैरियल नहीं मिलता तब तक छानबीन करने में कठिनाई आती है। जहाँ से भी मैटैरियल की जानकारी हमें मिलती है तो एक-एक करके सब चीजें हमारे ध्यान में हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने मानेसर के मामले के लिए सी.बी.आई. को इन्क्वायरी मार्क कर

(2) जांच क्रमांक 4/15, अम्बाला में ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है तथा राज्य चौकसी ब्यूरो से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है। मामले में शिकायतकर्ता/अधिकारियों/कर्मचारियों व अन्य के ब्यान अंकित किये गये। वाटिका कन्सट्रक्शन कम्पनी, अलास्का कन्सट्रक्शन अन्य के ब्यान अंकित किये गये। वाटिका कन्सट्रक्शन कम्पनी, अलास्का कन्सट्रक्शन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। लाईसेंस नं० 256 व 100 फाईलें जिसमें 46 किसानों की कालोब्रेशन डीड व रजिस्ट्रीयां प्राप्त की गई है। डीटीपी अम्बाला कार्यालय से सम्बन्धित रिपोर्ट प्राप्त किया गया व कर्मचारियों के ब्यान अंकित किये तथा अन्य सम्बन्धित को जांच में शामिल होने बारे लिखा गया है। इस समय जांच राज्य चौकसी ब्यूरो के अन्वेषणाधीन है।

(3) गृह विभाग ने पत्र क्रमांक

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(13-06-2018)

और 400 पेज की चार्जशीट भी अपनी पार्टी की तरफ से उनको दी थी। दोनों दफा आशवासन दिया गया था और आश्वस्त किया गया था कि हम इसकी इक्वायरी करेंगे। अब काफी समय बीत चुका है मैं जानना चाहूंगा कि अब तक उस पर क्या कार्रवाई हुई है और उसकी इक्वायरी होगी या नहीं होगी?

14. श्री अशोक सिंगला, प्रधान, नगरपालिका, पिहोवा, जिला कुल्लुक्षेत्र द्वारा दी गई अभिकथित रिश्त संवर्धी स्थगन प्रस्ताव के मामले के उठाने के संदर्भ में श्री जसविंद सिंह संधू द्वारा उठाया गया प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि शायद पूरा सदन जानता है कि पेहवा नगर निगम के वर्तमान (शोर एवं व्यवधान) चेयरमैन श्री अशोक सिंगला से एच.एस. एस.सी. के चेयरमैन श्री भारत भूषण भारती के बेटे सुशांत भारती के द्वारा तथाकथित 45 लाख रुपए की रिश्त लेने की बात चर्चा में आई है। यह अति

दी है। इसी प्रकार से और भी जिन विषयों के बारे में जानकारीयां आती रहेंगी उसके बारे में हम जाँच करायेंगे और अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया हुआ है तो उसकी इक्वायरी करवायेंगे और इक्वायरी के बाद जो भी रिजल्ट आयेगा, जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

12.03.2018

स्पीकर सर, *** हम इन दोनों ऑडियो को आधार मानकर निश्चित रूप से इस मामले की इक्वायरी करवायेंगे और जो भी व्यक्ति इसके पीछे षडयंत्रकारी होंगे उनको किसी भी सूत्र में बख्शा नहीं जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय, इस केस में जो कॉन्फ्लिक्ट यह कहता है कि मुझसे पैसे लिये गये वहीं 12 घंटे बाद दूसरे ऑडियो में यह कहता है कि मुझे शराब पिला कर मुझसे यह कहलवाया गया है, फलां आदमी ने कहलवाया है। जो दो आदमी किसी तीसरे के खिलाफ ऑडियो

20/8/05-3एचजी-11 दिनांक 28.12.17 द्वारा सूचित किया था कि सीबीआई द्वारा मानेसर के मामले में FIR No. RCCHG2015A0019 dated 15.9.15 दर्ज करके अनुसंधानहीन है। अब पत्र दिनांक 21.5.18 द्वारा सूचित किया है कि सीबीआई से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त वर्णित स्थिति के मामले में सम्बन्धितों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। अतः मामले को झप करने की कृपा करें।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

विशेष महत्व का विषय है, (शोर एवं व्यवधान)**** स्पीकर सर, ****
मुख्यमंत्री को इस मामले में आवश्यक
जांच सी.बी.आई. से करवानी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी की नाक के नीचे एक
जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ लड़का
भारत भूषण भारती 75 लाख रुपये रिश्वत

लेता है लेकिन मुख्यमंत्री जी इस मामले
में सी.बी.आई. से इक्वॉयरी करवाने की
हमारी मांग स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
****अध्यक्ष महोदय, रिकार्डिंग में
क्लीयरली अशोक सिंगला यह कह रहा
है कि मेरी भारती से मुलाकात हुई थी।
(शोर एवं व्यवधान) उसने कहा इस बात
की कहीं भनक नहीं लगनी चाहिए।
अशोक सिंगला कहता है उसका सिर
कट जायेगा लेकिन इस बात का धुंआ
बाहर नहीं आयेगा। यह सब कुछ उसके
बाप के कहने से हुआ है। अगर सदन
के नेता मेरी बात सुनना चाहें तो मैं पूरी
जानकारी देता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

में बातचीत कर रहे हैं वे ही दोनों अब एक
दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसमें
सच्चा कौन है और झूठा कौन है इसकी हम
प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करायेंगे और प्रिलिमिनरी
इन्क्वायरी में जो तथ्य आयेंगे, उनकी निश्चित
रूप से जांच होगी। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, **** दोनों टेप्स कंट्रोलिक्ट्री
हैं इसलिए दोनों टेप्स की जांच करानी जरूरी
है और उन दोनों टेप्स की जांच कराने की
बात मैंने स्वीकारी है। हम इस रिश्वत के
विषय की हमारी बड़ी से बड़ी एजेंसी से जांच
करायेंगे और दोषी पाने पर एफ.आई.आर. भी
दर्ज होगी और उचित कार्यवाही भी होगी। मैं
यही कहना चाहता हूँ कि इस विषय को यदि
हम सिस्टम से आगे बढ़ायेंगे तो कार्रवाई
होगी। (शोर एवं व्यवधान)

8.03.2018

15. ताराकित प्रश्न संख्या 2539 के संदर्भ में श्रीमती लतिका शर्मा द्वारा पूछा गया अनुसूचक प्रश्न: वर्ष 1937 में महाराजा पटियाला द्वारा ए.सी.सी. लिमिटेड भूंपेड़ा सीमेंट फैक्ट्री को सूरज पुर में 587 बीघा जमीन लीज पर दी गई थी। (शोर एवं व्यवधान) आप सुन तो लो। आप सुनने का मादा तो रखते नहीं हैं। यह आज का सबसे बड़ा घोटाला है और जो यह घोटाला हुआ है उस जमीन को महाराजा पटियाला ने इंडस्ट्री लगाने के लिए 30 साल के लिए लीज पर या पट्टे पर दिया था। जब वह लीज व डीड खत्म हुई तो कांग्रेस सरकार द्वारा एक मुम्बई की पार्टी जोकि बिल्डर थी उसको ओडिसिज डेवलपर्स टाउनशिप बनाने के लिए वह जमीन दे दी गई। जबकि वह जमीन और मशीनें हरियाणा सरकार के पास जानी थी लेकिन वह जमीन व मशीनें उस बिल्डर को कोड़ियों के भाव दे दी गई। कांग्रेस सरकार ने वह दो हजार करोड़ रुपये की जमीन कोड़ियों के भाव में देने का काम किया है। इसमें 100

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने लोक हित का बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाया है। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा घोटाला था और बिना सरकार के संज्ञान के ऐसा घोटाला कभी संभव नहीं हो सकता था लेकिन इसके साथ ही मैं यह बात भी माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आगामी 4 अप्रैल को माननीय हाई कोर्ट में इस केस की सुनवाई होनी है और यही नहीं सरकार ने इस मामले की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो से कराने का निर्णय लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

साल तक का चूना पत्थर पड़ा हुआ है जिससे ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री हमारे यहां चल सकती थी। यहां उद्योग की कमी भी है। ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री के माध्यम से और लेबर विभाग की मिलीभगत से आज तक इनकी धांधली हुई है। कांग्रेस पार्टी के सी.एम. मंत्री व तहसीलदार तक सभी ने मिलकर यह धांधली की है।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

17-3-2015

16. बजट 2015-16

अटल खेती बाड़ी खाता योजना के तहत किसानों को प्रदान किये जा रहे डिजिटल पंजीकरण कार्ड में किसानों की कृषि गतिविधियों से सम्बंधित सभी प्रासंगिक डेटा का रिकार्ड होगा तथा ये ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के जमीन तथा फसल सम्बन्धी ब्यौरे को इकट्ठा करने हेतु 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल' बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से अब तक 10.83 लाख किसानों ने अपना ब्यौरा पंजीकृत करवाया है। इस जानकारी का उपयोग किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न स्कीमों से जोड़ने हेतु किया जा रहा है। इस पोर्टल को ई-खरीद पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है जिसके तहत खरी 2019 से फसलों की सरकारी खरीद की जा रही है तथा किसानों को उनका ऑनलाईन भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों को खरीफ 2019 में पराली के अवशेष न जलाने के लिए प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया गया तथा भौवन्तर भरपाई योजना के तहत भी किसानों को लाभ दिया जा रहा है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6-7-2020)

6.03.2017

17. तारकित प्रश्न संख्या 1689 के संदर्भ में श्री परमेश्वर सिंह दुल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने योजनाओं का तो जिक्र कर दिया है लेकिन यह नहीं बताया है कि जो जमीन लगातार सेम से प्रभावित है और इस समस्या की वजह से जहां पर कई सालों से खेती नहीं हुई है, उन खेतों के किसानों को सरकार की तरफ से क्या सहायता दी जायेगी ? जैसा कि आपने बताया कि लवणीय/सेम तथा क्षारिय कृषि भूमि में सुधार के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वह सतत प्रक्रिया का एक रूप है जो सतत चलती रहती हैं। इसके कोई शक नहीं है कि यह योजनाएं चलती रहती हैं। मेरा मूल प्रश्न यह है कि पिछले 10 वर्षों से मेरे हल्के में तथा हरियाणा के दूसरे क्षेत्रों में सेम व लवणीय वजह से खराब हो चुकी हजारों एकड़ जमीन जिसमें किसान फसल नहीं बो पा रहे हैं, उन पीड़ित किसानों को क्या

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया है। बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो वाटर लॉगिंग व लवणता के कारण दोनों फसलों नहीं दे पा रही हैं। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने इस तरह का प्रश्न करके एक तरह से सरकार को सुझाव दिया है कि जिन किसानों की जमीन में लगातार जल भरवा है या लवणता है और जिसकी वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, उन किसानों को सरकार की तरफ से किसी न किसी प्रकार का सहयोग जरूरी करना चाहिए तो इस परिपेक्ष्य में मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि उनके द्वारा उठाये गये इस सवाल पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी।

राज्य में लगभग 11.00 लाख एकड़ जमीन सेम तथा जलग्रस्त समस्या से प्रभावित है।

उप-सतहीय निकासी तकनीक द्वारा अब तक राज्य में 28,100 एकड़ सेम तथा जलग्रस्त क्षेत्र का सुधार किया जा चुका है। वर्ष 2020-21 में जिला जींद, रोहतक व सोनीपत में 1300 एकड़ सेम तथा जलग्रस्त क्षेत्र को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(6-7-2020)

क्र०	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

सरकार सहायता देने संबंधी कोई योजना बना रही है ताकि किसान ठीक से जीवन यापन कर सकें ?

6.03.2017

18. श्री करण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अताराकित प्रश्न संख्या 417 क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या वर्ष 2015-16 के दौरान दुलीना, जिला झज्जर निवासी श्री राम कंवर की ओर से सरकार को हैफेड, एच.एल.आर.डी.सी., तथा एच.एस.डी.सी. के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा की गई कृषि सामग्री की खरीद में घोटाले के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी; तथा

(ख) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है तथा शिकायत पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

*** दूसरी शिकायत दिनांक 29.01.2016 हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम, हरियाणा बीज विकास निगम तथा हैफेड द्वारा जैविक खाद, एसीटोबैक्टर तथा बैस्टा खरपतवारनाशी कृषि सामग्री में अनियमितताओं तथा जैविक खाद की गुणवत्ता के बारे में थी। इस शिकायत की जांच अधिकारियों के समूह द्वारा की जा रही है। जिसकी जांच रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (06-07-2020)

इस मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया जाता है कि मै0 सम्पूर्ण एग्रीबैन्चर प्राइवट लिमिटेड कम्पनी के विरुद्ध माननीय न्यायालय, कुरुक्षेत्र तथा पलवल में उप कृषि निदेशकों द्वारा केस दायर किए गए थे। माननीय न्यायालय, कुरुक्षेत्र द्वारा इस मामले में दिनांक 09-08-2017 को कम्पनी के प्रतिनिधि श्री समीर नागपाल तथा कम्पनी के डीलर श्री रुद्रा राम को न्यायालय के समय तक की सजा तथा 20,000-20,000 रुपये के जुर्माने का निर्णय दिया गया था। जबकि दूसरा केस माननीय न्यायालय, पलवल में अभी विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई की अगली तिथि 24-08-2020 निश्चित की गई है।

वर्ष 2014-15 में हैफेड द्वारा ओरगेनिक मैच्योर की आपूर्ति की गई थी तथा कृषि विभाग करनाल के अधिकारियों द्वारा तरावड़ी स्थित हैफेड के गोदाम से नमूने लिए गए थे। जिसकी जाँच तत्कालीन अतिरिक्त कृषि निदेशक (भूजोप0) वर्तमान में अतिरिक्त कृषि निदेशक (भूसं0) द्वारा जाँच पूर्ण कर ली गई है। जाँच में यह तथ्य भी सामने आया है कि वर्ष 2014-15 में हैफेड द्वारा आपूर्ति की गई ओरगेनिक मैच्योर की अदायगी वर्ष 2015 में ही हैफेड द्वारा संबंधित फर्म को कर दी गई थी जबकि सरकार द्वारा अदायगी न करने के आदेश वर्ष 2017 में पारित किए गए थे। जाँच अधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट एक-दो सप्ताह में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया जाता है कि इस मामले में सरकार द्वारा IAR संख्या 308 दिनांक 21-06-2018, थाना सैक्टर-5, पंचकूला में भी दर्ज करवाई जा चुकी है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आरवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

10.03.2017

19. श्री मकखन लाल सिंगला द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1989 : क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) क्या यह तथ्य है कि सिरसा में स्थित अनाज मण्डी, सब्जी मण्डी, कपास मण्डी तथा काठ मण्डी में जगह की कमी है; तथा

ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त मंडियों को सिरसा के बाहरी क्षेत्र में स्थानांतरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

क तथा ख श्रीमान् जी, ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

ब्यौरा

फसल खरीद के सीजन के दौरान सिरसा की वर्तमान मंडियों में स्थान की कमी होने के कारण अनाज मंडी, सब्जी मंडी, कपास मंडी तथा काठ मंडी को सिरसा शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड अतिरिक्त मंडी को विकसित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करेगा और जिलाधीश सिरसा की अध्यक्षता में गठित समिति ने बरनाला रोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के जंक्शन के साथ नई बाईपास पर स्थान का अंतिम निर्णय ले लिया है।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड अतिरिक्त मंडी को विकसित करने के लिए 150 एकड़ भूमि का अधिग्रहण ई-भूमि पोर्टल के द्वारा किया जाना है। जिलाधीश, सिरसा की अध्यक्षता में गठित समिति ने बरनाला रोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के जंक्शन के साथ नई बाईपास पर स्थान नं 0 1 पर भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया गया। इस स्थल के रेट के संदर्भ में नगोसिएशन (मोल-भाव) की प्रक्रिया चल रही है।

उस पर माननीय उपायुक्त सिरसा की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट अभी वाछिंत है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6-7-2020)

23.10.2017

20. माननीय सदस्यगण श्री जसविन्द सिंह संघू श्री अभय सिंह चौटाला, श्री रामचन्द्र कम्बोज, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया तथा श्री वेद नारंग द्वारा प्रदेश में पराली की समस्या के बारे में दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी।

XX विभाग द्वारा अनुदान पर कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग केन्द्र/बैंक की स्थापना हेतु कदम उठाते हुए किसानों के समूह/स्व सहायता समूहों/सहकारी समितियाँ/कृषक उत्पादक संघों को 25 लाख तक के कस्टम हायरिंग केन्द्र पर 40 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया है इन केन्द्रों के द्वारा किसानों को फसल अवशेष कृषि यन्त्र किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जायेंगे। XX

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(6-7-2020)

वर्ष 2017-18 में विभाग द्वारा राज्य में 420 कृषि यंत्र कस्टम हायरिंग केन्द्र 40 प्रतिशत अनुदान देकर स्थापित किए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा 1194 व 2019-20 में 1685 कस्टम हायरिंग केन्द्र 80 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत अनुदान देकर स्थापित किए गए। इन केन्द्रों द्वारा किसानों को फसल अवशेष कृषि यन्त्र किफायती दरों पर उपलब्ध करवाये जाने की सुविधा उपलब्ध है।

23.10.2017

21. माननीय सदस्यगण श्री जसविन्द सिंह संघू श्री अभय सिंह चौटाला, श्री रामचन्द्र कम्बोज, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया तथा श्री वेद नारंग द्वारा प्रदेश में पराली की समस्या के बारे में दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी।

XX कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों की खरीद हेतु 28 करोड़ ₹0 का प्रावधान किया गया है जो कि किसानों को किराए पर किफायती दरों/मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(6-7-2020)

वर्ष 2017-18 में फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों की तकनीकी मापदण्ड/सैसिफिकेशन कृषि मंत्रालय भारत सरकार के स्तर पर लम्बित होने के कारण खरीद प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी तथा उक्त परियोजना में प्रथम किश्त में दिए गये 10 करोड़ ₹0 को भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु किसानों को उपलब्ध करवा दिया

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गया था। किसानों को किराए पर किराया देती दरों पर फसल अवशेष प्रबंधन की मशीनों को उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक 3299 कस्टम हायरिंग केंद्र विभाग द्वारा दूसरी स्कीमों के अंतर्गत स्थापित किए जा चुके हैं।

24.10.2017

श्रीमान् जी, हाँ। ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि 1000 एकड़ से कम क्षेत्र भूमि पर सब-सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम व्यवहार्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने उकलाना विधान सभा क्षेत्र में सेम की समस्या के बारे में सवाल पूछा है और हम मानते हैं कि वहां पर सेम की समस्या है लेकिन माननीय साथी ने सेम के बारे में जो आंकड़े दिए हैं उनमें कुछ अंतर है। हमारे विभाग की सर्वे टीम वहां 17 तारीख को जाकर सर्वे करके आई थी और हल्का पटवारी भी वहां गया था। सर्वे टीम की रिपोर्ट के मुताबिक वहां सेम की समस्या

22. श्री अनूप धानक द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 2180 क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि उकलाना विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव साबरवास में लगभग 400 एकड़ भूमि सेम प्रस्त है; तथा

(ख) यदि हां, तो सेम की समस्या का समाधान करने के लिए सब-सर्फेस ड्रेनेज सिस्टम लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा इसके कब तक

लगाए जाने की संभावना है ?
 ***अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी समय सीमा बतायें कि वहां कब तक सेम की समस्या का समाधान कर दिया जायेगा ? ***अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि हमारे एरिया में सेम की समस्या का समाधान आने वाले बजट सत्र से पहले कर दिया जायेगा?

रहती है लेकिन बिजाई होने के बाद सेम की समस्या कम होकर 20 से 25 एकड़ भूमि पर ही रहती है। सर्वे टीम ने यह भी रिपोर्ट दी है कि 250 एकड़ भूमि में जल स्तर 3 से 5 एकड़ रहता है। इस बारे में विभाग ने जवाब दिया है कि सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम एक हजार एकड़ से कम पर लगाना संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विभाग के उत्तर से आगे जाते हुए बताना चाहूंगा कि मैंने विभाग को आदेश दिया है कि सेम से प्रभावित कितना भी छोटा एरिया हो वहां पर छोटी मशीनें लगाकर समस्या का समाधान किया जाये। क्योंकि आज के दिन सेम की समस्या को दूर करने के लिए छोटी मशीनें अवेलेबल हो गई हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन करता हूँ कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में छोटे लैयल का सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम लगाकर सेम की समस्या दूर करेंगे।
 अध्यक्ष महोदय, अभी हम समय सीमा तय नहीं कर सकते। क्योंकि हरियाणा में अभी छोटी मशीनें अवेलेबल नहीं हुई हैं। महाराष्ट्र आदि कुछ राज्यों में छोटी मशीनें उपलब्ध हो गई हैं और जल्द ही हमें भी ये मशीनें उपलब्ध हो जायेंगी।अध्यक्ष महोदय, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आने वाले बजट सत्र से पहले इनकी यह समस्या दूर कर दी जाये।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

24.10.2017

23. श्री रणवीर गंगवा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 2178 क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि :-
- क) क्या आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अन्तर्गत हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए हैं;
- ख) क्या यथा निर्दिष्ट ऊपर के भाग (क) में आवेदकों/नियुक्त किए गए व्यक्तियों से दस हजार रुपये (नॉन रिफण्डेबल) राशि ली गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;
- ग) कितने भूतपूर्व सैनिकों तथा असैनिक नागरिकों को नियुक्ति दी गई ?
- ***अध्यक्ष महोदय, श्री रणवीर सिंह गंगवा जी ने अपने इस प्रश्न के माध्यम से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने बारे, इन पदों के आवेदकों से 10000 रुपये की नॉन रिफंडेबल राशि लेने बारे तथा आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कितने भूतपूर्व सैनिकों तथा असैनिक नागरिकों की नियुक्ति की गई के बारे में पूछा है। इस प्रश्न के प्रथम सवाल का उत्तर यह है कि भर्ती हुई है और दूसरे सवाल के उत्तर में बताना चाहूंगा कि यह भर्ती मैसर्स सिम्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसिज (आई) लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा की गई है जिन्होंने सैनिक और गैर सैनिक दोनों भर्तियों की हैं। जो सैनिक भर्ती किए गए उनसे कोई किसी प्रकार की कोई राशि नहीं ली गई लेकिन जो असैनिक नागरिक भर्ती किए गए उनसे ट्रेनिंग के नाम पर 10000 रुपये की राशि ली गई है। वैसे एक बात मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे ही माननीय

सदस्य के सवाल से 10000 रुपये की राशि लेने की बात सरकार के ध्यान में आई है तभी तुरन्त प्रभाव से विश्वविद्यालय प्रशासन को इस संबंध में उचित कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं क्योंकि जब कोई बीड या टेंडर होता है तो उसमें सभी प्रकार की सेवा शर्तों का जिक्र होता है लेकिन चूंकि मैसर्स सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसिज लिमिटेड के साथ हुए टेंडर में इस प्रकार की कोई राशि चार्ज करने की सेवा शर्त नहीं थी, इसलिए इस तरह की राशि चार्ज करना उचित नहीं माना जा सकता है और निःसंदेह जांच के बाद कार्रवाई जरूर की जायेगी।

7.03.2018

(क)(ख) जी नहीं श्रीमान। स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश ने जिस सड़क के निर्माण की मांग अपने प्रश्न के माध्यम से की है उसको बनाने के बारे में विभाग ने तो नॉर्म्ज का हवाला देते हुए असमर्थता जाहिर की है क्योंकि यह रास्ता बीच में 3 करम का भी है और कहीं-कहीं पर 5 करम का भी है। नॉर्म्ज के हिसाब से इसको नहीं बनाया जा सकता लेकिन इसके बावजूद भी मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नॉर्म्ज में रिलेक्सेशन देकर इस सड़क को बनवाने के आदेश विभाग को जल्दी ही दे दूंगा।

24. ताराकित प्रश्न संख्या 2448 के संदर्भ में श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या कलायत अनाज मण्डी से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है ?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

7.03.2018

25. तारकित प्रश्न संख्या-2448 के संदर्भ में श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया अनुसूचक प्रश्न :- *** सर, मेरी मंत्री जी से एक और रिकवैट्ट है कि मेरे हल्के की एक और सड़क जो कोलेखां से शिमला मार्ग तक है जो कि 2 किलोमीटर की है। यह रास्ता भी मंडी में आने-जाने के लिए है। अगर इस कच्चे रास्ते पर सड़क बन जाती है तो इससे उस क्षेत्र के किसानों को बहुत सुविधा हो जायेगी।
- ***स्पीकर सर, अगर माननीय सदस्य की यह मांग भी लोक महत्व की है तो मैं विभाग से इसकी ग्राउंड लैवल पर जांच करवा लेता हूँ और अगर इस सड़क को बनाया जाना वॉयबल होगा तो हम इसको भी जल्दी से जल्दी बनवा देंगे।

5.03.2018

26. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में
- सम्मानित सभासदों ! आपको यह जानकर खुशी होगी कि मेरी सरकार जल्द ही हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जो किसानों और भूमिहीन श्रमिकों के भौतिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए और कृषि को लाभप्रद बनाने तथा कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए सभी संभव उपाय करेगा।

27. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में

5.03.2018

मेरी सरकार गन्ने का 330 रुपये प्रति विंटल का भाव दे रही है, जो देश में सर्वाधिक है। करनाल में 225 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सह-उत्पादन और परिष्कृत चीनी के उत्पादन के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ 3500 टीसीडी क्षमता की एक नई चीनी मिल भी स्थापित की जा रही है। यह परियोजना दो वर्षों में पूरी हो जाएगी।

6.03.2018

28. अतारगित प्रश्न संख्या 575 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री अनूप धानक द्वारा पूछा गया अनुप्रश्न प्रश्न क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वरिष्ठता/पदक्रम सूची को पिछले 2 वर्षों से अपडेट/अंतिम रूप नहीं दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा वरिष्ठता/पदक्रम सूची को कब तक अपडेट/अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है ?

जी हां, श्रीमान। यह एक तथ्य है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की वरिष्ठता/पदक्रम सूची को पिछले दो वर्षों से नवीनीकरण/अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वरिष्ठता/पदक्रम सूची के नवीनीकरण/अंतिम रूप न देने का कारण पदक्रम सूची व निर्धारित पदोन्नति कोटा से अधिक पदोन्नत अधिकारियों को अनियमित व पदावनत करने के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय के रोक के आदेश तथा वरिष्ठता सूची के अंतिम रूप देने के बाद की गई नई नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ हैं। उन सभी वरिष्ठता सूचियों

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

को अगले 6 महीनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जिनमें कोई कानूनी अड़चन या न्यायालय ने कोई रोक आदेश नहीं दिये हैं।

8.03.2018

हां श्रीमान जी, वर्ष 2017-18 के दौरान 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। खरीफ 2017 की क्लेम प्रक्रिया अभी चल रही हैं और अप्रैल 2018 तक इसे अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

29. अतारकित प्रश्न संख्या 580 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री परमेन्द्र सिंह डुल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2017-18 के दौरान 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है; यदि हां, तो योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है तथा प्रत्येक किसान को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

11.09.2018

स्पीकर सर, मैं इस मामले में माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इस मामले की जांच करवाकर दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

30. तारकित प्रश्न संख्या 2661 के संदर्भ में श्रीमती किरण चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से पुनः

निवेदन है कि जो मैंने किसानों को टमाटर का खराब बीज बेचने वाली बात की है, क्या मंत्री जी उस मामले की जांच करवाकर प्रभावित किसानों को उसका मुआवजा देंगे और क्या दोषियों को सजा दी जायेगी?

31. गन्ने की बकाया राशि के वितरण में देरी से संबंधित ध्यानकर्षण प्रस्ताव संख्या-25 के संबंध में श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा पूछा गया प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, मैं व श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया विधायक, श्री परमेन्द्र सिंह दुल विधायक, श्री राम चन्द कम्बोज विधायक एवं श्री रणबीर गंगवा विधायक ने प्रदेश में किसानों के गन्ने उत्पाद व गन्ने सप्लाई का भुगतान समय पर न करने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में गन्ने की पिराई का सीजन व गन्ना मिलों को बंद हुए काफी समय हो चुका है। प्राप्त सूचना के अनुसार परंतु प्रदेश की 14 शुगर मिलों की तरफ किसानों की लगभग 750 करोड़ रुपये

11.09.2018

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि राज्य में गन्ना किसानों द्वारा 14 चीनी मिलों को बेचे गए गन्ने पर 2662/- करोड़ रुपये की कुल देय राशि में से 2 सहकारी चीनी मिलों की तरफ केवल 5.33 करोड़ रुपये की छोटी सी राशि तथा 3 निजी चीनी मिलों की तरफ 212/- करोड़ रुपये की राशि बकाया है। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल देय राशि में से सहकारी चीनी मिलों द्वारा 99.68 प्रतिशत तथा निजी चीनी मिलों द्वारा 79.21 प्रतिशत की राशि का भुगतान किसानों को पहले ही किया जा चुका है। बकाया राशि का भुगतान भी शीघ्र ही करवाया जाएगा। XXX

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

की देनदारी बताई जाती है शायद यह आंकड़ा अधिक भी हो सकता है। प्रदेश के किसान पहले ही आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहे हैं ऊपर से उनको गन्ने उत्पाद व गन्ने सप्लाई का भुगतान भी समय पर नहीं हो पाया है। इससे प्रदेश के किसानों में भारी आर्थिक संकट के कारण रोष व आक्रोश व्याप्त है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

25-3-2015

(क) और (ख) हां, श्रीमान जी। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान समस्या का समुचित समाधान ढूँढने के प्रयास किये जायेंगे।

32. श्री मक्खन लाल सिंगला द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 285: क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि सिरसा निर्वाचनक्षेत्र के गांव नहराना में सेम की भारी समस्या है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या नलकूप से पानी निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(21-5-2018)

नहराना गांव के जलभराव क्षेत्र से पानी निकालने के लिए डिजीजन स्तर पर एक योजना तैयार की गई है जिससे पंपों द्वारा आर०सी०सी० पार्सप लगाकर पानी हिरार घग्गर ड्रेन में निकाला जा सकेगा। इसकी लागत लगभग 71.00 लाख रू० होगी। इस स्कीम को DIP (District Irrigation Plan) में भी डाल दिया गया है। मामला

एस0टी0सी0 की मीटिंग में विचारविमर्श उपरांत कृषि विभाग को भेजा गया। आगे का कार्य कृषि विभाग और सिंचाई विभाग मिलकर तय करेंगे कि इस दिशा में क्या किया जा सकता है।

3.03.2017

33. श्री रणबीर गंगवा द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 1945 : क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गांव कैमरी से पातन, पातन से सिरसाना, मटेरश्याम से भिंगनीखेड़ा, दाईमा से भगाना, गंगवा से डाबड़ा तथा बूरा से गारणपुरा सड़कों को पक्का करने तथा गांव गंगवा से आर्य नगर सड़क की मरम्मत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कैमरी से पातन सड़क के लिए:- श्रीमान जी, कैमरी से पातन सड़क के निर्माण की एक मुख्यमंत्री घोषणा है। सड़क के 31.03.2018 तक निर्मित किए जाने की संभावना है। गंगवा से आर्य नगर सड़क के लिए:- सड़क को वार्षिक रखरखाव कार्य के तहत हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 31.03.2017 तक यातायात योग्य बना दिया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard (16-05-2018)

कैमरी से पातन किलोमीटर 0 से 3.720 सड़क का निर्माण किया जाना है। जोकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा नं. 18219 दिनांक 08.11.2016 जिस कार्य का विवरण अनुमान अधीक्षक अभियन्ता लो.नि. वि. हिसार के कार्यालय के पत्र क्रमांक 1505/आर. दिनांक 31.06.2017 को प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग तथा हरियाणा सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था परन्तु वह मंजूर नहीं किया जा सका। क्योंकि हिसार सदन रेलवे लाईन पर आर.यू.वी.एल.सी. नं. किलोमीटर 9-9/1 किलोमीटर रेलवे विभाग द्वारा बनाया जाना है। रेलवे विभाग द्वारा आर.यू.बी. एट एल.सी. नं. 9-9/1 किलोमीटर

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हिसार सदलपुर रेलवे लाईन बनाने के लिए रुपये 2.06 करोड़ मांगे गए थे। जोकि लोक निर्माण विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 6951 दिनांक 26.10.2017 को जमा करवा दिए गए हैं। प्रमुख अभियन्ता, बीकानेर द्वारा बताया गया है कि जो हिसार सदलपुर आर.यू.बी. बनाया जाना है। उसका टेन्डर हो चुका है जोकि 08.01.2018 को खुल चुका है। रेलवे विभाग द्वारा कार्य प्रगति पर है। अतः रेलवे विभाग द्वारा आर.यू.बी. एट एल.सी. किलोमीटर 9-9/1 किलोमीटर जोकि रेलवे विभाग द्वारा बनाया जाना है। रेलवे विभाग द्वारा हिसार सदलपुर लाईन पर आर.यू.बी. बनाये जाने के बाद कैमरी से पातन सड़क बनाया जाना है अब कैमरी से पातन का कार्य 103.65 लाख रुपये की लागत से आवंटित किया जा चुका है। जिसकी समयावधि 9 महीने है।

28.12.2018

34. धानाकर्षण सूचना संख्या 16 (राज्य के विभिन्न जिलों में बीमारी वर्षा के कारण कृषि भूमि में सेम की समस्या से संबंधित) के संदर्भ में माननीय सदस्या श्री किरण चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : स्पीकर सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगी कि आई.सी.आई.सी.आई लोमबार्ड बैंक की कंपनी भिवानी जिले के किसानों की इश्योरेंस की 26 करोड़ रुपये की राशि लेकर भाग गई है, उस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?

अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है वास्तव में असल मामला यह है कि भिवानी जिले के 20 गांव हैं जिनके किसानों का मुआवजा संबंधी विषय टेक्निकल कमेटी के पास गया हुआ है। हमने भी इस संबंध में बात की है तो बताया गया है कि 15 दिन के अन्दर यह सारा मामला सोल्व हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, टेक्निकल कमेटी के कुछ आब्जैक्शंस हैं और उनकी तरफ से कुछ डाटा मांगा गया था जिसको सरकार ने भेज दिया है और मुझे लगता है कि भिवानी के 20 गांवों का जो यह मामला है, जल्द ही सौल्व हो जायेगा।

22.02.2019

35. तारांकित प्रश्न संख्या 2977 के संदर्भ में श्री राम चन्द कन्नोज द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सेशन में भी यह विषय उठाया था और आज भी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सिरसा जिले के 77 गांवों के किसानों की फसल भी खराब हुई थी और वहां के किसान मुआवजे से वंचित रह गये

हॉं श्रीमानजी। सरकार ने किसान पेंशन योजना की रूपरेखा तथा तौर तरीकों के सुझाव के लिए श्री सुभाष बराला, विधायक, टोहाना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगा कि किसानों की मासिक पेंशन के संबंध में सरकार ने श्री सुभाष बराला, विधायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है लेकिन अभी तक

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

थे। इस समय भी लगभग 19 गांवों में मुआवजा देने की घोषणा होने के बाद संबंधित गांवों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। अगर माननीय मंत्री जी कहें तो मैं लिस्ट भी भिजवा दूंगा। यह मुआवजा राशि वर्ष 2017 से पेंडिंग है। कम्पनीज द्वारा किसानों का बीमा प्रीमियम तो काट लिया गया था परन्तु अभी तक उन किसानों को मुआवजे की राशि नहीं मिल पायी है। अब वर्ष 2019 चल रहा है। इन 19 गांवों की लगभग 35-36 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि पेंडिंग है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह बकाया मुआवजा राशि कब तक संबंधित किसानों को दे दी जाएगी? गग अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि संबंधित 19 गांवों की गिरदावरी भी हो चुकी है। बीमा कम्पनीज द्वारा संबंधित गांवों की अर्थोराईज्ड लिस्ट भी बनायी गयी थी

और वह लिस्ट में माननीय मंत्री जी के पास भिजवा दूंगा।

27.02.2019

अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को यह जानकारी भी है कि वह मुआवजा राशि क्यों पैडिंग है तो उसके बारे भी सदन में जानकारी दे दें और साथ ही साथ संबंधित गांवों की लिस्ट भी दे दें। उसके बाद इस पर कार्यवाही करेंगे। XXX अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य संबंधित लिस्ट भिजवा दें उसके बाद मैं तुरंत कार्यवाही करवा दूंगा।

36. अतारांकित प्रश्न संख्या 761 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री गिरथी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि उजाना से डुंडवा तक की सड़क बहुत बुरी अवस्था में है; यदि हां, तो इसकी मरम्मत कब तक किए जाने की संभावना है ?

25.02.2019

37. अतारांकित प्रश्न संख्या 745 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री गिरथी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि नरवाना विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा निर्मित अधिकतर सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं; यदि हां, तो उक्त सड़कों के कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है ?

***केवल 22.40 किलोमीटर लम्बाई की छः सड़कें खराब हालात में है। हालांकि, इन सड़कों की विशेष मरम्मत का कार्य प्रगति पर है और 30 जून, 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

38. ताराकित प्रश्न संख्या 3076 के संदर्भ में श्री कुलदीप शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:-***अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को रेलवे कनैक्टिविटी देने के लिए सरकारी स्तर पर रेलवे मंत्रालय से प्रयास कर सकते हैं। रेलवे कनैक्टिविटी के बिना यह अंतर्राष्ट्रीय मंडी कामयाब नहीं हो सकती है, ऐसा वहाँ के व्यापारियों का भी सुझाव है ***
- 02.08.2019
- ***जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने उस अंतर्राष्ट्रीय फल तथा सब्जी मंडी से रेलवे कनैक्टिविटी की बात कही है, वह एक बहुत ही अच्छा सुझाव है और मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि उस मंडी के नजदीक से ही एक रेलवे लाइन गुजरती है और हम निश्चित रूप से उस रेलवे लाइन से इस मंडी को जोड़ने की कोशिश करेंगे।

- 06.08.2019
- श्रीमान जी,
- (क) खरीफ 2017 से खरीफ 2018 के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थानीय आपदाओं के अधीन 89171 किसानों ने अपने दावे दायर किए। जिनमें से 58463 किसानों को दावों के निपटान हेतु 133.36 करोड़ रूपए की राशि वितरित की गई। बाकी के
39. श्री जगवीर सिंह मलिक, एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अताराकित प्रश्न संख्या 808: क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि :-
- (क) खरीफ 2017 सीजन से रबी, 2019 सीजन तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अधीन दायर किये गए दावों

आवेदन स्थानीय श्रेणी में न आने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए थे जिनके लिए वे अपना दावा (अर्थात्, जलभराव, भूस्खलन तथा ओलावृष्टि) कर रहे थे। रबी 2018-19 के लिए स्थानीय दावों का निपटान तथा विस्तृत आपदा दावे जो कि फसल कटाई प्रयोग होने के उपरान्त उपज में आई कमी के आधार पर संगणित किए हुए हैं जिनका निपटान उचित समय पर कर दिया जाएगा। XX

की कुल राशि कितनी है तथा फसलें किए गए, लमियत, अस्वीकृत दावों की कुल संख्या कितनी है तथा ऐसे मामलों की अस्वीकृति के क्या कारण हैं; तथा (ख) अनिवार्य तथा स्पष्टीकृत बीमा मामलों की वर्ष वार संख्या कितनी है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आरम्भ से राज्य में ऐसे मामलों से जिलावार कितनी राशि वसूली गई तथा उपरोक्त अवधि में दिए गए मुआवजों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

5.11.2019

***धान की फसल में 18 परसेंट तक नमी अलाउड है। अगर धान में 18 परसेंट से ज्यादा नमी होती है तो उसके हिसाब से ही नमी का वजन कम करके पैसा काटा जाता है। फिर भी जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपकी बात में कोई दम होगा तो हम उसकी जांच करवाकर इस बारे में आपको जानकारी दे दंगे। (विष्णु) मैं इस हाउस में आज यह आश्वासन दे रहा हूँ कि हम प्रदेश के किसानों के एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने देंगे। (विष्णु)

40. राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री अभय सिंह चौटाला द्वारा पूछा गया प्रश्न:-

***धान में नमी के नाम पर किसान का जो पैसा काटा जाता है चाहे वह डेढ़ सौ रुपये है या अढ़ाई सौ रुपये प्रति किंटल है उसके लिए किसान के जे फार्म में लिख दिया जाता है कि यह पैसा किसान को नकद में दे दिया गया है और इसके साथ ही जे फार्म में यह भी बाकायदा तौर पर लिखा

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

जाता है कि इतने पैसे किसान के खाते में जमा कराये गए है और इतने पैसे चेक से दिए गए हैं लेकिन धान में नमी के नाम पर जो पैसा काटा जाता है, जिसके लिए 'जे' फार्म में लिख दिया जाता है कि यह पैसा किसान को नकद में दे दिया गया है, वह पैसा वास्तव में किसान को नहीं मिलता है।" जब यह पैसा किसान को नहीं मिलता है तो फिर यह पैसा किस खाते में जाता है?

5.03.2018

राज्य में पानी के अत्यधिक दोहन और संकट ग्रस्त 36 चिह्नित खण्डों में भूजल के पुनर्भरण हेतु 76.20 करोड़ रुपये के प्रस्तावित परियोजना से जल संरक्षण और संवर्धन का कार्य करने के लिए आगामी वित्त वर्ष से नाबार्ड की सहायता से एक नई 'सिंचाई दक्षता निधि' योजना क्रियान्वित की जाएगी।

41. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के
संदर्भ में

10.09.2018

****लेकिन माननीय सदस्य के सुझाव से मुझे लगा कि सरकार की किसी एजेंसी को भी एक टोल फ्री नंबर चलाना चाहिए। अतः मैं इनके सुझाव को स्वीकार करता हूँ। इनके सुझाव को मानते हुए किसान आयोग एक टोल फ्री नंबर चलाएगा। इसके अतिरिक्त एक वाट्सएप नंबर भी चलाया जाएगा। इस नंबर पर सभी लिखित में भी जानकारी दे सकेंगे और अपनी वॉयस रिकॉर्ड करके भी भेज सकेंगे। इसके अलावा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं वे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सूचित कर सकेंगे। इनके इस सुझाव को मैंने स्वीकार कर लिया है।

42. ताराकित प्रश्न संख्या-2659 के संदर्भ में श्री परमेश्वर सिंह ढुल द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और कीटों इत्यादि के कारण क्षतिग्रस्त हुई उनकी फसलों का तुरन्त सर्वेक्षण करवाने के लिए टोल फ्री नंबर आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

25.02.2020

पिराई सीज़न 2018-19 तक नारायणगढ़ चीनी मिल की तरफ गन्ना मूल्य की कोई राशि बकाया नहीं है पिराई सीज़न 2018-19 के लिए चीनी मिल ने 35,31,07,000 रुपये के अग्रिम तिथि के चैक गन्ना किसानों को जारी किए हैं, जिसमें से 29,82,07,000 रुपये का भुगतान किया जा चुका है तथा शेष राशि 5,49,00,000 रुपये का भुगतान दिनांक 17.03.2020 तक सम्पादित है।

43. श्रीमती शैली चौधरी, द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 98 : क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों से नारायणगढ़ शहर मिल की तरफ किसानों के गन्ने का भुगतान बकाया है; यदि हाँ, तो उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है तथा बकाया राशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है ?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

25.02.2020

44. श्रीमती निर्मल रानी, द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या 30 : क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि गन्नौर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में गांव संपेरा से गांव शाहपुर तागा तक सड़क बहुत बुरी अवस्था में है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त सड़क के पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसके कब तक पुनर्निर्मित किए जाने की संभावना है ?

45. श्री सुभाष गांगोली, द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या 29 : क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि नरयान विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव खरल से गांव उजाना तक सड़क बुरी अवस्था में है; तथा

(क) जी हाँ।

(ख) इस सड़क की विशेष भरम्मत करने हेतु 43.22 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 20.02.2020 को प्रदान कर दी गई है तथा यह कार्य 31.10.2020 तक पूर्ण होने की संभावना है।

25.02.2020

(क) जी हा, श्रीमान;

(ख) इस सड़क को पुनर्निर्मित तथा चौड़ा करने हेतु 221.03 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति 20.02.2020 को प्रदान कर दी गई है तथा यह कार्य 31.03.2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़क को पुनर्निर्मित तथा चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसको कब तक पुनर्निर्मित/चौड़ा किए जाने की संभावना है ?

25.02.2020

46. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या 29 : क्या उप मुख्यमंत्री कृपा बताएंगे कि बाढ़ड़ा निर्वाचनक्षेत्र के गांव घसोला, ऊन, बलरोड़, ककडौली, सरदारा, कडीरूपा, मण्डी खेड़ा, नन्धा, मेहरा, आर्य नगर, तथा मौरी में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पार्क-कम-व्यायामशाला का निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

क्र. सं.	सीएम घोषणा कोड नं.	गाँव	स्वीकृत राशि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि
1.	24283	आर्य नगर	4935000	प्रगति पर	31.5.2020
2.	24277	बलरोड़	3330000	प्रगति पर	31.5.2020
3.	24275	घासाला	3330000	प्रगति पर	31.5.2020
4.	24278	काकरोली सरदारा	3678000	प्रगति पर	31.5.2020
5.	24279	कारी रूपा	4935000	प्रगति पर	31.5.2020
6.	24280	मंडी केहर	3242000	प्रगति पर	31.5.2020
7.	24281	मेहरा	3195000	प्रगति पर	31.5.2020
8.	24284	मौड़ी	4935000	प्रगति पर	31.5.2020
9.	24282	नांथा	4935000	प्रगति पर	31.5.2020
10.	24276	उण	3330000	प्रगति पर	31.5.2020

क्र.० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

- 26.02.2020
47. श्री विनोद भयाना, द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 273 : क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि शहर के बीच में चल रही सब्जी मंडी के कारण हांसी शहर यातायात की समस्या से पीड़ित है; यदि हां, तो उक्त सब्जी मंडी को दिल्ली रोड पर सरकार द्वारा बनाई गई नई सब्जी मंडी में कब तक स्थानांतरण किए जाने की संभावना है तथा इसका खौरा क्या है ?
- हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा हांसी शहर में नई सब्जी मंडी दिल्ली-हिसार मार्ग पर विकसित की जा रही है। जहां निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, पात्र आढ़तियों को दुकान बनाने के लिए प्लॉटों का कब्जा छः महीने की समयावधि में प्रदान कर दिया जाएगा, जिसके उपरान्त आंबटियों द्वारा दुकानों का निर्माण किया जाएगा। XX

- 28.02.2020
48. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या 68 : क्या कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि बाढ़ड़ा कस्बे में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?
- चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा कस्बे में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला जून, 2020 तक स्थापित होने की संभावना है।

28.02.2020

49. वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के संदर्भ में।

37. मैंने कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-21 में उठाए जाने वाले जिन नए महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है, उनमें से केवल 12 के बारे में मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा। ये इस प्रकार हैं:-

(iii) हरियाणा की सभी सब्जी मण्डियों में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित किया जाएगा।

(xi) फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इसके तहत सभी प्रभावित जिलों के हर ब्लॉक में प्रगली खरीद केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
CO-OPERATION DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

8.03.2017

50. श्री राम चन्द कम्बोज द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1719 :- क्या सहकारिता राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

क) क्या यह तथ्य है कि रानियाँ में हेफेड द्वारा एक चावल मिल स्थापित की गई है; तथा

ख) यदि हाँ, तो उक्त चावल मिल को कब तक चालू किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

राज्य मंत्री (श्री मनीश कुमार ग्रीवर) : मान्यवर, उपरोक्त के सन्दर्भ में सदन के सम्मुख मैं यह प्रस्तुत करता हूँ।

विवरण

(क और ख)

श्रीमान, 2 मीट्रिक टन क्षमता की एक चावल मिल को गाँव हबौली, तहसील रानियाँ जिला सिरसा हेफेड द्वारा वर्ष 2003-04 में स्थापित किया गया था।***** यह वर्ष 2011 तक कार्यशील रही। 23.07.2004 को हेफेड के निदेशक मंडल की मीटिंग में यह अनुमति प्रदान की गई की हेफेड की चावल मिलों की वित्तिय दशा सुधारने के लिए इनको निजी व्यक्तियों के सहयोग से चलाया जाए।***** वर्ष-2011 के बाद इस मिल को चलाने के लिए लगातार निविदाएं मांगाने पर भी किसी भी निजी पार्टी से कोई निविदा प्राप्ति नहीं हुई। पुनरिक्षित निविदा दस्तावेज बनाया जा रहा है जोकि जुलाई-2017 तक आमंत्रित किया जाएगा।

1) रानिया राइस मिल को प्राइवेट पार्टी के संवन्ध में चलाने के लिए हेफेड राइस मिल, रानिया को खरीफ साल 2017-18 के लिए लीज पर देने के लिए दिनांक 11.08.2017 और 18.09.2017, 23.08.2018, 29.10.2018, 25.09.2019, 22.07.2020 और 20.08.2020 को ई-निविदा आमंत्रित की गई।

2) निविदा नोटिस निम्नलिखित अखबारों में प्रकाशित हुआ:

i) दैनिक जागरण (सभी हरियाणा संस्करण)

ii) दैनिक भास्कर (सभी हरियाणा संस्करण)

iii) पंजाब केसरी (सभी हरियाणा और पंजाब संस्करण)

The Committee would like to know the latest position in this regard. (16-9-2020)

- 3) ई-निविदा को हरियाणा राज्य की ई-रसीद पोर्टल व हैफेड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया लेकिन कोई भी बोली / निविदा प्राप्त नहीं हुई। उपरोक्त निविदा में भाग ना लेने का मुख्य कारण रानिया व आरापास की मण्डियों में पीआर-धान की अपर्याप्त मात्रा थी।
- 4) डी एम. हैफेड, सिरसा को निर्देश दिया गया कि वे स्थानीय स्तर संबंधित जगह के राइस मिलरों से सम्पर्क करके अल्पावधि निविदा आमंत्रित कराए। डी एम. हैफेड, सिरसा ने राइस मिलरों से सम्पर्क करके 10.10.2017 को अल्पावधि निविदा आमंत्रित की लेकिन कोई भी मिलर हैफेड राइस मिल, रानिया को चलाने के लिए आगे नहीं आया क्योंकि रानियां व उसकी संगत मण्डियों में पी. आर-धान की अपर्याप्त मात्रा थी।

क्र. संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	दिप्पणी
1	2	3	4	5

- 6) हैफेड राईस मिल, रानिया हैफेड द्वारा दोहराए गए प्रयासों के बावजूद भी लीज पर नहीं ली जा सकी। अब हैफेड प्रबंधक इस राईस मिल को अपग्रेड - अधुनीकरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ताकि हैफेड राईस मिल, रानिया को एक्सपोर्टर्स के लिए उपलब्ध कराया जा सके क्योंकि रानिया बेल्ट में बासमती चावल पर्याप्त मात्रा में है। इस राईस मिल को पी. पी. टी माध्यम से संचालित किया जाएगा। इस कार्य के लिए हैफेड द्वारा पी. एन. सी को नियुक्त किया जाएगा।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

10-3-1992

51. श्री अमीर चन्द मक्कड़ द्वारा पूछे गए
अतार्पित प्रश्न सं० 11 के उत्तर में :—
- (क) क्या हांसी में गांव ढाणा रामपुर में महाराजा फरीदकोट से संबंधित भूमि के आवंटन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; तथा
- (ख) यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

(क) ग्राम ढाणा रामपुरा में भूतपूर्व महाराजा फरीदकोट की भूमि से संबंधित केवल एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है ***** इस बारे उल्लेख है।

(ख) ऊपर खंड (क) में वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए और सरप्लस भूमि का अलाटियों को मौके पर कब्जा दिलाते समय किसी प्रकार की हिंसा की संभावना को रोकने के लिए और मामले को स्थाई ढंग से निपटाने हेतु सभी संबंधित पक्ष एवं पार्टियों को विस्वास में लेकर सभी उचित कदम उठाये जाएंगे।

अलाटी का नाम/ अलाट किया गया
रकबा/ कब्जा बारे की गई कार्यवाही
चतर सिंह पुत्र पूर्ण कुम्हार गांव ढाणी
सीरवाली, तारीख अलाटमेंट
09.01.1989

- 131/
18 मिन 0-18
20 1-14
132/
9/3 4-13
10/1 9-3
11 8-0
12/2 9-0
16/2 2-9
17/2 2-8
18/2 1-15
कुल 40-00

- गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.05.2017 अनुसार अलाट किये गए रकबा पर गांव के व्यक्तियों ने मकान बनाकर नाजाराज कब्जा किया हुआ है। जिनके नाम निम्न प्रकार है। 1. इन्द पुत्र हरनारायण 2. महाबीर पुत्र हरनारायण 3. नरेन्द्र पुत्र हरनारायण 4. अजित पुत्र गोपी राम

After perusing the written reply and oral examination of the Departmental representatives, the Committee observed that the assurance is pending since 1989 for implementation. The Committee therefore, desired that the expeditious step be taken in the matter.

5. गिनीराम पुत्र चतरु 6. महिपाल पुत्र रामस्वरूप 7. लालचन्द पुत्र मेहर सिंह 08. चन्दु पुत्र दलीचन्द 09. राजेश पुत्र देवीराम 10. अश्वनी पुत्र बलबीर 11. उमेश पुत्र बलबीर 12. औमप्रकाश पुत्र फतेह सिंह 13. मदन पुत्र रतन सिंह 14. कृष्ण पुत्र फतेहसिंह 15. फूलसिंह पुत्र कुन्दन 16. सोनू पुत्र रणबीर 17. अनिल पुत्र रणवीर 18. सुनिल पुत्र रणबीर 19. उमेश पुत्र मांगेराम 20. रमेश पुत्र राम सिंह 21. महीपाल पुत्र कुन्दन 22. दर्शन पुत्र रामस्वरूप 23. रोहताश पुत्र रामस्वरूप 24. अजीत पुत्र शेरसिंह 25. सतबीर पुत्र कवरफूल 26. औमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप 27. ताराचन्द पुत्र सोलु 28. गजराज पुत्र ताराचन्द 29. बलवान पुत्र रामकुमार 30. बलराज पुत्र रामकुमार 31. लाला पुत्र मनीराम 32. लाला पुत्र जीताराम 33. बिल्लु पुत्र रामकुमार 34. दूगोधन पुत्र लालचन्द 35. धर्मवीर पुत्र अमरसिंह 36. हरपाल पुत्र अमरसिंह 37. चांदीराम पुत्र सुरजमान 38. बलवान पुत्र सुरजमान 39. सुरेश पुत्र लालचन्द 40. खुशीराम पुत्र रिछपाल 41. बलवान पुत्र रामचन्द 42. कृष्ण पुत्र रामचन्द निवासीगण गांव रामपुरा।

1. चन्दु पुत्र निहाल सिंह चमार गांव रामपुरा तारीख अलाटमैन्ट 03.02.1989

2. 158/

19 मिन 0-14

20 8-0

21 8-0

22 8-0

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	दिप्पणी
1	2	3	4	5
			23 8-0 24/1 7-6 कुल 40-0	
			3. गिरदावर/पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 04.12.2017 अनुसार इस अलाटी की मृत्यु हो चुकी है।	
			1. औमप्रकाश पुत्र श्रीराम महाजन गांव ढाणा खुर्द तारीखा अलाटमैन्ट 09.01.1989	
			2. 158/ 7 8-0 8 8-0 9 8-0 10 8-0 11 8-0 कुल 40-0	
			3. गिरदावर/पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 18.06.2018 अनुसार बार-बार बुलाने पर कब्जा लेने नहीं आया और अब यह अलाटी गांव में नहीं रहता।	
			1. कैलाश पुत्र फूलसिंह चमार ढाणीभीस्वाली	
			2. 45/ 1/1 1-18 9/1 3-16 9/3 0-4	

10/10-13
 10/11-0
 11/26-8
 12/17-1
 13/11-18
 13/33-11
 14/30-7
 20/11-18
 कुल 27-10

3. इस अलाटी को अलाट किए गए रकबों
 बारे जिला जज हिसार के च्यायालय
 में सिविल अपील नं 477/2017
 कैलाश बंसाल हनुमान आदि
 विचारधीन है।

1. ताराचन्द पुत्र पोकर चमार ढाणी
 पौरवाली तारीख अलाटमेंट
 09.01.1989

2. 98/

19मिन 2-18

20 8-0

96/

5/25-12

6 8-0

7 मि 2-10

कुल 27-10

3. अलाटी को 7 कनाल का कब्जा
 दिलाया जा चुका है। बाकी 20-10
 का कब्जा फाट केस विचारधीन होने
 के कारण नहीं दिलाया जा सका है।

क्र०	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
संख्या				
1	2	3	4	5

24.3.2015

52. श्रीमती किरण चौधरी द्वारा पूछा गया तारीकित प्रश्न संख्या 75 : क्या राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह है कि जिला भिवानी में भूमि की चकबन्दी का कार्य अब तक नहीं किया गया है; यदि हां, तो चकबन्दी का कार्य कब तक किए जाने की संभावना है ?

श्रीमान जी, जिला भिवानी में 44 गांव हैं जिनमें चकबंदी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इन 44 गांवों में से 24 गांवों में चकबंदी कार्य प्रगति पर है और पूर्णता के विभिन्न चरणों में हैं। ये 24 गांव हैं: लाड, रामबास, उमरवास, काकडौली हट्टी, जगरामवास, बेरला, बाबरवास, खरकड़ी, पहाड़ी, लेधाभमान, प्रेमनगर, तिवाला, जुईखुर्द, छपार, गोकलपुरा, मण्डौलीकलां, पैन्तावासखुर्द, चहडकलां, पटौदी, धिलौड़, कान्हड़ा, मिरान, खोरडा व सण्डवा में चकबंदी कार्य प्रगति पर है। एक गांव के चकबंदी कार्य को पूर्ण करने के छः चरण हैं जो कि प्रारंभिक रिकार्ड तैयार करना, चकबंदी स्कीम का प्रकाशन व इसकी पुष्टि, जोतों की तकसीम, कब्जे तबदील, अंतिम सत्यापन और दाखिला रिकार्ड।

इसके अतिरिक्त 14 गांव नामतः माईकलां, माईखुर्द, पिचोपाखुर्द, विन्द्राबन, लाडावास, टोडी, ढाणीफोगाट, चन्देनी, बीडसमसपुर, कुब्जानगर, सिधानी, सरल, दरियापुर व निमड वर्ष 1988-89 में भू-स्वामियों के

चकबन्दी की प्रक्रिया के निम्नलिखित 6 चरण हैं :-

1. प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार करना
2. चकबन्दी स्कीम का प्रकाशन व इसकी पुष्टि
3. जोतों की तकसीम
4. कब्जे तबदील
5. अन्तिम सत्यापन
6. दाखिला रिकार्ड

जिला भिवानी के 44 गांवों में से 9 गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, 29 गांवों में चकबन्दी की प्रक्रिया जारी है तथा 6 गांवों के रिकार्ड में राजस्व विभाग द्वारा त्रुटियां ठीक की जा रही हैं। इस सम्वन्ध में विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार है-

क) 9 गांव जिनमें चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है :-

क्र.	गांव का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	चकबन्दी पूर्ण होने की तिथि
1.	रामबास	1425 एकड़	07.09.2016
2.	पैन्तावासखुर्द	1779 एकड़	14.09.2016
3.	बाबरवास	1340 एकड़	27.09.2016
4.	गोकलपुरा	4231 एकड़	30.09.2016

सहयोग न देने के कारण डि-नोटिफाईड हो चुके हैं।
नोटिफिकेशन पुनः जारी नहीं किया गया है क्योंकि
भू-स्वामियों से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
छ: गाँव नामतः कितलाना, घंघाला, गोकल, गुडाना,
झोडुखुर्द व अटेला खुर्द में चकबंदी कार्य शुरू नहीं
हुआ है क्योंकि राजस्व विभाग से पूर्ण किया गया
राजस्व रिकार्ड एकीकृत किया जा रहा है और पूर्ण
राजस्व रिकार्ड उपलब्ध होने पर कार्यवाही तुरंत पूर्ण
कर ली जायेगी।

5. काकडौली हट्टी	1971 एकड़	13.02.2017
6. थिलौड	1810 एकड़	02.04.2018
7. जगरागवास	1631 एकड़	30.06.2018
8. छपार	5289 एकड़	15.01.2019
9. पटौदी	3853 एकड़	02.09.2020

उपरोक्त गांवों का रिकार्ड राजस्व विभाग को सौंपा जा चुका है तथा
रिकार्ड को ऑनलाईन करने की प्रक्रिया चल रही है।

ख) 29 गांव जिनमें चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है तथा कार्य की
वर्तमान स्टेज निम्न प्रकार है:-

क्र. गांव का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	वर्तमान स्थिति
1. मण्डौलीकलां	7478	तकसीम का कार्य चल रहा है तथा लगभग 4800 एकड़ की तकसीम हो चुकी है।
2. चहडकलां	3910	स्कीम दिनांक 29 जून, 2020 को प्रकाशित हो चुकी है।
3. गिरान	7744	प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार हो चुका है तथा स्कीम प्रकाशित करवाने की प्रक्रिया की जा रही है।
4. सण्डवा	5297	तकसीम कार्य बन्द है क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत की भूमि सम्मिलित है।
5. कितलाना	2401	प्रारम्भिक रिकार्ड तैयार हो चुका है तथा स्कीम शीघ्र प्रकाशित करवा दी जायेगी।
6. घंघाला	2698	स्कीम प्रकाशित हो चुकी है तथा 270 उज्जरदारियों की सुनवाई शेष है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

7. सिंचानी 5462 जमाबन्दी में कान्ही झुटियां हैं, जो विभाग द्वारा ठीक की जा रही हैं।

8. सरल 3302 स्कीम मन्जूर हो चुकी है तथा काश्त तसदीक की जा रही है।

9. दरियापुर 5159 ग्रामीणों ने स्कीम के खिलाफ अधीन धारा 42 में अपील दायर की हुई है। आयुक्त महोदय, रोहतक की तरफ से बन्दी आदेश जारी हो चुके हैं। एक अपील सिविल कोर्ट तोशाम में चल रही है।

10. पहाड़ी 4911 गांव का प्रारम्भिक रिकॉर्ड तैयार हो चुका है तथा ग्रामीण नई जमाबन्दी बनवाना चाहते हैं। निदेशक, भू-अभिलेख, हरियाणा द्वारा जमाबन्दी अपडेट करवाने हेतु निर्देश दे दिए गए तथा उपायुक्त, भिवानी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

11. लेधामनान 2726 ग्रामीण चकबन्दी कार्य में सहयोग नहीं कर रहे, जिस कारण चकबन्दी कार्य बन्द है।

12. प्रेम नगर 1913 प्रारम्भिक रिकॉर्ड तैयार हो चुका है तथा स्कीम दिनांक

29.09.2020 को प्रकाशित करवा दी गई है।

75 प्रतिशत तकसीम हो चुकी है। बाकी का काम जल्द पूर्ण करवा दिया जायेगा।

प्रारम्भिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।

प्रारम्भिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।

तकसीम का कार्य पूर्ण हो चुका है। 10 प्रतिशत कब्जा कार्यवाही व अन्दर फिरनी रकबा बाकी है।

तकसीम का कार्य जारी है। 500 एकड़ रकबा की तकसीम हो चुकी है।

प्रारम्भिक रिकॉर्ड तैयार हो चुका है तथा कानूगो द्वारा पडताल की जा रही है

प्रारम्भिक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।

इस गांव की 21(1) दिनांक 04-11-2019 को हो चुकी है। उजरदारियों की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है तथा रिकॉर्ड तैयार हो चुका है। आयुक्त, रोहतक मण्डल द्वारा दिनांक 12-10-2020 को इस संबंध में स्टे लगा दिया गया है। मामले की सुनवाई 24-11-2020 को होनी है।

क्र.० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	
			21 कुब्जानगर	885	ग्रामीण चकबन्दी कार्य में सहयोग नहीं कर रहे, जिस कारण चकबन्दी कार्य बंद है।
			22 लाडावास	1748	स्कीम दिनांक 31-12-2018 को प्रकाशित हो चुकी है।
			23 पिथौपा खुर्द	1678	तकसीम का कार्य पूर्ण हो चुका है और लगभग 30 प्रतिशत कब्जा दिया जा चुका है।
			24 निमड़ बडेसरा	1524	स्कीम दिनांक 31-01-2019 को प्रकाशित हो चुकी है।
			25 अटला खुर्द	2035	इस गाँव का माननीय आयुक्त, रोहतक मण्डल, रोहतक की अदालत में शामलात के बंटवारे बारे केस विचारधीन है। ग्रामीण चकबन्दी कार्य इस केस के फैसले के बाद करवाना चाहते हैं।
			26 टोडी निहालगढ़	1504	राजस्व विभाग को रिकॉर्ड वापिस करना है क्योंकि ग्रामीण टोडी व निहालगढ़ दोनों गांवों का हदबस्त नम्बर अलग-2 करवाना चाहते हैं।
			27 बिन्दावन	1104	स्कीम दिनांक 27-08-2020 को मंजूर हो चुकी है। तकसीमी शिजरा तैयार किया जा चुका है।
			28 तिवाला	2086	70 प्रतिशत निशानदेही व कब्जा कार्यवाही की जा चुकी है व 50

प्रतिशत कॉपी दायम तैयार हो चुकी है।

रिकार्ड राजस्व विभाग से दिनांक 23-08-2020 को प्राप्त कर लिया गया है।

29 गोकल 1153

ग) 6 गांव जिनका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व अन्य त्रुटियां ठीक करने हेतु वापिस भेजा हुआ है तथा इस बारे राजस्व विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है:-

क्र.	गांव का नाम	क्षेत्रफल (एकड़)
1	जुई खुर्द	4386
2	माई कलां	1068
3	माई खुर्द	858
4	चन्देनी	852
5	झोझू खुर्द	998
6	बेरला	5500

23.10.2017

श्री मूल चन्द शर्मा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 2119 : क्या राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन मंत्री कृपा बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि बल्लभगढ़ का लघु सचिवालय पंचायत भवन की ईमारत में कार्य कर रहा है; यदि हां, तो बल्लभगढ़ लघु सचिवालय के भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है तथा इसकी अवस्थिति का व्यौरा क्या है?

XX अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बल्लभगढ़ तहसील का कार्यालय एक पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है। पिछली सरकारों ने इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवाई थी अब हमारी सरकार द्वारा बल्लभगढ़ में 22 कनाल 6 मरला भूमि को चिह्नित किया गया है। भवन निर्माण का कार्य कुछ ही समय में प्रारम्भ कर दिया जायेगा। XX हम दो महीने के अन्दर माननीय मुख्यमंत्री जी से इस तहसील की आधारशिला रखवाकर इसका कार्य चालू करवा देंगे।

23.10.2017

आश्वासन संख्या: 60 का सम्यन्ध जिला, फरीदाबाद में उपमण्डल बल्लभगढ़ में लघु सचिवालय के भवन का निर्माण करने से है जिस हेतु 22 कनाल 4 मरले भूमि चिह्नित की जा चुकी है। इस भवन के निर्माण के लिये अनुमोदित नक्शे इस विभाग के पत्र दिनांक 17-12-2018 द्वारा मुख्य वास्तुकार हरियाणा को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये गये थे और लागत अनुमान मु0 10.72

The Committee would like to know the latest position in this regard (25-11-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

करोड़ रुपये की प्रशासकिय स्वीकृति राजस्व विभाग द्वारा प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग हरियाणा को जारी की जा चुकी है। प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20-11-2020 अनुसार इस भवन के निर्माण का कार्य 31 मार्च 2019 को शुरू हुआ था जो कि प्रगति पर है। अब तक इस भवन का निर्माण कार्य 55% पूरा हो चुका है तथा इसके निर्माण का कार्य 31 मार्च 2021 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। अतः अनुरोध है कि आश्वासन संख्या 60 को राजस्व विभाग की सूचि में से हटाया जाए।

23.10.2017

54. श्री बलकौर सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 2148: क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएंगे कि :-
क) क्या यह तथ्य है कि कांलावाली की उप-तहसील किराए की इमारत में कार्य कर रही है ; तथा

23.10.2017

आश्वासन संख्या: 61 का सम्बन्ध उपमण्डल कॉम्प्लेक्स कांलावाली के भवन निर्माण से है जिस बारे उपमण्डल अधिकारी (ना0), कांलावाली जिला सिरसा से अनुलग्नकों सहित जिला नगर योजनाकार, सिरसा से प्राप्त पत्र क्रमांक एस.ए./डी.टी.पी.-पी/

The Committee would like to know the latest position in this regard (25-11-2020)

ख) क्या उप-तहसील के लिए इमारत का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उक्त इमारत को कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

1969, दिनांक 05-07-2018 तथा पत्र क्रमांक 982 / एम.सी. दिनांक 13-07-2018 की प्रति इस विभाग के पत्र दिनांक 09-08-2018, द्वारा तथा स्मरण पत्र दिनांक 04-10-2018, दिनांक 20-12-2018, दिनांक 30-04-2019 दिनांक 22-05-2019, दिनांक 03-07-2029, दिनांक 21-08-2019, दिनांक 26-02-2020, दिनांक 14-05-2020, दिनांक 21-07-2020, दिनांक 18-09-2020, तथा अन्तिम स्मरण पत्र दिनांक 06-10-2020 द्वारा उपायुक्त, सिरसा तथा HSPV विभाग को भेजकर अनुरोध किया गया है कि HSPV विभाग की 16 एकड़ भूमि में से सरकार के नॉर्म अनुसार उपमण्डल कॉम्प्लैक्स कालावाली तथा रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए 4 एकड़ भूमि चिन्हित / earmarked करके अपनी सहमति अनुसार स्पष्ट प्रस्ताव सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करे। परन्तु इस बारे उपायुक्त, सिरसा तथा HSPV विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। इस बारे उपायुक्त, सिरसा तथा HSPV विभाग से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

55. ताराकित प्रश्न संख्या 2953 के संदर्भ में श्री बलकौर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या कालावाली उप-मण्डल के भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

21.02.2019

हां श्रीमान् जी। एक जगह चिन्हित की जा रही है, जिसके पश्चात् भवन निर्माण की कार्यवाही की जाएगी।

21.02.2019

आश्वासन संख्या: 66 का सम्बन्ध उपमण्डल कॉम्प्लेक्स कालावाली के भवन निर्माण से है जिस बारे उपमण्डल अधिकारी (ना०), कालावाली जिला सिरसा से अनुलग्नकों सहित जिला नगर योजनाकार, सिरसा से प्राप्त पत्र संमांक एस.ए./डी.टी.पी.-पी/1969, दिनांक 05-07-2018 तथा पत्र क्रमांक 982/एम.सी. दिनांक 13-07-2018 की प्रति इस विभाग के पत्र दिनांक 09-08-2018, द्वारा तथा समरण पत्र दिनांक 04-10-2018, दिनांक 20-12-2018, दिनांक 30-04-2019 दिनांक 22-05-2019, दिनांक 03-07-2020, दिनांक 21-08-2019, दिनांक 26-02-2020, दिनांक 14.05.2020, दिनांक 21-07-2020, दिनांक 18-09-2020, तथा अन्तिम स्मरण पत्र दिनांक 06-10-2020 द्वारा उपायुक्ता, सिरसा तथा HSPV विभाग को भेजकर अनुरोध किया गया है कि

The Committee would like to know the latest position in this regard (25-11-2020)

HSVP विभाग की 16 एकड़ भूमि में से सरकार के नॉरम अनुसार उपमण्डल कॉम्प्लैक्स कालावाली तथा रिहायशी भवनों के निर्माण के लिए 4 एकड़ भूमि चिन्हित/earmarked करके अपनी सहमति अनुसार स्पष्ट प्रस्ताव सरकार को भिजवाना सुनिश्चित करें। परन्तु इस बारे उपयुक्त, सिरसा तथा HSVP विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। इस बारे उपयुक्त, सिरसा तथा HSVP विभाग से लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

22.02.2019

हां श्रीमान् जी, भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित की जा रही है तथा इसके पश्चात् भवन निर्माण की कार्यवाही की जाएगी।

56. तारांकित प्रश्न संख्या 2927 के संदर्भ में श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएंगे कि कलायत में लघु सचिवालय के भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है?

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(25-11-2020)

आशवासन संख्या: 67 का सम्बन्ध कलायत, जिला, कैथल में लघु सचिवालय के भवन का निर्माण करने से है जिस बारे मु0 13.84 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार के पत्र क्रमांक 1230-R-6-2019 /6999 दिनांक 03.07.2019 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को दी जा चुकी है। प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 20-11-2020 अनुसार कलायत में लघु सचिवालय के भवन का निर्माण कार्य 19 सितम्बर 2019 को शुरू किया

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गया था जो कि प्रगति पर है। अब तक इस भवन के निर्माण का कार्य 55% तक पूरा हो चुका है और 30 अप्रैल 2021 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। अतः अनुरोध है कि आश्वासन संख्या: 67 को राजस्व विभाग की सूचि में से हटाया जाए।

22.02.2019

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। इन्होंने जो विषय उठाया है उस संबंध में पिछली बार हमारी सरकार ने इंडियन स्टाम्प एक्ट के अन्दर स्टाम्प फीस में संशोधन किया था। उसके बाद जो विषय माननीय सदस्य बता रहे हैं यह विषय जब हमारे नॉल्लिज में आया तो हमने तुरन्त बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उनसे मीटिंग करने के बाद उनकी तरफ से एक रिजॉल्यूशन रिसीव करके एस.एल.बी.सी. में भेजी है जिसके ऊपर हम कंसोडिडेशन कर रहे हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वासन देता हूँ कि हम उस स्टाम्प फीस में परिवर्तन करके उसको बहुत जल्दी बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर लेकर आएंगे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान श्री करण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया प्रश्न :- XXX स्पीकर सर, इसी तरीके से पिछले सेशन में आप जो इंडियन स्टाम्प एक्ट का कानून लेकर आए थे उस समय हम भी सदन में थे और वह कानून सदन में पास भी हुआ था। उस कानून के अन्दर यह है कि जो किसान कर्जा लेने के लिए एफिडेविट देता है तो उसकी बैल्यू दो हजार रुपये कर दी गई है। उस संबंध में बाकायदा बैंक के अधिकारियों ने सरकार को लिख कर भेजा है कि किसानों के साथ यह एक बहुत बड़ी जादती है क्योंकि पहले कर्जा लेने के लिए किसानों से दस रुपये का स्टाम्प लिया जाता था।

25.02.2019

हां. श्रीमान् जी। मामला सरकार के विचाराधीन है।

58. अतारांकित प्रश्न संख्या 779 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री करण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या सरकार को अक्टूबर से दिसम्बर, 2018 के दौरान बैंकों द्वारा कृषि ऋणों पर रुपये 2000 / की स्टाम्प ड्यूटी लगाने से संबंधित कोई शिकायत/प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए ?

24.02.2020

(क) हां श्रीमान जी,

(ख) सब-डिवीजन बादली के भवन निर्माण के लिए जमीन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तत्पश्चात्, उक्त भवन के निर्माण कार्य किया जाएगा।

59. श्री कुलदीप वत्स, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 189 क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) बादली में उप-मण्डल भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

60 वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के
संदर्भ में।

28.02.2020

131. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से समूचे ग्रामीण, शहरी और आबादी देह क्षेत्रों की बड़े पैमाने पर जीआईएस मैपिंग की परियोजना शुरू की गई है। **** 25 दिसम्बर 2019 को करनाल जिले के गांव सिरसी से लाल डोरा मुक्ति की एक पायलट परियोजना शुरू की गई। 15 जिलों के 75 गांवों की ड्रोन फ्लाइंग की गई है, जिसके तहत इन जिलों के 5-5 गांवों को शामिल किया गया है। प्रथम चरण में सोनीपत, करनाल और जींद जिलों की सम्पूर्ण मैपिंग का कार्य वर्ष 2020-21 में शुरू करेंगे। करनाल जिले के सिरसी गाँव की भांति सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का प्रस्ताव है।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
INDUSTRIES & COMMERCE DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

61. श्री धर्मपाल सिंह मलिक, एम०एल०ए० द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 578 क्या उद्योग मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या गोहाना तथा खरखोदा जिला सोनीपत में औद्योगिक मॉडल नगर क्षेत्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; तथा

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई?

13-3-2007

(क) हाँ श्रीमान जी। खरखोदा, जिला सोनीपत में औद्योगिक मॉडल नगर क्षेत्र के विकास के लिए एक प्रस्ताव है। परन्तु गोहाना, जिला सोनीपत में औद्योगिक नगर क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत खरखोदा जिला सोनीपत में औद्योगिक नगर क्षेत्र के विकास हेतु भूमि चयन के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण तथा अधिसूचना के प्रारूप की तैयारी प्रगति पर है।

(क) तहसील खरखोदा जिला सोनीपत में गोपालपुर, पीपली, सैदपुर, कुण्डल, रामपुर, फिरोजपुर, बांगड़, निजामपुर खुर्द, सेहरी, पहलादपुर तथा बरोना गावों की राजस्व सम्पदाओं औद्योगिक आवासीय संस्थागत, वाणिज्यिक क्षेत्रों इत्यादि वाली खरखोदा आई.एम.टी. के विकास के लिए एक हित उद्देश्य के लिए 3364 एकड़ भूमि धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचित की गई थी। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-5ए के अन्तर्गत आपत्तियों की सुनवाई के बाद दिनांक 4.4.2011 को लगभग 3302 एकड़ भूमि धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचित की गई थी तथा मार्च-अप्रैल 2013 में अवाई की घोषणा कर दी गई है। आगे क्षेत्र की योजना को भी अन्तिम रूप दिया जा चुका है।

तहसील खरखोदा जिला सोनीपत गाँव गोपालपुर, पीपली, सैदपुर, कुण्डल, रामपुर, फिरोजपुर खुर्द, बांगड़, निजामपुर खुर्द, सेहरी पहलादपुर तथा बरोना की राजस्व सम्पदा में औद्योगिक, आवासीय संस्थागत, व्यावसायिक क्षेत्रों इत्यादि से सम्पन्न खरखोदा में एक सार्वजनिक उद्देश्य नामतः खरखोदा औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के लिए 3201 एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया गया है अधिग्रहण की गई।

(ख) गोहाना में एक औद्योगिक सम्पदा विकसित करने की वजाय यह निर्णय लिया गया था कि लाठ-विधल गांवों में 3500-4000 एकड़ भूमि पर एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप पी.पी.पी. के जरिये विकसित किया जाये। इसलिए गांव जौली, बीघल, लाठ एवं भैंसवाल कलां, तहसील गोहाना जिला सोनीपत की राजस्व सम्पदा में एक सारगर्भित औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने के लिए 15.1.2013 को लगभग 3398 एकड़ भूमि धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचित की गई थी। उसके पश्चात् 31.12.2013 को 3389 एकड़ भूमि धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचित कर दी गई थी। अवाई अभिवर्धित किया जाना है। इसके अतिरिक्त तहसील गोहाना जिला सोनीपत के गांवों लाठ, भैंसवाल बवाला, भैंसवाल मिठान, केटवाल एवं बाली ब्राह्मण की राजस्व सम्पदा में एक सारगर्भित औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकास

भूमि का कब्जा राजस्व विभाग द्वारा हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम को सौंप दिया गया है। क्षेत्रा की आगामी योजना को भी अन्तिम रूप दे दिया गया है। आगे HSIIDC ग्राम्य एवं शहरी आयोजना विभाग से आई.एम.टी. खरखौंदा 2021 के प्रारूप विकास योजना में आवश्यक संशोधन के लिए अनुरोध कर रहा है ताकि आई.एम.टी. खरखौंदा को अधिकतम विकय योग्य क्षेत्र बनाया जा सके।

एक अलग उपलब्धि के रूप में दिनांक 15.01.2016 को जिसमें हरियाणा सरकार

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

के लिए 5.6.2013 को धारा 4 के (प्रथम पार्टी है)
 अन्तर्गत लगभग 2593 एकड़ भूमि HSIIDC (द्वितीय
 भी अधिसूचित की गई थी। बाद पार्टी है)। तथा
 में लगभग 2591 एकड़ भूमि डालियान बॉला ग्रुप
 24.5.2014 के धारा 6 के अन्तर्गत कम्पनी लिमिटेड
 अधिसूचित की गई थी। अवार्ड (त्रितीय पार्टी) के
 अभी घोषित किया जाना है। मध्य एक मैमोरेण्डम
 ऑफ स्टैण्डिंग पर ऑफ हस्ताक्षर किये गए हैं, ०४
 जिसमें समेकित पर्यटन/मनोरंजन/
 औद्योगिक टाउनशिप स्थापित करने के
 आयामों को तलाश करने का निर्णय लिया
 है।

जहाँ तक जिला सोनीपत तहसील गोहाना के गँवों जौली, बीघाल, लाठ एवं मैसवाल बावला की

राजस्व सम्पदा में
औद्योगिक मॉडल
टाउनशिप के विकास
के लिए दिनरांक
31.12.2013 को धारा
6 के अन्तर्गत,
अधिसूचित 3389 एकड़
भूमि का सम्बन्ध
है तत्पश्चात्, राज्य
सरकार ने आदेश
दिनांक 26.02.2016 के
द्वारा उपयुक्त
अधिग्रहण कार्यवाहियों 85
को समाप्त करने का
निर्णय लिया।

जहाँ तक जिला
सोनीपत की तहसील
गोहना के गोंवों लाठ,
भैंसवाल, बावल,
भैंसवाल, मिथान,
कटवाल, ब्रह्मनानम
विस्तृत औद्योगिक
मॉडल टाउनशिप
चरण-2 के विकास
के लिए दिनांक

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

24.05.2014 को धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचित की। 2591 एकड़ भूमि का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने दिनांक 18.05.2016 के आदेश द्वारा उपर्युक्त अधिग्रहण कार्यवाहियों को डोप करने का निर्णय लिया है।

86

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(5-02-2018)

10.03.2015

अध्यक्ष जी, आवेदक अपनी प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में जहां तक सम्भव हो सके अकुशल कर्मियों को 75 प्रतिशत रोजगार और अन्य श्रेणियों के लिए हरियाणा के अधिवासियों को अपनी प्रस्तावित इकाई में वरीयता देगा।

श्री टेक चन्द शर्मा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 218 : क्या उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरकार को कोई नीति है कि जहां उद्योग स्थापित किए

During the course of oral examination of the Department representatives the Committee desired

जाएँ वहाँ स्थानीय व्यक्तियों को नौकरी उपलब्ध करवाई जाएगी; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

तथा एक औद्योगिक प्लाट के लिए आवेदन देते हैं। उनसे इस आशय का शपथ पत्र लेता है। कि यथा सम्भव अकुशल कामगारों की संख्या का 75 प्रतिशत तथा अन्य श्रेणियों में अपनी प्रस्तावित इकाईयों में हरियाणा निवासियों में से प्राथमिकता देंगे। नियतन के समय उपर्युक्त शर्तें आर. एल.ए./डीड आफ कन्वेन्स की शर्तों का हिस्सा भी बनता है।

that the information regarding person belonging to the Haryana State employed in the industries set up on the plot allotted by HSIIDC be submitted for information of the committee. But the said information has not been received so far till the drafting of this report. The Committee therefore, desiring that above said information be supplied within 3 months.

10.03.2015

63. श्री टेक चन्द शर्मा द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 535 : च्क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-
- (क) क्या यह तथ्य है कि 2005 से 2014 की अवधि के दौरान आई. एम. सी. मानेसर में 912 एकड़ भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से

(क) श्रीमान जी, यह एक तथ्य है कि 912 एकड़ भूमि चौधरी देवीलाल औद्योगिक आदर्श नगर, मानेसर की स्थापना के लिए सार्वजनिक प्रयोग अर्थात् आवासीय, आनोद-प्रमाद तथा अन्य लोग उपयोगिताओं के लिए एक समीकित संव्यह के रूप में स्थापित करने के अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित

आशवासन संख्या 57 तहसील एवं जिला गुड़गाँव में गाँव लखनौला, नारंगपुर तथा मानेसर में 912 एकड़ 0 कनाल 7 मरला भूमि से सम्बन्धित है जो सार्वजनिक उद्देश्य नामत औद्योगिक माडल टाउनशिप की

The Committee would like to know the latest position in this regard. (1-02-2018)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

सम्बंधियों तथा क्लोनोईजरो इत्यादि के पक्ष में भूमि विकसित करने के लिए अनुचित लाभ देने के लिए विमुक्त की है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई?

को गई थी। तत्पश्चात् इन अधिग्रहण प्रक्रियाओं को निरस्त कर दिया गया था। यह भी एक तथ्य है कि सरकार ने दिनांक 27.08.2004 को भूमि अधिग्रहण नियम, 1894 की धारा 4 की अधिसूचना उपरोक्त परियोजना के लिए जारी की थी और धारा 5-ए के एतराजों पर विचार करते हुए लगभग 224 एकड़ भूमि को निकाल कर वाकी बची 688 एकड़ भूमि अर्जन अधिनियम 6 के तहत अधिसूचना दिनांक 25.08.2005 को जारी की थी। धारा 6 की अधिसूचना जारी करने के उपरान्त तथा भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को निरस्त करने का निर्णय लेने से पहले लगभग 70 एकड़ भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई थी। ये अधिग्रहण से मुक्त भूमि थी (i) 14 एकड़ भूमि सरकार द्वारा मंत्रियों की समिति की सिफारिशों पर दो भू-स्वामियों के पक्ष में अधिग्रहण से मुक्त कर दिया था (क) लगभग 11 एकड़ भूमि मैसर्स सुबरोल लिमिटेड के पक्ष में ग्रुप हाउसिंग के लिए, (ख) लगभग 3 एकड़ भूमि श्री अशोक कुमार लखोटिया को तीन सितारा होटल बनाने के लिए, (ii) 45 एकड़ भूमि जोकि सी.एल.यू. प्राप्त भूमि के बीच में थी, अधिग्रहण से मुक्त कर दी थी (iii) अन्य

स्थापना के लिए जो मनोरंजन एवं अन्य सार्वजनिक उपयोगिताओं के लिए समेकित परिसर के रूप में नियोजित किया जाना था के लिए अधिग्रहण की जा रही है तथा इसे दिनांक 27.08.2004 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत 688 एकड़ 3 कनाल 12 मरला भूमि के अधिग्रहण की घोषणा 25.08.2005 को जारी की थी। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा ने अपनी पृष्ठान संख्या 3827 दिनांक 24.08.2007 के द्वारा सूचित किया कि इन अधिसूचियों के सम्बन्ध में अधिग्रहण कार्यवाहियों के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं होगा तथा एक नई अधिसूचना यह दर्शाते हुए तैयार की जाये कि भूमि का कौन सा भाग बिना किसी अक्रियणों के उपलब्ध होगा। इस निर्णय के साथ इस अधिसूचना को समाप्त कर दिया गया उपर्युक्त अधिग्रहण कार्यवाहियों

से सम्बन्धित मामला राज्य सरकार द्वारा सी.बी.आई. को भेजा गया है।

10 एकड़ भूमि जिसका सी.एल.यू. प्रदान किया जा चुका था को भी अधिग्रहण से मुक्त कर दिया था, और (iv) एक एकड़ भूमि पैट्रोल पंप स्थापित करने के लिए अधिग्रहण से मुक्त कर दी थी। *****अध्यक्ष महोदय, यह मामला बढ़ा जटिल है क्योंकि सैक्शन 4 से लेकर सैक्शन 6 के बीच में अर्वाइ की घोषणा के बीच में बहुत सारी इस प्रकार की गतिविधियां सरकार की रही हैं, जिसके कारण से मंत्रियों की सिफारिश से लेकर अधिग्रहण निरस्तीकरण के बाद एस.डी.एम. की भी रिपोर्ट मंगवाई गई हैं, इन सब में ये लगता है कि कहशू ना कहशू जो सैक्शन-4 था उसे लेकर के 912 एकड़ भूमि का एच.एस.आई.आई.डी.सी. का प्रोजेक्ट था, भूमि को छोड़ने के सरकार के कुछ इस प्रकार के फैसले हुए जिन फैसलों की जो पूरी की पूरी इकाई थी, इसकी इकाई की जो संरचना थी, उसके अनुरूप नहीं रही जो शुरुआत में उसकी योजना बनाई गई थी। सरकार के इस प्रकार के फैसले से इस तरह के कारण बने की सरकार को ही इनको छोड़ने के लिए अपनी विवशता प्रकट करनी पड़ी और प्रस्तुत करनी पड़ी। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मामला थोड़ा जटिल है, इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अभी तक रिलायंस इण्डस्ट्रीज के एस0ई0जैड0 में ऐसा कोई भी केस सरकार के संज्ञान में नहीं आया जिसमें इस मामले में बेकाईदगियां आती है।

24.03.2015

** मैं सरकार की तरफ से बड़ी निम्मेवारी से इतना ही कहूंगा कि सरकार के संज्ञान में यदि कोई भी कानूनी बेकाईदगियां आती हैं जैसे पहले भी सदन के नेता ने विश्वास दिलाया है कि अतीत में इस प्रकार के अनेकों मामले हुए हैं जो परत-दर-परत उजागर हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के अनेकों मामलों के कंकाल कप-वर्ड से निकलकर सामने आ रहे हैं, उन सब की बारीकी से जांच होगी तथा जहां कहीं भी कोई कानूनी कमी पाई जायेगी निश्चित तौर पर सरकार उस पर कार्रवाई करेगी तथा दोषियों को सजा देने का काम भी करेगी।

64. तारांकित प्रश्न संख्या 542 के संदर्भ में श्री नसीद अहमद द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के समय में जो 25 हजार एकड़ जमीन का घोटाला हुआ है कृपया उस मामले की जांच करवाई जाये।

30-11-2015

सलाहकार (श्री दीपक शर्मा) जी, इस सी.एफ.सी. को देख रहे हैं व उन्होंने सूचित किया है कि 20 एस.पी.बी. मैबर द्वारा भूमि खरीदने बारे आवश्यक कार्यवाही करी जा रही है व कुछ कठिनाईयों के कारण भूमि पूर्णतः तौर

xx अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विधायक जी के प्रश्न के उत्तर में उनको भरोसा दिलाता हूँ कि मिक्सरी उद्योग को किस प्रकार से उसका पहले वाला स्टेटस दिलाया जा सकता है उसके लिए माननीय सदस्य की तरफ से कोई सुझाव या डिटेल्ड प्रपोजल भेजा जाये। इस बारे में हमारे विभाग की तरफ से भी

65. तारांकित प्रश्न संख्या-960 के संदर्भ में श्री असीम गोयल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी-के ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा कि अम्बाला शहर के अंदर एक मिक्सरी का उद्योग था। पूरे प्रदेश में

यह पहला शहर है जहाँ किसी चीक भी बना हुआ है। अम्बाला शहर में प्रत्येक घर के अंदर किसी के भिन्न-भिन्न पाटर्स बनाते थे लेकिन पिछले काफी लम्बे समय से इस उद्योग की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से आज वह उद्योग पूरी तरह से ठप्प हो गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि अम्बाला में इस मृत प्रायः हो चुके किसी उद्योग को पुनर्जीवित करने के विशेष कदम उठाते हुए कोई बड़ा आर्थिक पैकेज देने की घोषणा करें।

स्टडी करवाई जायेगी तथा रिपोर्ट तैयार की जायेगी कि किस प्रकार से उद्योग को पुनर्जीवित किया जा सकता है, हम इसका प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने कंसल्टेंट को भी इंगेज किया है।

पर खरीदी नहीं गई व अगले सप्ताह उनकी मिटिंग के दौरान फाईनल निर्णय ले लिया जाएगा।

30-11-2015

66. तारांकित प्रश्न संख्या-960 के संदर्भ में श्री असीम गोयल द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न-आदर्शणीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मैंने पहले भी ए.के.आई.सी. के बारे में निवेदन किया था कि अमृतसर-अम्बाला-कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरीडोर पर आ चुका है। हवाई सफर के हिसाब से भी अम्बाला चण्डीगढ़ के नजदीक पड़ता है जहाँ पर इंटर्नेशनल लेवल का एयरपोर्ट है तथा अम्बाला में रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है जिसके कारण अम्बाला में उद्योग को विकसित करने का अपार सम्भवनाएँ हैं। अध्यक्ष महोदय,

xx अध्यक्ष महोदय, पूरे उत्तर हरियाणा में किस प्रकार से उद्योग का जाल फैलाया जा सके, हरियाणा सरकार उसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। साहा में भी एक विशेष फूड पार्क को मंजूरी मिली है और वहाँ पर फूड पार्क विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा अम्बाला में 10 एकड़ भूमि पर 50 करोड़ रुपये की लागत से एक टूल रूम विकसित करने के लिए भारत सरकार से स्वीकृति ली जा चुकी है और वह काम भी हम जल्दी आरम्भ करने वाले हैं।

91

श्रीमान जी आश्वासन नं० 63 जोकि आई.डी.सी. साहा में टूल रूम स्थापित के बारे में। उस बारे में यह सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त सचिव एम. एस.एम.ई. दिल्ली को पत्रा क० 1556 दिनांक 14.8.2013 के तहत 10 एकड़ भूमि दी गई थी। जिससे कि टूलरूम स्थापित किया जा सके और पत्रा नं. 680 दिनांक 30.08.2013 को 40,470 वर्ग मीटर का एरिया प्रदान किया गया था। यह परियोजना एम.एस.एम. ई. मंत्रालय, दिल्ली द्वारा भूमि प्रदान

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(05-02-2018)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सभी इंडस्ट्रीज के पुनर्जीवन के लिए एक स्पेशल पैकेज घोषित किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस पर कोई विचार करेगी ?

किए जाने के पाँच साल के अन्दर पूरी की जानी थी लेकिन अभी तक कोई निर्माण कार्य इस भूमि पर नहीं किया गया।

साहा, अम्बाला में कुल 49 एकड़ भूमि पर पहले से ही फूड पार्क स्थापित है। जिसमें कुल 147 प्लॉटों में से 61 उत्पादन में हैं।

8.3.2015

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय सदन में रखा है कि कैंग की रिपोर्ट में भी कुछ अनिश्चितताएँ सामने आई है और कुछ बेकायदगीयां प्रारम्भिक जांच के अन्दर अनुसंधान में यह दिखाई भी दे रहा है और सरकार यह समझती है कि इस मामले में और अधिक गहन अनुसंधान करना चाहिए। यह उचित है और सरकार इस पर और ज्यादा गहराई से जांच करने जा रही है। यह जांच किस प्रकार की हो और इसके लिए कौन उपयुक्त रहेगा और वह जांच किस समय-सीमा के अंदर की जाएगी। इस बात सदन के पटल पर आश्वासन देना उचित नहीं होगा। लेकिन

आश्वासन संख्या 65 गाँव लखनूला, नारांगपुर और मानेस तहसील व जिला, गुरुग्राम की भूमि 912 एकड़ 0 कनाल 7 मरला के संदर्भ में है जिसका अधिग्रहण भूमि अधिनियम एक्ट 1894 के संवर्धन 4 के अनुसार 27.8.2004 को हुआ था। राज्य सरकार ने भूमि अधिनियम एक्ट 1894 के अनुभाग 6 के अन्तर्गत 688 एकड़ 3 मनाल 12 मरले भूमि के अधिग्रहण की घोषणा 25.8.2005 को की। उद्योग

67. तारीकित प्रश्न संख्या 535 के संदर्भ में श्री परमिन्दर सिंह दुल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि विधान सभा में कैंग की रिपोर्ट पेश की गई थी। कैंग की रिपोर्ट के अंदर इसी (वर्ष 2005-2014 तक आई.एम.टी. मानेसर में जमीन अधिग्रहण संबंधी) जमीन का उल्लेख करके यह कहा गया था कि नियम को ताक पर रखकर गलत काम करके इन जमीनों को छोड़ा गया था। जब माननीय मंत्री जी के पास आधार मौजूद है

तो किस प्रकार की जांच करवाना चाहते हैं? यह तो क्लीयर करें कि इस मामले की जांच कितने समय में करवायेंगे? जब आपके पास बैग की रिपोर्ट मौजूद है, इस जमीन के घोटाले के अन्दर आपके पास हर प्रकार की चीज विधान सभा में मौजूद है तो कब तक इस बात को क्लीयर करेंगे? कृपया स्पष्ट करें। ***अध्यक्ष जी, क्या मंत्री जी सरकार को आश्वस्त करेंगे कि इस भूमि घोटाले की माननीय उच्च न्यायालय के किसी रिटायर्ड जज या सिटिंग जज से इन्कवायरी की जाएगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

सरकार की नीयत साफ है। जो जमीन से संबंधित मामलें हैं जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है हम निश्चित तौर पर उसकी जांच कराएंगे। इस मामले को सरकार अति महत्वपूर्ण तथा जांच के योग्य मानती है।

***अध्यक्ष महोदय, माननीय सभासद ने अच्छा सुझाव दिया है और सरकार से उत्तर मांगा है। सरकार किसी माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज से इसकी इन्कवायरी कमीशन बनाकर इन्कवायरी करने का आश्वासन देती है। लेकिन अभी यह कहना संभव नहीं होगा कि किस स्तर की जांच होगी और जांच कौन करेगा। मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार पूरी तरह से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वचनबद्ध है और संकल्पबद्ध है। निश्चित तौर से सरकार इसकी जांच भी करेगी और कार्यवाही भी करेगी।

एवं वाणिज्य विभाग के नम्बर 3827 दिनांक 24.8.2007 यह सूचित किया गया कि इन अधिसूचनाओं के संबंध में अधिग्रहण प्रक्रियाओं के साथ आगे कार्यवाही करना उचित नहीं होगा और एक नई अधिसूचना तैयार की जाए जिसके तहत उस भूमि के भाग का अधिग्रहण हो जो भार मुक्त उपलब्ध हो।

उपरोक्त भूमि अधिग्रहण मामला राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को संदर्भित किया है, एच.एस.आई.आई. डी.सी. का पूरा रिकार्ड केन्द्रीय जांच ब्यूरो की कस्टडी में है और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय में निदेशक प्रवर्तन विभाग द्वारा भी इस मामले की जांच Prevention of Money Laundering Act, 2002 के अन्तर्गत गुरुग्राम भूमि घोटाले के केस में जांच अन्जान व्यक्ति के विरुद्ध की जा रही है।

क्र० सं. या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

68. तारांकित प्रश्न संख्या 535 के सन्दर्भ में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : xxx अध्यक्ष महोदय, सरकार बनने के बाद माननीय मंत्री जी जाँच की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन्होंने रेवाड़ी जिले के अंदर सैकड़ों एकड़ जमीन रिस्तीज की है जिस पर संख्या 4, 6, 9 लगा दिया गया था।

क्या इस बारे में भी मंत्री जी जाँच करवायेंगे। इसमें इन्होंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों, विधायकों और ओहदेदारों की जमीन भी छोड़ी है।

18.3.2015

अध्यक्ष जी, पहली बार सदन में माननीय सदस्य की आत्मा की आवाज को बाहर निकलते हुए देख रहा हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती है। माननीय सदस्य की भावना को मैं केवल इस रूप में प्रस्तुत कर रहा था कि यह एक मौलिक अंतर है जो पहले जमीन लेकर फिर छोड़ने का विषय प्रकाश में आया है। उस समय किसी न किसी रियल एस्टेट, बिल्डर या किसी बड़े नामी-गिरामी आदमी या सरकार के चहेते लोगों के कारण गरीब किसान को संस्थान 4, 6 का डर दिखाकर जमीन को खरीद लिया गया और उसको बाद में हस्तांतरित करके फिर जमीन छोड़ने के मामले सामने आये हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने निर्णय लिया कि किसानों-भूस्वामियों की पुरजोर मांग पर और लगातार एक पूरी प्रक्रिया के बाद किसानों को अपना पक्ष रखने के बाद ही जमीन ली जाएगी। जहाँ तक माननीय साथी ने रेवाड़ी जिले में जमीन छोड़ने की बात की है इसमें अंततः किसान ने जिस मुआवजा राशि की पेशकश की थी

एच.एस.आई.डी.सी. की टिप्पणी
एम.एम.एल.एच. रेवाड़ी में जमीन के अधिग्रहण के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो अनुलग्नक-1 पर है -

महटी नॉडल तैजस्टिक (एम.एम.एल.एच.) बावल

क्र. अधिग्रहण सं. का उद्देश्य	अनुभाग 4 के अन्तर्गत अधिग्रहण	अनुभाग 6 के अन्तर्गत खुला	अवार्ड की स्थिति	अनुभाग 83 के अन्तर्गत अधिग्रहण
अधिग्रहण क्षेत्र को तारीख ए-क-एस	अधिग्रहण क्षेत्र की तारीख ए-क	अधिग्रहण क्षेत्र की तारीख ए-क	अधिग्रहण क्षेत्र की तारीख ए-क	अधिग्रहण क्षेत्र की तारीख ए-क
1. तिला रिवाड़ी के संबंध उत्पत्ती और सार्वजनिक उपयोगिताओं के साथ औद्योगिक इस्तेमाल क्षेत्रों के विकास के लिए	14.07.11	3677-2-6	11.07.12	3684- 3684 एकड़ 4 कनाल 5 मरला का अवार्ड दिनांक 4.12.2014 को हुआ।

अनुलग्नक-1

लेकिन जब किसानों ने उसको स्वीकार नहीं किया तो अंततः हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया और फिर भी अगर कोई अनियमितता माननीय सदस्य को लगती है तो वह हमारी जानकारी में लाएँ। उसकी हम जाँच करवाएँगे। हम अपने आप में पूरी तरह से खुली किताब हैं।

राज्य सरकार ने भूमि मालिकों के आन्दोलन के चलते हुए अपने आदेश दिनांक 17.11.2014 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कैप्टन अभिमन्यू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में श्री नरबीर सिंह, मन्त्री पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर) हरियाणा, श्री विक्रम सिंह ठेकेदार, सहकारिता मन्त्री, अवर मुख्य सचिव और वितायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा विभाग को 3677 एकड़ 2 कनाल 6 मरला भूमि जो अनुभाग-4 के अन्तर्गत जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 14.07.2011 को जारी हुई की जाँच के लिए सम्मिलित किया गया। इस दौरान उप-मण्डल अधिकारी-कम-भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रेवाड़ी ने अनुभाग-9 भूमि अधिग्रहण एक्ट 1894 दिनांक 17.12.2004 अवार्ड घोषित कर दिया।

उद्योग एवं वाणिज्य मन्त्री कैप्टन अभिमन्यू की अध्यक्षता में मन्त्रीगण की मिटिंग दिनांक 17.12.2014 को हुई जोकि स्थानीय विधायक व कमेटी के सदस्य श्री नरबीर सिंह मन्त्री पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एण्ड आर) हरियाणा, श्री विक्रम सिंह ठेकेदार, सहकारिता मन्त्री, अवर मुख्य सचिव व वितायुक्त, हरियाणा सरकार, राजस्व एवं

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

आपदा विभाग, प्रधान सचिव उद्योग, हस्तियाणा सरकार, निदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य, हरियाणा व किसानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अधिग्रहित जमीन पर लोजस्टिक हब की स्थापना के लिए किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों को मन्त्रीगण कमेटी ने सुना, जिसमें सभी किसानों ने कहा कि उनकी जमीन छोड़ दी जाए या फिर एक मुश्त रुपये 2 करोड़ का मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाए। 16 गाँवों की ग्राम पंचायतों का झर्पन कमेटी को सौंपा गया जिसमें कहा गया कि किसानों के हित के लिए अहि गृह जमीन छोड़ दी जाए। मन्त्रीगण कमेटी ने भूमि मालिकों की शिकायतों को सुना और उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। स्थानीय विधायक ने भी विचारों को माना कि जो जमीन अधिग्रहण करनी है उसे भूमि मालिकों की सहमति के बिना अधिग्रहण नहीं करना चाहिए।

मन्त्रीगण कमेटी द्वारा भूमि मालिकों से विचार विमर्श के बाद व किसानों के आन्दोलन को देखते हुए यह फैसला

लिया गया कि 'सार्वजनिक हित में सारी भूमि जो 3864 एकड़ अधिग्रहण की गई थी उसे वापिस कर दिया जाए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मन्त्रीगण कमेटी ने दिनांक 23.12.2004 की मीटिंग में यह फैसला लिया कि सार्वजनिक हित में अधिकृत जमीन वापिस कर दी जाए। तदनुसार, अनुभाग-93 (1) भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार, पुनर्वास और पुनः स्थापित अधिनियम 2013 के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2015 को (अधिसूचना जारी करने) अधिग्रहण भूमि वापिस कर दी थी।

एच.एस.आई.आई.डी. सी. ने अपने पत्र क्रमांक 4007 दिनांक 03.10.2017 को सूचित किया कि जीन्द विधान सभा क्षेत्रा में जिला जीन्द के औद्योगिक सम्पदा में यूरिया खाद की फैक्ट्री लगाने के लिए कोई जगह नहीं है।

इस सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रा का निगम द्वारा 20 वर्ष पहले विकास किया गया था। वर्तमान में केवल 2 औद्योगिक भूखण्ड जोकि 367.89 और 1092sqm. के हैं। आबंटन के लिए उपलब्ध है तथापि औद्योगिक सम्पदा नरवाना में यूरिया उद्योग और दूसरे उद्योगों के लिए प्रयाप्त भूमि उपलब्ध है।

15-3-2016

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि हम जीन्द को एक विकसित शहर के रूप में निखित तौर पर स्थापित करेंगे। मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आया है। माननीय सदस्य हमारा सहयोग करें तो यूरिया या कोई दूसरी फैक्टरी इनके सहयोग से आ सकती है। हम निश्चित तौर पर पहल करके जींद में कारखाना लगवाएंगे।

69. तारांकित प्रश्न संख्या 986 के संदर्भ में डॉ. हरि चन्द भिड़ड़ा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या कमी रह गई है कि इसकी (जीन्द निर्वाचन क्षेत्र में एक यूरिया खाद कारखाना स्थापित करने की) जरूरत नहीं है। जीन्द एक गरीब और पिछड़ा हुआ हलका है। यदि हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती तो हमारा जनता द्वारा चुनकर सदन में आने का कोई फायदा नहीं है। जिस

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

प्रकार आदमी दिल और तीवर के बिना जीवित नहीं रह सकता उसी प्रकार जीन्द हल्का हरियाणा प्रदेश का दिल है। आप इस विषय पर ज्यादा देर ना करें क्योंकि जब मैं जीन्द हल्के में जाऊँ तो जीन्द निवासी वास्तव में कहें कि आप इस बार जीन्द के विकास के लिए कुछ करके आएँ हैं।

आगे सूचित किया जाता है कि नरवाना औद्योगिक सम्पादा में 38.66 एकड़ क्षेत्रा में 165 प्लॉट बिना आवंटित किए भिन्न-भिन्न आकार के भिन्न-भिन्न जगहों पर खण्डों पर उपलब्ध है।

98

निगम इस प्रयास में है कि इन प्लॉटों के आवंटन के लिए विज्ञापन द्वारा आवेदन मांगे जाए। इस प्रकार से नरवाना औद्योगिक सम्पादा में भी यूरिया प्लॉट लगाना सम्भव नहीं है, जोकि जीन्द विधान सभा में नहीं पड़ता।

70. श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास द्वारा पूछा गया तालकित प्रश्न संख्य-1215: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या धारुहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में बुरी तरह झतिग्रस्त सड़कों की दशा को सुधारने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है?***** अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जैसा बताया है कि (धारुहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत के लिए) इन सड़कों के लिए लगभग 21 करोड़ रुपये की प्रपोजल बनाई गई है तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि यह प्रपोजल पहले से ही बनी हुई है बल्कि उस समय यह भी कहा गया था कि यह प्रपोजल मंजूर हो गई है। प्रपोजल मंजूर होने के बाद जब मैं हुडा के सी.ए. से मिला तो उसने मुझे बताया कि यह मामला दो सालों से इसलिए लम्बि है क्योंकि झुड़डा और एच.एस.आई.डी.सी. इस प्रपोजल को आपस में अदल बदल कर रहे हैं।

22.03.2016

जी, हां। धारुहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों की विशेष मरम्मत के लिये 21.43 करोड़ रुपये की राशि का अनुमान विचारधीन है। *****आदरणीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है वह पूरी तरह से जायज़ है। हुडा द्वारा धारुहेड़ा के मास्टर प्लान का सैक्टर 7 और 9 को जो विकसित इण्डस्ट्रियल एरिया डिवलेयर किया गया है इसका कुल क्षेत्रफल 579.48 एकड़ है। इसको तीन फेज में डवेल्य किया गया था। इसमें 339 इण्डस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। यह हुडा के बनने से पहले 1974 में बना था। पिछली सरकार ने कैबिनेट में इसको हुडा से एच. आई.आई.डी.सी. को ट्रांसफर करने का निर्णय किया गया है। एच.आई.आई.डी.सी. के अंदर एक कमेटी इस बात को एग्जामिन कर रही है कि इसको टेक-ओवर करना है या नहीं। हमारी सरकार का यह सैद्धांतिक फैसला है कि इसको एच.आई.आई.डी.सी. टेक-ओवर करे और इसकी जितनी भी सड़कें हैं जिनको रिपेयर वर्क और इसकी जितनी भी सड़कें हैं जिनको रिपेयर वर्क की बहुत ही ज्यादा जरूरत है उनकी जल्दी से जल्दी रिपेयर की जाये। वहां पर सड़कों की हालत वास्तव में

The Committee would like to know the latest position in this regard. (05-08-2018)

हाल ही में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड ने औद्योगिक क्षेत्र धारुहेड़ा में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) बनाने का कार्य एक सलाहकार को सौंपा है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

बहुत ज्यादा खराब है। हमारा विभाग इन सड़कों की जल्दी से जल्दी रिपेयर करवायेगा।

10.03.2017

71. गुरुग्राम में ग्वाल पहाड़ी भूमि के स्वामित्व से संबंधित ध्यानकर्षण प्रस्ताव पर श्रीमती किरण चौधरी द्वारा उठाया गया मामला: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पूरे मामले की इन्क्वायरी करवाई जानी चाहिए?

अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह इस मामले की जांच करवाई जायेगी। (शोर एवं व्यवधान) अब मैं उन बातों पर आता हूँ जहाँ से यह कहानी शुरू होती है। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1989 में गुड़गांव के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर श्री हरबख्श सिंह ने अपने समय में सबसे पहले इस जमीन को 25-75 की रेशो में बांटा। इससे पहले इस जमीन के संबंध में कोर्ट के अनेकों डिसीजंस आये कि यह जमीन ग्राम पंचायत से संबंधित है या बामलात है, जिनके अर्गेंट अपीलें की गईं तथा यह अपीलें रिजैक्ट भी होती रही। मैं समझता हूँ कि ज्यादा इतिहास बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबको विदित है कि वर्ष 1989 से इस जमीन के संबंध में अपीलें रिजैक्ट होती रही हैं और वर्ष 1989 से कानून के प्रावधानों के मद्देनजर

यह जमीन कई बार गांव वालों को दी गई और कई बार इस जमीन पर स्टे भी हुई जिसकी वजह से न जाने कितनी ही बार कोर्ट के डिरीजेंस आते रहे और बदलते रहे और वर्ष 2007 में नो-इंक्वैन्स सर्टिफिकेट का लाईसेंस देकर एस.ई.जैड. बनाया गया जबकि वास्तविकता यह है कि यहां पर नो-इंक्वैन्स आज भी नहीं है। वर्ष 2007 में जिनके समय में यह नो-इंक्वैन्स सर्टिफिकेट जारी किया गया जब इसकी इंक्वैयरी होगी तो पता चल जायेगा कि नो-इंक्वैन्स न होने के बावजूद भी नो-इंक्वैन्स सर्टिफिकेट इशु करने में किनका हाथ रहा है? आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हमारे पास एक लैटर है जिसमें लिखा है कि 'an area of 21 acres fall under plantation has been under Araveli Plantation Project then 101 acres falls under P.L.P.A. Act then 0.6 acres is notified protected forest' इस प्रकार लगभग 123 एकड़ जमीन आज भी फॉरेस्ट के अंडर है इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि जो जमीन आज भी फॉरेस्ट के अंडर है उसको उस समय नो-इंक्वैन्स सर्टिफिकेट जारी करते हुए जो लाईसेंस दिया गया, वह किस आधार पर दिया गया। यह इंक्वैयरी का

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

विषय है और निःसंदेह हम इसकी इक्वॉयरी करवायेंगे।

*****स्पीकर सर, इस पत्र में आगे लिखा है कि 'land use of said areas Shamlat Panchyats Deh to any other category of 1980 without following the provisions of F.C.A. 1980 is not only a violation of law but also vio-ab-initio. Action regarding this may be taken'.

इसलिए सारी इक्वॉयरी इस विषय की होगी।
***** आप माननीय सदस्यों के हिसाब से जब एसईजैड में धनाढ्य लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए, जैसा कि आज करण सिंह दलाल जी भी कह रहे थे। मेरा यह कहना है कि इन धनाढ्य लोगों का हमसे परिचय किसने कराया। वह परिचय आपने ही कराया, उन लोगों को मेट्रोवैली आपने ही दी है और वे धनाढ्य आदमी हमसे कुछ नहीं ले सकते। जो आपने उनको दे दिया, वह सही दिया या गलत दिया इसका निर्णय कोर्ट करेगा। जब उनको नो-इन्क्वैरेंस सर्टिफिकेट दे दिए तो इसको

मतलब यह हुआ कि आपने उनको वह जमीन वलीयर करके दे दी और जब जमीन दे दी है तो यह प्रश्न आज नहीं उठेगा, यह प्रश्न उस समय का उठेगा कि उनको ये जमीनें कैसे दी गईं। हमारे पास जैसे ही तथ्य सामने आयेगे तो हम जांच करायेंगे।

23.10.2017

अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है उनकी बात पूरी तरह से ठीक है। इसके लिए हमने इस समय साहा के पास एच.एस. आई.आई.डी.सी. की 500 एकड़ जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किया है। इसी प्रकार से हमने इस उद्देश्य के लिए 2000 एकड़ अतिरिक्त जमीन की एक्वीजिशन की है और इसकी आई.एम.सी. (इंटीग्रेटिड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर) की परमीशन के लिए प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा हुआ है जैसे ही वहां से परमीशन प्राप्त होगी हम इस मामले में आगे की कार्यवाही करेंगे।

72. तारांकित प्रश्न संख्या 2098 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री असीम गोयल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : XX मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से निवेदन है कि अम्बाला के अंदर मिक्सी क्लस्टर और इंडस्ट्रियल हब के लिए सम्भावनायें तलाशी जायें। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस आशय का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाये। केन्द्र सरकार दिल्ली का अल्टरनेट बूढ़ रही है। एक सर्वे के मुताबिक आने वाले पांच साल बाद न तो दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर जगह रहेगी, न मेट्रो स्टेशन के ऊपर जगह रहेगी और न ही बस-स्टैंड के ऊपर ही जगह रहेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस आशय का एक प्रस्ताव यहां से भेजें कि दिल्ली का नया ऑप्शन अम्बाला शहर बन सकता है।

73. तारांकित प्रश्न संख्या 2919 के संदर्भ में श्री उमेश अग्रवाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:-अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने गुरुग्राम में हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवैस्टर्स-सम्मिट आयोजित किया था। इस सम्मिट में सरकार ने लगभग 6 लाख करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट करके 600 से भी ज्यादा एम.ओ.यू. साइन किये थे। मेरे अनुमान के मुताबिक प्रति एम.ओ.यू. एक हजार करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट होनी थी। इस तरह से 600 एम.ओ.यू. में एवरेज 6 लाख करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट होनी थी लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो राशि बताई है वह राशि
- 21.02.2019
- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवैस्टर्स सम्मिट में कुल 359 एम.ओ.यू. साइन हुए थे जिनके तहत हरियाणा में कुल 3.89 हजार करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट होनी थी। फिलहाल 2 करोड़ 92 लाख 395 रुपये की इनवैस्टमेंट के एम.ओ.यू. पर काम चल रहा है और 33.742 करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट के एम.ओ.यू. धरातल पर आ चुके हैं। आज के दिन हरियाणा में 6.639 करोड़ रुपये की इनवैस्टमेंट हो चुकी है। इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम गुरुग्राम में आई.टी. क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए हरियाणा की एक स्पेशल पॉलिसी बनाएंगे। इसके अलावा

गुरुग्राम शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और आई.टी. क्षेत्र के लिए निरंतर काम चल रहा है।

इससे भिन्न है। जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुरुग्राम में आई.टी. क्षेत्र की वजह से 1.51 लाख युवाओं को रोजगार मिला है इस सूचना के लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। मेरा इनसे निवेदन है कि आई.टी. क्षेत्र में अब भी काफी स्कोप है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या गुरुग्राम में आई.टी. क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई और पॉलिसी बनाएंगे? इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से गुरुग्राम समिट में हुए 600 एम.ओ.यूज. के बारे में भी पूछना चाहूंगा।

31.08.2016

श्रीमान। व्यापारी कल्याण न्यास गठित करने का प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है।

74. श्री उमेश अग्रवाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1581 :- क्या उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हाँ, तो इसके कब तक गठित किये जाने की संभावना है तथा उक्त बोर्ड द्वारा व्यापारियों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; तथा

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) क्या उक्त बोर्ड द्वारा व्यापारियों को बीमा तथा पेंशन उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारार्थीन है ?

75. तारांकित प्रश्न संख्या 134 के संदर्भ में श्री अमरजीत ठंडा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:-अध्यक्ष महोदय, मेरा जुलाना क्षेत्र एन.सी.आर. में आता है। अगर हम आज इस महान सदन में जुलाना क्षेत्र के विकास की बात करें तो वहां पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। अध-यक्ष महोदय, आज के दिन वहां के किसानों के लिए खेती बाड़ी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि अधिकतर इलाका तो सूखे की मार झेल रहा है और कुछ इलाके में सेम की बहुत भारी समस्या है। इस इलाके में रोजगार की व्यवस्था भी नाममात्र की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही बात कहना

24.02.2020

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में 13 उद्योग कुंज स्थापित किए जा रहे हैं और इसमें से एक गांव शादीपुर के अंदर "उद्योग कुंज योजना" के माध्यम से उद्योग कुंज स्थापति किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, जिसके अंदर 27 छोटे उद्योग कुंज डिवेल्य हो चुके हैं और 8 उद्योग कुंज इम्प्लीमेंटेशन में हैं और वहां पर अभी 14 प्लॉट खाली पड़े हैं इसलिए आने वाले समय में हमारे पास जो भी एप्लीकेशन आयेगी उनके माध्यम से इन्डस्ट्री को बढ़ावा देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा जींद जिला, अमृतसर, कलकता और मुम्बई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है इसलिए एच.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा जींद

छाईगा कि यहां पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाये।

76. श्री जयवीर सिंह द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्य 833 क्या उद-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि खरखैदा में आई.एम. टी. विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

और नरवाना में भी उद्योग लगाने की व्यवस्था करेंगे।

26.08.2020

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने गाँव गोपालपुर, पिपली, सैदपुर, कुण्डल, रामपुर, फिरोजपुर बांगर, निजामपुर खुर्द, सोहटी, पहलादपुर तथा बरौरना, तहसील खरखौदा, जिला सोनीपत में औद्योगिक, निवासीय वाणिज्यिक, संस्थागत क्षेत्र आदि वाले औद्योगिक आदर्श नगर (आई.एम.टी.), खरखौदा के विकास के लिए 3220 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। अधिग्रहित भूमि के योजना में मास्टर सड़कों के निर्माण कार्य का अनुबन्ध 14.06.2019 को प्रदान किया गया। शेष सड़कों और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कार्यों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार कर दी गई है और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के उपरान्त निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। उपरोक्त के अलावा, आई.एम.टी. खरखौदा में विभिन्न आकारों के 300 औद्योगिक प्लॉट पहले से आबंटित किए जा चुके हैं और भूमि पूलिंग योजना के तहत प्लॉटों का आबंटन भी जल्द की किया जाएगा।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

TRANSPORT DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

77. श्री राधे श्याम शर्मा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 591 : क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि नांगल चौधरी के बस अड्डे का निर्माण कार्य किस समय सीमा तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

12-3-2007

महोदय जैसे ही ग्राम पंचायत बस अड्डे के निर्माण के लिये उपयुक्त भूमि उपलब्ध करा देगी तब विचार कर लिया जाएगा। अतः समय सीमा नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मशा है कि नांगल चौधरी में बस अड्डा बनाया जाए। इस जगह पर जमीन की काफ़ी दिक्कत रही है। सरकार की नीति तो यह है कि ऐसी सब जगहों पर ग्राम पंचायत या नगरपालिकाएँ यदि जमीन दे दें तो बस अड्डा बनाया जा सकता है। हमने निर्णय किया है कि एक-एक एकड़ जमीन एकवार करके ऐसी सब जगहों पर बस अड्डे बनाये जायेंगे।

542

महाप्रबंधक कार्यालय, नारनौल के पत्र क्रमांक 384/भवन लिपिक दिनांक 08.07.2020 के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि सरकार द्वारा मंजूर 8 कनाल 11 मरला भूमि रजिस्ट्री होने उपरान्त कब्जा कार्यवाही करने उपरान्त बस अड्डा निर्माण के लिए भूमि कार्यकारी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) नारनौल को दी जा चुकी है। भवन निर्माण की स्वीकृत राशि 2,28,47,000/- लोक निर्माण विभाग को जमा करवाई जा चुकी है।

महाप्रबंधक कार्यालय, नारनौल द्वारा नांगल चौधरी बस स्टैंड निर्माण बारे ले-आउट प्लान की भौतिक जांच कार्यकारी अभियंता, लोकनिर्माण विभाग, नारनौल द्वारा की गई है। मुख्य वास्तुकार द्वारा महाप्रबंधक के माध्यम से प्रेषित नक्शों को, इस

The Committee would like to know the latest position in this regard. (2-09-2020)

कार्यालय द्वारा, अंतिम रूप देने के लिए सक्षम अधिकारीगण द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इन नक्शों को लोक निर्माण विभाग में भिजवाने उपरान्त बस अड्डा निर्माण की आगामी प्रक्रिया लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(2-09-2020)

111

5.03.2018

13 नए बस टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है। मानेसर, कुण्डली, बहादुरगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मल्टीमाडल ट्रांजिट सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

बस अड्डा तरावड़ी (करनाल) का निर्माण कार्य लगभग 95 प्रतिशत हो चुका है।

बस अड्डा बावल (रिवाड़ी) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 31.08.2019 को किया जा चुका है।

बस अड्डा पान्डू पिन्डारा (जीन्द) का निर्माण कार्य लगभग 98 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

बस अड्डा मुस्तफाबाद (अब सरस्वती नगर), यमुनानगर में बस अड्डे का निर्माण कार्य लगभग 75 प्रतिशत हो चुका है।

78. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

बस अड्डा खिजराबाद का निर्माण कार्य लगभग 85 प्रतिशत तक हो चुका है तथा आदरणीय स्पीकर महोदय द्वारा दिनांक 11.09.2019 को इसका उद्घाटन किया जा चुका है। बस अड्डा बाढ़सा, झज्जर का शिलान्यास माननीय कृषि मंत्री हरियाणा द्वारा दिनांक 23.09.2019 को किया जा चुका है तथा महाप्रबंधक कार्यालय, झज्जर के पत्र क्रमांक 1277 दिनांक 07.08.2020 के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत तक इस बस अड्डे का निर्माण कार्य हो चुका है।

बस अड्डा राजीव चौक, गुरुग्राम में बस अड्डा निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत मैसर्स डी0आई0एम0टी0एस0, नई दिल्ली को सलाहकार नियुक्त किया गया है। मैसर्स डी0आई0एम0टी0एस0, नई दिल्ली द्वारा इस पर डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जानी है।

बस अड्डा सैक्टर-12, फरीदाबाद में परिवहन विभाग द्वारा 15 एकड़ जमीन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से 50 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से वर्ष 2009 में खरीदी गई थी। आदरणीय श्री विपुल गोयल, एम0एल0ए0, फरीदाबाद द्वारा सुझाव दिया गया है कि परिवहन विभाग की सैक्टर-12, फरीदाबाद में स्थित 15 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ जमीन शिक्षा विभाग, हरियाणा को बिना किसी राशि की अदायगी के स्थानान्तरित कर दी जाए तथा शेष 5 एकड़ भूमि पर परिवहन विभाग, हरियाणा द्वारा पी0पी0पी0 आधार पर बस अड्डा बनाया जाये। इसके अतिरिक्त यह दर्शाया गया कि 5 एकड़ भूमि उच्चतर शिक्षा विभाग, हरियाणा को कॉलेज भवन निर्माण के लिए स्थानान्तरित की जाए, 5 एकड़ भूमि पर बस अड्डा निर्माण किया जाए तथा शेष 5 एकड़ भूमि सिटी बस सर्विस के लिए उपकेन्द्र स्थापित करने के लिए रखी जाए। मुख्य शहरी योजनाकार, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला द्वारा जताया गया

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

है कि फरीदाबाद नगर में प्रति दिन बढ़ते यातायात के मध्यनजर सेक्टर-12 में 5 एकड़ भूमि बस अड्डा निर्माण के लिए पर्याप्त प्रतीत नहीं होती। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2020 को बैठक का आयोजन किया गया था। तथा इस बैठक में प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा भाग लिया गया। बैठक में विचार विमर्श उपरांत माननीय प्रधान सचिव, परिवहन विभाग द्वारा आदेश प्रारित किये गए हमें (इस विभाग) फरीदाबाद स्थित सेक्टर-12 में परिवहन विभाग की कुल 15 एकड़ भूमि का निरीक्षण करना चाहिए तथा यह ज्ञात होना चाहिए कि 5 एकड़ भूमि उच्च शिक्षा विभाग, हरियाणा के लिए बची हुई है या नहीं? तदनुसार, कार्यवाही अमल में लाते हुए निदेशक महोदय, राज्य परिवहन हरियाणा के समक्ष प्रस्ताव

प्रस्तुत किया गया तथा निदेशक महोदय द्वारा आदेश पारित किए गए कि इस समय कोरोना संक्रमण की वैश्विक स्तरीय महामारी के चलते फरीदाबाद नगर में सेक्टर-12 स्थित 15 एकड़ भूमि का मुआयना करना उचित प्रतीत नहीं होता तथा यह कार्यवाही स्थिति बेहतर होने उपरांत तुरंत यथोचित कार्यवाही की जाए।

बादली (झज्जर) गांव बादली में बस अड्डा के लिए उपलब्ध 12 कनाल 6 मरला जमीन में से 650 वर्ग गज सरकार की सहमति/अनुमोदन उपरांत जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा को सिविल निस्तारण संयंत्र स्थापित करने हेतु स्थानांतरित कर दी गई है। शेष भूमि पर बस अड्डा निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

बस अड्डा बाढ़सा, झज्जर का शिलान्यास माननीय कृषि मंत्री हरियाणा द्वारा दिनांक 23.09.2019 को किया जा चुका है तथा महाप्रबंधक कार्यालय, झज्जर के पत्र क्रमांक 1277

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

दिनांक 07.08.2020 के अनुसार लगभग 70 प्रतिशत तक इस बस अड्डे का निर्माण कार्य हो चुका है।

फरुखनगर (गुरुग्राम) फरुख नगर में बस अड्डा निर्माण के 24 कनाल 16 मरला जमीन उपलब्ध है। इस भूमि पर दुकानदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायलय पंजाब एवं हरियाणा में केस दायर किया हुआ है जो अभी तक लंबित है। इसके अतिरिक्त फरुख नगर, गुरुग्राम स्थित भूमि बस अड्डा बनाने हेतु एवं बिजली की तारें हटवाने के लिए क्रमशः 23,58,000/- तथा 7,72,408/- रु० की राशि जारी की गई है। बिजली की तारें हटवाने के उपरान्त भूमि पर बस अड्डा निर्माण की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

सैक्टर-12 (रेवाड़ी) सैक्टर-12 में परिवहन विभाग के बस अड्डा हेतु 20 एकड़ 1 कनाल 5 मरला भूमि

अधिग्रहण की गई है तथा 6 कनाल 8 मरला भूमि पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भू-मालिकाना हक का मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचारधीन है।

बस अड्डा पिपली (कुरुक्षेत्र) को सरकार द्वारा पी०पी०पी० आधार पर बनाने का निर्णय किया गया है जिसके लिए सरकार की सलाहाकार कंपनी डी०आई०एम०टी०एस०, नई दिल्ली को नियुक्त किया गया है और संबंधित कंपनी ने इस विभाग को Detailed Project Report प्रेषित की है। दिनांक 28.07.2020 को कंपनी के सदस्यों एवं निदेशक, राज्य परिवहन हरियाणा के बीच में बैठक का आयोजन हुआ तथा उसी अनुसार Detailed Project Report में कुछ तबदीलियों के उपरान्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(2-9-2020)

20.02.2019

XX एनआईटी फरीदाबाद बस टर्मिनल को पी.पी.पी. मोड पर विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विभाग ने पी.पी.पी. मोड पर राजीव चौक, गुरुग्राम में नये बस अड्डे के

79. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	दिप्पणी
1	2	3	4	5

विकास की प्रक्रिया भी शुरू की है। मेरी सरकार हरियाणा राज्य परिवहन में इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने की परियोजना, आर.एफ. आई.डी. आधारित बस पास प्रणाली और जी. पी.एस. प्रणाली को लागू करने की प्रक्रिया में है। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'निर्भया निधि योजना' के तहत 100 एचवीएसी बसें (पिक एक्सप्रेस) खरीदने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। ये बसें केवल अकेली अथवा एक साथी के साथ यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए होंगी और इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। XX

द्वारा दिनांक 05.02.2020 को बस अड्डे की चयनित भूमि को निर्माण हेतु डी0आई0एम0टी0एस0 सौंप दी गई है जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।
बस अड्डा राजीव चौक, गुरुग्राम में बस अड्डा निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत मैसर्स डी0आई0एम0टी0एस0, नई दिल्ली को सलाहकार नियुक्त किया गया है। मैसर्स डी0आई0एम0टी0एस0, नई दिल्ली द्वारा इस पर डी0पी0आर0 प्रस्तुत की जानी है।

इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने की परियोजना:-

Directorate of State Transport, Haryana invited online RFP/ tender on 05-03-2020 with extended last date of the submission of the tender document as 22-06-2020.

During this intervening period Sh. V. Umashankar, IAS, APSCM, asked the department for the deliberation and advised to explore the implementation of E-Ticketing project through Banks/Financial Institutions due to their financial strength.

As advised, tender documents were re-drafted for selecting a partner Bank/FI for digital fare collection using NCMC Cards, usage of RFID based Bus Pass System & GPS devices.

The file was processed again on 22-07-2020 for consideration and decision at the level of Hon'ble Chief Minister, Haryana.

निर्भया निधि योजना:- Proposal to avail funds under "Nirbhaya Fund Scheme" processed with the objective of protecting dignity and safety of women in the state by providing quality, safe, reliable, clean and

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

affordable Public Transport: The proposal includes:-

- Implementation of Passenger Information System for all Buses.
- Fitment of IT facilities in Central Control Room.
- The Total Estimated Cost of the Project is Rs. 43.50 Crore. (पताका 'क')

06.08.2019

80. शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के संदर्भ में श्री करण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता विजिलेंस की रिपोर्ट पर यकीन नहीं कर रहे हैं। एफ. आई.आर. में सरकार के अधिकारी शामिल हैं। फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? (विष्णु) २२ अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में बात स्पष्ट कर दी है कि इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज हो चुकी है और जांच चल रही है। उस जांच के दौरान जहाँ-जहाँ तक जांच जायेगी किसी को भी छोड़ा नहीं जायेगा। (विष्णु) XX अध्यक्ष महोदय, हम किलोमीटर स्कीम को कौंसिल नहीं करेंगे। स्कीम तो लागू रहेगी। अगर उस स्कीम में टैंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी मिली और जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने गड़बड़ की हैं जांच रिपोर्ट के हिसाब से उनको

हरियाणा विधानसभा के सत्र में दिनांक 02.03.2020 को प्रश्न सं०:-28 में सवाल के प्रत्युत्तर में माननीय परिवहन मन्त्री जी द्वारा सदन के पटल पर जबाब दिया गया है कि किलोमीटर स्कीम में कोई घोटाला नहीं हुआ क्योंकि इन बसों को कभी पुरानी दरों पर किराये पर नहीं लिया गया था। चूंकि कोई घोटाला नहीं था, किसी भी व्यक्ति के घोटाले में शामिल होने का

The Committee would like to know the latest position in this regard. (2-9-2020)

प्राइवेट बसों को हॉयर करने के लिए किलोमीटर स्कीम में सामने आए घोटाले में अफसरों की संलिप्तता को लेकर रोडवेज कर्मियों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या सरकार इस स्कीम को कैसिल कर रही है? यह बात भी माननीय सदन के नेता सदन को बताएं। (विज्ज)

दण्डित किया जायेगा। (विज्ज) XX अध्यक्ष महोदय, जांच रिपोर्ट आने पर दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। (विज्ज)

सवाल ही नहीं उठता। विधानसभा की कार्रवाई दिनांक 02.03.2020 की प्रति साथ संलग्न है। (पताका "ख")

24.02.2020

81. डा० कमल गुप्ता द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 17 :- क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या हिसार के बस अड्डे को शहर से बाहर बाई-पास पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रीमान् जी, हाँ। इस संबंध में सिरसा-दिल्ली बाई पास पर स्थित 74 कनाल 15 मरला भूमि जिसकी मलकियत पशु पालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा की है, का चयन किया गया है जिसके स्वामित्व परिवर्तन के लिए परिवहन विभाग का अनुरोध पशु पालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा में विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूँ कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग से जमीन के स्वामित्व परिवर्तन होते ही इस बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

24.02.2020

अध्यक्ष महोदय, बस-अड्डों पर पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई आदि सुविधाएं होती हैं। आज से 10 साल पहले बस-अड्डों पर जो सुविधाएं नहीं थी वे सभी सुविधाएं हम जनता को अवश्य देंगे।

82. ताराकित प्रश्न संख्या 17 के संदर्भ में श्री जगदीश सिंह मलिक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि बस अड्डों पर जो जन-सुविधाएं होनी चाहिए क्या हरियाणा प्रदेश के सभी बस-अड्डों पर वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

26.02.2020

श्रीमान् जी, मुख्य वास्तुकार हरियाणा द्वारा बस अड्डे के वास्तु चित्र तैयार किए जा रहे हैं। पी0डब्ल्यू0डी0 (बी0 एण्ड आर0) द्वारा अनुमान तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया में लगभग 6 महीने का समय लग सकता है। बस अड्डे का निर्माण कार्य पूरा होने में 2 वर्ष का समय लग सकता है।

83. श्रीमती नैना सिंह चौटाला द्वारा पूछा गया अताराकित प्रश्न संख्या 61 :- क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि बाढ़ड़ा निर्वाचनक्षेत्र के गांव कादमा में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित बस अड्डे का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

02.03.2020

अध्यक्ष महोदय, कालका से मोरनी तक जाने के लिए मीनी बसें आ रही हैं। बेटियों के लिए मिनी बसें चालू करेंगे।

84. ताराकित प्रश्न संख्या-53 के संदर्भ में श्री प्रदीप चौधरी एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, हमारा मोरनी का एरिया शिवालिक की पहाड़ी का इलाका है। वहां पर सफर करते समय डलान-चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए क्या विभाग का वहां पर मीनी बस चलाने का कोई इरादा है?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT

*Note :—*In case an assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

85. श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 934 :
 “क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि-
 (क) क्या राज्य सरकार ने हरियाणा तथा पंजाब राज्य के क्षेत्रों में एस. वाई.एल. नहर के निर्माण/पूरा करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने के लिए कोई पग उठाए है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसका ध्यौरा क्या है?”

6-3-2002
 “हरियाणा में निर्मित सतलुज-यमुना सम्पर्क नहर के प्रभाग की मरम्मत एवं क्षमता बहाली का कार्य पंजाब प्रभाग के पूरा होने से पूर्व ही करवा लिया जाएगा।
 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार पंजाब सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि पंजाब प्रभाग में सतलुज यमुना सम्पर्क नहर की खुदाई का कार्य जहां पूरा नहीं हुआ को जारी रखें और नहर को 15.1.2002 से एक वर्ष की अवधि में चालू करें। माननीय न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह भी निर्देश दिए हैं कि यदि उक्त अवधि के दौरान पंजाब सरकार यह कार्य पूरा नहीं करती तब केन्द्र सरकार उसे अपनी संस्था द्वारा यथा सम्भव शीघ्रतापूर्वक पूरा करवायेगी।

मामले की सुनवाई 09.07.2019 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। जिसमें दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया गया कि अधिकारियों की कमेटी का गठन किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि दोनों इस मामले पर केन्द्र सरकार की उच्चतम स्तर की निगरानी के तहत विचार कर हल निकालने की कोशिश करें, जोकि हरियाणा व राजस्थान को पूर्ण रूप से मंजूर हो तथा मामले की अगली सुनवाई 03.09.2019 को निश्चित की गई।

इसी मद्देनजर मुख्य सचिव हरियाणा प्रधान सचिव व प्रमुख अभियन्ता की कमेटी का गठन किया गया। 16.08.2019 व 21.08.2019 को सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प की अध्यक्षता में बैठक हुई परन्तु बैठकों का ठोस नतीजा नहीं निकल पाया।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
 (20-07-2020)

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 03.09.2019 को मामले की सुनवाई की गई व इन बैठकों के मद्देनजर मामले की सुनवाई 03.01.2020 को निश्चित की गई।

मुख्य सचिव हरियाणा ने 13.11.2019 को सचिव जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प को एक अर्ध सरकारी पत्र लिख कर आग्रह किया कि मामले पर जो विचार किया जा रहा है उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित की गई अवधि में ही पुरा किया जाए। अगर पंजाब सरकार मामले को नहीं सुलझाती है तो यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बिना विलंब अग्रीम कार्यवाही हेतु रखा जाए। यहां यह कहना दोराय नहीं होगा कि ढाई साल विचार करने के बाद भी पंजाब के रूख में कोई बदलाव नहीं हुआ है तथा हरियाणा के लोगों का कष्ट बढ़ता जा रहा है।

दिनांक 06.12.2019 को तीसरी बैठक में इस मुद्दे पर दोनों प्रदेशों ने अपने विचार रखे। परन्तु बैठक बेनतीजा रही। हरियाणा ने अपना पक्ष

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

रखते हुए कहा कि इस मामले के अन्तर्गत आने वाले बिन्दु जैसे कि हरियाणा कॉन्टैक्ट प्वाइंट आर०डी० 390 बी०एम०एल० पर दोषपूर्ण गेजों के कारण यानी की कम आयुर्वि. राजस्थान द्वारा अनापत्ति व हरियाणा द्वारा पूरी राशि प्राप्त करने के बाद भी पंजाब द्वारा बी०एम०एल० के पुनर्निर्माण का कार्य जिससे बी०एम०एल बरवाला लिंक चैनल की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा सके नहीं किया जा रहा है। हांसी बुटाना नहर को बी०एम०एल० से जोड़ने बारे जिससे हरियाणा अपने हिस्से के पानी का इस्तेमाल कर सके भी संबंधित है। हरियाणा ने सचिव, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय से गतिरोध दूर न होने के मद्देनजर केन्द्र सरकार को सर्वोच्च न्यायालय से मामले का योग्यता के आधार पर फैसला करने व विचार विमर्श दिनांक 03.01.2020 से पहले पूर्ण करने का

अनुरोध किया तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.2019 को दी गई चार महीने की समय सीमा का कड़ाई से पालन करने का भी अनुरोध किया।

पंजाब ने बड़ा ही अनुचित व द्रष्टव्य रवैया अपनाते हुए कहा है कि वर्तमान में उपलब्ध पानी पंजाब की वर्तमान मांग के लिए पर्याप्त नहीं है तथा पंजाब पानी की कमी झेल रहा है व प्रदेश का अधिकांश भाग डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। बी0एम0एल0 प्रणाली द्वारा हरियाणा को मौजूदा जल आपूर्ति के अतिरिक्त जल की आपूर्ति पंजाब के मौजूदा हिस्सेदारों के हिस्से से परिवर्तित कर होगी जिससे दक्षिण पश्चिमी पंजाब के लाखों किसानों पर असर पड़ेगा। अतः एस0वाई0एल0 के माध्यम से पानी एस0वाई0एल0 के माध्यम से पानी सौझा करने के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए एस0वाई0एल0 नहर का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। सचिव, (जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प) ने उम्मीद जताई कि अगली तारीख से पहले दोनों

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

प्रदेश कोई हल निकाल लेंगे जो सभी के हित में होगा।

पंजाब ने दिनांक 23.01.2020 को सभी दलों की भीटिंग बुलाई जहाँ सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि भारत सरकार सुनिश्चित करें कि पंजाब का पानी रावी ब्यास और सतलुज बेसिन से बाहर न दिया जाए जोकि कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत रिपेरियन सिन्दात अनुसार है। कोई भी विकल्प जैसे राज्य नदी जल विवाद अधिनियम में संसोधन करके नए ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए ताकि नए सिरे से पानी की उपलब्धता जांची जाए ताकि पंजाब को उसकी आवश्यकतानुसार न्यायसंगत पानी मिल सके ताकि आगे आने वाली पुश्तों का भविष्य सुरक्षित रहे।

माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने दिनांक 07.02.2020 को माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को एक अर्ध सरकारी

पत्र लिख कर बताया कि पंजाब असेंबली व गैरकानूनी तरीके अपना कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। अभी 23.01.2019 को भी पंजाब ने सर्व दलीय बैठक बुला कर निर्णय लिया कि केन्द्र यह सुनिश्चित करे कि नहर का पानी तीनों नदियों के बेसिन से नॉनबेसिन में न जाने दिया जाए। यह कृत्य सरासर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है बताकर यह आग्रह किया गया कि मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि एस.वाई.एल. का निर्माण कार्य पूरा किया जाए ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का रावी-ब्यास के पानी का वैद्य हिस्सा प्राप्त हो।

मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 11.02.2020 को रखा गया पर सुनवाई नहीं हुई। फिर 12.02.2020, 13.02.2020, 18.02.2020 को यही हुआ। अब कोविड 19 की वजह से केस की सुनवाई नहीं हो रही।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

86. कालिंग अटेंशन मोशन नं० 11 के संदर्भ में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ कि जैसा सिंचाई मंत्री जी ने जवाब में कहा है और माना है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारा विफल हो चुका है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों की औद्योगिक कारखानों से मिली भगत होने के कारण कोई भी कार्यवाही सही तरीके से अमल में नहीं लाई गई जिसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ऐसे अधिकारी जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस बारे में बात करेंगे और मैं स्वयं भी जाकर बात करूँगा। इनकी जो समस्या है हम उसके बारे में जानते हैं। इनकी समस्या बहुत भारी है और इनको पोल्यूटिड वाटर मिल रहा है और इसके बारे में जो भी उचित कार्यवाही होगी हम करेंगे और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को भी एप्रोच करेंगे तथा इस बारे में जो भी कंसेक्ट स्टेप होंगे वह हम लेंगे।

इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि धनौरा एस्केप में ड्रिच ड्रेन का गंदा पानी न डालने बारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यमुनानगर को कार्यकारी अभियन्ता, इन्द्री जल सेवायें मण्डल करनाल द्वारा पत्र लिखे गए हैं कि यमुनानगर में लगे उद्योगों का गंदा पानी ड्रेन में डालने से रोका जाए और उनके मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए।

इसके अतिरिक्त कार्यकारी अभियन्ता, पानीपत जल सेवायें मण्डल पानीपत ने सूचित किया है कि उनके कार्यालय के अधीन पड़ने वाली यमुना नदी में जो गन्दा पानी आता है वह नगर निगम, पानीपत, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा छोड़ा जाता है तथा कुछ डाई हाउस व निजी फैक्ट्रीयों का

After perusing the written reply and oral examination of the Departmental representatives, the Committee observed that the polluted water is still being released in the Yamuna river and water reaching in Haryana is of very poor quality. The Committee, therefore, recommends that strict action under the departmental rules to be taken against the polluting units and also against

प्रदूषित व रसायनिक पानी पानीपत
ड्रेन व मेन ड्रेन नं० 2 में छोड़ा जाता
है जो बाद में यमुना नदी के अन्दर
पहुँच जाता है। कार्यकारी अभियन्ता,
पानीपत जल सेवायें मण्डल पानीपत
इस गन्दे/रसायनिक पानी को रोकने
के लिये बार-बार हरियाणा पोल्यूशन
कंट्रोल बोर्ड को पत्र लिख रहा है कि
आप इन डाई हाउस व फैक्ट्रीयों पर
सख्त कार्यवाही करें ताकि ड्रेनों में
गन्दे/रसायनिक पानी न आये।
कार्यकारी अभियन्ता, पानीपत जल
सेवायें मण्डल पानीपत नगर निगम,
पानीपत, हरियाणा शहरी विकास
प्राधिकरण और जन स्वास्थ्य विभाग
को स्मरण पत्र लिख रहा है कि
प्रदूषित व रसायनिक पानी ड्रेनों में न
छोड़ें। इस बारे इस कार्यालय द्वारा भी
सभी सम्बन्धित विभागों को समय-समय
पर पत्राचार के माध्यम से सूचित
किया जाता है कि ड्रेनों में गन्दे पानी
को न डाला जाये जिससे यमुना नदी
को दूषित होने से बचाया जा सके।

क्र. संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

19.9.2007

87. श्री उदय भान द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 731 : क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि यमुना नदी पर बनाये जाने वाले किसान, रेणुका तथा लस्कर बांधों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उपरोक्त बांधों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये जा रहे हैं?

लस्कर बांध नाम के किसी बांध की कोई प्रस्तावना नहीं है। यमुना पर तीन बांधों रेणुका बांध, किसान बांध और लखवार-व्याप्ती बांध के निर्माण की प्रस्तावना है। क्योंकि ये अन्तर्राज्यीय परियोजनाएं हैं, हरियाणा सरकार इन बांधों के शीघ्र निर्माण तथा लाभों को हिस्सेदारों में विभाजित करने के लिए बेसिन राज्यों के मध्य समझौता करवाने के लिए भारत सरकार के साथ तत्परतापूर्वक पैरवी कर रही है।

रेणुका बांध- रेणुका बांध की भण्डारण क्षमता 542.5 एमसीएम है जोकि 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और पर्यावरण, वन, पुनर्वास एवं स्थानांतरण (आर एण्ड आर) द्वारा तकनीकी एवं आर्थिक मूल्यांकन की मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। सांझेदार राज्यों में पानी का आर्बटन 1994 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार किया जाएगा। इस परियोजना के लिए तकनीकी एडवाईजरी कमेटी का प्रस्ताव जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प (एमओडब्ल्यूआर, आरडी एवं जीआर) की सलाहकार समिति के विचाराधीन है। हरियाणा की मांग है कि इस परियोजना से उत्पादित बिजली का वितरण लाभान्वित राज्यों में केन्द्रीय

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(20-7-2020)

उर्जा मंत्रालय के परामर्श से किया जाना चाहिए। रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट उत्तराखण्ड का संशोधित प्रारूप समझौता, गिरी नदी के सम्बन्ध में, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा माननीय मंत्री, सड़क परिवहन, राजमार्ग, शिपिंग एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प, भारत सरकार की उपस्थिति में दिनांक 11.01.2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया।

किशाउ बांध:- किशाउ बांध का निर्माण उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू.जे.वी.एन.एल.) और हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में किया जा रहा है। इस परियोजना से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए किशाउ बांध में 1275 एमसीएम पानी एकत्रित किया जाएगा। इस परियोजना के लिए संयुक्त उद्यम कम्पनी किशाउ निगम लिमिटेड

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(कै.सी.एल) पंजीकृत की गई है। केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन प्रगति पर है। सांझेदार राज्यों को पानी का आवंटन 1994 के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार उनके शेयर के अनुपात में दिया जाएगा। हरियाणा की मांग है कि उत्पादित बिजली का वितरण सांझेदार राज्यों में केन्द्रीय उर्जा मंत्रालय के परामर्श से किया जाना चाहिए। दिनांक 26.12.2018 को हरियाणा सरकार द्वारा किशाउ बांध के संबंध में संशोधित प्रारूप समझौता पर एन0अ0सी0 जारी की गई है।

लखवार बांध:- लखवार बांध का निर्माण उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यू.जे.वी.एन.एल.) द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में किया जा रहा है। इस परियोजना से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिए

325 एमसीएम पानी एकत्रित किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण के लिए सभी वैधानिक मंजूरी उपलब्ध है। संज्ञेदार राज्यों को पानी का आवंटन 1994 के हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार उनके शेर के अनुपात के अनुसार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने 15.04.2016 को लखवार बांध की साईट का दौरा किया और बाद में इस परियोजना के शीघ्र निष्पादन के लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री, जल संसाधन मंत्रालय से मिले। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना का संशोधित प्रारूप समझौता यमुना नदी के सम्बन्ध में, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा दिल्ली के मुख्यमंत्रियों द्वारा माननीय मंत्री, सड़क परिवहन, राजमार्ग, शिपिंग एवं जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प, भारत सरकार की उपस्थिति में दिनांक 28.08.2018 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया। व्यासी बांध:- व्यासी बांध परियोजना एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट है जोकि

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

लखवार परियोजना के नीचे और यमुना नदी पर स्थित है। यह परियोजना 120 मैगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। यह परियोजना केवल बिजली उत्पादन के लिए प्रस्तावित है। इस परियोजना में कोई पानी का भण्डारण नहीं किया जाएगा। व्यासी बांध का निर्माण उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनएल) गांव जुड़्डो के पास यमुना नदी पर किया जा रहा है। 58 प्रतिशत कार्य सम्पूर्ण हो चुका है।

9-3-2010

88. श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया तारीकित प्रश्न संख्या 101 और श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया प्रश्न संख्या 685 क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या प्रस्तावित सेवात नहर के माध्यम से सेवात क्षेत्र को

(क) हां, श्रीमान जी।
(ख) राज्य सरकार ने सेवात नहर के निर्माण की स्वीकृति मार्च, 2007 में प्रदान कर दी थी। प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग के पत्रा क्रमांक 377-81/152 दिनांक 20-3-2007 के द्वारा भेजा गया था। जल संसाधन के केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा

हरियाणा सरकार सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के पत्र क्रमांक 277/2018-1/1W दिनांक 22.03.2018 के द्वारा सर्वप्रथम पहले चरण में 100 क्यूसेक के लिए पाइप लाईन जोकि गुडगांव वाटर सप्लाई चैनल से KMP के समांतर गुडगांव नहर तक आएगी

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(20-7-2020)

सिंचाई पानी देने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है:- तथा
(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के निष्पादन के लिए इस प्रस्तावित नहर के निर्माण की स्थिति क्या है?***

संरक्षित लोक क्षेत्रा उद्यमिता की एक संस्था वैपकोस लिमिटेड, जोकि वर्तमान में अपनी विस्तृत परियोजना विवरणी (डीडीआर.) के अन्तिम रूप देने में लगी हुई है।

उसकी मंजूरी दे दी गई है पाईप लाईन के लिए परामर्श आईआईटी, दिल्ली ने दे दिया है और आईआईटी, दिल्ली को इसके लिए लगभग 69.00 लाख रू० की पैमेंट भी कर दी गई है। आगे जी०डब्ल्यूएस० चैनल की रिमॉडलिंग के लिए परामर्श आईआईटी, दिल्ली से लेने के लिए प्रशासनिक मंजूरी रू० 70.80 लाख की सरकार द्वारा दे दी गई है। आईआईटी, दिल्ली से 30.09.2020 तक रिपोर्ट मिल जाएगी व फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

20-3-2015

89. श्री रहीस खान द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 149 :

(क) क्या तथ्य है कि जिला मेवात में सिंचाई पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचता है; तथा

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अंतिम छोर तक पानी सुनिश्चित करने के लिए क्या पग उठाए जा रहे हैं ?

XX हरियाणा को अपने अधिकृत हिस्से से कम पानी मिल रहा है तथा सरकार अपने अधिकृत हिस्से को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर अथक प्रयास कर रही है। अपने हिस्से का पूरा पानी मिलने पर तथा कार्यों के पूर्ण होने पर इन सभी रजवाहों के अंतिम छोर पर पानी पहुंच जाएगा।

जिला नूंह मेवात में सिंचाई करने वाली नहरें गुडगांव नहर से निकलती हैं। गुडगांव नहर में सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पानी की कम व अनियमित आपूर्ति होने के कारण से मेवात क्षेत्र में पड़ने वाली इन नहरों के अन्तिम छोर तक पानी की आपूर्ति नहीं होती है। हालांकि हरियाणा के अधिकृत हिस्से को पाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मेवात में सिंचाई

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(20-7-2020)

क्र० दिखा	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

करने वाले सभी चैनलों को पूर्ण आपूर्ति निर्वहन मिल सके। इसके अतिरिक्त, बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री, फिरोजपुर डिस्ट्रीब्यूट्री और इन्दी डिस्ट्रीब्यूट्री का पुनर्वास प्रगति पर है और घन्चोला मार्लिनर और नूह डिस्ट्रीब्यूट्री का कार्य पूरा हो चुका है। इन सभी कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त सिस्टम की दक्षता में सुधार होगा व मेवात में पानी की उपलब्धता में वृद्धि होगी। पिछले 6 महीने में जिला नूह मेवात को पानी की आपूर्ति का विवरण अनुलग्नक 'ए' पर प्रस्तुत है।

25.10.2017

90. श्री अनूप धानक द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 2181: क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताएंगे कि:-
क) क्या यह तथ्य है कि उकलाना निर्वहनक्षेत्र के गाँव साबरवास में 12200

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हां, श्रीमान जी।
(ख) हां, श्रीमान जी। यह कार्य दो साल के अन्दर पूरा होने की संभावना है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (20-7-2020).

11.09.2019 को टेण्डर स्वीकृत हो चुके हैं। 15 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष कार्य 31.03.2021 तक पूरा होने की संभावना है।

के ठीक पीछे साबरवास माइनर के बैड का स्तर ठीक नहीं है; तथा

ख) यदि हां, तो उपरोक्त माइनर के बैड स्तर को ठीक करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा इसके कब तक ठीक किये जाने की संभावना है ?

6.03.2018

91. तारांकित प्रश्न संख्या 2322 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री परमेश्वर सिंह दुल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जी० में रजबाह संख्या-4 का नवीनीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसका नवीनीकरण कब तक किये जाने की संभावना है ?

सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्य श्री परमेश्वर सिंह दुल की नहरों संबंधी सभी मांगों को मंजूर कर लिया है। इन्होंने हमसे जिस नहर के पुनर्निर्माण की बात कही है हम उसका पुनर्निर्माण अवश्य करवायेंगे। xx सभापति महोदय, इस सवाल का जवाब तो विभाग की तरफ से नेगेटिव आया था परन्तु मैंने इसके लिए हां कर दी है और इसका अगले साल से पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया जायेगा।

नहरों के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 200-250 करोड़ रु० लागत की एक संयुक्त परियोजना नार्बार्ड की स्वीकृति के लिए विचाराधीन है। जिसमें रजबाह संख्या 4 (अनुमानित लागत 8 करोड़) की पुनर्निर्माण की योजना भी सम्मिलित है। जैसे ही इन परियोजनाओं को विभागीय टेक्निकल कमेटी की स्वीकृति मिल जाती है इस संयुक्त परियोजना को स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी (बी) की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी (बी) की स्वीकृति बाद यह संयुक्त परियोजना RIDF XXV के तहत नार्बार्ड को वित्त सहायता के लिए भेज दिया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (20-7-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

92. तारांकित प्रश्न संख्या 2638 के संदर्भ में श्रीमती बिमला चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : XX आपके माध्यम से मेरा कृषि मंत्री जी से सवाल है कि जिन किसानों के पास दो या तीन एकड़ जमीन है और उनके पास ट्यूबवेल नहीं हैं। वे दूसरे किसान के ट्यूबवेल से पानी लेते हैं जिससे उनका पानी पर बहुत पैसा खर्च होता है। उनके खेत में इतने रुपये की तो फसल भी नहीं होती है जितने रुपये का पानी वे दूसरे किसान से खरीदते हैं, इसलिए मैं मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि उन किसानों के लिए भी पानी का कोई प्रावधान किया जाए जिससे उन दो-तीन एकड़ के किसानों को भी पानी मिल सके। XX

XX मैं सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि हर खेत को पानी पहुंचाने के लिए 14 पायलेट प्रोजेक्ट्स इस साल में शुरू किए गए हैं और अगले साल 140 पायलेट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे और इसके साथ ही हमारा नहरी विभाग अर्थात् कांडा, ऐसी योजना बनाने जा रहा है कि जिससे कई गांवों के किसान मिलकर पहले 200, 300 या फिर 400 एकड़ जमीन की जोत को इकट्ठा करेंगे और तब इस जमीन पर हर खेत को पानी पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट लगाया जायेगा। जो यह प्रोजेक्ट लागेगा, इस प्रोजेक्ट पर कुछ पैसा किसान का लगेगा और कुछ पैसा सरकार की तरफ से सहायता के रूप में दिया जायेगा। हमारी सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर निरंतर आगे बढ़ती जा रही है और हमारा विभाग भी इस तरह के कार्यों में पूरी गम्भीरता के साथ काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इस योजना को अमलीजामा पहना देंगे और कम कीमत पर हरियाणा प्रदेश के

कांडा द्वारा शुरू किए गए 14 पायलेट प्रोजेक्ट्स का कार्य पूरा कर लिया गया है।

कांडा द्वारा किसानों के खेतों में सूखे सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना तैयार की है जिसकी अनुमानित लागत 189 करोड़ रूप है जो कि 13 जिलों के 9022 हेक्टेयर भूमि को सूखे सिंचाई के अधीन लाएगी। जिसमें कि किसानों द्वारा उनके खेतों पर उपयोग में लाए जाने वाले सूखे सिंचाई यंत्रों की लागत का केवल 15 प्रतिशत हिस्सा ही वहन किया जाएगा शेष 85 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जायेगी। यह परियोजना नाबार्ड के पास अनुमोदनार्थ भेजी जा रही है नाबार्ड से अनुमोदन उपरान्त इस परियोजना पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

हमारी सरकार इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर निरंतर आगे बढ़ती जा रही

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(08-07-2019)

हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य के सपने को साकार करने का काम करेंगे। XX

है और हमारा विभाग भी इस तरह के कार्यों में पूरी गम्भीरता के साथ काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इस योजना को अमलीजामा पहना देंगे और कम कीमत पर हरियाणा प्रदेश के हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य के सपने को साकार करने का काम करेंगे।

11.09.2018

93. तारांकित प्रश्न संख्या 2753 के संदर्भ में डा० पवन सैनी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरस्वती तथा राक्षी नदियों में पानी छोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त नदियों में पानी कब तक छोड़े जाने की सम्भावना है?

हां श्रीमान जी, सरस्वती नदी में लगातार पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु एक डैम का निर्माण करके सोम्व नदी से जोड़ने तथा आदिबंदी जलाशय व सरस्वती जलाशय को 9 कि०मी० डाउनस्ट्रीम पर बनाए रखने की एक परियोजना सरकार के पास विचाराधीन है। विभिन्न आवश्यक वैधानिक मंजूरीयों के कारण, इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। राक्षी नदी में पानी छोड़ने के लिए, चौटांग नाले से पानी का बहाव मोड़ने हेतु बुबका हैड पर गेट स्थापित किए जाने की प्रस्तावना क्रियान्वित की जा रही है। अगले मानसून सीजन के दौरान राक्षी नदी में पानी छोड़ दिया जाएगा।

सरस्वती नदी में लगातार पानी की आपूर्ति बनाए रखने हेतु एक डैम का निर्माण करके सोम्व नदी से जोड़ने तथा आदि बंदी जलाशय को 9 कि० मी० डाउन स्ट्रीम पर बनाए रखने की एक परियोजना सरकार के पास विचाराधीन है। विभिन्न आवश्यक वैधानिक मंजूरीयों के कारण इसकी समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

राक्षी नदी पर चौटांग नाले का बहाव मोड़ने हेतु बुबका हैड पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अतः जब भी चौटांग नाले में मानसून का पानी आएगा तो राक्षी नदी में पानी छोड़ दिया जाएगा। राक्षी नदी की क्षमता हैड पर 197.50 क्यूसिक है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(08-07-2019)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

94. अतारकित प्रश्न संख्या-752 के संदर्भ में श्री वेद नारांग द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि बरवाला विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले नालों तथा सब-माइनों की गाद निकालने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

22.02.2019

श्रीमान जी, छोटी नदियों (नालों) से गाद निकालने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। परन्तु सब माइनों से गाद निकालने का कार्य वर्ष 2019 के मई/जून महीनों के दौरान किया जाएगा।

95. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया प्रश्न :- XXXX में पूछना चाहता हूं कि सरकार ने तालाबों की सफाई के लिए प्राधिकरण तो बना दिया लेकिन कितने दिनों में 10 हजार की आबादी के गांव शेरदा, 25 हजार की आबादी के गांव बालू और बात्ता, खरक-पांडवा, दुब्लल, गुलियाना, रामगढ़ आदि गांवों के तालाबों की सफाई हो जाएगी ? XXXX

22.02.2019

XXXX उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बालू, बात्ता, खरक पांडवा के गांवों में गन्दा पानी भरने की समस्या उठायी है, इस समस्या का जल्द ही समाधान कराया दिया जाएगा।

06.08.2019

हाँ, श्रीमान जी, 11 कच्चे खालों में से 7 खाले BCC-III परियोजना में शामिल हैं जो कि भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं। भारत सरकार की स्वीकृति मिलने के बाद 6 महीने में इनका कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

06.08.2019

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि उकलाना निर्वाचन क्षेत्र में 358 खाले हैं और जिनमें से केवल 11 खाले ही कच्चे हैं। इनमें से 283 खाले ऐसे हैं, जिनको बने हुए लगभग 20 साल से कम का समय हो गया है और 64 खाले ऐसे हैं, जिनको बने हुए लगभग 20 साल से ज्यादा का समय हो गया है। अध्यक्ष महोदय, यदि हमें इनकी जानकारी मिलेगी कि इन खालों की कंडीशन खराब है तो हम इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण जरूर करवायेंगे, क्योंकि सरकार के पास इन खालों की मरम्मत करने के लिए एक प्रॉविजन भी है। सरकार ने इससे संबंधित एक अच्छी पॉलिसी बनाई हुई है। पहले कमांडिंग एरिया प्रति एकड़ 24 फीट होता था, जोकि अब बढ़ाकर 40 फीट प्रति एकड़ कर दिया गया है। अगर माननीय सदस्य के पास इस

श्री अनूप धानक द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 3099: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या उकलाना निर्वाचनक्षेत्र के खेतों के कच्चे खालों को पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हां, तो उक्त खालों को कब तक पक्का किए जाने की संभावना है ?

तारांकित प्रश्न संख्या 3099 के संदर्भ में श्री अनूप धानक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि ये जिन 11 खालों को पक्का करने की बात कर रहे हैं, वह मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न कुछ और है और माननीय मंत्री जी जवाब कुछ और ही दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि उकलाना निर्वाचन क्षेत्र के खेतों में जो कच्चे खाले हैं, उनमें से मैंने करीब 11 खालों को डिप्टी कमिश्नर के द्वारा डी-प्लान के तहत पक्का बनवा दिया है, इसके अलावा भी वहां पर बहुत सारे खाले कच्चे पड़े हुये हैं। मैं तो इन खालों की

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

बात कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं माननीय मंत्री जी किन 11 खालों की बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो बहुत ज्यादा खाले कच्चे पड़े हुये हैं।

संबंध में अतिरिक्त कोई जानकारी है तो ये हमें दे दें, हम अवश्य उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूँ कि जो ये 11 खाले हैं, अगर इनके लिए भारत सरकार से फंड आने में देरी भी होगी तो हम स्टेट फंड से खाले पक्का करवाने का काम करवा देंगे।

06.08.2019

98. तारकित प्रश्न संख्या 3099 के संदर्भ में श्री मूल चंद शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मेरे बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र से एक खाला निकलता है, जो रजबाहा से होता हुआ पृथला विधान सभा तक जाता है, इसके साथ ही साथ वह खाला सैक्टर 3, 2, 64 और 65 से होता हुआ निकलता है। वह खाला बिल्कुल ही कच्चा पड़ा हुआ है, जिसके कारण कभी-कभी सैक्टरों में पानी भर जाता है और कभी-कभी

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा कि हम इन खालों को पक्का करवा देंगे।

सैक्टरों की ग्रीन बेल्ट भर जाती है। इन खालों को पक्का करने के लिए एस्टीमेट्स भी आये हुये हैं। मैंने पिछले सेशन में भी इस सदन में यह मुद्दा उठाया था कि इन खालों से सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले कीड़े-मकोड़े भी निकलते हैं और कई बार तो पानी का प्लो इतना तेज होता है कि पानी सैक्टरों में घुस जाता है, घरों में पानी चला जाता है और उससे पेड़-पौधों को भी नुकसान होता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये खाल केवल 2 किलोमीटर के ही है। XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह खाल खेतों में सिंचाई के काम आता है।

5.11.2019

**** यमुना व इसकी सहायक नदियों पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्याप्ती नामक तीन बड़े भण्डारण बांधों का निर्माण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अन्तर्राष्ट्रीय अनुमदियां मिलने के बाद शिवालिक की निचली पहाड़ियों में 12 भण्डारण बांधों का निर्माण भी किया जाएगा।

99. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

100. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 70 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राहडोडी माइनर, झोझु माइनर तथा बिजना माइनर का नवीनीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इनका नवीनीकरण कब तक किए जाने की संभावना है ?

(क) हां जी। विभाग द्वारा पहले से ही राहडोडी माइनर, झोझु माइनर और बिजना माइनर के नवीनीकरण का कार्य प्रस्तावित है।
(ख) इन माइनरों के नवीनीकरण/पुनर्वास का कार्य 30.09.2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

28.02.2020

101. श्री राम कुमार गौतम, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 64 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या नारनौद विधानसभा के गांवों मसूदपुर, डाटा, लोहारी राधो, हैबतपुर, राखी शाहपुर, राखी गढी, गामड़ा, खेड़ी जालब, खेड़ी लौचब में सिंचाई के लिए समुचित जलापूर्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्रीमान जी, इन सभी 9 गांवों की भूमि, मसूदपुर पनिहारी लिंक चैनल, डाटा डिस्ट्रीब्यूट्री, सिंधवा डिस्ट्रीब्यूट्री व खेड़ी श्योरान माईनर (भाखड़ा प्रणाली) व मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री व लोहारी माईनर (यमुना प्रणाली) से सिंचित होती है जिसकी परियोजना सघनता 62 प्रतिशत से अधिक है। बेहतर सिंचाई के लिए लोहारी राधो, डाटा, ठरवा और शालाडेरी के कुछ क्षेत्र को लोगों की मांग के अनुसार यमुना प्रणाली में स्थानांतरण करने के लिए मसूदपुर डिस्ट्रीब्यूट्री को आगे बढ़ाने की प्रस्ताव है।

02.03.2020

02.03.2020

102. श्री मामन खान, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 114 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि

(क) क्या बनारसी डिस्ट्रीब्यूटरी नहर के तीन 35 सी.एस. वर्टिकल एक्सियल फ्लो पंपों जिन्हें अस्तित्व में आने के बाद से, जिला नूंह में फिरोजपुर झिरका के रनयाला पटकपुर पंप हाऊस में स्थापित किया गया था, को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या जिला नूंह में फिरोजपुर झिरका के रनयाला पटकपुर पंप हाऊस में बिजली की खराब तारों को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ग) क्या जिला नूंह के उमरा लैंडवाह नूलाहा तथा अकेरा क्यूनेट का दर्जा एल. सैक्सन में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(क) हां, श्रीमान जी। गांव रनयाला में बनारसी पम्प हाऊस के तीन पुराने पम्पों के प्रतिस्थापना के लिए 98.00 लाख रु0 का परियोजना प्राक्कलन को अगली विभागीय स्थायी तकनीकी समिति की बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

(ख) हां, श्रीमान जी। गांव रनयाला में बनारसी पम्प हाऊस में बिजली की तारों को एक माह में बदल दिया जाएगा।

(ग) हां, श्रीमान जी। लैंडवाह नाले (उमरा नाला) की बुर्जी 0' से 26966 फीट तक के सैक्शन को अपने वास्तविक डिजाईन पर लाने के लिए प्रस्ताव हरियाणा राज्य सूखा सहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 51वीं बैठक में स्वीकृत किया गया। यह कार्य 30.06.2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अकेरा क्यूनेट की आन्तरिक सफाई का कार्य भी 30.06.2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

POWER DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

103. मास्टर धर्मपाल ओबरा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1421: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे गांव में दो स्कूल हैं। एक प्राथमिक पाठशाला है तथा दूसरी सैकेंडरी स्कूल है तथा उनके ऊपर से 33 हजार वोलेज की लाईन गुजरती है, क्या मंत्री जी उसको भी शिफ्ट करवायेंगे?

27-2-2013

अध्यक्ष महोदय, जहाँ-जहाँ पर मकानों के ऊपर से हाई वोलेज की लाईनें जा रही हैं उनके ऊपर हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम इन लाईनों को हटवा देंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard (13-7-2020)

अधीक्षण अभियन्ता/निर्माण, डीएचबीएन, हिसार के अनुसार गांव ओबरा के ऊपर से गुजरने वाली 33 के.वी. लाईन के स्थानान्तरण का कार्य सूचीबद्ध ठेकेदार को आवंटित किया गया था, परन्तु गांव ओबरा के ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर, यह कार्य पूरा नहीं किया गया था। सरपंच, ग्राम पंचायत ओबरा की सहायता से इय कार्य को पूरा करने की कोशिश की गई थी, परन्तु ग्रामीणों के विरोध के कारण यह कार्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका। इसके बाद, यह कार्य रद्द कर दिया। उपरोक्त लाईन को स्थानांतरित करने के लिए कोई राइट ऑफ वे उपलब्ध नहीं है, इसलिए वर्तमान परिदृश्य में इस लाईन को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। यद्यपि, स्कूल में किसी दुर्घटना से

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(03-06-2019)

बचने के लिए खुली/नंगी तारों को इन्सुलेटिड केबल के साथ बदलने के लिए कार्य किया जा रहा है तथा यह कार्य प्रगति पर है और इस महीने में पूरा किया जाना संभावित है।

20.3.2015

... मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि सरकार बिजली की तारों को तो बदलवाएगी लेकिन जाकिर जी वहां से जनप्रतिनिधि हैं इसलिए वहां के लोगों को जागरूक करें कि वे बिजली के कनेक्शन लें।

104. ताराकित प्रश्न संख्या 430 के संदर्भ में श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : ... मैं मुख्यमंत्री जी से और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पूरे प्रदेश में और विशेषकर मेरे हल्के नूंह में जो बिजली की तारें नीचे आई हुई हैं और खराब हालत में हैं उनको तुरंत प्रभाव से बदला जाए ताकि किसी मासूम को अपनी जान न गंवानी पड़े।

नूंह क्षेत्र में पुरानी/खराब तारों को बदलने के संबंध में सी.एम. अनाउंसमेंट नं० 9733 दिनांक 10.12.2014 को लागू करने के लिए कुल 1060.50 किलोमीटर पुरानी तारों को बदलने के लिए पहचान की गई थी। इसमें से 517 किलोमीटर पुरानी एसीएसआर तारों को दिनांक 31.05.2020 तक बदल दिया गया है। म्हासा गांव जगमग गांव स्कीम के तहत 10 नं० आरडीएस फीडरों का कार्य प्रगति पर है तथा 31.08.2020 तक कार्य पूरा होने की सम्भावना है जिसमें लगभग 230 किलोमीटर एसीएसआर तार बदल दी जाएगी। बचे हुए 28 आरडीएस फीडरों का कार्य ई.ओ.आई (अभिलेखि की अभिव्यक्ति)/लेबर शोड्यूल रेट पर पूरा किया जा रहा है तथा 31.03. 2021 तक कार्य पूरा हो जाने की

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

संभावना है। जिसमें 982 किलोमीटर एसीएसआर तार बदली जाएगी। नूंह हल्के में 278 किलोमीटर, पुन्हाना में 139 किलोमीटर और फिरोजपुर झिरका में 100.13 किलोमीटर खराब तार बदल दी गई है।

03-09-2015

105. श्री जगवीर सिंह मलिक द्वारा पूछा गया अतिरिक्त प्रश्न संख्या 135 : क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या बिजली के लोहे के खम्भों को सीमेंट के खम्भों के साथ बदलने की कोई नीति सरकार के विधायकी है। यदि हां, तो इन खम्भों को कब तक बदले जाने की संभावना है?

हां श्रीमान, लोगों के जीवन को जोखिम पहुंचाने वाले खराब/जंग लगे लोहे के खम्भों को सीमेंट के खम्भों के साथ बदला जा रहा है। कुछ लम्बित खराब/जंग लगे लोहे के खम्भों को दिसम्बर, 2015 के अंत तक बदला जाएगा।

वितरण नेटवर्क में मौजूदा लोहे के खम्भे पुराने समय में लगाए गए थे। पिछले काफी वर्षों से, केवल पीसीसी खम्भे लगाए जा रहे हैं। इन लोहे के खम्भों को समय समय पर मांग के आधार पर बदला जा रहा है।

लोहे के उन खम्भों को प्राथमिकता दी जाती है जो मानव जीवन, पशुओं आदि के लिए खतरा हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, 1359 लोहे के खम्भे बदले गए तथा 01.04.2020 तक 2654 लोहे के खम्भे बदले जाने

154
The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(13-7-2020)

लम्बित है जो चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बदले जाएंगे।

31 मार्च 2020 तक यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है:-

डिस्कॉमस	01.04.2019 तक खराब लोहे के खम्भों की संख्या	01.04.2019 से 31.03.2020 तक बदले गये खम्भों की संख्या	शेष बचे खम्भों की संख्या
यूएचबीवीएन	955	641	314
यूएचबीवीएन	3058	718	2340
कुल	4013	1359	2654

01.04.2020 तक पहचाने गए सभी खतरनाक खम्भों को 31 मार्च, 2021 तक बदल दिया जायेगा।

11.09.2018

106. ताराकित प्रश्न संख्या 2816 के संदर्भ में श्री श्याम सिंह राणा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि रादौर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में गांव जठलाना तथा गुमथला के पास यमुना नदी पर बिजली की टावर लाइन का निर्माण करने के

(क) हां, श्रीमान।
(ख) टॉवरों के टैकिनकल डिजाइन की तैयारी चल रही है तथा डिजाइन को अन्तिम रूप देने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

प्रस्तुत किया जाता है कि यमुना नदी के पार आने वाले नलकूप कनेक्शनों को कृषि सप्लाई हेतु यमुना नदी को 2 नं. 11 केवी मोहड़ी तथा गुमथला एपी फीडर क्रॉस कर रहे हैं। प्रत्येक बरसात के मौसम में दोनों फीडरों के पीसीसी खम्भों सहित एचटी लाईन

The Committee would like to know the latest position in this regard (13-7-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 10.04.2018 को घोषणा की गई थी; (ख) यदि हां, तो उपरोक्त टावर लाइन के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

यमुना नदी में भारी बाढ़ आने के कारण क्षतिग्रस्त / बह जाती है तथा यमुना नदी के आर-पार ये एपी उपभोक्ता बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। यमुना नदी में 6 टावर लगाने के लिए पहले प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, जिसके लिए 6.08 करोड़ रूपए के खर्च करने की आवश्यकता थी, परन्तु यह वित्तीय रूप से संभव नहीं है। अब जठलाना के नजदीक यमुना नदी के आर-पार पुल स्वीकृत किया गया है तथा बी एण्ड आर विभाग ने यमुना नदी के पार अबाधित बिजली सप्लाई प्रदान करने के लिए प्रस्तावित एचएल पुल के फुटपाथ के डक्ट पर पुल के आर-पार बिजली एक्सएलपीई केबल बिछाने के लिए प्रावधान किया है, जो 30.06.2021

तक होना संभावित है। आपातकाल के लिए, यमुना नदी के पार आने वाले उपभोक्ताओं को पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (नाकुर डिजीजन) से बिजली सप्लाई देने का निर्णय लिया गया था तथा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (नाकुर डिजीजन) से बिजली सप्लाई लेने के लिए दिनांक 26.12.2018 को यूएचबीवीएन द्वारा 600 क्रेडिट्स/ 667 कैंपी के एक कनैक्शन का आवेदन किया गया जो वित्तीय रूप से व्यवहार्य है। स्थल का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा अधीक्षण अभियन्ता, बिजली वितरण परिमण्डल-II सहारनपुर द्वारा यथा सूचित एमडी कमर्शियल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से स्वीकृति लेने के लिए मामला विचाराधीन है तथा अब पहले से प्रस्तावित यमुना नदी में टावर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

107. अतारांकित प्रश्न संख्या 711 के संदर्भ में श्री ओम प्रकाश बरवा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य के किसानों को नलकूप कुनैक्शन उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो नलकूप कुनैक्शन कब तक उपलब्ध करवाये जाने की संभावना है?

11.09.2018

श्रीमान, जिन नलकूप आवेदकों ने दिसम्बर, 2013 तक सिक्योरिटी जमा करवा दी है उन सभी को डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं तथा जिन किसानों ने इसके बाद सिक्योरिटी जमा करवाई है उनको नलकूप बिजली कनैक्शन जारी करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्रीमान, 01.01.2014 से 31.12.2018 तक लगभग 84000 आवेदकों ने नए नलकूप कनैक्शनों के लिए आवेदन किया है। उन सभी को डिमांड नोटिस भेज दिए गए हैं। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, नए नलकूप कनैक्शन केवल लघु सिंचाई/यूजीपी एल प्रणाली की स्थापना सहित 5 स्टार ऊर्जा कुशल पम्प सेटों के साथ जारी किए जाएंगे। ये 5 स्टार सेटिड मोटर पम्प सैट राज्य डिस्कॉम द्वारा नलकूप आवेदकों को रियायती दरों पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए, आवेदकों को ऑन लाईन पॉर्टल के माध्यम से मोटर पम्प सेट की लागत जमा करवाने के लिए कहा गया था जो 06.09.2019 से 30.09.2019 तक सक्रिय किया गया था। इस अवधि के दौरान केवल 12074

The Committee would like to know the latest position in this regard (13-07-2020)

आवेदकों ने मोटर पम्प सैट की लागत जमा करवाई, यद्यपि, नए नलकूप कनेक्शन जारी करने के लिए इन आवेदकों को विजली ढांचे की लागत भी जमा कराने के लिए कहा गया था। 12074 आवेदकों में से केवल 9039 आवेदकों ने मोटर पम्प सैट की लागत के अतिरिक्त बिजली ढांचे की यह लागत जमा करवाई है। 5 स्टार रेटिड ऊर्जा कुशल पम्प सैटों की सप्लाई के लिए, रेट कान्ट्रैक्ट मैसर्ज ड्यूक पलास्टो, गुजरात को सौंपा जा चुका है। आज तक 4868 नं. सबमिशन/5 स्टार रेटिड ऊर्जा कुशल पम्प सैट प्राप्त किए गए हैं तथा इन 4868 आवेदकों को कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं।

यहां यह बताना आवश्यक है कि ब्यूरो एनर्जी एफिशिएंसी (बीईई) 01.01.2020 से कृषि पम्प सैटों के ऊर्जा कुशल मानकों को संशोधित कर चुका है। संशोधित मानकों के अनुसार, पिछले 5, स्टार पम्प सैट अब 3 स्टार को क्वालीफाई करते हैं, कुशल 5 स्टार रेटिड (अब 3 स्टार) के साथ मोटर

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पम्प सैट स्वीकार करने के लिए आवेदकों से उनकी इच्छा/अनिच्छा पूछी गई है। आज तक 4980 आवेदकों ने अपना विकल्प दिया है, जिसमें से 3788 आवेदक कुशल 5 स्टार रेटिड (अब 3 स्टार) के साथ मोटर पम्प सैट स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं। इन आवेदकों को मोटर पम्प सैट की सप्लाई करने तथा सर्वेक्षण के लिए फर्म को क्रय आदेश देने के लिए दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। निगम इन आवेदकों को अति शीघ्र कन्वैशन जारी करने की स्थिति में होगा। इसके अतिरिक्त, जिन आवेदकों ने निगम में मोटर पम्प सैट की लागत जमा करवा दी है तथा मोनोब्लॉक पम्प सैट के लिए अनुरोध कर रहे हैं, उनको ओपन मार्केट के माध्यम से 2 स्टार रेटिंग (01.02.2020 से पहले 4 स्टार) के साथ इसको खरीदने के

लिए अनुमत किया गया है। इन 1433 आवेदकों को भी खरीदे गए मोनोब्लॉक पम्पसेट मोटर के बिलों के आधार पर, वरिष्ठता-वार अलग-अलग सब-डिवीजन के अनुसार कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

06.07.2020 तक, राज्य में 3820 नलकूप कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। यह कार्य युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है तथा अन्य शेष बचे आवेदकों को भी अति शीघ्र विजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे।

108. ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 (राज्य के विभिन्न जिलों में बीमारी वर्षा के कारण कृषि भूमि में सेम की समस्या से संबंधित) के संबंध में मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन।

28.12.2018

XX उपाध्यक्ष महोदया, उसमें (श्री करण सिंह दलाल द्वारा बिजली विभाग से संबंधित दी गई चार्जशीट) जितनी क्वॉरी डाली गई हैं आधे से ज्यादा क्वॉरी ऐसी हैं जो हमारी सरकार के आने से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार की मिलीभगत से जो बिजली चोरी दिखाई गई है उस समय की है। उपाध्यक्ष महोदया, सरकार इन सबकी इन्क्वायरी करवायेगी। उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से दो उदाहरण सदन को बताना चाहता

The Committee would like to know the latest position in this regard (13-07-2020)

श्री करण सिंह दलाल द्वारा राज्य विजली वितरण निगमों की कार्य प्रणाली के विरुद्ध अपनी चार्जशीट में उल्लेखित सभी बिन्दुओं की विस्तार पूर्वक जांच की गई है तथा रिकार्ड के सभी तथ्य स्पष्ट रूप से यह दर्शाते हैं कि उसके द्वारा लगाए गए सभी आरोप राजनैतिक रूप से प्रेरित, गुमराह करने वाले हैं तथा सच्चाई से बहुत दूर हैं। यह शिकायत है कि ज्यादातर

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हैं। एक मैसर्स टैराकोम लि0 कंपनी के साथ समझौता किया गया और बाद में समझौते का टर्मिनेशन किया गया जिस कारण करोड़ों रुपये का लॉस हुआ। XX इस प्रकार की क्वैरीज उसमें (श्री करण सिंह दलाल द्वारा बिजली विभाग से संबंधित दी गई चार्जशीट) डाली गई है और हम इस बारे में इन्क्वायरी करवायेंगे क्योंकि हमें बहुत ही अच्छा विषय मिला है। इस विषय पर 75 प्रतिशत डॉक्यूमेंट्स कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय के हैं। XX

तथाकथित अनियमितताएं पिछली सरकार अर्थात् 2014 तक के कार्यकाल से संबंधित हैं। यद्यपि, वर्तमान सरकार द्वारा इनको उजागर करने तथा इन अनियमितताओं को सुधारने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक हरियाणा डिस्कॉमस को खस्ता वित्तीय हालत से लाभ में बदलने का कार्य किया। विभिन्न योजनाओं जैसे कि एमजीजेजी, आईपीडीएस, डीडीयूजीवाई आदि के तहत बिजली क्रय, कार्य सौंपने में अनियमितताएं तथा परियोजना लागू करने, सामग्री की ऊंची दरों पर खरीद, जुमाने की कटौती न करने के क्षेत्र में भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ आरोप लगाए गए हैं। दैनिक कार्य गतिविधियों जैसे कि एटी एण्ड सी लॉसिस कटौती, बिलिंग, टैरिफ एवं एफएसए, स्मार्ट ग्रिड तथा सोलर पावर पर राज्य

नितियों को लागू न करना, नलकूप कनैक्शन जारी करने में भेदभाव, डेरा/ढाणियों में कनैक्शन जारी न करना, बिजली की अनचाही खरीद तथा स्टाफ के मुद्दे आदि से संबंधित अन्य आरोप स्वरूप में सामान्य है। जैसे कि पहले बताया गया है कि ये आरोप काल्पनिक है तथा बिजली क्षेत्र की कुछ समझ तथा अज्ञानता को दर्शाते हैं।

पहले से ही रिकार्ड के तथ्यों से पता चलता है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अन्तर्गत बिजली वितरण कम्पनियां ठेके देने तथा लागू करने, बिजली खरीदने आदि से संबंधित मामलों में पूरी पारदर्शिता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। डिस्कॉमस उपभोक्ताओं की संतुष्टि तथा परिचालनात्मक दक्षता के उच्च स्तर के साथ कार्य कर रही है। डिस्कॉमस 4 वर्षों की अवधि में एटी एण्ड सी लॉसिस में 12.75 प्रतिशत से अधिक की अभूतपूर्व कटौती हासिल करने में सक्षम हुई है जिसके परिणामस्वरूप

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

उदय के लक्ष्य को दो वर्ष पहले ही वित्तीय रूप से प्राप्त कर लिया है। सभी प्रकार से सुधार का अवलोकन किया गया है तथा सुधार संबंधी मुख्य मान-दण्ड निम्न प्रकार हैं:-

- * 2017-18 में 101 दिनों से 2019-20 में 16 दिनों तक आम कनैक्शन जारी करने के औसत समय में कमी।
- * मार्च 2015 तक 4.34 रूपए प्रति यूनिट से मार्च 2020 तक 4.79 रूपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद लागत में केवल मार्जिनल बढ़ोतरी हुई है, जबकि इससे पहले बिजली खरीद लागत मार्च 2005 तक 2.05 रूपए प्रति यूनिट से मार्च, 2014 तक 4.22 रूपए प्रति यूनिट तक काफी बढ़ोतरी हुई थी।

लम्बित पड़े आवेदनों की पेंडेंसी में कमी, कनैक्शन जारी करने में लिए गए समय में कटौती डिस्कॉमस की कार्यकुशलता के प्रति साक्ष्य है। तथ्य यह है कि डिस्कॉमस ने पिछले 4 वर्षों में किसी टैरिफ में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। परन्तु एफएसए 1 रूपए प्रति यूनिट से अधिक तक कम किया है तथा घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में महत्वपूर्ण कमी राज्य के उपभोक्ताओं को किफायती तथा प्रचूर मात्रा में बिजली प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा किए गए समाधान को दर्शाती है। तथाकथित चार्जशीट, बल्कि औसत बिजली क्रय लागत में बिजली उत्पादकों को प्रतिपूर्ति टैरिफ का कोई भुगतान नहीं किया गया है जो पिछले शासनकाल के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान दोगुनी हो गई थी, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान मार्जिनल रूप से बढ़ोतरी हुई है। वर्तमान सरकार अतिरिक्त बिजली का कान्ट्रेक्ट करने में काफी सावधान रही है तथा केवल संभव सीमा तक आरई बिजली जोड़ने पर ध्यान दिया

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

गया है। कान्फ्रेक्ट ई-टेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा सौंपे जा रहे हैं तथा सभी निर्धारित विनियमों का अनुसरण किया जा रहा है। एमजीजेजी योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को 24 घंटे बिजली देने तथा पीएटी आदि के माध्यम से डेरा/ढ़ाणियों को भी बिजली देने पर जोर दिया गया है। अब टेंडरों के विशेष मुद्दे पर यह प्रस्तुत किया जाता है कि:-

1. टैंडर इंकवायरी संख्या टीईडी-19, टीईडी-20, टीईडी-22 तथा टीईडी-23 के विरुद्ध सिरसा, भिवानी, फरीदाबाद एवं नारनौल परिचालन सर्कलों के अन्तर्गत नये ग्रामीण घरेलू फीडर्स का निर्माण तथा ग्रामीण फीडर्स को अलग-अलग करने का कार्य अवार्ड पत्र जारी करने की तिथि से 7 महीनों में पूरा करने के

साथ अर्वाड पत्र दिनांक 30.03.2007 के तहत क्रमशः मैसर्ज टेराक्लॉम लिमिटेड, नोरडा को सौंपा गया था। ठेकेदार द्वारा परफोरमैस न दिखाने के कारण, उपरोक्त सभी टेंडर इक्वायरियों का ठेका 18.12.2008 को समाप्त कर दिया गया तथा 18.12.2008 को फर्म ब्लैक लिस्ट कर दी गई थी।

2. उपरोक्त कार्य के विरुद्ध, फर्म ने विवाद सुलझाने के लिए ठेके की शर्तों की मध्यस्थता धारा संख्या 56 को अभिमंत्रित किया तथा समाप्त ठेकों के मध्यस्थता संबंधी मामले का निर्णय एकमात्र एलडी मध्यस्थ, जस्टिस कुलदीप सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा 23.09.2017 को फर्म के पक्ष में किया गया था।

3. इसके बाद एक मात्र मध्यस्थ द्वारा सुनाए गए अर्वाड को माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, हिसार में आपति याचिका दायर

क्र.० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

करके मध्यस्थ तथा समझौता अधिनियम की धारा 34 के तहत निगम द्वारा चुनौती दी गई थी। इसी मध्यस्थ अवार्ड को लागू करने की सीमित अवधि की समाप्ति के बाद, फर्म ने निगम के विरुद्ध एक कायान्वयन दायर किया।

4. निगम द्वारा दायर की गई आपत्ति याचिका माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, हिसार द्वारा आदेश दिनांक 03.05.2018 के तहत खारिज की गई थी।

5. तदनुसार, निगम द्वारा दायर आदेश दिनांक 03.05.2018 (एडीजे, हिसार द्वारा पारित) के विरुद्ध एफएओ (आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील) माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर की गई है।

6. यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे न देने के मध्यनजर, एकमात्र एलडी मध्यस्थ, जस्टिस कुलदीप सिंह (सेवानिवृत्त) द्वारा अवार्ड 23.09.2017 के तहत अनुमत दावा राशि दावेदार फर्म अर्थात मैसर्स टेराकॉम लिमिटेड, नोएडा को अदा की गई है।

अब, एफएओ माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की नियमित सूची में लम्बित है तथा इसकी सुनवाई उचित समय पर होगी।

109. सदस्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों के संदर्भ में श्री ललित नागर द्वारा पूछा गया अनुसूक्त प्रश्न : XX उपाध्यक्ष महोदया, दूसरी जो बिजली की बात है उस संबंध में मैं मंत्री जी को दताना चाहूंगा कि बहुत सारे घरों के ऊपर से 11 हजार वोल्टेज की व और दूसरी लाईनें जा रही हैं जिससे वहां आए दिन कहीं न कहीं दुर्घटना होती रहती है। वहां आए दिन करंट लगने से

उपाध्यक्ष महोदया, बिजली विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है। इस संबंध में पूरे प्रदेश में निगम ने फैसेला लिया है कि लाल डोरा के अन्दर आने वाली एच.टी. या एल.टी. लाइन को शिफ्ट करने के लिए सारा पैसा निगम खर्च करेगा और जो लाइन लाल डोरा से बाहर है उसको शिफ्ट करने के लिए सारा पैसा मालिक या पंचायत खर्च करेगी। यदि माननीय साथी की एच.टी. या एल.टी. लाइन लाल डोरा के अन्दर आती हैं तो आप

The Committee would like to know the latest position in this regard (13-7-2020)

विभिन्न खतरनाक 33केवी एवं 11केवी लाईनों की शिफ्टिंग विभाग द्वारा पहचान ली गई है तथा शिफ्ट करने का कार्य सौंपा जा चुका है और काफी विचाराणीय प्रगति हो चुकी है जिसका विवरण निम्न प्रकार दिया गया है:-

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

मृत्यु होती रहती है क्योंकि 11 हजार योल्टेज पावर की लाईन घरों के ऊपर से जा रही हैं। कहीं-कहीं पर जब घरों की औरतें अपनी छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती हैं तो वह करंट लगने से मर गई, कहीं पर कोई बच्चा छत पर खेलता हुआ करंट लगने से मर गया। कहीं पर कोई मिस्त्री काम करता हुआ करंट लगने से मारा गया।

उनके बारे में लिख कर दे देना निगम उनको बिना खर्च के शिफ्ट कर देगी।

यूएचबीवीएन की प्रगति:

योल्टेज स्तर	लाईनों की संख्या	शिफ्ट किए गए	संभव नहीं	शेष प्रगतिधीन
33 केवी	90	42	31	17
11 केवी	901	521	57	323

डीएचबीवीएन की प्रगति:

योल्टेज स्तर	लाईनों की संख्या	शिफ्ट किए गए	संभव नहीं	शेष प्रगतिधीन
33 केवी	50	29	11	10
11 केवी	2110	817	123	1170

सभी लम्बित कार्यों को 31.12.2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे, जहाँ कहीं शिफ्टिंग संभव नहीं है, वहाँ पर लाईन की ऊंचाई बढ़ाकर, केबल प्रदान करके तथा अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी करके सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

25.02.2020

श्रीमान, (क) तथा (ख) जबकि पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) की यूनिट 1-4 तथा यूनिट-5 क्रमशः वर्ष 2015 एवं 2019 में बंद होने से प्रदूषण की समस्या कम हुई, गांव खुखराना को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसके लिए विकास कार्य चल रहे हैं।

110. श्री बलबीर सिंह, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 271 : क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि गांव खुखराना के साथ लगते पानीपत थर्मल प्लांट तथा सीमेंट कारखाने की राख तथा उत्सर्जित अपव्यय द्वारा गांव का पर्यावरण दूषित हो रहा है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समस्या को देखते हुए उक्त गांव को स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसके कब तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना है ?

4

28.02.2020

111. श्री राम करण, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 70 : क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या शाहबाद निर्वाचनक्षेत्र के गांवों में घरों के ऊपर से गुजर रही बिजली की तारों को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

हां, श्रीमान।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

02.03.2020

112. डा0 कृष्ण लाल मिश्रा, द्वारा पूछा गया
अतारकित प्रश्न संख्या 17 : क्या बिजली
मंत्री कृपया बताएंगे कि जींद विधान सभा
निर्वाचनक्षेत्र के गांव बोहतवाला में 33
कै.वी. सब-स्टेशन स्थापित करने का
कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;
यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित
किए जाने की संभावना है ?

26.08.2020

113. श्री सुभाष गांगोल, द्वारा पूछा गया
अतारकित प्रश्न संख्या 90 क्या बिजली
मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सफीदों
विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव खरक
गागर में 220 कै.वी. उप-केंद्र स्थापित
करने का कोई प्रस्ताव सरकार के
विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब
तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

26.08.2020

114. श्री मेवा सिंह, द्वारा पूछा गया अतारकित
प्रश्न संख्या 116 क्या बिजली मंत्री कृपया

हां, श्रीमान, लाडवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
के गांव पिपली के आवासीय क्षेत्र के ऊपर से

गुजर रही 66 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन को हटाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। यह कार्य मार्च 2022 तक पूरा किया जाना संभावित है।

26.08.2020

हां, श्रीमान, सफीदों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के गांव मुआना में 132 के.वी. उप-केन्द्र स्थापित करने की संभावना तलाश की जा रही है और यदि संभव पाया गया, तो यह वित्त वर्ष 2023-24 में स्थापित किया जाना संभावित है।

26.08.2020

हां, श्रीमान। गांव निवारसी में घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों को हटाने का कार्य 2 महीनों के अन्दर पूरा किया जाएगा।

बताएंगे कि क्या लाडवा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के पिपली गांव के घरों से ऊपर गुजर रही 33 के.वी. बिजली की तारों को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उक्त तारों को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

115. श्री सुभाष गांगोल, द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या 91 क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सफीदों विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव मुआना में 132 के.वी. उप-केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

116. श्री मेवा सिंह, द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या 117 क्या बिजली मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या लाडवा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव निवारसी में घरों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की तारों को हटाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उक्त तारों को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
PUBLIC WORKS (B & R) DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

117. तारांकित प्रश्न संख्या 999 के संदर्भ में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सूरजपुर-रामपुर सियुड़ी से पिजौर-नालागढ़ रोड़ स्थित सुखोमाजरी- बसौला बाई पास है जिसके लिए 2009 में 33 करोड़ रुपये भी स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन इस काम को शुरू करने में देरी क्यों हो रही है?

01-03-2012

***** इस समय मेरे पास सूचना नहीं है। मुझे जहां तक ध्यान है मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बतला देता हूँ कि हमने इसको बी.ओ.टी. आधार पर बनवाने के लिए बात की है और नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि वे इसको टेकअप करने के लिए तैयार हैं। अगर माननीय सदस्य पूरी जानकारी चाहते हैं तो वे मुझसे पूछ लें मैं सूचना इकट्ठी करके उनको कल बतला दूंगा।

पिजौर बाईपास के निर्माण का कार्य 31.03.2017 को अवाई कर दिया गया था। एग्रीमेंट के अनुसार कार्य को 12.12.2019 तक पूर्ण किया जाना था। इस परियोजना के लिए भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई है। परन्तु चण्डीगढ़-बददी रेलवे लाईन की अलाइन्मेंट में तबदीली, रेलवे अण्डरपास की रेलवे द्वारा मंजूरी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा जमीन उपलब्धि में देरी और पंचकूला- परवाणु राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंटरचेंज के लिए जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जा सका। सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्य को पूर्ण करने की अवधि 11.12.2020 तक बढ़ा दी है। इसकी

The Committee would like to know the latest position in this regard. (29-6-2020)

वर्तमान वास्तविक प्रगति 54.37 प्रतिशत है एवं 43.70 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।

10-3-2010

118. तारांकित प्रश्न संख्या 65 के संदर्भ में श्री अनिल विज द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : "स्पीकर सर 1857 की जो लड़ाई लड़ी गई थी वह अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। जब वहां पर उसकी 150वीं जयन्ती मनाई जा रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग सभी मंचों से यह घोषणा की थी कि 1857 की क्रांति के जिन शहीद वीरों के बारे में कुछ नहीं किया जा सका उनकी याद में अम्बाला छावनी में हम एक स्मारक बनवायेंगे*****"

***अध्यक्ष महोदय, लोग समझते हैं कि आजादी की पहली बिगारी मेरठ से फूटी थी लेकिन इन्होंने अपनी बात बोलते हुए यह बात कही कि 1857 में आजादी की लड़ाई की पहली बिगारी अम्बाला से फूटी थी, यह बात सही है और इसका सारी दुनिया को पता है। अध्यक्ष महोदय, 1985 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उसमें भी अगर कोई हरियाणा से सदस्य था तो वे अम्बाला से लाला जी थे। यह सब हमारे को मालूम है और इन्हीं चीजों को देखते हुए ही हमने कहा है कि अम्बाला में हम वार मैमोरियल बनवायेंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

इस समय CWP का निर्णय 17.08.2018 को हो चुका है। सरकार की हिदायतों के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में एस.एल. पी. फाईल की जा चुकी है जिसका नं. 7901/2019 है। जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 06.07.2020 को होनी निश्चित हुई है। ऐजेंसी द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा 50 प्रतिशत (अनुमानित कार्य) हो चुका है।

इस बीच, कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 174.49 करोड़ से रुपये 200.56 करोड़ संशोधित की गई है और अब तक काम पर 96.24 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस कार्य को जल्दी पूरा कर दिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

119. राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान।

16-3-2015

... अध्यक्ष महोदय, सड़कों के तंत्र के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश की सड़कों की दुर्दशा भी हम से छिपी हुई नहीं है। सब लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं तथा घूमते हैं। लेकिन पिछली सरकार द्वारा सड़कों के रखरखाव पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। सड़कों के गड्ढों की समस्याओं के बारे में हमें रोजाना शिकायतें मिल रही हैं। इस वर्ष तो जितना कार्य करना संभव हो सकता था, वह सब हमने किया लेकिन मैंने सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी वित्त वर्ष में सबसे पहले सड़कों की रिपेयर का काम किया जायेगा और जहाँ जहाँ पर नई सड़कें बनाने की बात आएगी, वहाँ पर नई सड़कें बनाई जायेंगी। मैं केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी सरकार आने के बाद उन्होंने हरियाणा प्रदेश के लिए 6 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है जिनमें से एक विशेष योजना है, जिस योजना के बारे में मैंने 2 दिन पहले सदन में बताया था,

हरियाणा सरकार की पहल पर भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 155 कि०मी० लम्बाई में व रु 1240.65 करोड़ की लागत के राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा रायमलिकपुर (राजस्थान बॉर्डर) नारनौल-महेंद्रगढ़-चरखीदादरी-भिवानी राष्ट्रीय राजमार्ग नं० 148 बी से खरक राष्ट्रीय राजमार्ग-709 विस्तार तक को चारमार्गीय करने की परियोजना (प्रोजेक्ट) को वार्षिक योजना 2016-17 में शामिल किया था। इस परियोजना को 5 पैकेजों में विभाजित किया गया था।

2 पैकेज खरक से भिवानी और भिवानी से मंडौला (चरखी-दादरी) पहले ही 517.54 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किए जा चुके हैं।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

वह है कोटपुतली से हांसी तक की सड़क तथा पूर्व की एक योजना जिस पर पिछली सरकार के समय में कार्य शुरू नहीं हुआ था तथा उस योजना के अंतर्गत अब वर्तमान सरकार द्वारा कार्य शुरू होने जा रहा है, वह योजना है अम्बाला से तीतरम-मोड़ तथा आगे राजगढ़ तक। (विष्णु) ये सब बातें हमारे ध्यान में हैं। (विष्णु) गड्डे और तालाब की सारी बातें भी हमारे ध्यान में हैं लेकिन हमारा कहना यह है कि पिछली सरकारों से जो नहीं हो पाया है वे सब बातें हमारे ध्यान में हैं हम उन सब कार्यों को करने की कोशिश करेंगे। (विष्णु) मैंने पहले ही सदन को बताया है कि आगामी वित्त वर्ष के बजट में इन सब बातों पर ध्यान दिया जायेगा।

... अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैं बता रहा था कि तीतरम मोड़ से हांसी मार्ग भी नेशनल हाईवे बने इसके लिए माननीय केन्द्रीय मंत्री महोदय ने मौखिक तौर पर अपनी सहमति दे दी है। यदि यह नेशनल हाईवे बन जाता है तो एक पैरलल रोड अम्बाला से कोटपुतली सीधे ही पंजाब व राजस्थान दोनों राज्यों को जोड़ देगा और पूरे हरियाणा राज्य को भी औद्योगिक दृष्टि से इंड्रस्ट्रियल आदि का लाभ होगा। (थपिंग) कुण्डली-मानेसर-मलवल सड़क की तो एक लंबी कहानी है, जिसको यहां पर सुनाना

भिवानी से मंडौला (चरखी-दादरी) के चार मार्गीय करने का कार्य 2019 में पूरा किया जा चुका है।

खरक से भिवानी (भिवानी वाईमास सहित) का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य को मार्च, 2019 में पूरा किया जाना था परंतु रेलवे से आर.ओ.बी. की जी.ए.डी. की स्वीकृति में देरी के कारण कार्य को समय पर पूरा नहीं किया जा सका। कार्य को दिनांक 31.12.2020 तक पूरा किया जाना संभावित है।

भारत सरकार की दिनांक 01.09.2017 की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच-148 बी) कि.मी. 4.900 से कि.मी. 94.600 तक एनएचआई को सौंपा जा चुका है।

मंडौला (चरखी-दादरी) से रायमलिकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच-148 बी) के 3 पैकेजों का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करवाया जाना था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पैकेज-1

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ठीक नहीं है, क्योंकि सदन का कीमती समय ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिये हैं कि दो महीने के अंदर किसी भी हालत में यह सड़क शुरू होनी चाहिए जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। इस प्रकार से किसी भी तरह से इस कार्य को अप्रैल, 2015 के प्रथम सप्ताह में चालू करवा दिया जाएगा। इस का लाम हमें अवश्य होगा। ***

(पनियाला मोड़ से नारनौल) के छः मार्गीय करने का कार्य भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत 1007.55 करोड़ रुपये की लागत से दिनांक 19.09.2019 को शुरू किया जा चुका है। पैकेज-2 और पैकेज-3 (नारनौल से चरखी दादरी) के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस्माईलाबाद से नारनौल तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है जोकि चरखी दादरी-नारनौल सड़क के पैरलल प्रस्तावित है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नारनौल से चरखी दादरी सड़क का चार मार्गीय कार्य नहीं करवा रही है।

कुण्डली माने सर पलवल एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करवा

कर यातायात के लिए शुरू किया जा चुका है।

तितरम मोड़ जींद-हांसी सड़क को सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने को अनुमोदित किया गया था जोकि क्रियान्वित रिपोर्ट बनाने के लिए सलाहाकार दिनांक 22 फरवरी 2017 को लगा दिया गया था। सलाहाकार ने एलाइन्मेंट रिपोर्ट तैयार की जिसको सड़क मंत्रालय में स्वीकृति के लिए भेज दिया गया था। सड़क मंत्रालय द्वारा इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय सड़क मंत्रालय में लम्बित है। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा पूरे भारतवर्ष में सैद्धांतिक तौर पर राष्ट्रीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग अनुमोदित करने के लिए नीति बनाई जा रही है।

अम्बाला से तितरम मोड़ को चार मार्गीय करने का कार्य पूरा किया जा चुका है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

120. तारांकित प्रश्न संख्या 138 के संदर्भ में श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गुड़गांव से अलवर की सड़क बहुत पुरानी सड़क है। वर्ष 2008 में केन्द्र के पूर्व मंत्री श्री जयपाल रेड्डी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी नूंह में इस सड़क का पत्थर रख कर आये थे। यह सड़क गुड़गांव से अलवर तक चारमार्गी बननी मंजूर हुई थी लेकिन अभी तक वहां पर पत्थर ही लगा हुआ है काम कोई नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह सड़क कब तक चारमार्गी बन जायेगी ?

25-3-2015

अध्यक्ष महोदय, यह जो गुड़गांव-अलवर रोड है वह नेशनल हाईवे में जा चुकी है। हम नेशनल हाईवे एथोरिटी व भारत सरकार से बातचीत करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि यह सड़क फोर लेन बन जाए। जहां तक गुड़गांव-नूंह का संबंध है उस पर ट्रैफिक ज्यादा है और नूंह से आगे अलवर तक ट्रैफिक कम है। इसलिए वहां जाँच करेंगे कि इस पर कितनी गाड़ियां चलती हैं। अगर वह उस उस नॉर्म्स में आया तो इसको फोर लेन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।

गुड़गांव-सोहना-राजस्थान हरियाणा सीमा (राष्ट्रीय राजमार्ग 248ए) की डीपीआर का कार्य मैसर्स एईकोम को आवार्ड किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति पर था।

केन्द्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अईसरकारी पत्र दिनांक 05.12.2018 द्वारा सूचित किया गया कि सोहना नूंह अलवर के चारमार्गीय करने का कार्य की परियोजना को निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि इस सड़क के पैराल दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। हरियाणा में इस एक्सप्रेस की लम्बाई 78.800 कि.मी. है तथा हरियाणा में इस एक्सप्रेस वे को तीन पैकेजों में विभाजित किया है तथा तीनों पैकेजों का कार्य प्रगति पर है।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-06-2020)

यह सूचित किया जाता है कि जब तक सोहना नह अलवर सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है तब तक इसकी फोर लेनिंग की जिम्मेवारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार की है।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 248ए पर कि०मी० 2.74 से कि०मी० 11.682 पर एलिबेटड कोरीडोर बनाने का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अवार्ड किया जा चुका है और निर्माण का कार्य 01.02.2019 को शुरू किया जा चुका है एवं कार्य को पूर्ण करने की तिथि 31.07.2021 निर्धारित है।

07-09-2015

(क) हों श्रीमान् जी।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को आठ मार्गीय करने की परियोजना, दिल्ली राज्य में मकरवा चौक कि०मी० 15.500 से हरियाणा राज्य में कि०मी० 86.00 पानीपत तक, बी०ओ०टी० (टोल) मोड में कि०मी०

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

राष्ट्रीय राजमार्ग न०1 का 8 मार्गीय कार्य जो मकरवा चौक से पानीपत तक है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कन्सेशनर मैसर्स ESSEL Infra से करवाया जा रहा है। यह कार्य बी०ओ०टी० टोल पर

121. श्री जय तीर्थ, द्वारा पूछा गया अवतारकिंत प्रश्न संख्या 758- क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि :-
(क) क्या यह तथ्य है कि राई निर्वाचनक्षेत्र में जी.टी.रोड तथा नागल कलां, अटेरना, मनौली, भैरावाकिपुर, खुर्मुपुर, खटकड,

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पतला, पबसरा, दहिस्सा तथा कुण्डली गांवों के निवासियों के लिए जी.टी.रोड 'पार करने के लिए कोई अन्डर पास अथवा पुल नहीं है; तथा (ख) यदि हां, तो क्या पूर्वोक्त गांवों के निवासियों को सड़क पार करने के योग्य बनाने के लिए अन्डर पास अथवा पुल के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा पूर्वोक्त अन्डर पास तथा पुल का कार्य कब तक आरम्भ/पूरा किये जाने की संभावना है?

31.330 पर एक फलाईओवर/ भूमिगत पथ, कि०मी० 30.750 व कि०मी० 31.900 पर दो एफ०ओ०बी० तथा कि०मी० 33.589 पर एक व्हीकलर भूमिगत पथ बनाने की योजना है। ये फलाईओवर/ भूमिगत पथ, एफ०ओ०बी० व व्हीकलर भूमिगत पथ राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-44) के कि०मी० 30.00 से 34.00 के बीच में पड़ने वाले गांवों नागल कलां, अटेरना, मनौली, भैराबाकिपुर, खुर्मपुर, खटकड़, पतला, पबसरा, दहिस्सा तथा कुण्डली के निवासियों को राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को पार करने के लिए सहायक होंगे। यह आठ मार्गों परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई है तथा इसके पूर्ण होने का समय कार्य शुरू होने की तिथि से 30 महीने है। कार्य शुरू होने की तिथि अभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानी है। कार्य शुरू होने की व पूर्ण होने की तिथि अभी सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

आधारित है। इस कार्य की कुल लागत 2200 करोड़ रुपये है तथा इसे पूरा करने की समय सीमा अक्टूबर 2019 तक थी। परन्तु कन्सैशनेयर के काम न करने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने Harmonious Substitution द्वारा कन्सैशनेयर को बदल दिया गया है। मैसर्स Wellspan को नया कन्सैशनेयर नियुक्त किया गया है तथा नये कन्सैशनेयर द्वारा काम शुरू किया जा रहा है।

इस परियोजना में कि०मी० 31.330 पर एक फलाईओवर/भूमिगत पथ, कि०मी० 30.750 व कि०मी० 31.900 पर दो एफ०ओ०बी० तथा कि०मी० 33.589 पर एक व्हीकलर भूमिगत पथ बनाने की योजना है। ये फलाईओवर/भूमिगत पथ एफ०ओ०बी० व व्हीकलर भूमिगत पथ राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-44) के कि०मी० 30.00 से

34.00 के बीच में पड़ने वाले गांवों नांगल कलां, अटेरना, मनौली, भैराबाकिपुर, खुर्मापुर, खटकड़, पतला, पबसरा, दहिसरा तथा कुण्डली के निवासियों को राष्ट्रीय राजमार्ग-1 को पार करने के लिए सहायक होंगे। यह कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रगति पर है और लगभग 42 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है।

122. श्री अनूप धानक द्वारा ताराकित प्रश्न संख्या 1013 के संदर्भ में पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से आप्रह है कि हमारे ये आर.यू.बी.जी. बनाये जायें क्योंकि यह बहुत ही मेजर समस्या है। इसलिए इस समस्या का निदान करने के लिए ये आर.यू.बी.जी. बनाये जायें।

17.3.2016

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दो आर.यू.बी.जी. की मांग की है उस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग के दौरान चर्चा की गई थी। माननीय सदस्य के दौरान चर्चा की गई थी। माननीय सदस्य को मैं यह बताना चाहूंगा कि उनके द्वारा डिमाण्ड किए गए दो आर.यू.बी.जी. में से एकलाना आर.यू.बी.जी. की डिमाण्ड वायबल बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि मैं कई बार उस सड़क से गुजरा हूँ वहाँ पर परेशानी आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूँ कि अगले वित्त वर्ष में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनके क्षेत्र में यह आर.यू.बी. बनाया जाये।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

सुरेवाला चॉक से एकलाना मूना रोड पर जाखल हिसार रेलवे लाईन के कि०मी० 34/0 के समपार नं B-25/2 पर तीन लेन आरओबी के निर्माण का प्रस्ताव आवश्यक दायित्व संग सरकार द्वारा रेलवे को भेजा जा चुका है। हरियाणा सरकार की स्वीकृति पत्र क्रमंक 13/12/2018-2B&R(W) तिथि 09.02.2018 द्वारा 50 करोड़ की राशि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यह कार्य रेलवे के साथ सांझा लागत के आधार पर किया जायेगा क्योंकि इस समपार पर टी0वी0यू0 एक लाख से अधिक है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

17.3.2016

123. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री राम चन्द कम्बोज द्वारा पूछा गया प्रश्न-अध्यक्ष जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र रानिया की सबसे बड़ी समस्या रानिया-कुत्तावड़ के पुल से संबंधित है। मेरा यह प्रश्न भी लगा हुआ था मगर उस पर डिस्कशन नहीं हो पाई। इस संबंध में मैंने लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह से भी बात की है। लगभग 15-16 गांव घग्गर नदी के दूसरी तरफ पड़ते हैं। उन गांवों के दूसरी तरफ पड़ते हैं। उन गांवों के लोगों को अपनी सब्जी वगैरह बेचने के लिए ऊपर से घूमकर सिरसा जाना पड़ता है जो कम से कम 20-25 किलोमीटर लम्बा रास्ता पड़ता है। मेरी यही अपील थी कि इन 15-20 गांवों के लोगों को अपने रोजाना के कार्य करने और बच्चों को स्कूल-कालेज जाने के लिए कई

अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन करना चाहता हूँ कि हम इस पुल को अगले साल बना देंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

विषयांकित कार्य पर्याप्त भूमि के अभाववश शुरू नहीं किया जा सका है। क्योंकि सभी भूस्वामी क्लेक्टर रेट पर भूमि देने को तैयार नहीं हुए। उपायुक्त सिरसा द्वारा भूस्वामियों के साथ विचारविमर्श के उपरांत व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति के समक्ष ई-भूमि पोर्टल पर भूस्वामियों द्वारा स्वीच्छक रूप से प्रस्तावित भूमि की खरीद हेतु रखा जायेगा।

किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 16 करोड़ 33 लाख रुपये देने की भी घोषणा की हुई है। और इसका प्रपोजल भी तैयार कर रखा है।

124.

श्री मूल चन्द शर्मा द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 1032 : क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि बल्लभगढ़ से सोहना तक चारमार्गी सड़क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उक्त सड़क पर चारमार्गी पुल के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

30.3.2016

***अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह रोड रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पास है, जो तकरीबन वर्ष 2026 तक बी.ओ.टी. के आधार पर दिया गया है लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि यदि सर्वे में यह जायज पाया गया और वास्तव में भीड़ पाई गई तो हम इस पुल को जरूर बनवा देंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

आर.ओ.बी. को चारमार्गीय करने के लिए अतिरिक्त भूमि खरीदने के लिए ई-भूमि पोर्टल पर केस को अपलोड कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट में स्टार वायर नामक कंपनी की काफी जमीन आ रही है। परन्तु स्टार वायर डी.सी. सेट या उसके दो गुना सेट पर भी जमीन देने को तैयार नहीं है। बिना भूमि अधिग्रहण किए इस जगह पर अतिरिक्त 2 लेन का आर.ओ.बी. नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यह चारमार्गीय आर.ओ.बी. में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

बल्लभगढ़ सोहना सड़क को चारमार्गीय बनाने के लिए कम से कम एक दिन में 18000 पी.सी.यू. होना चाहिए। क्योंकि यह सड़क अभी 30 मई 2026 तक रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के पास बी.ओ.टी. टोल के

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

आधार पर है। इस कम्पनी की तरफ से अभी इस सड़क को चारमार्गीय करने का प्रस्ताव नहीं आया क्योंकि इस सड़क पर प्रतिदिन का ट्रैफिक 18000 पी.सी.यू. से कम है इसलिए इसे चारमार्गीय करने की आवश्यकता नहीं है। इस सड़क का जो भाग म्यूनिसिपल लिमिटेड के अंदर है उसको भी चारमार्गीय करना संभव नहीं है क्योंकि दोनों तरफ की भूमि निर्मित है। हालांकि म्यूनिसिपल लिमिटेड में काफी लम्बाई में यह सड़क पहले ही 18 मीटर चौड़ी है जोकि अभी पर्याप्त है।

2.03.2017

125. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के चर्चा के दौरान श्री टेक चन्द शर्मा द्वारा उठाया गया मामला: *** अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आज मेरा आगरा नहर पर गांव चांदवाली में बल्लभगढ़ मोहना मार्ग पर पुराने पुल

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री टेक चंद शर्मा जी को आश्वासन करना चाहूंगा कि जिस पुल का इन्होंने अभी जिक्र किया है उस पुल को बनवा दिया जायेगा। स्पीकर सर, मैं इनको यह ऑफ़र भी देता हूँ कि अगर इसके अलावा भी ये कोई

आगरा नहर पर गांव चंदवाली में बल्लभगढ़ मोहना मार्ग पर पुराने पुल के स्थान पर नया चार मार्गी पुल के निर्माण की स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

के स्थान पर नया पुल बनाने का प्रश्न राव नरबीर जी के विभाग का लगा हुआ था लेकिन उसका रिव्लोई नहीं हो पाया। राव साहब शोर्ट में जवाब देते हैं और उन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं में दे दिया। अध्यक्ष महोदय, यदि उस पर सवाल-जवाब हो जाता तो मुझे विश्वास है कि मंत्री जी उसका जवाब हां में कर देते।

और पुल बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे बता दें मैं इनके सभी पुल बनवा दूंगा।

9/574/2047-बी/आर दिनांक 21.11.2017 के द्वारा 128720 लाख रुपये की नार्बार्डआरआईडी ँक- XXIII स्कीम के अंतर्गत दे दी गयी है। क्योंकि यह कार्य आगरा नहर पर है जो कि उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के अधीन है। इसलिए यह कार्य उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग द्वारा डिपेंडेंट वर्क के रूप में करवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग को अब तक 750.72 लाख रुपया जमा करा दिए गए हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए अधीक्षक अभियंता, तृतीय मंडल सिंचाई कार्य, आगरा के पत्र उपक्रमांक 11119/तृतीय/अनुबंध दिनांक 21.11.2018 के द्वारा निविदा आवंटित कर दी गयी थी तथा कार्यकारी अभियंता हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 1194 दिनांक 10.06.2020 अनुसार पुल का लगभग 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष कार्य 30.09.2020 तक पूर्ण होने की संभावना है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

126. श्री जगवीर सिंह मलिक द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1685 : क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

- (क) क्या यह तथ्य है कि, गोहाणा की पश्चिम दिशा पर बाई पास के निर्माण करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री द्वारा की गई थी; तथा
- (ख) यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

6.03.2017

- (क) हां, श्रीमान् जी,
(ख) वर्तमान में समय सीमा नहीं दी जा सकती।

गोहाणा के पश्चिमी बाई-पास गोहाणा-रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-709-A) माहारा गाँव से शुरू होकर जीन्द की तरफ गोहाणा-जीन्द राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-352-A) तक बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति पत्र क्रमांक 13/11/2019-2B&R (W) दिनांक 25.02.2019 द्वारा प्राप्त हुई। इस बाई पास के सर्वे और भूमि अधिग्रहण की कन्सल्टेंसी का कार्य 19.06.2019 को अर्वाइड किया गया था। इस बाई पास की कुल लम्बाई 7.791 कि.मी. प्रस्तावित है और इस बाई पास के लिए 115.45 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। NHAI का जीन्द-से गोहाणा ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे का कार्य प्रगति पर है और यह एक्सप्रेस वे पानीपत की तरफ से इस्टर्न बाईपास के शुरू वाले प्वाइंट पर गांव सैनिपुरा में मिलेगा। इसलिए क्सेटर्न बाईपास को भी एन.एच.-352 ए की बजाय

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे में मिलाने के प्रस्ताव को भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि गोहाना का कम्पलीट बाईपास बन सके। इस अध्ययन को पूरा करने के उपरांत बाई पास की अलाईन्मेंट को सरकार से स्वीकृत करवाने के बाद भूमि खरीद का कार्य ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ किया जाएगा।

9.03.2017

127. श्री उदय भान द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न 1767 : क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या होडल विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के हसनपुर गांव में यमुना नदी पर पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है, यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

हां, श्रीमान जी। यह मामला सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ उठाया गया है। XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हमने इस पुल के निर्माण के लिए दिनांक 8.12.2016 को माननीय केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को डी.ओ. लैटर लिखा है। हमें उम्मीद है कि इसका काम जल्दी ही शुरू हो जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश के साथ दिनांक 14.12.2019 को बैठक की तथा इस बैठक में हसनपुर-जनपद पलवल हरियाणा तथा मालव, जनपद अलीगढ़ उ०प्र० के मध्य यमुना नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुस्थायक कार्य प्रस्तावित किया गया था। बैठक में बताया गया कि उक्त सेतु के निर्माण से हरियाणा राज्य के पलवल जिले के होडल, हसनपुर, रामगढ़, शौलाका, पिंगौर, मखरीला, खामरी, गुलावद, जटौली आदि लगभग 50 गांव एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 से उ०प्र० राज्य के लगभग 45 गांव

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

लाभान्वित होंगे तथा ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी आसान हो जायेगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया कि उक्त परियोजना को 50-50 प्रतिशत सहभागिता के आधार पर पूरा कराये जाने की सहमति प्रदान करने का कष्ट करें। सेतु पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य, भूमि अध्याप्ति कार्य आदि का आगणन लागत रु० 110.84 करोड़ बताया गया। इस सम्बन्ध में मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० द्वारा एवं मा० मुख्यमंत्री जी हरियाणा द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित परियोजना में पुल एवं अपनी तरफ के पहुँच मार्ग की लागत (भूमि अध्याप्ति सहित) उ०प्र० सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं हरियाणा प्रदेश की ओर के पहुँच मार्ग की लागत (भूमि अध्याप्ति सहित) हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उ0प्र0 सरकार द्वारा यमुना पुल का एलाइनमेंट निर्धारित करने के पश्चात हरियाणा प्रदेश की ओर के पहुँच मार्ग के कार्य की परियोजना बनाई जायेगी।

9.03.2017

128. श्री रणबीर गाँवा द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न 1946 : क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या कैम्प चौक से सहकारिता क्षेत्र केमरी रोड को वन-वे बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हाँ, तो उक्त रोड का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

हाँ, श्रीमान जी। यद्यपि, वर्तमान में सड़क को आरम्भ करने का समय नहीं दिया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो जवाब सदन के पटल पर रखा है, उस पर कोई समय-सीमा नहीं दी गई है, लेकिन मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि हम तकरीबन 6 महीने के अंदर-अंदर इसको शुरू कर देंगे। जो इन्होंने सवाल किया था, उसमें यह पूछा था कि क्या ये रोड वन-वे किया जाएगा, बल्कि मेरे ख्याल से इनका सवाल यह होना चाहिए था कि क्या ये रोड फोर लेन किया जाएगा। आधा रोड तो फोरलेन है, क्योंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है इसलिए हम और 6 महीने में इस काम को शुरू कर देंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

कैम्प चौक से साउथर्न बाई पास तक 2.335 कि.मी. की सड़क पहले ही चारमार्गीय है। इस भाग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार से 223.64 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 9/432/2019-3 बीएण्डआर (वर्क्स) दिनांक 31.05.2019 से प्राप्त कर ली गई थी और यह कार्य प्रगति पर है।

साउथर्न बाईपास से नगर निगम की सीमा तक सड़क की लम्बाई 2.05 कि.मी. है। इस भाग को चारमार्गीय करने की के कार्य की लागत अनुमानित लागत 1552 लाख रुपये है और इस अनुमान की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सरकार को दिनांक 22.06.2020 को भेजा जा चुका है। प्रशासकीय स्वीकृति आने पर इस भाग के कार्य को शुरू किया जाएगा।

क्र. संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

9.03.2017

129. श्री केहर सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1889 : क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) मंत्री कृपया बताएंगे कि हथौन विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में हथौन कस्बे के बाई-पास का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है जैसा कि वर्ष 2015 में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित बाई पास की घोषणा की गई थी ?

श्रीमान जी, भूमि-अधिग्रहण के अनुभाग 11 की अधिसूचना दिनांक 14.6.2016 को प्रकाशित की जा चुकी है और अनुभाग 19 की अधिसूचना तैयार की जा रही है। यद्यपि, वर्तमान में कार्य के आरम्भ करने का समय नहीं दिया जा सकता।

हथौन बाई-पास के निर्माण के लिए सरकार के पत्र क्रमांक 9/151/2015-3 बी0एण्ड0आर0 (डब्ल्यू) दिनांक 19.11.2015 द्वारा 5909.68 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है (जिसमें भूमि अधिग्रहण के 4464.68 लाख रुपये एवं निर्माण के 1143.96 लाख रुपये स्वीकृत हैं)। इस बाई-पास के निर्माण के लिए सरकार के पत्र क्रमांक नं० 14/50/2017-2 बी0 एण्ड आर0 दिनांक 28/24.11.2017 के द्वारा समिति बना दी गयी थी। इस बाई पास की लम्बाई 5.67 कि.मी. है व इस बाई पास के लिए 41.999 एकड़ जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता है। भूमि अधिग्रहण के लिए 80% रिकार्ड ई-भूमि पोर्टल पर अपडेट कर दिया गया है और 90% लोगो ने सहमति दे

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-9-2020)

दी है व ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य प्रगति पर है। उपायुक्त, पलवल द्वारा कोई मुकदमा न होने का एक प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। और वन विभाग के पत्र क्रमांक 428 दिनांक 25.06.2019 द्वारा एक एन.ओ.सी जारी कर दी गई है। ई-भूमि पोर्टल पर अपलोड का कार्य पूरा होने उपरान्त रेट अप्रूव करने के लिए policy for purchase of land voluntary offered to Government for development projects के तहत Committee of Secretaries की approval के लिए भेज दिया जाएगा।

10.03.2017

130. श्री टेक चन्द शर्मा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1776 : क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि:

(क) हरियाणा में पड़ने वाले दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के छः मार्ग करने का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस काम को पूरा करने की नवीनतम संभावित तिथि 30.09.2017 है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रियायती अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एक नया टोल प्लाजा कि०मी० 46.00 (पलवल जिले के गादपुरी गांव में) बनाया जाना है और पहले से चल रहे कि०मी० 74.00 के (पलवल जिले के गांव श्रीनगर

दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के छः मार्ग करने का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत आता है।

(क) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस काम को पूरा करने की नवीनतम संभावित तिथि 31.01.2021 है (पलवल एलिक्ट्रेड हाईवे को

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कोई नया टोल प्लाजा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है तथा ठेके का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर कैली, सीकरी, पृथला तथा भगौला गांवों में ऊपरी पुल के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है?

गांव में) टोल प्लाजा को कि०मी० 94.00 (उत्तरप्रदेश के गांव कोटवान) पर बदला जायेगा। कि०मी० 46.00 और कि०मी० 94.00 के टोल प्लाजा राजमार्ग की परियोजना के पूर्ण होने पर शुरू किये जायेंगे।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रियायती अनुबंध के प्रावधान के अनुसार गांव सीकरी और भगौला में उपरगामी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गांव कैली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अनुबंध के दायरे के बदलाव के अर्न्तगत व्हीकुलर अण्डरपास बनाया जाना है। गांव पृथला में क्रोस लिंक सड़क को ऊपर उठाकर दोमार्गी ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव है जोकि व्हीकुलर अण्डरपास में बदला जा रहा है।***** आप ठीक कह रहे हैं कि सीकरी और भगौला गांव काफी बड़े गांव हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं और माननीय

छोड़कर जोकि 30.06.2021 को संभावित है)। कार्य की प्रगति में धीमी गति के कारण कन्सेशनियर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा Harmonious Substitution करवाया जा रहा है।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के प्राधिकरण के रियायती अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार एक नया टोल प्लाजा कि०मी० 46.00 (पलवल जिले के मदपुरी गांव में) बनाया जाना है और पहले से चल रहे कि०मी० 74.00 के (पलवल जिले के श्री नगर गांव में) टोल प्लाजा को कि०मी० 94.00 (उत्तर प्रदेश के गांव कोटवन) पर बदला जायेगा। कि०मी० 46.00 और कि०मी० 94.00 के टोल प्लाजा राजमार्ग

सदस्य दोनों केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से मिलकर उनसे अनुरोध करके अंडर पास पुल बनवाने की कोशिश करेंगे।***अध्यक्ष महोदय, मैं यह काम केन्द्रीय मंत्री जी से मिलकर पूरा करवा सकता हूँ। क्योंकि यह केन्द्र सरकार का मामला है। यह काम हरियाणा सरकार के अधीन नहीं है।

की परियोजना के पूर्ण होने पर शुरू किये जायेंगे।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के रियायती अनुबंध के प्रावधान के अनुसार गांव भगोला में उपरगामी पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कैल गांव में उपरगामी पुल बनाया जा चुका है।

गांव सीकरी और पृथला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा व्हीकलर अंडरपास बनाने का कार्य प्रगति पर है।

23.10.2017

131. ताराकित प्रश्न संख्या 2086 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री परमिन्द्र सिंह डुल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : XX इसी के साथ-साथ मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि गतौली से करसौला 4.5 कि.मी. का रास्ता है। जुलाना मंडी करसौला के साथ लगती है। आज के दिन गतौली से जुलाना मंडी हाई वे

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांथी को बताना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग 6 कर्म से कम की सड़कें नहीं बनाता। माननीय सांथी जिन रास्तों का जिक्र कर रहे हैं ये रास्ते 5 कर्म के हैं। माननीय सांथी ने जो सवाल पूछा था उनमें से दो रास्ते 6 कर्म के हैं उनको जल्दी ही बना दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, 6 कर्म या उससे उपर के रास्तों पर

1. गतौली से करसौला रोड़:-

इस सड़क के लिए उपलब्ध रास्ते की चौड़ाई 6 कर्म से कम है। अतः विभाग की नीति के अनुसार लो.नि. वि. भवन व मार्ग शाखा इस सड़क को निर्मित नहीं किया गया। कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जीन्द ने सूचित किया है कि

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

होकर जाना पड़ता है जिसके कारण गतौली के लोगों को 18 कि.मी. का रास्ता तय करके जाना पड़ता है। यदि इस सड़क को बना दिया जायेगा तो यह दूरी 5 कि.मी. से भी कम रह जायेगी। इसी तरह से यदि खेड़ा बख्ता से जुलाना वाया गांव राजगढ़ के कच्चे रास्ते पर भी सड़क बना दी जायेगी तो खेड़ा बख्ता से जुलाना की 18 कि.मी. की दूरी कम होकर केवल 7 कि.मी. की दूरी रह जायेगी और वहां के लोग सीधे जुलाना मंडी जा सकेंगे। XX अड यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि 6 कर्म के कच्चे रास्तों को बना दिया जायेगा। हमारे वहां गांव बीबीपुर से पोखरी खेड़ी का रास्ता 6 कर्म का है। क्या मंत्री जी उस रास्ते पर सड़क बनवायेंगे ?

लोक निर्माण विभाग सड़क बनाता है। यदि किसी कच्चे रास्ते पर सड़क बनानी है और वहां पर दूसरी सड़क 5 कि.मी. की बनी हुई है। ऐसी स्थिति में दूसरे रास्ते पर सड़क बनाने से 1.50 कि.मी. की दूरी रहेगी तो वहां पर हम जरूर सड़क बनवायेंगे। यदि वह दूरी 5 कि.मी. से कम होकर 4 कि.मी. ही रहेगी तो वहां सड़क बनाना जरूरी नहीं होता। यदि कहीं दूरी कम होकर एक तिहाई रहती है तो हम वहां 6 कर्म के रास्ते पर सड़क बना देते हैं। जिस रास्ते के बनाने की बात माननीय साथी कर रहे हैं यदि वहां पर दूरी एक तिहाई रहेगी तो उस सड़क को भी बना दिया जायेगा।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अंतर्गत यह सड़क बनाना संभव नहीं है।

2. खेड़ा बगता राजगढ़ रोड:- इस सड़क के लिए उपलब्ध रास्ते की चौड़ाई 6 कर्म से कम है। अतः विभाग की नीति के अनुसार लो.नि. वि. भवन व मार्ग शाखा इस सड़क को निर्मित नहीं किया गया। कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जीन्द ने सूचित किया है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की नीति के अंतर्गत यह सड़क बनाना संभव नहीं है।

3. बीबीपुर से पोंकरीखेड़ी रोड:- इस सड़क के लिए उपलब्ध रास्ते की चौड़ाई 6 कर्म से कम है। अतः विभाग की नीति के अनुसार लो.नि. वि. भवन व मार्ग शाखा इस सड़क

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(29-6-2020)

को निर्मित नहीं किया गया। कार्यकारी अभियन्ता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जीन्द ने सूचित किया है कि इस सड़क का कार्य 31.05.2020 को पूर्ण हो चुका है।

गांव मंझावली में यमुना पुल के निर्माण के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 148.84 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। इस कार्य को दिनांक 10.03.2018 को शुरू किया गया था तथा कार्य प्रगति पर है। इसकी वर्तमान वास्तविक प्रगति 38.45 प्रतिशत है एवं 32.16 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। कार्य को पूर्ण करने की तिथि 09.09.2019 निर्धारित की गई थी परन्तु कुछ कारणों के वश इस तिथि तक काम पूरा नहीं करवाया जा सका। इन कारणों में यमुना नदी में अधिक बहाव के कारण, बिजली की लाईन शिफ्ट करवाने में देरी के कारण तथा ड्रॉइंग में बदलाव के कारण आदि सम्मिलित हैं।

25.10.2017

हॉ. श्रीमान जी। गांव मंझावली में यमुना पुल का निर्माण कार्य, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 148.84 करोड़ रुपये के अनुमान के, केन्द्रीय सड़क कोष के अन्तर्गत अन्तराज्य संयोजकता के तहत, अनुमोदन के बाद आरम्भ किया जायेगा। अनुमोदन की शीघ्र उम्मीद है। नवम्बर महीने में इसका टैंडर लगाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में मैं "हां" कहना चाहूंगा और साथ ही यह भी बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 13 अक्टूबर, 2017 को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और नवम्बर महीने में इस काम का टैंडर लगा दिया जाएगा।

132. श्री ललित नागर द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 2244: क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि तिगांव क्षेत्र में 15 अगस्त, 2014 को गांव मंझावली में यमुना पुल का निर्माण करने के लिए शिलान्यास किया गया था; यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

133. तारकित प्रश्न संख्या 2531 के संदर्भ में श्री विक्रम सिंह यादव द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) मंत्री कृपया बताएंगे कि कोसली-हथुरी बाई-पास का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है, जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी ?

8.03.2018

***अध्यक्ष महोदय, यह कोसली बाई पास का प्रश्न है। हमने इसकी तकरीबन 63 करोड़ रुपये की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे रखी है। यह कोसली का बाई पास दो जिलों में पड़ता है। इसके लिए तकरीबन 24 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली गई है। 7 एकड़ जमीन रिवाड़ी जिले में और 17 एकड़ जमीन झज्जर जिले में एक्वायर की गई है। इसके लिए रिवाड़ी जिले के डिप्टी कमिशनर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है और इसी तरह से एक कमेटी झज्जर जिले में बना रखी है। उसमें रिवाड़ी जिले के डी.सी. ने तो लिख कर भेज दिया है कि यहां के लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। अब एक बार जल्दी ही झज्जर जिले की रिपोर्ट भी आ जाए तो हम निकट भविष्य में इस बाई पास को जल्दी ही बना देंगे।

इस बाई पास के निर्माण के लिए सरकार ने पत्र क्रमांक 9/154/2015-3(W) दिनांक 26.11.2015 के द्वारा 6274.16 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। सरकार ने झज्जर जिले में धनिया गांव की भूमि की खरीद के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव नं० 14/29/2016-2 B&R (W) दिनांक 24/16.10.2017 के द्वारा कमेटी का गठन किया। इसके लिए डी.सी. झज्जर ने नेगोसियेशन किया जो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा ने 13.07.2018 को स्वीकृत किया। उपर्युक्त झज्जर की रिपोर्ट उनके नं० 1118 दिनांक 12.10.2018 को प्राप्त हुई। इस बीच सरकार द्वारा बाई पास का अलाईनमेंट को बदलकर स्वीकृत किया गया।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

नई अलाईमेंट के अनुसार: पस्तावित बाई पास के लिए गांव धनिया (जिला झज्जर) की 16.73 एकड़ भूमि व गांव शहादत (जिला रेवाड़ी) की 6.76 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस बाई पास की कुल लम्बाई 3.74 कि.मी. है, जिसमें से 1.08 कि.मी. रेवाड़ी जिले में पड़ती है व 2.66 कि.मी. लम्बाई झज्जर जिले में पड़ती है। सरकार से मुख्यालय के नं० 881-RII-2015/206809/RII दिनांक 08.11.2018 द्वारा भूमि खरीद के लिए मूल्य निर्धारित करने के लिए लिखा गया।

भूमि का विवरण सरकार के पत्र क्रमांक 14/29/2016-2 B&R (W) दिनांक 22.01.2019 के निर्देशानुसार ई-भूमि के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। इस बाई पास के लिए 23.49 एकड़ जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता है। जिसमें से 17.62 एकड़ पर सहमति प्राप्त हो चुकी है व बाकि 5.87 एकड़ भूमि पर सहमति अपेक्षित है। जिला प्रशासन द्वारा शेष भू-

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

स्वामियों की सहमति प्राप्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सहमति प्राप्त होने के पश्चात आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा इसके साथ यह भी सूचित किया जाता है कि उपयुक्त रेवाड़ी द्वारा पत्र क्रमांक नं० 350 DRO/LAC दिनांक 15.07.2019 को Non encumbrance प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है एवं Non encumbrance प्रमाण पत्र उपयुक्त, झज्जर से अपेक्षित है। वन विभाग द्वारा 0-312 Ha. वन भूमि के उपयोग के लिए सैधातिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

15.03.2018

134. तारांकित प्रश्न संख्या 2504 के संदर्भ में श्री कमल गुप्ता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी

अध्यक्ष महोदय, इस पर दो लेवल रेलवे क्रॉसिंग हैं एक एल.सी. 89 और दूसरी एल. सी. 60 है। एक नॉर्दन वेस्टर्न रेलवे का हैड ऑफिस बीकानेर में पड़ता है और एक नॉर्दन

इस एरिया में आर.यू.बी. बनेगा ताकि सूर्य नगर निवासियों को आने जाने में कोई परेशानी न हो इसमें दो रेलवे क्रॉसिंग शामिल है एक एल.सी.

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

पूछना चाहता हूँ कि जिस एरिया में यह आर.ओ.बी. बनेगा वहाँ आर.यू.बी. भी बनेगा, क्योंकि उस एरिया में लगभग 40 हजार लोग रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें कितने रेलवे क्रॉसिंग इन्वोल्व्ड हैं और जो ये जी.ए.डी. है वह किस रेलवे जोन में पैंडिंग है। क्या मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे ? इसके साथ ही क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि ये आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. कितने समय में बन जाएंगे ? *** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह मंजूरी कब तक मिल जाएगी।

रेलवे का हैड ऑफिस अम्बाला में पड़ता है। इसमें बीकानेर वाले हैड ऑफिस की जी.ए.डी. की मंजूरी मिल गई है लेकिन अम्बाला वाले हैड ऑफिस की जी.ए.डी. की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है। वहाँ से मंजूरी मिलते ही हम इस पर जल्दी ही काम शुरू करवा देंगे। *** अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी ही यह जी.ए.डी. की मंजूरी भी मिल जाएगी और जल्दी ही इस पर काम शुरू करवा दिया जाएगा और तकरीबन डेढ़-दो साल में इसको बना दिया जाएगा।

नं० 89 है और एल.सी. नं० 60 है। एल.सी. नं० 89 उत्तरी पश्चिमी रेलवे और एल.सी. नं० 60 उत्तर रेलवे से सम्बंधित है। यह जी.ए.डी. दोनों रेलवे जोन से पास हो चुकी है, सरकार ने रु० 59.66 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 13/58/2016-2B& R (W) से दे दी है और यह कार्य का टैंडर PCC-MSC-VLI (JV) एजेंसी को Rs. 45-56 Crore. में अलॉट किया गया है। इस कार्य में एक आर.ओ.बी. और दो आर.यू.बी. और सर्विस रोड भी शामिल है और यह कार्य प्रगति पर है और इसका कार्य 30 प्रतिशत पूरा हो चुका है। यह कार्य जनवरी 2021 में पूरा कर लिया जाएगा और उपरगामी पुल के रेलवे के भाग का कार्य का टैंडर एचएसआरडीसी द्वारा आवंटित कर दिया गया और यह कार्य सितम्बर 2021 तक पूरा हो जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

15.03.2018

135. ताराकित प्रश्न संख्या 2504 के संदर्भ में श्री विक्रम सिंह यादव द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के कोसली में एक आर.यू.बी बनाने की बहुत जरूरत है, अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस आर.यू.बी. को कब तक बना दिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय, मैंने विक्रम जी के क्षेत्र में न जाने कितनी ही सड़कों को बनवाया है और जो इन्होंने अभी कोसली में आर.यू.बी. बनाने की डिमांड रखी है इसको भी जल्द ही बनवा दिया जायेगा।

रेलवे और राज्य पी.डब्ल्यू.डी द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया है। इसके अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि राज्य पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा एकल इकाई आधार पर कार्य निष्पादित किया जाएगा। परामर्श सेवाओं का कार्य दिनांक 08.11.2019 को आबंटित किया जा चुका है और जी.ए.डी एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

15.03.2018

136. ताराकित प्रश्न संख्या 2587 के संदर्भ में श्री राजदीप सिंह फौगाट द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र दादरी में रेलवे फाटक न. 34 के लिए एक आर.यू.बी. बनाने की बहुत जरूरत है अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस आर.यू.बी. का जल्द से जल्द निर्माण किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, राजदीप जी जिस आर.यू.बी. की डिमांड कर रहे हैं मैं इनको आश्वस्त करता हूँ कि निश्चित रूप से जल्दी ही दादरी में आर.यू.बी. बनवा दिया जायेगा।

रेलवे ने अपने हिस्से में आर०यू०बी० के बक्से शुरू करने के अपने काम को पूर्ण कर दिया है। आर०यू०बी० के निर्माण के दृष्टिगत पीडब्ल्यूडी ने संबंधित सेवा प्रदाताओं को बिजली,सीवर और पानी की आपूर्ति लाइनों के स्थानांतरण के लिए भुगतान किया है। सरकार द्वारा जीएडी को अंतिम रूप दिया जा चुका है और

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

कार्य एजेंसी को आवंटित किया गया है। उपयोगिता सेवाओं को शिफ्ट करने के बाद यह काम शुरू किया जायेगा।

15.03.2018

श्रीमान जी, इस समय इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इसके निर्माण में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण शामिल है।

137. ताराकित प्रश्न संख्या 2553 के संदर्भ में श्री नरेश कौशिक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने झज्जर के अंदर सिलानी चौक, व दुजाना चौक और बहादुरगढ़ में रोहदा चौक, नया गांव चौक और बालौर चौक पर अंडर पास बनाने की घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इनका काम कब तक शुरू होगा?

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

गांव सिलानी और दुजाना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अनुबंध के दायरे के बदलाव के अंतर्गत व्हीकुलर अंडरपास बनाया जा रहा है। गांव बहादुरगढ़ में रोहदा चौक, बालौर चौक, नया गांव चौक पर व्हीकुलर अंडरपास बनाने के लिए डी.पी.आर. बनाई गई है तथा कार्य को स्वीकृति देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (हिंड क्वार्टर) को डी.पी.आर. भेजी जा चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अनुरोध किया है कि व्हीकुलर अंडरपास बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण के लिए अपेक्षित राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा इस मसले पर निर्णय लिया जाना है। हरियाणा सरकार ने मई, 2020 में भूमि के विवरण की सूचना मांगी है। यह सूचना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अपेक्षित है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

138. तारांकित प्रश्न संख्या 2398 के संदर्भ में श्रीमती प्रेम लता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग-71-रोहतक-जींद का काम कब शुरू हुआ था? इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने के लिए किस कंपनी को ठेका मिला था? इसके लिए कितना एस्टीमेट बनकर तैयार हुआ था? अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल से काम बंद पड़ा हुआ है। जब मैं दिल्ली से चलती हूँ रोहतक क्रॉस करने के बाद देखती हूँ कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ भी उगने शुरू हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के पास इस राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने की कोई योजना है? क्योंकि इसमें रिस्क शेयरिंग एक फैक्टर है कि जब नये

अध्यक्ष महोदय, यह नेशनल हाईवे बनाने का कार्य वर्ष 2013 में शुरू किया गया था और वर्ष 2015 में रूक गया था, जिस कंपनी के पास यह नेशनल हाईवे बनाने का ठेका था उस कंपनी ने कोर्ट में केस कर दिया और दिल्ली हाई कोर्ट में संबंधित मुकदमा चल रहा है। विभाग की तरफ से इस केस की पैरवी की जा रही है और विभाग की तरफ से मुकदमें का समाधान करवाने के लिए आरबिट्रेटर भी नियुक्त कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही इस केस का फैसला कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विभाग की तरफ से माननीय कोर्ट में कहा गया था कि यह केस कोर्ट में चलता रहेगा परन्तु विभाग को सड़कें बनाने की मंजूरी दी जाए। मुझे उम्मीद है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा जल्दी ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग 71 रोहतक जींद को चारमार्गीय बनाने का कार्य 2013 में शुरू किया गया था और वर्ष 2015 में रूक गया था। M/s VIL Rohtak Jind Highway Pvt. Ltd. के पास यह राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का ठेका था तथा 29.75 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है। इस कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस कर दिया था। मामला आर्बीट्रेशन के द्वारा निपटारा जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 71 रोहतक जींद को चारमार्गीय करने के शेष कार्य को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मेसर्स वी0आ0सी0 कन्सल्टेशन को आवंटित किया है तथा कार्य को शुरू किया जा रहा है। कार्य को पूरा करने की अवधि 18 महीने रखी गई है।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

ठेकेदार बुक किये जाते हैं तो पुराने ठेकेदारों को बकाया पैसा देना पड़ता है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी है जिससे बन्द पड़े हुए कार्यों को जल्दी शुरू करवाया जा सके।

139. अतारंकित प्रश्न संख्या 704 के सन्दर्भ में श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि ईस्माइलाबाद से गांव जोधपुर जन्धेड़ी तक सड़क बहुत बुरी अवस्था में है तथा तुरंत चौड़ा करने तथा मरम्मत करने की आवश्यकता है; यदि हां, तो उपरोक्त सड़क के कब तक चौड़ा करने तथा मरम्मत किए जाने की संभावना है ?

10.09.2018

नहीं, श्रीमान् जी। तथापि, 196.10 लाख रुपये की अनुमानित लागत से सड़क को चौड़ा व मजबूतीकरण का कार्य शुरू किया जा चुका है तथा आशा है इसे 09.09.2018 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

ईस्माइलाबाद से गांव जोधपुर जन्धेड़ी तक सड़क की कुल लम्बाई 6.60 कि.मी. की है तथा इसके तीन भाग है। सड़क के तीनों भागों का विवरण बिन्दुवार निम्नानुसार है:-

1. ईस्माइलाबाद से टांगीपूर गांव तक जो सड़क जाती है उसमें 1350 मीटर तक 3088191 /- राशि की लागत से 18 फिट तक की चौड़ाई में इंटरलाकिंग पेवर ब्लॉक का कार्य पूर्ण हो चुका है।
2. ईस्माइलाबाद से टांगीपूर सड़क से गांव जन्धेड़ी वाया जैतपूर सड़क जिसकी लम्बाई 1.75 कि.मी. तक आती है का सुदृढीकरण एवं कार्पेट का कार्य पूरा हो चुका है और केवल 565 मीटर

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

सड़क जो कि निजी भूमि में है, पर माननीय ए.सी.जे. (एस.डी) कोर्ट, पेहवा द्वारा शैजने फनवश दे रखा है। परन्तु निशानदेही रिपोर्ट दिनांक 18.09.2019 में पाया गया कि 565 मीटर लम्बाई में सड़क के साथ ही इस विभाग की जमीन उपलब्ध तथा उस 565 मीटर लम्बी सड़क का कार्य प्रगती पर है जिसे 31.07.2020 तक पूरा कर दिया जाएगा।

3. कुरुक्षेत्र/अम्बाला जिला सीमा से गांव जोधपुर जनक्लेडी तक की दूरी 3.60 कि.मी. है जिसे 12 फिट से 18 फिट चौड़ा करने तथा मरम्मत का कार्य 15.11.2018 लाख की लागत से 15.11.2018 को पूरा हो चुका है।

11.09.2018

140. तारांकित प्रश्न संख्या 2857 के संदर्भ में श्री हरविन्द कल्याण द्वारा पूछा गया प्रश्न:- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि सोमा कंस्ट्रक्शन कम्पनी का जो सिक्सलेन का काम चल रहा है हमने जानकारी ली तो पता चला है कि उसके स्कोप ऑफ वर्क में यह काम दिया ही नहीं गया था। वहां पर भारी ट्रैफिक है इसलिए वहां पर सिक्सलेन अवश्य बननी चाहिए। पक्का पुल के पास केवल फोरलेन हैं जिसकी वजह से वहां पर बोतलनैक बन गया है जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वहां पर एक्सीडेंट्स नहीं होते हों। क्या इसमें किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए कि प्लानिंग में यह कमी क्यों रही है? इसके अलावा मेरा दूसरा अनुप्रश्न प्रश्न यह है कि वहां से लगभग डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर कम्बोपुरा गांव है। कम्बोपुरा गांव सड़क के दूसरी तरफ है और

**** अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी मधुबन के सामने से यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे रास्ते की जगह जिस अंडरपास की बात कर रहे हैं वह अभी विचारधीन है और मुझे उम्मीद है कि वह अगले महीने तक अप्रूव हो जायेगा। जहां तक पीर बाबा के पास सिक्सलेन का जिक्र है उसको हम अवश्य बनवायेंगे क्योंकि चण्डीगढ़ से दिल्ली तक कोई भी सिक्सलेन बंद नहीं की गई है। यहां पर बंद क्यों की गई है यह बात समझ से परे है। हमने इसको टेकअप किया है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसको बना देंगे।

पानीपत-अम्बाला-जालंधर सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 1) पर छः मार्गी परियोजना को कि०मी० 96.00 से 387.100 तक बी.ओ.टी. (टोल) के आधार पर एन. एच.डी.पी. फेज-5 के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लागू किया गया था। कन्सेशन एग्रीमेंट के अनुसार कि०मी० 115.830 पर एक नया माईनर ब्रिज का निर्माण मुख्य सड़क पर किया गया है। यद्यपि, इस परियोजना में इस नहर पर इन पुलों को सर्विस रोड के लिए शामिल नहीं किया गया था। इस परियोजना हार्डवेयर दो भूमिगत वाहन (वी.यू.पी.) कि०मी० 113.250 (कुटैल गांव) और कि०मी० 116.275 (हरियाणा पुलिस अकैडमी मुख्य द्वार) पर बनाने के लिए भी शामिल किया गया था और इन दोनों वी.यू.पी. को यातायात के लिए कन्सेशन एग्रीमेंट के अनुसार खोल भी दिया गया है। संवर्धन नहर के कि०मी० 115.830 के मेन सड़क के

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

उनकी जमीन सड़क के दूसरी तरफ हैं इसलिए वहां पर भी एक अंडरपास बनाया जाना बहुत जरूरी है। अंडरपास न होने की वजह से वहां पर भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं। इसका प्रस्ताव तैयार करके हमने सरकार के पास भेजा हुआ है। इसके साथ ही साथ मधुबन में ही पक्का पुल के पास पडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जो कुटेल में बननी है, उसके लिए जो अंडरपास प्रस्तावित है वह भी बनवाया जाये क्योंकि वहां पर बहुत से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल भी बनने हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि वहां पर भविष्य की जरूरत को देखते हुये जो डेढ़ सौ फीट का रास्ता मधुबन के सामने से जा रहा है वहां पर भी एक अंडरपास मंजूर किया जाना चाहिए। इन दोनों अंडरपास के प्रस्तावों को सरकार जरूर मंजूर करवाये।

दोनों तरफ 1 ग30 मीटर स्पैन वाले स्टील गरडर पुलों के निर्माण के लिए सर्विस रोड की परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में विचारधीन है। यह कार्य एन.एच.ए. आई मुख्यालय की स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है इसलिए इस काम को करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। परन्तु कि०मी० 115.200 (मधुबन) पर वी.यू.पी. बनाने की परियोजना विचारधीन नहीं है।

11.09.2018

141. तारांकित प्रश्न संख्या 2840 के संदर्भ में श्री जसबीर देसवाल द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न से संबंधित मेरे हल्के में भी सफ़ीदों के अन्दर राजा के नाम से एक सड़क का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। वह सड़क 16 किलोमीटर तक बननी है जिस पर 4-5 किलोमीटर पर मिट्टी और रोड़ा डाल कर 10 महीने से बैंडिंग छोड़ रखा है। उसके लिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि उस सड़क के अधूरे पड़े कार्य को भी पूरा करवाया जाए।

अध्यक्ष महोदय, उस सड़क के कार्य को भी हम पूरा करवा देंगे।

इस कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 35/40/2016-4 बी एण्ड आर दिनांक 02.09.2016 द्वारा रुपये 1553.97 लाख की प्राप्त हुई थी तथा विस्तृत अनुमान मुख्य कार्यालय के पत्र क्रमांक 303-नाबार्ड-2016/22559/नाबार्ड दिनांक 09.02.2017/07.03.2017 द्वारा रुपये 1519.82 लाख का तकनीकी स्वीकृत है।

यह कार्य मैसर्स लोर्ड शिवा कंस्ट्रक्शन कम्पनी को अधीक्षक अभियन्ता, कैथल के पत्र क्रमांक 97 दिनांक 19.01.2017 द्वारा रुपये 11,88,94,907/- का 18 महीने की समय अवधि का अलॉट था। ऐग्रीमेंट के अनुसार इस कार्य को आरम्भ करने की तिथि 17.03.2017 थी और कार्य समाप्ति की तिथि 16.09.2018 थी। परन्तु एजेन्सी ने यह कार्य पूर्ण नहीं किया और ऐग्रीमेंट की शर्तानुसार कार्य की प्रगति की अनुपालना नहीं

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard
(29-6-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

की। अंततः यह एग्रीमेंट अधीक्षक अभियन्ता, कैथल के पत्र क्रमांक 667 दिनांक 12.02.2019 द्वारा रद्द कर दिया गया।

वर्तमान में विवाद निवारण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के विचाराधीन है और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के फैसले की प्रतीक्षा है।

इस सड़क का शेष कार्य श्री दीपक कुमार ठेकेदार को अधीक्षक अभियन्ता, कैथल के पत्र क्रमांक 1885 दिनांक 08.08.2019 द्वारा रुपये 8,30,95,131/- का 12 महीने की समय अवधि का अलॉट है। वर्तमान में सड़क पर मिट्टी का कार्य पूर्ण हो चुका है और पत्थर का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में 65 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कार्य समाप्त होने की अपेक्षित अवधि 15.09.2020 है।

11.09.2018

142. तारकित प्रश्न संख्या 2681 के संदर्भ में डॉ. कमल गुप्ता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो फ्लाईओवर है वह दो रेलवे लाईन एल.सी. 60 और एल. सी. 89 के बीच में है। जिनकी दूरी 122 मीटर है। अगर वहां फ्लाईओवर बनाया गया तो उनके बीच में जो सूर्य नगर की आबादी है वह लगभग 43 हजार है। क्योंकि जब वहां फाटक बन्द हो जाएगा तो वहां के लोग वहां से कैसे निकलेंगे ? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने उसमें कोई अण्डर पास बनाने की व्यवस्था भी की है ? अगर की है तो क्या ऐसी भी कोई व्यवस्था है कि वह अण्डर पास सूर्य नगर के एरिया में निकले। XXX अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा वहां पर कुछ और पुल भी हैं जैसे डाबड़ा से महावीर कॉलोनी की तरफ जाते हैं। वहां पर एक निरंकारी भवन है और वहां सब्जी मण्डी के लिए एक पुल है। क्या उस पर भी अण्डर पास

XXX अध्यक्ष महोदय, हमने अब मुख्यमंत्री जी से इसकी अप्रुवल लेकर इसके लिए स्टेट हैड से 60 करोड़ रुपये मंजूर करवा लिये हैं। इसकी टेंडर प्रक्रिया भी जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी। टेंडर लगाने में दिक्कत आती है क्योंकि वहां से पोल शिफ्टिंग करनी है जिसका बिजली बोर्ड से ऐस्टीमेट मांगा हुआ है। पब्लिक हेल्थ विभाग की पाईप लाईन का ऐस्टीमेट भी मांगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि 10-15 दिन के अन्दर उनका ऐस्टीमेट आ जाएगा और 15 दिन के बाद हम इसका टेंडर लगवा देंगे। यह गुप्ता जी की ओर हिसार के लोगों के लिए बहुत पुरानी डिमांड थी। अब वहां पर आर.यू.बी. और आर.ओ.बी. दोनों ही बन रहे हैं। उसके बाद वहां सूर्य नगर के लोगों की कोई समस्या नहीं रहेगी। XXX अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी डाबड़ा से महावीर कॉलोनी की तरफ जाने पर जो निरंकारी भवन के पास पुल है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसके लिए हम अण्डर पास की योजना भी बना रहे हैं। XXX गुप्ता जी ने जिस पुल का जिक्र किया है उस संबंध में हम पहले एक-डेढ़ साल का ऐस्टीमेट

HSRDC ने सरकार से रुपए 59.66 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 13/58/2016-2 बी एण्ड आर (वर्क्स) दिनांक 09.02.2018 को प्राप्त कर ली। एल सी नंबर 60 और एलसी नं. 89 रेलवे लाईन पर आरओबी बनाया और उनके बीच में आरओबी भी बनेगा जिसका कार्य प्रगति पर है जिससे सूर्य नगर निवासियों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। हिसार में डाबरा चौक के फाटक की समपार संख्या 1 तथा महावीर कालोनी के फाटक की समपार संख्या 91ए पर द्विमापीय आरओबी आरओयूबी के निर्माण हेतु सरकार के पास परामर्श सेवाओं हेतु 30 लाख की राशि का प्रस्ताव प्रशासनिक स्वीकृति के लिए क्रमांक पत्र संख्या 74658 दिनांक 10.06.2020 को भेजा गया है।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

बनाने की कोई योजना है, या कोई प्रपोजल है ?

देते थे लेकिन हम इस पुल को तकरीबन 9 महीने में बनाकर तैयार करेंगे जोकि हरियाणा में पहला ऐसा नया पुल बनेगा।

11.09.2018

143. तारांकित प्रश्न संख्या 2741 के संदर्भ में श्री नरेश कौशिक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- XXX अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि बहादुरगढ़ बाई-पास को स्टेट गवर्नमेंट फंड से पैसा लेकर तैयार करवाकर शुरू किया जाए। बहादुरगढ़ में रोजाना 10000 कमर्शियल व्हीकल्स चलते हैं जिनकी वजह से आए दिन यहां पर जाम की स्थिति बनी रहती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इस काम को तीन महीने बाद किया जायेगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा संख्या-13696 द्वारा बहादुरगढ़ शहर में उत्तरी बाई पास के निर्माण लिए वेस्ट जूआ ड्रेन के दोनों किनारों पर आसोदा - खरखौदा रोड से नाहरा नाहरी - रोड आर. डी. 0.00 से 9.165 कि० मी० की घोषणा की थी। इसकी 111.77 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 28.09.2018 को प्राप्त हो गई थी। इस कार्य की निविदा पत्र दिनांक 08/03/2019 को स्वीकृत की की गई थी। बाई पास का निर्माण करने की स्वीकृति ठेकेदार को नहीं दी गई है क्योंकि वन संरक्षित भूमि की स्वीकृति तथा वेस्टर्न जूआ

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

ड्रेन की ईन्नर लाइनिंग के कार्य की अनुमति अभी सिंचाई विभाग से स्वीकृत होनी है।

इस अवधि के दौरान ग्रामिणों व बहादुरगढ़ शहर वासियों ने इस परियोजना को चौड़ा करने व आगे बढ़ाने की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस बारे 23.08.2019 को माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा कि अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग, विश्राम गृह परिसर, पानीपत में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित उत्तरी बाईपास को वेस्टर्न जूआ ड्रेन के दोनों तरफ 5.50 मीटर की बजाय 9.00 मीटर चौड़ा किया जाए। ड्रेन के ईन्नर लाइनिंग का निर्माण, रिटैनिंग वॉल का कार्य व जंगल की निकासी स्वयं सिंचाई विभाग द्वारा कराई जाएगी। इसके अनुसार 149.55 करोड़ की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति सरकार के यदि कंमाक 9/610/2017-3 (भवन एवं सड़कें) दिनांक 13/12/2019 द्वारा प्राप्त हो चुकी है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यद्यपि सड़क सिंचाई विभाग से संबंधित भूमि में निर्मित की जानी है इसलिए वन संरक्षित भूमि को बदलने के लिए केस सिंचाई विभाग के द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। सिंचाई विभाग ने सूचित किया है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक, के कार्यालय से वन निकासी का कार्य पहले ही प्रक्रिया में है तथा ईन्टर लाईनिंग व रिटेनिंग वॉल के डिजाईन अंतिम चरण में है।

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार द्वारा 26/08/2019 को आर्शिवाद यात्रा के दौरान, ग्रामिणों व शहर वासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, उत्तरी बाई पास को आर. डी. 9.165 से 11.750 कि० मी० आगे तक बढ़ाने की घोषणा की गई थी। अतः इसको (Phase-II) में लिया गया है और सरकार द्वारा इस बाई पास की 124.33 करोड़ की प्रशासकीय

स्वीकृति यादि क्रमांक 9/610/2017-3 (भवन एवं सड़कें) दिनांक 20.11.2019 को जारी हो चुकी है। इस कार्य में ड्रेन के ईन्टर लाईनिंग का निर्माण, रिटेनिंग वॉल का कार्य व जंगल की निकासी भी स्वयं सिंचाई विभाग द्वारा ही कराई जाएगी। चरण-2 का विस्तृत अनुमान व डी. एन.आई.टी. प्रक्रियाधीन है। सिंचाई विभाग द्वारा ईन्टर लाईनिंग तथा रिटेनिंग वॉल का कार्य सिंचाई विभाग द्वारा शुरू किए जाने पर निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

11.09.2018

144. तारांकित प्रश्न संख्या 2688 के संदर्भ में श्री टेक चंद शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर तो जवाब नहीं में देते हैं और बाद में हां कर देते हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पृथला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में असावली/देवाली/पायला

अध्यक्ष महोदय, रेलवे ने ही टैंडर लगाया है और रेलवे ने ही इसकी कीमत लगाई है। मुझे उम्मीद है कि 18 महीने में काम पूरा हो जायेगा। XXX मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यदि यह पुल बन सकता है तो हम जरूर बनवायेंगे।

उत्तरी रेलवे द्वारा असावली, देवली और पायला रेलवे क्रॉसिंग पर लो हाइट सबवे के निर्माण का कार्य अलॉट कर दिया गया है। असावली और देवली में कार्य आरम्भ भी हो चुका है। कार्य की अवधि 31.12.2020 तक है। पायला में फाटक के पास GAIL की पाइप लाईन आने के कारण जीएडी का संशोधन किया जा रहा है जो कि प्रक्रिया में है। जीएडी के संशोधन के

The Committee would like to know the latest position in this regard
(29-6-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

रेलवे फाटक पर उपरि पुल के निर्माण का टैंडर कब हुआ और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि यह काम उस डेट तक पूरा हो जायेगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 18 महीने में इसका टैंडर हो जायेगा और निर्माण हो जायेगा। XXXX अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दूसरी बात माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो रेलवे अंडर पास पुल बनवा रहे हैं वह ग्रीन फील्ड कॉलोनी से लगता है। उसमें रेलवे फाटक के नीचे तीन-चार फीट पानी भर जाता है लेकिन निकासी का कोई भी प्रबंध नहीं है। पानी की निकासी का भी प्रबंध होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने मार्च, 2018 में मेरे एक प्रश्न के जवाब में सीकरी, पृथला, बगोला आदि में पुल बनवाने की बात कही थी। उसमें से बगोला

बाद पायला में भी लो हाइट सबवे का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे अंडरपास जो कि ग्रीन फील्ड कॉलोनी से लगता है वह नगर निगम से संबंधित है। उत्तरी रेलवे द्वारा बघोला से जनौली रोड पर स्थित रेलवे फाटक पर पहले रेलवे उपरगामी पुल बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया था और इसके लिए टैंडर भी हो गया था परंतु इस फाटक पर जगह की कमी होने के कारण रेलवे उपरगामी पुल बनाना संभव नहीं हो पाया। अब रेलवे उपरगामी पुल के स्थान पर लो हाइट सबवे बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है। स्वीकृति आने पर यहां लो हाइट सबवे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी।

अकेला ऐसा गांव है जिसकी आबादी दोनों तरफ से है। एक तरफ स्कूल है तो दूसरी तरफ श्मशान घाट है। इस तरह से आधी आबादी एक तरफ और आधी आबादी दूसरी तरफ है। जिससे लोगों को आने-जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि बगोला गांव का पुल का काम भी सैंक्शन किया जाये।

08.03.2018

145. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गए रिव्लाइ के संदर्भ में।

जिला यमुनानगर में यमुनानगर सदौर मार्ग (SH-6) पर जठलाना ग्राम में यमुना नदी पर 36 मी0 प्रत्येक के 16 स्पैन वाला उच्चस्तरीय पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह पुल उत्तरप्रदेश के जिला सहारनपुर के नकुडसहारनपुर मार्ग (MDR 147W) को जोड़ेगा। वर्तमान में 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और यह कार्य 09.10.2021 तक पूरा होने की संभावना है।

स्पीकर सर, सदौर के माननीय विधायक श्याम सिंह राणा और इंद्री के माननीय विधायक एवं मंत्री श्री कर्ण देव कम्मोज जी ने यमुना के ऊपर एक अतिरिक्त पुल हमीदा, जिला यमुना नगर और मेरठ रोड़, करनाल पर बने पुलों के बीच में बनवाने की मांग की है क्योंकि इन दोनों पुलों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर है। इस सम्बन्ध में यह घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत करके इन दोनों पुलों के बीच में जहाँ पर भी योग्य स्थान पाया जायेगा वहाँ यमुना पर पुल का निर्माण कराया जायेगा। XX

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

146. तारांकित प्रश्न संख्या 2293 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री जसविन्द सिंह संधू द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि :

- (क) क्या यह तथ्य है कि विभाग द्वारा पिहोवा शहर में सरस्वती तीर्थ पर बने पुल को असुरक्षित घोषित किया गया है; तथा यदि हां, क्या उपरोक्त पुल के स्थान पर एक नया पुल निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका व्यौरा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय, ***इसके अलावा मैं माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि इस पुल से आज के दिन कोई वाहन नहीं गुजरता है। इस पुल से 90 मीटर की दूरी पर एक अन्य पुल बना हुआ है जिससे ट्रैफिक और पैदल यात्री भी आते-जाते हैं। माननीय सदस्य ने इस पुल के निर्माण के लिए विधान सभा सत्र में प्रश्न उठाया है। इससे मुझे लगता है कि वहां के निवासियों को इस पुल की आवश्यकता है। हम चैक करवा लेते हैं इस पुल की वहां पर कितनी आवश्यकता है, उस पर कितना ट्रैफिक पलो है, कितने यात्री उससे आते-जाते हैं इत्यादि। उसकी वायबिलिटी के अनुसार हम पुल के निर्माण पर विचार कर लेंगे। ***अतः हम इस पुल की किजीबिलिटी चैक करवा लेते हैं। मैं माननीय सदस्य को सदन में यह आश्वासन देता हूँ कि अगर इस पुल की वहां आवश्यकता हुई तो सरस्वती नदी की गरिमा के अनुसार वहां पर बहुत ही सुन्दर पुल बनाया जाएगा।

पिहोवा में सरस्वती तीर्थ पर (पुराने आर्क प्रकार के पुल को ध्वस्त करने के बाद) पुल के निर्माण का कार्य 70.75 लाख की राशि के लिए आबंटित किया गया है। कार्य प्रगति पर है और दिसंबर, 2020 के अंत तक पूरा होने की संभावना है।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

तारांकित प्रश्न संख्या 2944 के संदर्भ में श्रीमती सीमा त्रिखा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:-अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि सन् 1966 में हरियाणा प्रदेश बना और सन् 1965 में लक्कड़पुर में कॉलोनीज बन चुकी थी। यह डेन्सली पापुलेटिड एरिया है और मध्यम वर्गीय तथा मध्यम वर्ग से नीचे के अधिकतर लोग यहां पर रहते हैं। इस एरिया में 30 दिनों में कम से कम ऑन एन एवरेज 25 लोग रेल से कटकर भगवान के घर पर चले जाते हैं। आज टैक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। हमारे फौजी भी पुल बनाने के लिए अलग से पार्स को जोड़ने का सिस्टम रखते हैं इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस पुल को बनाने के लिए अलग से व्यवस्था की जाए क्योंकि वहां पर बहुत गरीब लोग बसते हैं।

21.02.2019

अध्यक्ष महोदय, आर.ओ.टी. से आर.यू.वी. नहीं बनाया जा सकता लेकिन माननीय सदस्या के अनुरोध पर फुट ओवर ब्रिज बनवा देंगे जो लोगों के आवागमन का साधन हो जाएगा।
***अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को आश्वासन देता हूँ कि वहां पर एक फुट ओवर ब्रिज बनवा देंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

लक्कड़पुर में स्थित रेलवे फाटक पर आर.ओ.टी. या आर.यू.बी. बनाना संभव नहीं है क्योंकि फाटक पार करके अनेकों दुकानें बनी हुई हैं जिसके कारण यहाँ जमीन खरीदना मुमकिन नहीं है। इसी कारण इस स्थान पर फुटओवर ब्रिज (F.O.B.) ही बनाया जा सकता है। F.O.B. की जी.ए.डी. उत्तरी रेलवे को स्वीकृत हेतु 6 जनवरी 2020 को भेजी जा चुकी है परन्तु उसकी स्वीकृति अभी लंबित है। इस कार्य का Rough Cost Estimate भी HSRDC मुख्यालय को 18 फरवरी 2020 को भेजा जा चुका है, जिसकी स्वीकृति प्रतिक्षित है।

इस कार्य के सम्बन्ध में यह बताना भी अति आवश्यक है कि F.O.B. बनाने के लिए फाटक से पहले 0.45 एकड़ अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता होगी जिसका विरण कंसल्टेंट द्वारा तैयार किया जा रहा है। जमीन का विवरण मिलते ही ई-भूमि द्वारा इस जमीन

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस स्थान पर F.O.B. बनाना संभवतः भी हो पायेगा जब भूस्वामी अपनी जमीन वाजिब कीमत पर सरकार को देने के लिए तैयार होंगे।

21.02.2019

148. ताराकित प्रश्न संख्या 2881 के संदर्भ में श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि गुडगांव (गुरुग्राम) से अलवर वाया नूंह तक प्रस्तावित यात्री रेलवे लाईन की वर्तमान स्थिति क्या है ?

हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड (HRIDC), हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय की हाल ही में स्थापित संयुक्त उद्यम कंपनी इस परियोजना का व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) कर रही है, जो 31.03.2019 तक पूरा होने ही संभावना है। व्यवहार्यता अध्ययन पूरा होने के बाद आगे की कार्यवाई की जाएगी।

सोहना नूँह फिरोजपुर झिरका नई रेलवे लाईन का व्यवहार्यता अध्ययन HRIDC द्वारा पूर्ण करने के उपरांत आवश्यक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया है।

222

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

22.02.2019

149. अताराकित प्रश्न संख्या 758 के संदर्भ में श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या लोक निर्माण (भवन

हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (HRIDC) ने पलवल से पानीपत रेलवे लाइन (वाया सोहना, मानेसर

हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HRIDC) ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर की इस

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

तथा सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि पानीपत से पलवल वाया सोहना रेलवे लाईन बिछाने पर कुल कितनी राशि खर्च किये जाने की संभावना है तथा उक्त परियोजना का प्रस्ताव किस तिथि को बनाया गया था ?

होते हुए) "हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर" नाम की एक परियोजना विकसित की है, जिसकी लागत 4100 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना असौदी को राठधाना से 130 किलोमीटर लंबी विद्युतीकरण दोहरी लाइन के द्वारा जोड़ेगी। परियोजना को शुरू करने के प्रस्ताव को नवंबर, 2018 में हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

प्रतिष्ठित परियोजना को पलवल से सोनीपत बाईपास तक दिल्ली क्षेत्र में 5617.69 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया है। हरियाणा सरकार द्वारा 16.07.2019 को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पूरी होने पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। रेलवे के लिए विस्तारित बोर्ड (EMBR) ने 24.10.2019 को परियोजना को मंजूरी दे दी है। माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री और केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा विधिवत कैबिनेट नोट को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के अनुमोदन के लिए 06.03.2020 को कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ को सौंप दिया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा रेलवे कॉरिडोर परियोजना को विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अधिसूचित किया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

150. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री ओम प्रकाश बरवा द्वारा पूछा गया प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, * * * * मेरे गांव बरवा और चौधरीवास गांव के बीच में एन.एच 52 पर एक टोल बना हुआ है। उस टोल से मेरे गांव की दूरी महज पोने तीन किलोमीटर है लेकिन बावजूद इसके चौधरीवास गांव के लोगों का तो टोल माफ कर दिया गया है लेकिन मेरे गांव के लोगों से टोल की वसूली की जाती है। जब से यह टोल बना है तब से लेकर आज तक मेरे गांव के लोगों की यह मांग है कि नाजायज वसूले जा रहे इस टोल को बंद किया जाये।

22.02.2019

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एन. एच-52 हिसार-राजगढ़ रोड पर चौधरी वास के पास टोल लगा हुआ है, उसके बारे में चर्चा की है, उसे हम जल्दी ही खत्म करवा देंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, तथा राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय राजमार्ग /स्थायी पुल/ अस्थायी पुल के उपयोग के लिए) किसी भी व्यक्ति द्वारा शुल्क का संग्रह) नियम 1997 के नियम 3 के अभ्यास में, चौधरीवास गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 65 के कि०मी० 135.900 पर टोल प्लाजा पर फीस एकत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने दिनांक 5 सितम्बर 2017 को अधिसूचना जारी की थी। दिनांक 08.09.2017 से उपयोगकर्ता शुल्क इस टोल प्लाजा पर एकत्र किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरें और संग्रह के निर्धारण) नियम 2008 के तहत, वर्ष 2016-17 में उक्त अधिसूचना के अनुसार गैर वाणिज्यिक वाहन पंजीकृत और टोल

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

प्लाजा से बीस किलोमीटर की सीमा तक के स्थानीय नागरिकों से, 235 रुपये मासिक वसूल किये जाते थे। वर्तमान में, यह मासिक पास 265 रुपये में जारी किया जा रहा है। इस अधिसूचना के अनुसार, जिला पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय पंजीकृत वाहन को छोड़कर) से 50 प्रतिशत दर से लिया जायेगा यदि कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क इन वाहनों के लिए नहीं है। इस अधिसूचना में किसी भी गांव के निवासियों को टोल शुल्क अदा करने से छूट देने का कोई प्रावधान नहीं है।

तितरम मोड़ कैथल से हरियाणा राजस्थान सीमा तक चार मार्गीय परियोजना को बी0ओटी0 आधार पर पूरा किया गया है। इस परियोजना का कन्सेशन समय 27 साल का है जिसमें 2) साल निर्माण समय भी शामिल है। केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये टोल प्लाजा को हटाने की कोई परियोजना केन्द्र सरकार में विचाराधीन नहीं है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
151.	तारांकित प्रश्न संख्या 2873 के संदर्भ में श्री जगवीर सिंह मलिक द्वारा पूछा गया अनुपूरक क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि:- क) क्या यह तथ्य है कि सोनीपत से फरमाना वाया भटगांव की सड़क बुरी हालत में है; तथा ख) यदि हां, तो इनके कब तक मरम्मत किए जाने की संभावना है ?	26.02.2019 (क) व (ख) श्रीमान जी, इस सड़क की मजबूतीकरण का कार्य रुपये 0953.45 लाख की अनुमानित लागत से करने के लिये दिनांक 13.02.2019 को ठेकेदार को अलॉट कर दिया गया है। इस सड़क की रिपेयर का कार्य अक्टूबर 2019 तक पूर्ण कर दिया जायेगा।	सोनीपत से फरमाना वाया भटगाँव सड़क का निर्माण कार्य 31.12.2019 को पूरा कर दिया गया है। बागडू गाँव में केवल 170 मीटर सड़क का कार्य कोर्ट केस के कारण पूरा न हो सका है। इस हिस्से पर सड़क को स्थानांतरित करने की मंजूरी सरकार से प्राप्त होने पर 30.09.2020 तक कार्य पूरा कर लिया जायेगा।	The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)
152.	श्री वेद नारा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 791: क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या बरवाला निर्वाचनक्षेत्र के गांव खरड़ अलीपुर से गांव खोखा तथा गांव खोखा से गांव नियाणा तक सड़क	02.08.2019 श्रीमान् जी। (क) गांव खरड़ अलीपुर से गांव खोखा सड़क- यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित है, जिसकी लम्बाई 5 कि०मी० है व इस सड़क का निर्माण वर्ष	(क) गांव खरड़ अलीपुर से गांव खोखा सड़क का कार्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा प्रगति पर है या कार्य 70 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है और यह कार्य 31/08/2020 तक पूरा हो जायेगा।	The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है'?

2003 के दौरान किया गया था। इस सड़क को 12 फुट से 18 फुट तक चौड़ा करने व मजबूत करने के लिए 122.99 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 30.07.2019 को जारी की जा चुकी है। इसकी निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है जोकि 14.08.2019 तक प्राप्त होनी है।

(ख) गांव खोखा से नियाणा सड़क-यह सड़क हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित है, जिसकी लम्बाई 5.03 कि०मी० है तथा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2003 के दौरान इस सड़क को निर्मित किया गया था। यह सड़क मरम्मत व रख-रखाव के लिए 10.03.2011 को लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग को स्थानांतरित हुई थी। इस सड़क को 12 से 18 फुट चौड़ा व मजबूत करने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत तैयार की जा चुकी है तथा आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(ख) गांव खोखा से गांव नियाणा तक के कार्य का विस्तृत परियोजना विवरण अधीक्षक अभियंता के नं. 1835/आर दिनांक 16/07/2019 को हेड ऑफिस चण्डीगढ़ रुपये 223.64 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति नाबार्ड स्कीम के अंतर्गत के लिए भेजा गया था। यह विस्तृत परियोजना विवरण नाबार्ड आरआईडी ऍफ- XXVI स्कीम के तहत नाबार्ड को वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा नाबार्ड को भेजा जा चुका है जिसकी स्वीकृति आनी अभी लंबित है।

क्र. संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

153. श्री कुलेदीप शर्मा द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 3077: क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गन्नाईर कस्बे के लिए एक बाई-पास/सर्कुलर सड़क के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसका ब्यौसा क्या है ?

05.08.2019

***** अध्यक्ष महोदय, जैसे तो इस प्रश्न का जवाब नहीं में था लेकिन मैं माननीय साथी को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस पर विचार किया गया है और इसी वित्त वर्ष में हम इसको बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

गन्नाईर कस्बे के बाई-पास के निर्माण हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 9/991/2019-3 द्वारा (भवन तथा सड़कें) (कार्य) दिनांक 31.10.2019 द्वारा 58.21 लाख रुपये की लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बाई-पास की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए टैन्डर प्राप्त कर लिए गए हैं और टैंडर अलॉट करने की प्रक्रिया को अंतिम स्वरू-दिया जा रहा है। साध्यता रिपोर्ट तथा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का कार्य 10.07.2020 तक अलॉट कर दिया जाएगा। अलाईन्मेंट फाईनल करने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनने के उपरान्त ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि खरीद का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

05.08.2019

154. श्री घनश्याम सर्राफ द्वारा पूछा गया अतारक्षित प्रश्न संख्या 812 क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि भिवानी शहर में नए बस स्टैंड से लोहारू पुल तक की एन.एच. 709 ई. सड़क बरसात के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई है; यदि हां, तो इसके कब तक पुनः निर्मित किए जाने की संभावना है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

हां, श्रीमान् जी। यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 709 (ई0) का भाग है जो भिवानी शहर में पड़ता है। यह सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। इस सड़क के बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत/दोबारा निर्माण दिनांक 15.09.2019 से तीन महीनों तक पूरा कर दिया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

राष्ट्रीय राजमार्ग 709 ई0 का भाग जो भिवानी शहर में पड़ता है, वह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है। भिवानी शहर में नए बस स्टैंड से लोहारू पुल तक की मरम्मत 30 मि.मी. Bituminous Concrete की Specification से करवा दी गई है तथा कार्य फरवरी 2020 में पूरा करवा दिया गया है।

06.08.2019

155. तारक्षित प्रश्न संख्या 3090 के संदर्भ में श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण होने के बाद बहुत ही जल्दी बाईपास बनाने का कार्य शुरू करवा दिया जाएगा, परन्तु यह बहुत लम्बा प्रोसेस है। छुछकवास का बाईपास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उस एरिया में बहुत से एजुकेशनल इन्स्टीच्यूज हैं। इसके अतिरिक्त झाड़ली थर्मल पॉवर प्लांट और बहुत सी दूसरी इंडस्ट्रीज

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या सही बात कह रही हैं। मैंने मौके का मुआयना भी किया था। मैं झज्जर जिले की ग्रीवेंसिज कमेटी का चेयरमैन भी हूँ। इसमें 2 गांवों के कुल 229 लोगों की जमीन है जिसमें से 74.2 प्रतिशत लोगों ने अपनी जमीन देने के लिए कन्सेंट दे दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यह काम जल्दी पूरा करवा दिया जाएगा और यह सी.एम. अनाउंसमेंट भी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस काम को जल्दी ही पूरा करवा दिया जाएगा। XX अध्यक्ष महोदय, विभाग बिना

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

झज्जर जिले में प्रस्तावित नई चार लेन बाई पास, जोकि छुछकवास मातनहेल बहु कारोली मार्ग को झज्जर छुछकवास मार्ग से जोड़ता है, के निर्माण के लिये हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक निर्माण, बी एण्ड आर और वास्तुकला विभाग के पत्र क्रमांक 9/382/2019-3 B&R (W) दिनांक 4.6.2019 द्वारा 2583.55 लाख रुपये के लिये प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित विशेषताओं के साथ प्राप्त हुई।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भी हैं जिसके कारण झज्जर और दादरी से ओवरलोडिड वाहन सामान लेकर आते जाते रहते हैं। मैंने स्वयं देखा है संबंधित एरिया में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं इसलिए इस बाईपास को बनाया जाना बहुत जरूरी है ताकि जान-माल का नुकसान होने से बचा जा सके। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में भी संबंधित बाईपास बनाने के लिए पूरा प्रयास किया था। संस्थान 4 और 6 के नोटिसिज इशू हो चुके थे और संस्थान 9 के लिए कॉल कर रहे थे परन्तु उस समय लैंड लेने के लिए लोगों के साथ सहमति नहीं बन पायी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने संबंधित बाईपास बनाने के लिए हां तो भरी है लेकिन ज़िमत वद हवपदह संदक बुनपेपजपवद चतवबमे के बाद कहा है। यह बाईपास बनवाने का काम जल्दी पूरा करवाया जाना चाहिए और

- 1 सवाल के भी संबंधित बाईपास बनवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है।
- 2 प्रस्तावित बाई पास की लम्बाई 3651 मीटर है।
- 3 1.5 मीटर सैन्ड्रल वर्ज के साथ दोनों तरफ 7.50 मीटर कैंरिज-वे (फोर लेन)।
- 4 जमीन की कुल चौड़ाई 30.00 मीटर है।
- 5 बीए छुछकवास व मारौत दो गावों की भूमि शामिल है।
- 6 जमीन की कीमत लगभग 12.48.25.034/-।

जमीन खरीदने के लिये विस्तृत जानकारी को ई-भूमि पोर्टल पर एग्रीगेटर के माध्यम से अपलोड किया गया है। इस परियोजना के लिये 230 लोगो से 26.89 एकड़ भूमि खरीदी जानी है। अब तक दोनो गावों के 184 भूमि मालिको से 21.36 एकड़ भूमि के लिये कलैक्टर रेट पर सहमति प्राप्त

यह माननीय मुख्यमंत्री जी की भी अनार्डसमैट है। संबंधित एरिया में बाईपास न होने के कारण ट्रैफिक जाम होता रहता है और नम्बर ऑफ़ इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि संबंधित बाईपास बनवाने का मामला पहले जीरो ओवर में उठाती रही हूँ और पिछले पांच सालों से लगातार उठाती रही हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

156. तारांकित प्रश्न संख्या 3090 के संदर्भ में श्रीमती प्रेम लता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि उंचाना के बाईपास का क्या स्टेटस है ?

06.08.2019

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि संबंधित बाईपास की एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल दी जा चुकी है और जल्दी ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। संबंधित जिले के डी.सी. ने रिपोर्ट दे दी है कि ई-भूमि पोर्टल पर जमीन की डिमांड की जा रही है। इस बाईपास के लिए 57.35 करोड़ रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है और जल्द ही काम शुरू करवा दिया जाएगा।

हो चुकी है। वर्तमान कलेक्टर दर पर 46 न. भूमि मालिक 5.7 एकड़ जमीन देने के लिये तैयार नहीं है। 100: भूमि मालिकों की सहमति के बाद जमीन खरीद का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इस बाईपास के लिए रुपये 57.35 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार के याचि क्रमांक 13/36/2017-2B&R(W) दिनांक 15.06.2018 के द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी हैं। यह प्रस्तावित उंचाना बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग-71, राजीव गांधी कॉलेज से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-65, हिसार रोड को जोड़ेगा। इस परियोजना के लिए 22.50 एकड़ भूमि खरीद की

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

आवश्यकता हैं। भूमि खरीद के लिए अनुरोध ई भूमि पोर्टल पर अपलोड किया गया था। प्रस्तावित दक्षिणी बाईपास, उचाना की ई भूमि पोर्टल के माध्यम से स्वेच्छा से भूमि खरीद की जांच के लिए मुख्य सचिव हरियाणा की अध्यक्षता में सचिवों की समिति की पिछली बैठक 06.09.2019 को आयोजित की गई थी। ई भूमि पोर्टल के माध्यम से स्वेच्छा से भूमि की खरीद आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि कुछ भूमि मालिकों ने सरकार की इस नीति के अनुसार भूमि की बिक्री के लिए अपनी सहमति नहीं दी।

05.11.2019

157. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।

****रेलवे क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आरओबी/आरयूबी का निर्माण करके वर्ष 2020 तक सभी रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया जाएगा।

24 सम्पारो (8NWR +16NR) पर आयूबी आरओबी के निर्माण हेतु रुपये 600 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सरकार को पत्र संख्या

The Committee would like to know the latest position in this regard (29-6-2020)

42535 दिनांक 3.3.2020 तथा 62213 दिनांक 15.5.2020 द्वारा अनुरोध किया गया है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (14.01.2020)

दूरभाष द्वारा पं० बी०डी० शर्मा यू०एच०एस०, रोहतक व एम०डी० रोहतक से जानकारी प्राप्त की गई तथा श्री जगदीश सिंह दहिया ऐंजैवित्य इंजिनियर पी०डब्ल्यू०डी० बी०एण्डआर० द्वारा बताया गया है कि सड़क निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है।

13.03.2015

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रोवर साहब ने रोहतक मेडिकल कॉलेज की बात उठाई है। चूंकि मेडिकल कॉलेज भी मेरे पास है इसलिए इन्होंने पहले भी मुझे अपनी इस समस्या से अवगत कराया था कि एमरजेंसी कोरिज में अम्बुलेंसिज के द्वारा दूर-दूर से पेशेंट्स मेडिकल कॉलेज रोहतक में आते हैं, लेकिन रास्ते बड़े कंजैस्टिड है तथा ट्रैफिक कंजेशन की बड़ी समस्या है इसलिए इस मेडिकल कॉलेज में अम्बुलेंसिज नहीं पहुंच पाती है। इस समस्या के निदान के लिए इन्होंने एक रास्ता सजैस्ट किया है जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से होकर गुजरता है। इस रास्ते के लिए शिक्षा विभाग की सहमति लेना जरूरी है क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी कैम्पस है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि यदि शिक्षा विभाग इजाजत दे देगा तो मैं अवश्य माननीय मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वहां पर यह रास्ता बनाया जाये।

158. ताराकित प्रश्न संख्या 377 के संदर्भ में श्री मनीष प्रोवर द्वारा पूछा गया अनुसरक प्रश्न-अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है अर्थात् कोई एमरजेंसी घटना घट जाती है तो ट्रैफिक कंजेशन की वजह से पेशेंट समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता है। अध्यक्ष महोदय, पी.जी.आई. रोहतक एक बहुत बड़ा अस्पताल है तथा यह अस्पताल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक के साथ ही स्थित हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक की भारी दिककत आती है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि पी.जी.आई. रोहतक पहुंचने के लिए बाहर से रास्ते का प्रावधान किया जाये ताकि एमरजेंसी कोरिज में पेशेंट्स की जान बचाई जा सके।

क्र.० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

24.02.2020

हॉ. श्रीमान् जी। ग्राम सबगा से सौहाटा सड़क पर मारकण्डा नदी पर ऊपरी पुल का निर्माण कार्य जुलाई 2021 तक पूरा होने की संभावना है।

159. श्री वरुण चौधरी, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 4 क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या मुलाना विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में मारकण्डा नदी पर ऊपरी पुल के निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

25.02.2020

**** माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जिस सड़क की ये बात कह रहे हैं उस सड़क का काम पहले ही किया जा चुका है लेकिन चूंकि इस एरिया में माइनिंग का काम बड़े जोर-शोर से होता है और इसकी वजह से यहां पर हैवी ट्रैफिक चलता रहता है जिसका परिणाम यह निकलकर सामने आता है कि यह सड़क निरंतर टूटती रहती है। इस सड़क पर रिपेयरिंग के कार्य

160. तारांकित प्रश्न संख्या 262 के संदर्भ में डॉ० अभय सिंह यादव द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, आदमपुर दाडी से नारनौल वाला जो नेशनल हाइवे नं. 148-बी है, इसकी भी फोर लेनिंग का काम पैडिंग है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस बारे में भी जरूर गौर फरमायेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

की बहुत जरूरत है और बहुत जल्दी इस सड़क पर रिपेयर कार्य शुरू करना दिया जायेगा।

25.02.2020

161. तारांकित प्रश्न संख्या 59 के संदर्भ में
 राव दान सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:- स्पीकर सर, जो उप मुख्यमंत्री जी ने दो फेजिज की बात की है। इस सम्बन्ध में मुझे यह जानकारी मिली है कि सरकार की पहले यह मंशा थी कि यह सड़क फिलहाल साढ़े 7 मीटर चौड़ी है इसकी चौड़ाई को 10 मीटर करके रखा जायेगा क्योंकि इसकी बगल में एक दूसरा 152-डी हाईवे निकल रहा है जो सिक्स लेनिंग रोड बन रहा है जो पनियाला मोड़ से जोड़ करके सीधा अम्बाला तक आयेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से इस सड़क के कार्य को रोकना न जाये क्योंकि सरकार की पहले भी यह पॉलिसी है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर टू डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हम फोर लेन से जोड़ेंगे। इस रोड पर एक सिरे में दादरी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और दूसरी तरफ नारनौल डिस्ट्रिक्ट

**** माननीय सदस्य को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि यह हाईवे फोर लेन के बजाये सिक्स लेन हो रहा है। इससे तो इनके इलाके की प्रगति की रफ्तार ही बढ़ेगी। जो इन्होंने बात रखी मैंने अभी उसी को ही बोला था कि पहले यह फोर लेन प्रोजेक्ट था लेकिन अब इसको एन.एच. 152- डी के अंदर लेकर सिक्स लेनिंग करने की प्रपोजल है। हम इस सम्बन्ध में एन.एच.ए.आई. से चर्चा कर चुके हैं। अगर एन.एच.ए.आई. इस प्रोजेक्ट को टेक-अप नहीं करती तो इस सड़क के फोर लेनिंग के कार्य को हम जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करवाने का कार्य करेंगे।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हैडक्वार्टर है we are in between. मैं समझता हूँ कि अगर इस सड़क के निर्माण कार्य को सरकार द्वारा अपनी प्रॉपर्टी पर लिया जायेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर एन.एच.ए.आई. से भी सरकार के स्तर पर सम्पर्क स्थापित किया जायेगा तो इस सड़क के कार्य को निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जा सकता है।

25.02.2019

हां, श्रीमान जी। इस सड़क के साथ संरक्षित वन भूमि के डाईवर्जन की मंजूरी के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका, जो कि 19.01.2020 को प्राप्त हुई है। कार्य के शुरू होने के बाद 18 महीने के अंदर पूर्ण होने की संभावना है, जिसे 4 महीने के अंदर शुरू किए जाने की सम्भावना है।

162. श्री प्रदीप चौधरी द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 51 क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2014-15 में माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद भी कालका निर्वाचनक्षेत्र के गांव भूवाला से मोली तक सड़क का निर्माण अब तक नहीं किया गया है; यदि हां, तो इसका कारण क्या है तथा उक्त सड़क का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है ?

26.02.2020

163. तारांकित प्रश्न संख्या 190 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, सुबाना का बाई-पास काफी समय पहले मंजूर हो गया था पता नहीं इस प्रोजेक्ट को क्यों रोका जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह काम माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय के महकमे से संबंधित है इसलिए मेरी पर्सनल रिक्वैस्ट है कि इस प्रोजेक्ट की तरफ अवश्य ध्यान दिया जाये और साथ ही हमारे यहां गांव पुलाना में अंडर पास जरूर बनाया जाये क्योंकि यहां पर जो चौक है उसका संबंध तकरीबन 50 से 60 गांवों से है जिसकी वजह से यहां पर आए दिन कोई न कोई नया एक्सिडेंट होता रहता है। यहां से माननीय उपमुख्यमंत्री जी भी निकलते हैं, दूसरे माननीय मंत्री जी भी निकलते हैं, माननीय मंत्री बनबारी लाल जी सदन में बैठे हुए हैं, वे भी इस चौक गुजरते हैं इसलिए मेरा अनुरोध है कि गांव पुलाना में अंडर पास जरूर बनाया जाये। इसके अतिरिक्त पाटोदा में जो पुराना रैस्ट हाउस है

अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा में आर.यू.बी. और आर.ओ.बी. बनाने की बात है। हमारी सरकार का प्रयास है कि हरियाणा को फाटक मुक्त बनाया जाये। रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और राज्य में रेल सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में रेल कनेक्टिविटी के लिए हरियाणा सरकार ने रेल मंत्रालय से मिलकर एक संयुक्त उद्यम कंपनी, एच0आर0आई0 डी0सी0 (हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन) का गठन किया है। जिसमें रेलवे संबंधी मामले ही होंगे और पूरे प्रदेश की मैपिंग करके आर.यू.बी. और आर.ओ.बी. को कम्पलीट कराने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य की बाईपास की बात है। यह अलग प्रश्न है। माननीय सदस्य अपना जवाब लिखित रूप में मेरे पास भेज दें, मैं उसका जवाब लिखित तौर पर माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का प्रश्न रैस्ट हाऊस बनाने को लेकर है। माननीय सदस्य उसके लिए एक प्रपोजल बनाकर भेज दें, सुविधा के अनुसार यदि सरकार को लगेगा कि वहां पर रैस्ट हाऊस बनाने की

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

जिसकी इमारत जर्जर हो चुकी है और यहां पर काफी जमीन खाली भी पड़ी हुई है तो ऐसी स्थिति में यहां पर नया रैस्ट हाउस बनाने का जरूर विचार किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पटौदा का जो रैस्ट हाऊस है, इसकी जमीन करोड़ों रुपये की है।

26.02.2020

164. श्री प्रदीप चौधरी, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 7 क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि क्या यह तथ्य है कि कालका निर्वाचनक्षेत्र में गांव खेरा से गांव प्रेमपुरा तक सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त है; यदि हां, तो इसकी मरम्मत/पुनर्निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है तथा इसका ब्यौरा क्या है?

28.02.2020

165. श्रीमती शैली चौधरी, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 99 क्या श्रीमान, रायपुर रानी शहर में मात्र 20.71 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि से चार मार्ग

उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि रायपुर रानी से नारायणगढ़ सड़क को चार मार्गों करने की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसका व्यौरा क्या है ?

५

५१

166. वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के संदर्भ में।

28.02.2020

142 कैथल शहर में लगभग 4.5 कि.मी. लम्बी एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना तैयार की गई है जिसे स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जायेगा। इस परियोजना से कैथल शहर तीन रेलवे क्रॉसिंग (देवीगढ़ रोड, करनाल रोड, पुराने अम्बाला-हिसार बाईपास) से मुक्त हो जाएगा, जिससे यातायात का संचालन सुचारु रूप से होगा।

147 हमारी सरकार द्वारा 10 विभिन्न शहरों के बाईपास के निर्माण के लिए 905.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ये बाईपास टोहाना, कोसली, हथीन, पुन्हाना, पिगवाना, छुछकवास, बहादुरगढ़, गोहाना, उद्याना और सोनीपत शहर में प्रस्तावित हैं। टोहाना बाईपास का निर्माण कार्य प्रगति

करने का प्रस्ताव है। वन विभाग की मंजूरी के बाद लिया जाएगा तथा शेष राशि से सड़क 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ी की जाएगी जिस पर चार महीने के भीतर काम शुरू कर दिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पर है और सितम्बर 2021 तक पूरा होने की सम्भावना है। शेष बाईपासों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है जिसके लिए ई-भूमि पोर्टल पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। मैं संबंधित विधायकों से इस बारे में सहयोग का भी अनुरोध करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहाँ जमीन पहले उपलब्ध होगी, उस बाईपास के निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा। इनके अलावा, पिंजौर और भिवानी शहर के लिए बाईपास का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2020 में ही कार्य पूरा होने की संभावना है।

149 इसके अतिरिक्त, पूरे प्रदेश में पाँच कस्बों के सभी रास्ते, जोकि एक गाँव को दूसरे गाँव से जोड़ते हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा।

152सड़क वाहनों की सुरक्षा के लिए विद्युत लाइनों को ऊँचा करना बहुत आवश्यक

है। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये जा चुके हैं कि सड़कों पर से गुजरने वाली उन विद्युत लाइनों का सर्वेक्षण किया जाए जिनकी ऊँचाई सड़क से 6.5 मीटर से कम है। हरियाणा सरकार के सभी विभागों/बोर्डों/निगमों की सड़कों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अगले तीन महीनों में सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्रदेश की हर सड़क पर विद्युत लाइनों को ऊँचा करने का कार्य बिजली विभाग द्वारा अगले 6 महीनों में पूरा किया जाएगा।

03.02.2020

167 श्री लक्ष्मण नापा, द्वारा पूछा गया अतिरिक्त प्रश्न संख्या 81 क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि घग्गर नदी के ऊपर रतिया बुडलाडा सड़क पर बने पुल के नीचे गंदा पानी एकत्रित हो जाता है जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने मुना (फतेहाबाद) में 31 अक्टूबर, 2018 को 2 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी परंतु इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्रीमान, रतिया बुडलाडा सड़क पर घग्गर नदी के ऊपर बने पुल के नीचे नदी का बेड लेवल के ऊंचे उठे होने के कारण गंदा पानी एकत्रित होता है। लेकिन इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोई घोषणा नहीं की गई थी। समस्या को हल करने के लिए संरचना के सुधार हेतु 94.80 लाख रुपये का प्राक्कलन किया गया है और अनुमानित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कार्य किया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

21.02.2019

श्रीमान, जी हालांकि, निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कोई निश्चित समय—सीमा नहीं दी जा सकती है क्योंकि काम अभी तक (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

168 श्री सत्य प्रकाश जरावता, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 276 क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या पटौदी के बाई-पास का निर्माण कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

26.08.2020

श्रीमान जी, वर्तमान में बड़खल विधान सभा क्षेत्र में आर.ओ.बी. या एफ.ओ.बी. के निर्माण के निम्नलिखित दो कार्य विचाराधीन हैं:

1. दिल्ली मथुरा रोड से गुरुकुल पर स्थित लेवल क्रॉसिंग 579-ए पर आर.ओ.बी. का निर्माण

इस जगह पर तकनीकी अध्ययन सम्पूर्ण हो चुका है जिससे पता चला है कि यहां पर आर.ओ.बी. का निर्माण संभव है जिसके लिए ड्राइंग के अनुमोदन की आवश्यक

169 श्रीमती सीमा त्रिखा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 526 : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि बड़खल विधानसभा के अन्तर्गत पड़ने वाले रेलवे अंडर ब्रिज तथा रेलवे ओवर ब्रिज परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त परियोजनाओं के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह प्रस्ताव अतिरिक्त 14 कनाल 13 मरले जमीन की खरीद पर निर्भर करता है जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अतिरिक्त जमीन का कब्जा सरकार को मिलने के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

2. दिल्ली मथुरा रोड से लक्कड़पुर पर स्थित लेवल क्रॉसिंग 579-बी पर एफ. ओ.बी. का निर्माण

इस जगह पर मौके की बाधा के कारण केवल एफ.ओ.बी. का निर्माण ही संभव है। ड्राइंग के अनुमोदन की आवश्यक प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस परियोजना में भी राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर अतिरिक्त 1400 वर्ग गज भूमि की आवश्यकता है। अतिरिक्त जमीन का कब्जा सरकार को मिलने के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

26.08.2020

(क) हां, श्रीमती जी।
(ख) सड़क को जून, 2022 तक चौड़ा/चारमार्गीय किया जाना संभावित है।

170. श्रीमती शैली चौधरी, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सख्या 586 : क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि जिला अम्बाला में गांव भूरेवाला से जिला पंचकुला में गांव

क्र.० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

मौली तक राजकीय राजमार्ग सड़क की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सड़क को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसके कब तक चौड़ा किए जाने की संभावना है ?

26.08.2020

171. श्री बिशन लाल सैनी, द्वारा पूछा गया
अतारोकित प्रश्न संख्या 126 क्या उप
मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सदौर
विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में त्रिवेणी से गांव
जठलाना तक की सड़क की मरम्मत
करने का कोई प्रस्ताव सरकार के
विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा
क्या है?

हां, श्रीमान् जी, सड़क की मरम्मत 1781.00
लाख रुपये की राशि से राष्ट्रीय कृषि और
ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.
XXV) योजना के तहत स्वीकृत हुई है।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

172. श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया तारीकित प्रश्न संख्या 1123 : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या कलायत विधान संसद् निर्वाचनक्षेत्र के राजौंद कस्बे के नगरपालिका क्षेत्र में सीवरेज तथा पेय जल प्रणाली विछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

16.3.2016

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि राजौंद में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी दिया जा रहा है। वहां दो नहरी पानी आधारित जलघर हैं, दो नलकूप हैं और एक बूस्टिंग स्टेशन है। राजौंद के 60 प्रतिशत क्षेत्र में जल की आपूर्ति पूरी है। शहर में सीवरेज प्रणाली नहीं है। विभाग द्वारा जैसे ही जमीन आइडेंटिफाई होती है निश्चित रूप से हम इनकी दोनों मांगें पूरी कर देंगे। वहां जलघर का भी निर्माण कर दिया जाएगा और एस.टी.पी. भी बना दिया जाएगा।

कलायत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के राजौंद शहर में दो नहरी पानी आधारित जलघर, पाँच नलकूप और एक बूस्टिंग स्टेशन है। राजौंद शहर में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी सुचारु रूप से दिया जा रहा है तथा राजौंद शहर में WTP बनाने के लिए राजस्व विभाग के ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से 2 किसानों के जमीन के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 115098 दिनांक 19.11.2019 निदेशक भूमि अभिलेख को भूमि के सत्यापन के लिए केस भेजा था। कार्यवाही अपेक्षित है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 53923 दिनांक 24.06.2020, केस निदेशक भूमि अभिलेख को सचिवों की समिति के साथ बैठक के लिए भेजा गया है। मिटिंग अपेक्षित है। जमीन उपलब्ध

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(10-8-2020)

होने के उपरान्त वार्टर सप्लाई का प्रोजेक्ट बना कर सरकार से अनुमोदित करवाया जाएगा और कार्य शुरू करवाया जाएगा। सीवरेज का कार्य वार्टर सप्लाई के कार्य के साथ साथ ही करवाया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(10-8-2020)

श्रीमान जी, तिगांव का कार्य एजेंसी को 04.06.2019 को अलाट हुआ था, इस कार्य की सम्पूर्ण (पूरा) होने की अवधि 31.03.2021 है। जिसमें ठेकेदार के द्वारा सीवर की लाईनें विछाने का कार्य प्रगति पर है।

21.02.2019

श्रीमान जी, तिगांव की कालोनियों में सीवरेज लाईनें विछाने का कार्य छांयसा डिस्ट्रीब्यूटरी में उपचारित गन्दे पानी के निपटान की अनुमति न मिलने तथा उपचारित गन्दे पानी के निपटान स्थान के परिवर्तन होने पर तकनीकी प्रस्ताव को संशोधित किए जाने के कारण से शुरू नहीं किया गया। उक्त कार्य अब निविदा प्रक्रिया के तहत है तथा इस कार्य के मार्च 2019 के अन्तिम सप्ताह में शुरू होने की संभावना है और इसे 31.03.2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।

22.02.2019

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय सदस्य को बहुत पहले ही आश्वासन दे चुका हूँ कि वे जमीन उपलब्ध करवायें, विभाग इनको एडिशनल पानी के टैंक बनाकर दे देगा।

173. ताराकित प्रश्न संख्या 2923 के संदर्भ में श्री ललित नागर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि तिगांव की कालोनियों में सीवरेज लाईनें विछाने का कार्य अब तक आरम्भ न होने के क्या कारण हैं; तथा उपरोक्त कार्य के कब तक आरम्भ/पूरा किये जाने की संभावना है ?

174. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान श्री रणधीर सिंह कामड़ीवास द्वारा पूछा गया प्रश्न :- XXXX उपाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक जन स्वास्थ्य क्षेत्र

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(10-8-2020)

उपायुक्त महोदय, रेवाड़ी अपने पत्र क्रमांक 1580-81/पंचायत दिनांक 20.02.2020 द्वारा ग्राम पंचायत गोकलगढ़ की पंचायत भूमि 135 कनाल

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आवसान	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

की बात है तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे क्षेत्र में पानी आया है लेकिन अभी पानी के टैंक बनने बाकी हैं और इसके लिए गोकुलगढ़ गांव की पंचायत अपनी पंचायती जमीन कलेक्टर रेट पर देने के लिए तैयार है। मेरे क्षेत्र में वर्तमान में 42 हजार करोड़ लिटर पानी की जरूरत है। (विष्णु)

03 मरला व पत्र क्रमांक 1582-83/ पंचायत दिनांक 20.02.2020 द्वारा ग्राम पंचायत कालका की पंचायत भूमि 27 कनाल 16 मरला जनस्वास्थ्य विभाग को कलैक्टर रेट पर देने की स्वीकृति प्रदान करने के लिए निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को पत्र लिखा हुआ है। निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ से स्वीकृति मिलने पर जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा आवश्यक भुगतान कर दिया जाएगा व उपरोक्त जमीन पर पानी का टैंक बना दिया जाएगा।

2.08.2019

*** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता देना चाहूंगा कि हमने लगभग 69 लाख 86 हजार रुपये के 6 इंच और 4 इंच पाईप का जो एस्टीमेट बनाया था, उसकी सरकार ने मंजूरी दे दी है।

175. ताराकित प्रश्न संख्या 3086 के संदर्भ में श्री जगबीर सिंह मलिक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:-*** अभी तक गांव बोहला में वाटर वर्क्स भी नहीं बनाया गया है और अंडर ग्राउंड पाईप लाईन की व्यवस्था भी शुरू नहीं की

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(10-8-2020)

गांव बोहला में नहरी आधारित जलधर का कार्य पूरा हो चुका है तथा इस जलधर से गांव में पानी की आपूर्ति सुचारु रूप से दी जा रही है तथा गांव में किसी भी प्रकार की कोई भीने के पानी से संबंधित कोई समस्या नहीं है।

गांव दोदवा की जनसंख्या व 2011 में 2715 थी तथा वर्तमान वर्ष 2020 में 3204 जनसंख्या है। गांव दोदवा में जलापूर्ति एक नहरी आधारित जलघर व टयूबेल (जिसका टीडीएस 500 है तथा परिक्षण रिपोर्ट संलग्न है) से 55 प्रति लीटर प्रति व्यक्ति दी जा रही है तथा गांव दोदवा में 90 प्रतिशत पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाई गई है तथा शेष 10 प्रतिशत क्षेत्र में जो पानी की पाईप लाईन बच गई है वह जल जीवन मिशन के तहत लगा दी जाएगी। गांव में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है।

गांव खेड़ी दमकन की जनसंख्या वर्ष 2011 में 4417 थी तथा वर्तमान वर्ष 2020 में 5247 जनसंख्या है। गांव खेड़ी दमकन में जलापूर्ति एक नहरी आधारित जलघर से 55 प्रति लीटर प्रति व्यक्ति से दी जा रही है तथा गांव में 90 प्रतिशत पीने के पानी की पाईप लाईन बिछाई जा चुकी है तथा शेष 10 प्रतिशत क्षेत्र में जो पीने के पानी की पाईप लाईन बच गई है वह

गई है तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में गांव बोहला के लोगों को स्वच्छ पानी मिल जायेगा। इसी प्रकार से गांव डोडवा और गांव खेड़ी दमकन में भी अंडर ग्राउंड पाईप लाईन नहीं खाली गई है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आने वाले समय में इन कमियों को दूर करके इन चारों गांवों के लोगों को पीने का पानी कब तक दिया जायेगा? आर्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इन चारों गांवों के पानी की टीडीएस, संबंधित रिपोर्ट भी बताने का कष्ट करें।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

जल जीवन मिशन के तहत लगा दी जाएगी। गांव में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जलघर की रिपेयर का कार्य भी प्रगति पर है जो जल्दी पूरा हो जाएगा।

गांव गुहणा की जनसंख्या वर्ष 2011 में 4614 थी तथा वर्तमान वर्ष 2020 में 5445 है। इस समय गांव गुहणा की जल आपूर्ति एक नहरी आधारित जलघर व एक गहरा टयूबवेल (जिसका टी0डी0एस0 910 है तथा पक्षिण रिपोर्ट सलग्न है) से 55 प्रति लीटर प्रति व्यक्ति दी जा रही है तथा गांव में पीने के पानी की पाईप लाईन बिछी हुई है गांव में जो पानी की पाईप लाईन बच गई है वह जल जीवन मिशन के तहत लगा दी जाएगी। गांव में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है।

6.08.2019

176. श्री वेद नारंग, एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अतिरिक्त प्रश्न संख्या 813: क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या हांसी विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में गांव बनदाहेड़ी में नई पानी की टंकी निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विद्यारधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

हां, श्री मान जी, एक अनुमान जिसकी लागत 250.00 लाख रुपये है, हांसी विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव बनदाहेड़ी (बांड़ाहेड़ी) में स्वतंत्र जलघर बनाने हेतु अनुमोदित हो चुका है तथा धनराशि भी उपलब्ध करवा दी गई है। यह कार्य हाल ही में आर्बिट्रिट किया गया है और इस कार्य के पूर्ण होने की संभावित तिथि 31.08.2020 है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(10-8-2020)

गांव बांड़ाहेड़ी में स्वतंत्र जलघर का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा निशान देही के उपरान्त शुरू कराया गया था लेकिन गांव वालों के आपसी मत-भेद होने के कारण गांव वालों द्वारा यह कार्य रुकवा दिया है जिसके फैसेल की रिपोर्ट उपर्युक्त महोदय हिसार द्वारा दी जानी है। फैसेल होने पर कार्य शुरू करवाया जाएगा।

24.02.2020

177. श्री मेवा सिंह, द्वारा पूछा गया अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1 क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) हां, श्री मान जी।

(ख) भलार गांव में नव स्थापित ट्यूबवैल से भलार कॉलोनी तक पाईप लाईन बिछाने का कार्य एक अनुमान के अन्तर्गत प्रगति पर है जिसकी अनुमानित लागत 14.55 लाख रुपए है, तथा यह कार्य 31.03.2020 तक पूरा होने की संभावना है।

(क) क्या लाडवा विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के भलार गांव में भलार कॉलोनी तक नव स्थापित ट्यूबवैल से पाईप लाईन बिछाने का प्रस्ताव सरकार के विद्यारधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उक्त पाईप लाईन कब तक बिछाए जाने की संभावना है ?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

25.02.2020

178. श्री जगबीर सिंह मलिक, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 156 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :-
 क) क्या यह तथ्य है कि गोहाना विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांवों पिनाना, तिहाड़ मलिक, भड़ी, जौली तथा रोलद में स्वच्छ तथा पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है; तथा
 ख) यदि हां, तो उपरोक्त गांवों में पर्याप्त स्वच्छ पीने के पानी की आपूर्ति कब तक किए जाने की संभावना है ?

**** मैं यह भी बताना चाहूंगा कि गांव जौली में 234 करोड़ 40 लाख रुपये का नहर आधारित जलधर के नवीनीकरण का कार्य प्रोग्रेस में है और इस कार्य पर अब तक 176 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च भी हो चुके हैं और उम्मीद है कि नहर आधारित जलधर के नवीनीकरण का कार्य 31.12.2020 तक पूरा हो जायेगा।

22.02.2019

179. श्री अमरजीत ढांडा, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 135 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :-
 क) क्या यह तथ्य है कि जुलाना विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांवों खरक रामजी, सिधवी खेड़ा, पधाना, निदाना, निदानी,

**** (ख) सुंदर ब्रांच नहर से गांव पदाना, निदाना और निदानी में नहरी पानी उपलब्ध करने का कार्य 3420.55 लाख रुपये की अनुमानित लागत से प्रगति पर है। जो कि 30.06.2020 तक पूरा होने की संभावना है, इस कार्य के निष्पादन के पश्चात् इन गांवों

शामलो खुई, शामलो कलां, गतौली, गोसाईं खेड़ा में पीने के पानी की समस्या है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त गावों में पीने के पानी की उचित व्यवस्था करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

में पीने के पानी की समस्या का निवारण हो जाएगा।

25.02.2020

180. श्री कुलदीप बिश्नोई, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 24 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि क्या यह तथ्य है कि आदमपुर विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव बुडक, बंदाहेड़ी, कृतिया खेड़ी, तेलनवाली, सुन्दावास, खेरिया, धोबी, बगला, धन्धूर तथा बीर बबरान में पीने के पानी की भारी कमी है; यदि हां, तो क्या उपरोक्त गांवों में नहर आधारित पीने के पानी की आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

***** नहरी पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए और क्षेत्र स्तर पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के साथ विस्तृत परामर्श के पश्चात एक नहरी पानी के प्रबन्धन की परियोजना जिसकी अनुमानित लागत 2554.15 लाख रूपए है, नाबार्ड योजना के तहत दिनांक 29.01.2020 को मंजूरी की गई है, जिसके अंतर्गत 7 जलघरों नामतः बुडक, गोरछी, सरसाना, बालसमंद नया व पुराना, बसरा, और कीर्तन के लिए नहरी पानी का प्रबन्धन किया जाएगा। इस परियोजना के तहत चौधरीवाली माइनर तक 20000. रुपये से नहरी पानी के उठान प्रस्तावित है। जहां पर नहरी पानी की उपलब्धता सुनिश्चित है। यह परियोजना की निविदा प्रक्रिया में है तथा यह परियोजना 31.12.2021 तक पूरा होने

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

की संभावना है। इस परियोजना के पूरा होने के पश्चात् नहरी पानी की उपलब्धता की कमी दूर हो जाएगी तथा मौजूदा नहर अधारित जल घर से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पेयजल की आपूर्ति हो सकेगी।

इसके अलावा गांव सुन्दावास और बागला में समय बीतने के साथ पेयजल योजना के तहत बनाई गई संरचनाओं की क्षमता में कमी आ गई है। पेयजल योजना के अंतर्गत बनाई गई संरचनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमान जिनकी लागत 51.55 लाख रुपए और 226.10 लाख रुपए दिनांक 06.09.2018 तथा दिनांक 03.02.2020 को मंजूरी दी गई है। जिनके तहत कार्य क्रमशः 30.06.2020 तथा 30.09.2021 तक पूरा होने की संभावना है। इन परियोजनाओं के तहत कार्य निष्पादन के पश्चात् इन गांवों में पीने के पानी की कमी का समाधान हो जाएगा।

28.02.2020

181. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, द्वारा पूछा श्रीमान, एक वस्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

क्र	नहर	सम्मिलित अनुमति स्थिति
	आधारित	गांवों की राशि
	जलकर	संख्या
	का नाम	लाभ
		रूप में

1. फेड 6 177235 यह प्रस्ताव नार्बार्ड में सक्रिय रूप से विचारधीन है।

2. सिस्ली 12 362275 यह प्रस्ताव नार्बार्ड में सक्रिय रूप से विचारधीन है।

3. निम्बर 3 1052813 इस प्रस्ताव को वर्ष 2020-21 में नार्बार्ड को भेजा जाएगा।

आशा है कि प्रशासनिक अनुमति एवम् नार्बार्ड से पर्याप्त राशि आवंटित होने के उपरान्त इन तीन नहर आधारित जलघरों को पूरा करने में दो वर्ष का समय लगेगा।

28.02.2020

अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो गुप हैं एक है मेरंडा समूह और दूसरा है सिस्सली समूह, इन दोनों की एप्रुवल आ चुकी है और इसके बाद यहां पर डैडर प्रक्रिया को भी शुरू कर

182. ताराकित प्रश्न संख्या-263 के संदर्भ में श्रीमती नैना चौटाला द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना

श्रीमती नैना चौटाला द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

चाहती हूँ कि बाकायदा इसका प्रयोजन बना हुआ है। इसमें तीन ग्रुप लिए हैं जिसमें पहला ग्रुप गांव निम्बड़-बड़ेसरा जिसको 105 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई है, दूसरा ग्रुप गांव मेहड़ा जिसको 17 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई है और तीसरा ग्रुप गांव सिरसली जिसको 36 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई है। ये 53 गांव जो हैं वे इन तीनों ग्रुपों में कवर होंगे तथा उसमें 35 गांवों को और शामिल करके बुस्टिंग स्टेशन सिस्टम का पूरा प्लान बना हुआ है, बस केवल विभाग द्वारा वहां काम शुरू करने की देरी है। मंत्री जी, आप इस काम को कब तक शुरू करवायेंगे, *****

183. तारकित प्रश्न संख्या-336 के संदर्भ में श्री मोहन लाल बड़ौली द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: उपाध्यक्ष महोदय, 16.

दिया है। जो तीसरा निम्बड़ बड़ेसरा ग्रुप है उसकी टी.पी.आर. को बनाया जा रहा है। इस ग्रुप के लिए जमीन मिलाने में कुछ देरी हुई थी जिसकी वजह से यहां पर कुछ दिक्कत आई थी परन्तु बावजूद इसके मैं कहना चाहूंगा कि आगामी दो साल के अंदर यह काम पूरा हो जायेगा।

28.02.2020

उपाध्यक्ष महोदय, जनगणना के हिसाब से कुंडली गांव की वर्ष 2011 में 21633 की पॉपुलेशन थी और वर्ष 2020 में 25627 पॉपुलेशन

10.2018 को कुंडली गांव को नगरपालिका का दर्जा दिया गया था ***** उसके बाद वहां के लोगों को एक आस लगी थी कि अब हमारे गांव में पीने के पानी व सीवरेज की व्यवस्था हो जाएगी लेकिन अभी काफी समय निकल गया है अभी तक वहां पीने के पानी व सीवरेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है *****

है। वहां की जलापूर्ति चार ट्यूबवैल के जरिये 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न सीवरेज सिस्टम का था। पहले यह गांव सैंसिज टाऊन में आ गया था। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अब इसका फैसला हो गया है और अब यह गांव नगरपालिका में आ गया है तो अब इस गांव में सीवरेज लाइन बिछा दी जाएगी।

28.02.2020

184. वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के संदर्भ में।

160. कुल 87 शहरों में से, 78 शहरों में 75 प्रतिशत से ज्यादा सीवर लाइन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 9 शहरों में से, भूना, बराड़ा, इस्माईलाबाद व सढ़ौरा में सीवर लाइन लगाने का कार्य प्रगति पर है। बास, नांगल चौधरी, राजौद, जाखल व सिसाय कसबों में सीवर लाइन लगाने का कार्य वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सीवरेज लाइन लगाने का कार्य कालावाली, मण्डी डबवाली, नारायणगढ़, पिंजौर, रतिया, सिरसा, नीलोखड़ी, निसिंग, इस्माईलाबाद, गाहाना, तारावड़ी, फिरोजपुर बिरका, पुन्हाना, हसनपुर, होडल तथा घरौडा में

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भी चल रहा है, जो इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा। वित्त वर्ष 2020-21 में लगभग 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

161. अब तक 80 शहरों में 124 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया गया है। एक नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भूना में जून, 2020 तक स्थापित कर दिया जायेगा व शेष 6 शहरों नामतः नांगल चौधरी, राजौन्द, इस्माईलाबाद, सिसाय, बास व सढौरा में परिशोधन संयंत्र लगाने का कार्य आगामी वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू किया जायेगा। इन्द्री, पलवल व युमनानगर में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जगह नये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जायेंगे तथा इसके अलावा कैथल, पूडरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, सिरसा, रोहतक, तोशाम, असंध व सिवानी के मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उन्नयन किया जायेगा।

28.02.2020

185. वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के संदर्भ में।

172 सिंचाई के क्षेत्र में बड़े नीतिगत बदलाव के तहत "हर खेत को पानी" के ध्येय को साकार करने के लिए जलमार्गों को पक्का करने की लम्बाई को कृषि कमांड क्षेत्र के अनुरूप 24 फुट प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 फुट प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया गया है। कच्चे जलमार्गों को पक्का करना एवं पुराने जलमार्गों का पुनर्वास 9 इंच मोटी दीवार द्वारा किया जाएगा, जिसके परिणाम-स्वरूप राज्य में सिंचाई सघनता में वृद्धि होगी। पुनर्वास के लिए वर्तमान में 20 वर्ष की अवधि को जहां किसान चाहेंगे, कम करके 15 वर्ष कर दिया जाएगा। ये भी कुछ विधायकों का सुझाव आया था।

03.03.2020

186. ताराकित प्रश्न संख्या 179 के सन्दर्भ में श्रीमती निर्मल रानी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि गन्नौर निर्वाचन क्षेत्र के गांव बड़ी, ललहेड़ी कलां, ललहेड़ी

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की चिंता के मद्देनजर इनको आश्वस्त करता हूँ कि हम इन गांवों में जो वस्तुस्थिति चल रही है, उसकी जांच करवा कर यथासंभव प्रभावी कदम उठाएंगे।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

खुर्द राजलू गढ़ी तथा भोगीपुर का भूमिगत जल दूषित हो गया है। गग वहां पानी की सप्लाई तो दे दी गई है लेकिन जो ग्राउंड वाटर दूषित हो रहा है उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? गग गांव बड़ी इंडस्ट्रीयल एरिया में जो कैमिकल की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं उनका रिवर्स बोर किया हुआ है जिनका गन्दा पानी नीचे जमीन में जा रहा है। माननीय मंत्री जी मेरी इस बात का भी जवाब दें कि हमारे यहां जिन गांवों का मैंने जिक्र किया है जब यहां पर बोर करके पानी निकाला जाता है तो वह गुलाबी रंग का निकलता है। इस गंदे पानी की वजह से इन गांवों में हर पांचवीं मौत कैन्सर और काला पीलिया जैसी भयानक बीमारियों की वजह से हो रही हैं। इन गांवों का अगर सर्वे करवाया जाए तो पायेंगे कि यहां पर हालात बहुत गम्भीर बने हुए हैं।

03.03.2020

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है, उसकी जांच करवा कर समस्या को दुरुस्त करवा दिया जायेगा।

187. तारकित प्रश्न संख्या 179 के सन्दर्भ में श्री धर्म सिंह छोककर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: गग अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र का एक गांव चुलकाना है जिसकी आबादी लगभग 20000 के करीब है। इस गांव को टच करते हुए एक शराब की फैक्ट्री लगी हुई है। इस फैक्ट्री से जो कैमिकल युक्त पानी निकलता है वह सारा पानी बोर करके जमीन में छोड़ दिया जाता है इस गांव के साथ लगते 10 गांवों में कैसर व काला पीलिया के 700-700, 800-800 पेशेंट्स मिल जायेंगे। इस समस्या के बारे में माननीय सदस्य श्रीमती निर्मल रानी ने भी बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में जवाब चाहता हूँ कि क्या इस फैक्ट्री को शिफ्ट किया जायेगा या कोई अन्य प्रावधान किए जायेंगे, कृपा करके मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें।

03.03.2020

हां, गांव दतौली के जलघर को सतनाली फीडर से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा 31.07.2020 तक पूरा होने की संभावना है।

188. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, द्वारा पूछा गया अतिरिक्त प्रश्न संख्या 77 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या बाढ़वा

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

निर्वाचनक्षेत्र के सतनाली फीडर के साथ गांव दतौली के जल-घर को जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक जोड़े जाने की संभावना है ?

189. श्री सुभाष गांगोली, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 114 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएं:-

(क) क्या यह तथ्य है कि नरवाना विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव खरल में खाले जिनसे जल घरों को पानी का आपूर्ति की जाती है के क्षतिग्रस्त होने के कारण उक्त जल घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है;

(ख) क्या यह तथ्य है कि उपरोक्त जल घरों में निर्मित टैंक क्षतिग्रस्त है; तथा XXX

26.08.2020

(क) व (ख) हा श्रीमान जी, क्षतिग्रस्त इनलैट चैनल (खाले) व एस एण्ड एस टैंकों की मरम्मत हेतु एक अनुमान तैयार किया जा रहा है। XXX

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5
190.	तारांकित प्रश्न संख्या 156 के संदर्भ में श्री पिरथी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि नरवाना का महिला महाविद्यालय कब तक बना दिया जाएगा?	25-03-2015 xx में माननीय सदस्य श्री पिरथी सिंह जी की भावनाओं से सहमत हूँ। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यदि श्री पिरथी सिंह जी वहाँ पर एक कन्या महाविद्यालय बनाए जाने की बहुत आवश्यकता महसूस करते हैं तथा उन्होंने कहा भी है कि वे जमीन और भवन की व्यवस्था भी करवाएंगे तो मैं आदरणीय सदस्य को आश्वासन करना चाहूँगा कि सरकार वहाँ पर कन्या महाविद्यालय बनाने पर विचार करेगी। xx में माननीय सदस्य को आश्वासन करता हूँ कि हम इनकी बात पर पूरा गौर करेंगे।	जमीन और भवन की उपलब्धता हेतु उपायुक्त जींद को पत्र क्रमांक 04/ 1-2017 W (2) दिनांक 29.9.2020 के माध्यम से लिखा जा चुका है। जमीन और भवन की व्यवस्था अभी तक नहीं करवाई गई है।	The Committee would like to know the latest position in this regard. (11-11-2020)
191.	तारांकित प्रश्न संख्या-1281 के संदर्भ में श्री जसबीर देशवाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो 6 राजकीय	21.3.2016 अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री जसबीर देशवाल जी के द्वारा जो जामनी और पिल्लू खेड़ा में लड़कियों के लिए महाविद्यालय खोलने की बात कही गई है ***** जहाँ तक पिल्लूखेड़ा में महिला कॉलेज की खोलने की बात है तो	राजकीय महाविद्यालय पिल्लूखेड़ा में कक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2019-20 से राजकीय व0म0 विद्यालय पिल्लूखेड़ा में आरम्भ हो चुकी है तथा पत्र दिनांक	The Committee would like to know the latest position in this regard. (11-11-2020)

महाविद्यालय खोलने की बात है यह कहां-कहां खोले जाएंगे *****मेरा जामनी गांव है जो गिल्लुखेड़ा और जीन्द के बीच में पड़ता है। क्या इस कस्बे में भी लड़कियों के लिए कोई महाविद्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव है। मैंने पहले भी इसकी मांग रखी है।

मैं उस परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य श्री ऊसबीर सिंह देशवाल जी को बताना चाहूंगा कि इस बार 11 नये कॉलेजिज खोलने पर विचार किया जा रहा है।

26.2.2020 के तहत कॉलेज में पद सृजित किए जा चुके हैं।

28.02.2017

192. तारकित प्रश्न संख्या-1678 के संदर्भ में श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: *** अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र फतेहाबाद में नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खोलने संबंधी प्रश्न का जवाब 'हां' में दिया है, मैं बहुत आभारी हूंगा यदि माननीय मंत्री जी फतेहाबाद में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के शिलान्यास संबंधी कोई तारीख भी निश्चित कर दें।

*** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया जी को बताना चाहूंगा कि वह फतेहाबाद में जिस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के शिलान्यास के बारे में जानना चाहते हैं, उस संदर्भ में मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि इसी वित्त वर्ष में इस कॉलेज का शिलान्यास करना हमारी प्राथमिकता रहेगी।

राजकीय महिला महाविद्यालय भोड़िया खेड़ा राजकीय महाविद्यालय रतिया राजकीय महिला महाविद्यालय रतिया राजकीय महाविद्यालय भूना राजकीय महाविद्यालय टोहाना और राजकीय महाविद्यालय भट्ट कला चल रहे हैं। महाविद्यालय में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस वर्ष में हरियाणा राज्य में मैपिंग अनुसार 15 नए महाविद्यालय खोले जा चुके हैं।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (11-1-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

193. श्री पिरथी सिंह नम्बरदार द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1911 - क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि गांव खरल जिला जीन्द में वर्ष 2014 में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर का शिलान्यास किया गया था; यदि हां, तो रीजनल सेंटर के इमारत के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है तथा उपरोक्त रीजनल सेंटर के कब तक कार्य आरम्भ कर दिए जाने की संभावना है ?

28.02.2017

हों, श्रीमान्। भवन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 03.01.2016 को भवन के नक्शे तथा 13.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत का अनुमोदन कर दिया गया है और भवन निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ हो जाएगा। इस केन्द्र में 600 लड़कियां पूर्व कच्चा गुरुकुल खरल के भवन में शिक्षारत हैं।

खरल रीजनल सेंटर का निर्माण कार्य भगत फूल सिंह महिला विश्व विद्यालय, खानपुर कलां द्वारा किया जाना था और उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार उनके पत्र नंबर BPSMV / Engg.19/959, दिनांक 02.07.2019, दवारा प्राप्त चित्र, विस्तृत और DNTI आदि के लिए अनुमानित 13.50 करोड़ रुपये विश्वविद्यालय के सलाहकार दवारा तैयार किया गया था। 5.00 Crore को केंद्र के भवन के निर्माण के लिए दिनांक 11.01.2019 को उनके पत्र एचएसआरडीसी को हस्तांतरित कर दिया गया है। केंद्र भवन के संरक्षण के लिए एचएसआरडीसी को कुल 8.00 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है। (4 करोड़ रुपये रीजनल सेंटर के लिए।) रीजनल सेंटर का निर्माण एचएसआरडीसी दवारा किया जाना है। तत्पश्चात

The Committee would like to know the latest position in this regard. (11-11-2020)

विश्वविद्यालय ने 20.12.2019 के उनके पत्र को सह कर दिया और बताया कि अकादमिक ब्लॉक भवन के निर्माण के लिए निविदा अपने पूरे जोरों पर है। और लगभग मौके पर 10% काम पूरा हो गया है। निर्माण कार्य की कुछ तस्वीरों को भी संलग्न किया गया है।

3.03.2017

194. श्री सुभाष सुधा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1840 : क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि कुलक्षेत्र विश्व-विद्यालय की मेस में कार्य कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन किस श्रेणी के अधीन दिया जा रहा है ?

XX यह बात सही है कि कुलक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसमें 25 होस्टल हैं जिनमें 12 ब्याज के और 13 गर्ल्स के होस्टल हैं। इनमें 6537 विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं और इनमें तदनुसार 296 टोटल कर्मचारी काम करते हैं। वहां पर सैल्फ फाइनेंस वाले जो कांटेक्ट पर मेस लिए हुए हैं, वे उन कर्मचारियों को 5500 रुपये देते हैं और जो बच्चे आपस में को-ऑपरेटिव मेस चलाते हैं, वे 2300 रुपया देते हैं। कुल-मिलाकर इनको 7000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है। माननीय विधायक जी चाहते हैं कि इन कर्मचारियों को डी.सी रेट पर वेतन मान दिया जाए। अभी इन कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मामला लेबर कोर्ट में विचाराधीन है, उसका निर्णय आने के बाद ही हम इस बात पर विचार करेंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (11-11-2020)

माननीय लेबर कार्ट द्वारा दिनांक 31.03.2017 को दिए गए अवार्ड को सिविल रिट याचिका क्रमांक 16712/2017 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है और मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले आदेशों की पालना में अपील के अधिकार समाप्त होने उपरान्त कार्यवाही कर ली जाएगी।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

7.03.2017

195. ताराकित प्रश्न संख्या 1841 के संदर्भ में सरदार जसविन्द्र सिंह संधू द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: *** जैसे टैक्नीकल कॉलेजिज, बी.एड. कॉलेजिज वे किसी दूसरी यूनिवर्सिटी को स्थानांतरण कर दिये गये थे क्या वे दोबारा से इसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अण्डर जाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने पीछे जो वायदा किया था अभी तक तो वह वायदा पूरा नहीं किया है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसके बारे में सदन को बताएं कि वे कॉलेजिज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अण्डर वापिस कब तक आ जाएंगे ?

*** उस संबंध में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर उस पर अच्छी तरह से चिन्तन कर लिया है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई बी.एड. कॉलेज, कोई टैक्नीकल कॉलेज किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा।

*** अध्यक्ष महोदय, हम अपने साथी जसविन्द्र सिंह संधू को इसी सत्र के चलते उनके वापिस आने की चिट्ठी दे देंगे।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि रिट याचिका का समूह मुख्य सीडब्ल्यूपी संख्या 15399/2017 जिसमें अधिसूचनाएं 21.06.2017 में राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को फिर से परिभाषित करने को चुनौती दी गई हैं और ये सब रिट याचिकाये निर्णय के लिए लंबित हैं। मामले 03.11.2020 तय हैं।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (11-11-2020)

22.02.2019

196. ताराकित प्रश्न संख्या 2882 के संदर्भ में श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- XXX हमारे मेवात

XXX स्पीकर सर, मैं जाकिर भाई को यह बात कहना चाहता हूँ कि जो नागल गांव की 110 एकड़ जमीन है ये उसका प्रस्ताव वहां

मामला राज्य सरकार के विचारधीन है।

की ग्राम पंचायत से या जो उस जमीन का मालिक हो उसकी तरफ से सरकार को जल्दी से जल्दी भिजवायें। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि यह सरकार उस जमीन पर विश्वविद्यालय बनाने के बारे में जरूर विचार करेगी।

जिले से माननीय शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा जी का पुराना नाता है और उन्होंने खुद ही जिक्र किया कि मेरे वालिद साहब मरहूम चौधरी तैयब हुसैन जी का मंत्री जी से भाईयों वाला संबंध रहा है। हम भी माननीय मंत्री जी को अपने चाचा जी के तौर पर मानते हैं और माननीय मंत्री जी भी हमें अपने परिवार के सदस्य की तरह ही मानते हैं। कल मेरी बिटिया यहां पर आयी थी तो माननीय मंत्री जी ने उन्हें शगुन भी दिया था। हमारा माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। मेरे वालिद साहब और माननीय सदस्य श्री नसीम अहमद जी के वालिद साहब चौधरी शकरुल्ला जी के साथ माननीय शिक्षा मंत्री जी ने काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमारे मेवात जिले के लिए एक यूनिवर्सिटी मंजूर हो जाएगी।

XXX

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

24.02.2020

197. श्री विरंजीव राव, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 25 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :-
- (क) क्या रेवाड़ी में लड़कों के राजकीय महाविद्यालय की ईमारत का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा
- (ख) हाँ, श्रीमान जी। राजकीय महाविद्यालय, रेवाड़ी के भवन के निर्माण का कार्य वित्त वर्ष 2020-21 में आरम्भ कर दिया जायेगा।

26.02.2020

198. तारांकित प्रश्न संख्या 42 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री कुलदीप बिश्नोई द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : शैक यू अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के आदमपुर के बालसमंद गांव की 9.5 एकड़ जमीन में हुड़ा साहब की सरकार ने एक कॉलेज बनाने का
- अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार जो भी कार्यवाही बनती होगी वह हम करेंगे। अगर कुछ गलत है तो हम निश्चित तौर पर खाली करवाएंगे।

प्रपोजल बनाया था। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री के रिश्तेदारों ने उस 9.5 एकड़ जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उस पर वर्ष 2016 में स्टे लिया गया था लेकिन 9 अक्टूबर, 2017 से वह स्टे वैकैट हो गया है। अब उस पर न्यायालय ने पंचायत के हक में फैसला कर दिया है। अतः अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार उसको खाली करवाएगी। इसके अलावा अगर कॉलेज बनाने का प्रावधान है तो सरकार उसको खाली करवाकर कॉलेज कब तक बनवाएगी? इसके अतिरिक्त उसके खाली न करवाने का क्या एक कारण यह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के रिश्तेदारों का कब्जा है? XX अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस जमीन को कब तक खाली करवा दिया जाएगा?

26.02.2020

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूँगा कि इस राजकीय महाविद्यालय के लिए 71 कनाल 9 मरला

199. तारकित प्रश्न संख्या 236 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री जगदीश नायर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए उन्होंने कोई फण्ड अलॉट किया है? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इसके ऊपर कुल कितना पैसा खर्च होगा? इसके अलावा यह भी जानकारी दी जाये कि इस कार्य के टेंडर इत्यादि कब तक इनवाईट करवा लिये जायेंगे।

जमीन पंचायत विभाग से लीज पर ली गई है। यह जमीन शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफर हो गई है। इसी वर्ष गर्वनमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मण्डौली में इस अकेडेमिक सेशन से कक्षाएं शुरू कर दी जायेंगी। पी. डब्ल्यू. डी. (बी. एण्ड आर.) से जैसे ही ले-आउट प्लॉन प्राप्त होगा उसके बाद इस राजकीय कॉलेज की बिल्डिंग का कार्य शुरू करवा दिया जायेगा। XX अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके ध्यान से माननीय सदस्य से अनुरोध है कि मैं उनको लिखित में इस प्रश्न का उत्तर भिजवा दूंगा। मेरे हिसाब से इसका उत्तर यही है कि हमने मण्डौली में कॉलेज के लिए 71 कनाल 9 मरले जमीन का इंतजाम कर लिया है तथा जैसे ही इसका ले-आउट प्लान तैयार हो जायेगा हम इस पर निर्माण कार्य शुरू कर देंगे। XX

26.02.2020

हैं, श्रीमान् जी, राजकीय कन्या महाविद्यालय, पिल्लूखेड़ा की कक्षाएं चालू शैक्षणिक सत्र 2019-20 से वैकल्पिक भवन में चलाई जा रही हैं। ग्राम जामनी में महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु 8 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है जिसका निर्माण कार्य प्रस्तावित भूमि के अधिगृहण उपरान्त तुरन्त आरम्भ कर दिया जाएगा।

26.02.2020

अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

200. श्री सुभाष गांगोली, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 62 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि पिल्लूखेड़ा के राजकीय विद्यालय के कक्षा कमरों में राजकीय महिला महाविद्यालय, पिल्लूखेड़ा की कक्षाओं का आयोजन हो रहा है; यदि हां, तो उक्त महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

201. तारांकित प्रश्न संख्या 62 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री सुभाष गांगोली द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस कॉलेज का नामकरण महर्षि जमदग्नि के नाम पर रखा जाए क्योंकि जो इसके लिए जमीन दी गई है वह बहुत ही कीमती है और वह जमीन महर्षि जी के डेरे की जमीन है। अतः इसके लिए जो प्रस्ताव दिया है उसके अन्दर भी इसका जिक्र किया गया है इसलिए इस कॉलेज का नामकरण महर्षि जमदग्नि के नाम पर किया जाए।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

27.02.2020

202. श्री प्रदीप चौधरी, द्वारा पूछा गया
तात्कालिक प्रश्न संख्या 52 क्या शिक्षा
मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य
है कि राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रायपुर-रानी अपनी इमारत के बिना
ही चल रहा है; यदि हां, तो उक्त
महाविद्यालय की इमारत का निर्माण
कब तक किये जाने की संभावना है
तथा उसका व्यौरा क्या है ?

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) राजकीय कन्या महाविद्यालय,
रायपुर-रानी की इमारत का निर्माण
30.04.2020 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

28.02.2020

203. वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के
संदर्भ में।
72. भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा
विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत
कराने हेतु महाविद्यालयों में एक नई
महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता
के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत
अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट
निःशुल्क बनाए जाएंगे।

02.03.2020

204. श्री सत्य प्रकाश जरावत, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 275 रू क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या मानेसर में राजकीय महिला महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसे कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

हां, श्रीमान जी। महाविद्यालय का निर्माण कार्य वन विभाग से महाविद्यालय सिल की अनापत्ति प्राप्त होने उपरान्त शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा।

02.03.2020

205. श्री लीला राम, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 128 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि जिला कैथल के गांव मुंदरी में महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

महोदय, महर्षि बाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, गांव मुंदरी, जिला कैथल का निर्माण कार्य छः महीने के भीतर आरम्भ होने की संभावना है।



OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

206. श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न सं या 343 - क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या वर्ष 2004 तथा 2005 के दौरान जिला महेन्द्रगढ़ के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियमित/नियुक्त करने में हुई अनियमितताओं के संबंध में शपथ-पत्र के साथ कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई; तथा

(ग) क्या चूकों के लिए कोई जिमेवारी निश्चित की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या

तारांकित प्रश्न 343 के भाग (क) (ख) एवं (ग) अंकित विवरण :- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों/रेगुलराइजेशन में होने वाली अनियमितताओं बारे श्री राजेश कुमार जे.बी.टी. अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बास खुडाना (महेन्द्रगढ़) से एक शिकायत प्राप्त हुई थी।

इस मामले में प्रारम्भिक जांच संयुक्त निदेशक प्रशासन (प्राथमिक) द्वारा करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित कर्मचारियों जिन्हें अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था, को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए थे। तत्पश्चात इन कर्मचारियों ने माननीय उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका क्रमांक 6241/05 दायर की थी और माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय 25.4.2005 के अन्तर्गत इन कारण बताओ नोटिसिज को रद्द कर दिया गया था। विचारोपरान्त हरियाणा सरकार ने अपने पत्र

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6-7-2020)

क्र अधिकारी का नाम वर्तमान स्थिति 30.06.2020 व पद संज्ञा

1 आशा रानी (018073) खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी (सेनिओर) विभाग के आवेष्ट क्रमांक 03.03.2018 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चाउशीट की गई थी व दोषी अधिकारी का जवाब दिनांक 26.07.2018 को प्राप्त हुआ। तदनुसार मामला माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत किया गया उसके उपरान्त सूक्ष्म अधिकारी द्वारा आदेश दिये गये कि जो चतुर्थ दोषी अधिकारी द्वारा लगाये गये हैं उनकी वर्तमान स्थिति के साथ मामला पुनः प्रस्तुत करें। जिला शिक्षा अधिकारी हिसार को उपर्युक्तानुसार दिनांक 19.04.2018, 01.06.2018 व 14.08.2018 को पत्र लिखे गये थे। मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही तदनुसार मामले में अतिरिक्त आगामी कार्यवाही कर ली जाएगी।

2 श्री जय सिंह (051847) खंड शिक्षा अधिकारी, कर्नाल को विभाग के आवेष्ट क्रमांक 03.03.2018 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चाउशीट जारी की गई थी। उसके बाद माननीय आखरी डेपुटी अतिरिक्त जिला एवं सेशन जज, विशेष जज नानावत को एफओआईआर नं 10 दिनांक 22.02.2008 में पारित आदेश दिनांक 13.05.2016 के तहत 5 साल की सजा सुनाई गई।

है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

क्रमांक 63/64/2004-चौ (ii) दिनांक 17.1.06 के अन्तर्गत मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिये। यह जांच रिपोर्ट अभी भी आपेक्षित है।

उपरोक्त विभागीय जांच के आधार पर, 48 कर्मचारियों जिनमें दो जिला शिक्षा अधिकारी, एक जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, छः उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, बाईस खण्ड शिक्षा अधिकारी, तीन प्राचार्य एवं चौदह मुख्याध्यापक इन अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी पाये गये थे। इससे पहले की इन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती इसी शिकायतकर्ता श्री राजेश कुमार जे.बी.टी. अध्यापक, राजकीय प्राथमिक शिक्षा विद्यालय, बास बुडाना (महेन्द्रगढ़) ने एक नई जनहित याचिका के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका क्रमांक 1562/05 दायर कर दी और नई जांच करवाने की मांग की। तदनुसार विभाग द्वारा संयुक्त निदेशक कार्यालय आयुक्त एवं महानिदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा को जांच अधिकारी नियुक्त करके मामले में पुनः नई जांच करवाने के आदेश दिये। इस दौरान हरियाणा चौकसी विभाग ने भी अपने पत्र क्रमांक 63/64/2004-चौ

तदानुसार कार्यवाही करने हुए विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2019 के तहत दोषी अधिकारी की पैनल रोक ली गई।

प्राची का जवाब दिनांक 26.03.2016 को प्राप्त हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी गिवानी से 26.07.2016 को उक्त जवाबदावे को टिप्पणी प्राप्त हुई जिससे दोषी अधिकारी का जवाब सतर्कजनक नहीं पाया गया। उसके उपरान्त श्री आरओआर बनसवाल, सेवा निवृत्त भा090से0 अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 21.03.2018 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें श्री धर्मवीर सिंह दोषी पाया गया। दोषी अधिकारी को नियमानुसार विभाग के पत्र दिनांक 19.09.2018 को जांच रिपोर्ट की प्रति भेज कर उसका प्रतिवेदन मांगा गया। दोषी अधिकारी से प्रतिवेदन 15.10.2018 को प्राप्त हुआ। सखम अधिकारी द्वारा दोषी अधिकारी को दिनांक 30.05.2019 को निजि सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। उसके बाद पुनः दोषी अधिकारी को 30.08.2020 को निजि सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया परन्तु कोरोना महामारी के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब दोषी अधिकारी को दिनांक 31.08.2020 को निजि सुनवाई का मौका प्रदान किया गया है।

श्री राजपाल प्राचार्य को विभाग के आदेश क्रमांक 03.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी व दोषी अधिकारी का जवाब दिनांक 22.03.2016 को प्राप्त हुआ। तदनुसार श्री दीपक श्रीवास्तव सेवा निवृत्त भा090से0 अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 15.01.2019 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें श्री धर्मवीर सिंह दोषी नहीं पाया गया। उसके बाद दोषी अधिकारी की चार्जशीट विभाग के आदेश दिनांक 15.05.2019 के तहत फाईल कर दी गई।

3 श्री धर्मवीर सिंह
(006278)
प्राचार्य
राजपाल
शिक्षा कला
गिवानी

4 श्री राज पाल
संजान
(004460)
प्राचार्य
राजपाल
भारत गिवानी

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ii) दिनांक 17.1.2006 के अन्तर्गत इस मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिये। जांच रिपोर्टस प्राप्त होने उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

क्र अधिकारी का नाम वर्तमान स्थिति 30.03.2020 व पद संका

5 श्रीमती प्रेम लता (008882) प्रचार्य श्रीमती प्रेम लता (008882) प्रचार्य को विभाग के आदेश क्रमांक 03.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी व दोषी अधिकारी का जवाब दिनांक 22.03.2016 को प्राप्त हुआ। तत्वावधान्त श्री ओपी लॉगान, सेवा निवृत्त माफ़सेओ अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 18.03.2019 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें श्री बर्मवीर सिंह दोषी नहीं पाया गया। उसके बाद दोषी अधिकारी की चार्जशीट को फाईल कर दिया गया।

6 श्रीमती रजमल (0086756) प्रचार्य श्रीमती रजमल (0086756) पूर्व मुख्यअध्यापिका राष्ठाकि खन्क, प्रचार्य को विभाग के आदेश क्रमांक 03.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी व दोषी अधिकारी का जवाब दिनांक 01.04.2016 को प्राप्त हुआ। तत्वावधान्त श्री ओपेओश्रीवास्ताव, सेवा निवृत्त माफ़सेओ अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 23.01.2019 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें श्रीमती रजमल दोषी नहीं पाई गयी। उसके बाद दोषी अधिकारी की चार्जशीट विभाग के आदेश दिनांक 26.07.2019 के तहत फाईल कर दिया गया।

7 श्रीमती निर्मल श्योनन (008163) प्रचार्य श्रीमती निर्मल श्योनन (008163) प्रचार्य को विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी व दोषी अधिकारी का जवाब दिनांक 07.04.2016 को प्राप्त हुआ। तथा दिनांक 20.06.2018 को दोषी अधिकारी की चार्जशीट फाईल कर दी गई।

क्र अधिकारी का नाम दर्शान स्थिति 30.06.2020

व पद संज्ञा

(संनिधि)

30.04.2017)

8 श्री जय भगवान
खटक
(072238)
उपनिष्ठा
(संनिधि)
30.04.2017)

9 श्रीमती बिमला
रानी (008103)
प्रचार्य डाईट
(संनिधि)
30.04.2016)

10 श्री रणधीर सिंह
(008880)
जिला मैलिक
शिक्षा अधिकारी
(संनिधि)
31.03.2016)

11 श्री राम पाल
सिंह (072238)
जिला मैलिक
शिक्षा अधिकारी
(संनिधि)
31.05.2017)

श्री जय भगवान खटक को विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी व देसी अधिकारी का जवाब दिनांक 04.04.2016 को प्राप्त हुआ। तथा दिनांक 20.06.2018 को देसी अधिकारी की चार्जशीट फाईल कर दी गई।

श्रीमती बिमला रानी को विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी व देसी अधिकारी का जवाब दिनांक 05.04.2016 को प्राप्त हुआ। मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही मामले में अतिरिक्त तदनुसार कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री रणधीर सिंह को शोकाज नोटिस दिनांक 23.05.2018 को जारी किया गया तथा दिनांक 20.06.2018 को देसी अधिकारी की चार्जशीट फाईल कर दी गई।

श्री राम पाल सिंह को विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी व देसी अधिकारी का जवाब दिनांक 04.04.2016 को प्राप्त हुआ। तथा दिनांक 20.06.2018 को देसी अधिकारी की चार्जशीट फाईल कर दी गई।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

क्र अधिकारी का
नाम व
पद संज्ञा

वर्तमान स्थिति 30.06.2020

12 श्री अन्तर सिंह को विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट दी गई थी व दोषी अधिकारी का जवाब दिनांक 04.04.2016 को प्राप्त हुआ। तथा दिनांक 20.06.2018 / 13.08.2019 को दोषी अधिकारी की चार्जशीट फाईल कर दी गई।

श्री अन्तर सिंह
054916)
जिला मैलिक
शिक्षा
अधिकारी
(संज्ञि)
31.07.2016

13 श्री सतबीर सिंह सिरौहा (005425) जिला मैलिक शिक्षा अधिकारी (संज्ञि) 30.11.2016

श्री सतबीर सिंह सिरौहा
(005425)
जिला मैलिक
शिक्षा
अधिकारी
(संज्ञि)
30.11.2016

14 श्री अनिल कुमार (008578) जिला मैलिक शिक्षा अधिकारी (संज्ञि) 30.11.2016

श्री अनिल कुमार को चोकाज नोटिस दिनांक 24.05.2018 को जारी किया गया। मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही तदनुसार मामले में अविलम्ब आगामी कार्यवाही कर ली जाएगी।

क्र	अधिकारी का नाम व पद संज्ञा	यार्जिन स्थिति	30.06.2020
	शिक्षा अधिकारी (से.नि.)		
15	श्रीमती सतोषा हुड्डा को विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2016 के हुड्डा (017753) तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी तथा दिनांक 10.10.2017 के तहत दोरी अधिकारी की चार्जशीट फाईल कर दी शिक्षा अधिकारी (से.नि.)		
	30.09.2017		
16	श्री मूल चन्द यादव (027238) उपनिदेशक (से.नि.) 30.11.2016	श्री मूल चन्द यादव को विभाग के आदेश दिनांक 08.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी व दोरी अधिकारी का जवाब दिनांक 04.04.2016 को प्राप्त हुआ। उसके बाद श्री औपसेकर्म सयुक्त निदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। तथा दिनांक 17.06.2020 को दोरी अधिकारी की चार्जशीट फाईल कर दी गई।	
	30.09.2017		
17	श्रीमती कृष्णा सिंहाग (016131) जिला मैलिक शिक्षा अधिकारी (से.नि.)	श्रीमती कृष्णा सिंहाग को विभाग के आदेश दिनांक 03.03.2016 के तहत नियम-7 के अन्तर्गत चार्जशीट की गई थी तथा दिनांक 08.05.2017 के तहत दोरी अधिकारी की चार्जशीट फाईल कर दी गई।	
	30.12.2016		

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

207. श्री राजदीप फौगाट द्वारा पूछा गया अतारक्षित प्रश्न संख्या 494 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गांव घीकरा के राजकीय विद्यालय की जीर्ण-शीर्ण इमारत का पुनर्निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा): श्रीमान जी, विभाग द्वारा गांव घीकरा के सरकारी स्कूल के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसके लिए 1.33 करोड़ रुपये की राशि दिनांक 10.10.2017 को जारी की गई है और यह कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायेगा।

हरियाणा राज्य स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय प्राथमिक पाठशाला/उच्च विद्यालय घीकरा के भवन निर्माण का कार्य सम्पूर्ण रूप माननीय मुख्य मंत्री महोदय की घोषणा संख्या 14985 दिनांक 18.09.2016 हेतु राजकीय प्राथमिक पाठशाला घीकरा के विद्यालय परिसर के निर्माण के लिए कुल 234.25 लाख रु० की राशि स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस विद्यालय का निर्माण कार्य दिनांक 03.07.2019 को प्रारम्भ करवाया जा चुका है। अब तक इस निर्माण कार्य पर कुल 118.00 लाख रु० की राशि खर्च की जा चुकी है।

इस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु भूतल पर ईट लगवाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पहली मंजिल

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6-7-2020)

पर ईंट लगवाने का कार्य अभी प्रगति पर है। उक्त विद्यालय का 63 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। Roof laid of ground, first and second floors का कार्य पूरा किया जा चुका है। इस विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य दिनांक 02.01.2021 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

6.03.2018

208. तारांकित प्रश्न संख्या 2372 के संदर्भ में श्री वेद नारांग द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे की:-

(क) जी, हां।

(ख) क्या यह तथ्य है कि बरवाला विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के मिल गेट क्षेत्र में लड़कियों के लिए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नहीं है; तथा यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्र में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

(ख) विद्यालय के लिए भूमि की खोज की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री वेद नारांग जी ने मिल गेट क्षेत्र बरवाला में लड़कियों के लिए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने की बात की है। यह उनके विधान सभा क्षेत्र की कठिनाई है। हमारी सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव बनाया है कि वहां पर जो स्कूल चल रहा है हम उसकी बिल्डिंग को दो मंजिल या तीन मंजिल बना कर उस स्कूल को अपग्रेड कर दें और अप्रैल सत्र से हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी हिसार के पत्र क्रं0 स्टेनो / 2020 / 237 दिनांक 03.07.2020 के तहत विभाग को सूचित किया है कि राजकीय उच्च विद्यालय शिव नगर, (मीलगेट) हिसार की बिल्डिंग कंपेसिटी का लोकल कमेटी द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा यह पाया गया कि विद्यालय दोहरी मंजिला का बना हुआ है। विद्यालय का भवन तीन मंजिला बनाने के लिए सुरक्षित/योग्य नहीं है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6-7-2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

209. तारांकित प्रश्न संख्या 2574 के संदर्भ में श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में खोले गए किसान मॉडल स्कूलों की कुल संख्या कितनी है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

**** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि किसान आदर्श विद्यालय जिन जिलों में शुरू हो गये थे और उनकी बिल्डिंग बन गई थी, सरकार उनको बंद कर रही है। सरकार ने अपने लिखित जवाब में कहा है कि हमने उनको बंद कर दिया है तो क्या सरकार उन किसान आदर्श विद्यालयों को दोबारा से शुरू करेगी? वहाँ पर बिल्डिंग हमारे समय में बन गई थी, पैसा मार्केटिंग बोर्ड दे रहा है, सारे टीचर्स वहाँ पर रिपट हो चुके थे और बच्चों के एडमिशन भी हो

13.03.2018

श्रीमान् जी, वर्ष 2010 में प्रत्येक जिले में एक विद्यालय खोलने हेतु कुल 21 किसान आदर्श विद्यालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वर्ष 2012 में प्रथम चरण में छछरौली (यमुनानगर) सांघी (रोहतक), काछवा (करनाल), भम्मेवा (जीन्द) और नांगल सिरोही (महेन्द्रगढ़) के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पाँच किसान आदर्श विद्यालय शुरू किए गए। यद्यपि शैक्षणिक सत्र 2015-16 में इनमें से तीन विद्यालयों में केवल 35 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया और भम्मेवा, जीन्द तथा नांगल सिरोही, महेन्द्रगढ़ के किसान आदर्श विद्यालयों में किसी भी विद्यार्थी ने प्रवेश लेने में रुचि नहीं दिखाई। अतः इन सभी पाँचों विद्यालयों को वर्ष 2016 में बंद कर दिया गया।

किसान आदर्श विद्यालयों के लिए नियुक्त 13 पीओटीओ अध्यापकों को आरोही विद्यालयों

विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 में 7 खण्डों में किसान मॉडल विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण कार्य शुरू किया गया था जिसकी वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से है—

सांघी (रोहतक) व चरखी दादरी (गिवाली) के भवनों का निर्माण कार्य PWD/SSA द्वारा पूरा किया जा चुका है। नांगल सिरोही (महेन्द्रगढ़) का भवन निर्माण कार्य SSA द्वारा 60% तक पूरा किया जा चुका है। सुमाना (झज्जर) के विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य कोर्ट केस के चलते बीच में रोक दिया गया है। जबकि छछरौली (यमुनानगर), काछवा (करनाल) तथा भम्मेवा (जींद) का निर्माण कार्य एचओएसओडीओसीओ व हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकूला से ग्रांट उपलब्ध ना होने के कारण शुरू नहीं हो सका।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6-7-2020)

चुके थे उसके बाद सरकार ने वर्ष 2015-16 में इन विद्यालयों को बंद कर दिया है। मेरे हिसाब से यह जवाब भी गलत है।

में रिक्त पदों पर समायोजित किया गया है तथा इन विद्यालयों के विद्यार्थियों को उन्हीं राजकीय विद्यालयों में स्थानांतरित कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आने के बाद किसान मॉडल स्कूल खोलने के लिए दोबारा से विचार किया गया और बिल्डिंग का कार्य पूरा करवाया गया। नांगल सिरोही में 2.62 करोड़ रुपये, सांघी में 9 करोड़ रुपये, चरखी दादरी में 6 करोड़ रुपये और सुबाणा में 2.40 करोड़ रुपये की लागत से बिल्डिंग का कार्य करवाया गया है। अब ये सभी भवन बनकर तैयार हैं और हम दोबारा से सभी जगह पर इस योजना को प्रारम्भ करेंगे।

***** अध्यक्ष महोदय, बहन गीता जी जो कह रही हैं कि जवाब भी गलत दिया गया है यह ठीक नहीं है। जवाब विभाग से लिखित में तैयार हो कर आया है और यह गलत नहीं हो सकता है। सरकार की विल पॉवर तो देखिये कि सरकार ने गीता को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है। जहां तक इन किसान आदर्श विद्यालयों को फिर से शुरू करने की बात है तो हम उन किसान आदर्श विद्यालयों को नये सत्र से फिर से शुरू करने जा रहे हैं।

राज्य में वर्तमान में प्रति जिला एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय चल रहा है जोकि प्रस्तावित किसान मॉडल विद्यालयों के समतुल्य है। इन विद्यालयों की ढांचागत सुविधाओं कार्यणाली, अच्छे परीक्षा परिणामों आदि को ध्यान में रखते हुए व गुणवत्तापरक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनका विस्तरीकरण करके अब प्रति खण्ड एक राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय की स्थापना की जा रही है। जिसके लिए बजट अभिभाषण के बिन्दु 69 (iii) में घोषणा भी की जा चुकी है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

210. जीरो ऑवर के दौरान श्री परमेन्द्र सिंह दुल और श्रीमती किरण चौधरी द्वारा उठाया गया मामला : श्री परमेन्द्र सिंह दुल : अब मैं बोर्ड में हुए भ्रष्टाचार की एक ओर बात बताता हूँ। एचटैट की परीक्षा के पेपर को एन.आई.सी. के द्वारा 65.43 पैसे पर पेपर चैक किया जाता था लेकिन बोर्ड में बैठे उस अधिकारी ने इन पेपर को एन.आई.सी. से चैक करवाने की बजाय 12 रुपये 61 पैसे पर पेपर के हिसाब से एक प्राइवेट फर्म से चैक करवाया। इस परीक्षा के लाखों पर्चे चैक हुए थे और आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस मामले की जांच करवाई जाये। *** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में माननीय दुल साहब ने तथा बहान किरण जी ने चिंता जताई है। यदि उसके सारे सबूत हमें दे दिए जाएंगे तो हम 'उसकी विजिलेंस' जांच करवायेंगे।

15.03.2018

सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के पत्र क्र० 138 / वि०प०सैल दिनांक 01.07.2020 के तहत विभाग को सूचित किया गया है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (MGT) में एन०आई०सी० द्वारा परीक्षार्थियों का डाटा कैंवर करने प्रवेश पत्र लाईव व परिणाम को सम्प्रेषित करने का कार्य किया गया था। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में पेपर चैक करने का कार्य एन०आई०सी० द्वारा कभी भी नहीं किया गया।

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2014-15 का कार्य जैसे कि सीन हस्ताक्षर चार्ट छपने, सहायता केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी अन्य सभी कार्य बोर्ड द्वारा अपने स्तर पर ही किए गए थे। इस परीक्षा का परिणाम तैयार करवाने का कार्य बाहरी दो

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6-7-2020)

कम्प्यूटर एजेंसियों का चयन टैण्डर प्रक्रिया से करते हुए करवाया गया था।

हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2017 में प्री व पोस्ट परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्य आबटित करने के लिए हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार ई-टैण्डर करते हुए L-1 (कम दर) रही फर्म को कार्य 1250 फैसे प्रति परीक्षार्थी की दर से करवाया गया। हरियाणा पात्रता परीक्षा 2017 में प्री व पोस्ट परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्य अर्थात् डाटा कैंवयर, प्रवेश-पत्र लाईव, रंगीन हस्ताक्षर चार्ट छापने, रंगीन प्रमाण पत्र छापने सहायता केंद्र स्थापित करने परिणाम तैयार व परिणाम को सम्प्रेषित करना आदि सभी कार्य L-1 (कम दर) रही फर्म से करवाए गए। फर्म का चयन टैण्डर प्रक्रिया के माध्यम से किया गया।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में व्याप्त भ्रष्टाचार बारे विभाग में कोई भी सबूत/दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। यदि इस बारे में किसी भी माध्यम से कोई शिकायत/सबूत/दस्तावेज प्राप्त होते हैं तो विजिलेंस जांच करवा ली जाएगी।

मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इसकी जांच करायेंगी अगर सरकार इस संबंध में कागज पत्र प्राप्त करना चाहे तो इस पूरे प्रकरण से जुड़े कागजात से संबंधित यह फाईल मेरे पास है, सरकार यदि चाहे तो मैं इसे देने के लिए भी तैयार हूँ। *** इसमें हाई लेवल के अधिकारी भी जरूर शामिल होंगे। अतः इस पूरे मामले की विजिलेंस से जांच करवाई जानी चाहिए। श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय बुल साहब जो बात सदन में कह रहे हैं वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोर्ड में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

211. तारांकित प्रश्न संख्या 3015 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा, द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या थानेसर शहर में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, थानेसर के नए भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उक्त भवन का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

26.02.2019

हां, श्रीमान् जी थानेसर शहर में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई ईमारत का निर्माण वर्ष 2019-20 के अन्त तक पूर्ण किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी ने थानेसर के कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नई बिल्डिंग के बारे में पूछा है। कुल्लू क्षेत्र हमारी कल्चरल कैपिटल है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गीता जयन्ती के अवसर पर इस बारे में घोषणा भी की है। हमने वर्ष 2019-20 के बजट में इसका प्रावधान कर दिया है तथा बहुत जल्दी इस पर काम शुरू कर दिया जायेगा।

26.02.2019

212. तारांकित प्रश्न संख्या 3015 के संदर्भ में डॉ० पवन सैनी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मेरे

राज्य परियोजना निदेशक हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद पंचकूला (निर्माण एंजेंसी) ने सूचित किया है कि रा०क०व०मा०वि० थानेसर के भवन के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 31.12.2019 को टेण्डर किया जा चुका है।

इस विद्यालय के भवन निर्माण पर कुल 283.33 लाख रुपये की राशि खर्च की जानी है। फरवरी 2020 में यह कार्य अलाट कर दिया गया था तथा इस विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य मार्च 2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

राज्य परियोजना निदेशक हरियाणा शिक्षा परियोजना परिषद पंचकूला (निर्माण एंजेंसी) ने सूचित किया है कि रा०क०व०मा०वि० बीड

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6-7-2020)

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6-7-2020)

विधान सभा क्षेत्र के गांव बीड़ मथाना में डेढ़ साल पहले स्कूल की बिल्डिंग के लिए राशि मंजूर हो चुकी है। वहां पर बच्चे बाहर बैठते हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग का निर्माण करवाया जाये।

किया है कि वहां पर बिल्डिंग की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक को कहना चाहता हूँ वहां पर हम बहुत जल्द कार्य शुरू करेंगे।

26.02.2019

213. तारकित प्रश्न संख्या 3015 के सदर्भ में श्रीमती किरण चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव धारणवास के राजकीय स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। उसमें 7 नये कमरे बनाये जाने थे। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी को 4-5 बार रिमाइंड भी करवा चुकी हूँ। मुझे हर सत्र में कह दिया जाता है कि हम इस काम को करवायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूँ कि यह काम कब तक शुरू हो जाएगा ?

मथाना के निर्माण कार्य का टैंडर दिनांक 31.03.2020 को आमन्त्रित किया गया था। इस विद्यालय के निर्माण पर कुल 308.76 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

इसके अतिरिक्त इस विद्यालय का टैंडर दिनांक 10 जुलाई 2020 तक अलाट कर दिया जायेगा तथा इस विद्यालय का निर्माण कार्य अगस्त 2021 तक पूर्ण होने की समावना है।

जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी के पत्र क्र० स्था-1/2020/963 दिनांक 02.07.2020 के तहत विभाग को सूचित किया गया है कि राजकीय उच्च विद्यालय धारणवास (कैरू) भिवानी में कक्षा छठी से दसवीं तक कुल 52 छात्र हैं। इस विद्यालय में कुल 4 कमरे हैं तथा 2 अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी भिवानी से विद्यालय का नक्शा एवं भवन निर्माण की अनुमानित लागत बारे रिपोर्ट मांगी गई थी जिसकी अनुपालना में जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्र० सा. 1/020/970 दिनांक 03.07.2020 के अनुसार

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

विद्यालय में 2 कमरों के निर्माण, साईंस लैब, मुख्याध्यापक कार्यालय / चारदीवारी निर्माण रिपेयर/मुरम्मत हेतु कुल 39.98 लाख रुपये का एस्टीमेट प्राप्त हुआ है। यह ग्रांट अविलम्ब जारी कर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

16.3.2015

214. राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री जसविन्द्र सिंह सघू द्वारा बुढ़ापा पेंशन में धांधली के संबंध में पूछा गया प्रश्न :-

*** अध्यक्ष महोदय, मेरा आज भी ऐसा मानना है कि बहुत से पात्र लोग जिनको पेंशन मिलनी चाहिए वे पेंशन से वंचित हैं। हमारे जो प्रारंभिक आंकड़े हैं उनके मुताबिक अपात्र लोगों को पेंशन मिल रही है। इसमें कई तरह की हेराफेरी है। बुढ़ापा पेंशन को लेकर अकेले करनाल जिले का आडिट हुआ है जिसमें पेंशन का काफी घोटाला मिला है। इसकी एफ.आई.आर. भी दर्ज हो चुकी है। वहां अपात्र लोगों को पेंशन मिल रही थी और पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी। भविष्य में अपात्र लोगों को पेंशन न मिले इसका समाधान हमारी सरकार कर

रही है। पहले भी इसका समाधान किया गया होगा, कामयाबी नहीं मिली होगी। अब सभी पेंशन धारकों को निश्चित पद्धति से पेंशन भेजी जाएगी। जिन गांवों में बैंक हैं वहां बैंकों के थ्रू पेंशन दी जायेगी। जनधन योजना के तहत तकरीबन सबके खाते बैंकों में खुले हुए हैं और यदि किसी का खाता नहीं भी खुला हुआ तो वह अलग से भी खुलवा सकते हैं। यदि कोई असहाय आदमी किसी कारण से बैंक में नहीं जा सकता है तो वहां घर तक पेंशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उनको चेक बुक और ए.टी.एम. कार्ड भी दिए गए हैं उसके तहत भी पेंशन ज़ा की जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, जिन गांवों में बैंक हैं वहां बैंक्स के थ्रू पेंशन दी जायेगी। जिन गांवों में बैंक नहीं हैं वहां बी.सी.ए. (बैंक कोर्सपॉण्डेंट एसोसियेट्स) के थ्रू पेंशन दी जायेगी और घरों में बायों मैट्रिक्स के माध्यम से पेंशन भेजी जायेगी। इसी तरह से जिन गांवों में पोस्ट आफिस हैं और इंटरनेट की सुविधा है वहां पोस्ट आफिस के माध्यम से पेंशन दी जायेगी। इसी तरह से कोपरेटिव बैंक्स की भी बात आई। जिन गांवों में कोपरेटिव बैंक्स हैं और इंटरनेट की व्यवस्था है वहां कोपरेटिव बैंक्स के थ्रू पेंशन दी जायेगी। इस तरह से जहां तक मैं समझता हूँ बड़ी संख्या में जो अपात्र लोग हैं उनकी पेंशन बंद होगी। ***

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भविष्य के लिए हमारी यही कोशिश रहेगी कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन की सुविधा से वंचित न रहे। हम उनका निर्धारित माप-दण्डों के अनुसार दोबारा से सर्वे करवायेंगे और पात्र व्यक्तियों को हर हाल में पेंशन मिलेगी। माननीय सदस्य दलाल साहब ने एक विषय उठाया है कि जो हैंडिकेप्ड हैं उन्हें 18 वर्ष की आयु के बजाये जन्म से ही पेंशन दी जाये। इस बारे में मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 0 से 18 वर्ष के जो निशक्त बच्चे हैं उनको 700 रुपये प्रति माह की दर से पहले से ही पेंशन दी जा रही है। इसी प्रकार से यह पेंशन 18 वर्ष के बाद बढ़कर 1200 रुपये प्रति माह हो जाती है। इससे पहले 1000 तक की पेंशन में प्रति वर्ष 70 प्रतिशत की बढ़ोतरी का नियम था अगर यह नियम आज भी है तो इस प्रकार से इसको भी 70 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाकर 840 रुपये प्रति माह कर दिया जायेगा। अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो सकती होगी तो हम उसे ज़रूर कर देंगे। इसी के साथ-साथ मैं यह बताना चाहूंगा कि जो स्कूल और

कालेजों में पढ़ने वाले निशक्त बच्चे हैं उनके बारे में एक डिस्क्रीप्टी हमारे ध्यान में आई है कि उनको 400 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह तक पेंशन दी जाती है। मेरे कहने का यह मतलब है कि जो नहीं पढ़ता उसे हम उसके जन्म के समय से 700 रुपये प्रति माह पेंशन दे रहे हैं लेकिन जब वह पढ़ना शुरू कर देगा तो क्या उस समय हम उसको 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन देंगे। इसलिए हम इसको 700 रुपये प्रति माह से ही शुरू करेंगे और फिर नियमानुसार बढ़ाते हुए 700 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह तक की रेंज में उसको हम लेकर आयोग या फिर हैंडीकेड की जो न्यूनतम पेंशन होगी वहां से उसको शुरू करेंगे और फिर उसको अधिकतम सीमा तक ले जाकर उसके स्लैब बनाकर उनको हम पेंशन देंगे। (इस समय मेजें थपथपाई गईं!) (विघ्न) इसी प्रकार से 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का मैंने उल्लेख किया। इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति की लड़कियों को मुफ्त साईकिल देने का भी निर्णय सरकार द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से साईकिल की कीमत 2500 रुपये के साथ-साथ लैपटॉप की कीमत 8000 रुपये भी उनको देय होगी। ऐसे ही अनुसूचित जाति की छात्र-छात्राओं को डिप्लोमा कोर्स में 1000 रुपये

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

की और स्नातक कोर्स के लिए 2500 रुपये की किताबें भी प्री दी जायेंगी। अब मैं आई.टी. के प्रयोग के बारे में बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह विषय ऐसा है जिसके ऊपर केन्द्र की भी बहुत सी योजनाएँ हैं और इसके अधिकतम प्रयोग के लिए केन्द्र का आग्रह भी हमेशा से ही रहा है। ये सारे प्रयोग हमने अपनी सरकार आने के बाद स्वच्छ प्रशासन और सुशासन देने के लिए किए हैं।

18.3.2016

215. तत्कालित प्रश्न संख्या 1134 के संदर्भ में श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न — अध्यक्ष महोदय, रियाड़ी में एक उच्च कन्या महाविद्यालय है जिसकी इमारत इतनी जीर्ण है कि वह कभी भी गिर सकती है। इस स्कूल में कन्याओं की संख्या 2600 है। XXयह मसला प्रशासन की नोलेज में है। उन्होंने इस बारे लिखित

अध्यक्ष महोदय, रियाड़ी शहर का यह सबसे बड़ा विद्यालय है। माननीय साथी रणधीर कापड़ीवास जी के आग्रह पर हम वहाँ गए थे। मंत्री नरबीर सिंह जी और मैं एक बार वहाँ से गुजरते हुए इस विद्यालय को देखकर आए थे, मैंने स्वयं एक घंटा लगाकर इस स्कूल के एक-एक कमरे को देखा है, इसलिए हम उसकी इमारत को बनाने पर विचार कर रहे हैं।

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard.
(25-01-2018)

कारवाई भी कर दी है। मैंने इस बारे में पहले भी कहा था और अब भी मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इस स्कूल की इमारत का निर्माण करवाया जाए क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता हैxx

24.02.2020

216. श्री मामन खान, द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 111 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत तथा वर्तमान में कार्यरत शिक्षण स्टाफ का विद्यालय-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त विद्यालयों में रिकत पड़े शिक्षकों के पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

***राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्राधानाचार्यो, राजकीय उच्च विद्यालयों में हेड मास्टर और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मुख्य शिक्षकों के पद पदोन्नति पद है। इन पदों को भरने के लिये मामले आमंत्रित किये गये है जो कि तीन महीने में पूरा होने की सम्भावना है। पी0जी0टी0, टी0जी0टी0 के पद सीधी भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से भरे जाते है। इन श्रेणियों के लिए पदोन्नति के मामले पहले से ही आमंत्रित किये जा चुके है और तीन महीनों में पदोन्नति के पद भरे जाने की सम्भावना है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पी0जी0टी0, टी0जी0टी0 और पी0आर0टी0 / जे0बी0टी0 श्रेणियों की रिक्तियां दो महीने के अन्दर सीधी भर्ती हेतु मेज दी जायेगी।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

217. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 54 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि बाढ़डा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव नंधाना तथा गांव मंडी हरिया के सरकारी विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं; यदि हां, तो उक्त विद्यालय भवनों के कब तक पुनः निर्मित किए जाने की संभावना है ?

24.02.2020

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंदा का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, जबकि राजकीय माध्यमिक पाठशाला मंडी हरिया का भवन अच्छी अवस्था में हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंदा के भवन निर्माण के लिए 356.26 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा निविदाएं तैयार की गई है, एवं निर्माण कार्य अप्रैल 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

24.02.2020

218. श्री अमित सिहाग, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 33 क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2017 में डबवाली में एक रैली के दौरान कबीर बस्ती वार्ड नं. 5 में 5 वर्ष की एक लड़की महक की याद में एक विद्यालय के निर्माण करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी; तथा

(क) हां श्रीमान जी

(ख) स्कूल के भवन निर्माण के लिए 90.27 लाख रुपये की राशि का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसकी दिनांक 20.04.2020 तक शुरू होने की संभावना है।

(ख) यदि हां, तो उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

28.02.2020

219. वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के संदर्भ में।

69. प्रदेश के सभी शिशुओं और किशोरों को शिक्षा की अति आधुनिक सुविधाएं देने के लिए उठाये जाने वाले कुछ नए कदमों का मैं विशेष उल्लेख करूंगा। जो हैं :-
- (i) राज्य में 500 नए कैंच कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए खोले जाएंगे।
 - (ii) उन सभी 1487 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, जहां पर विज्ञान संकाय उपलब्ध है, को वर्ष 2020-21 में स्मार्ट विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा।
 - (iii) छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना की तर्ज पर इन संकुल विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्रों और छात्राओं को भी निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
 - (iv) सभी विद्यालयों में इसी वर्ष चारदीवारी का निर्माण करवा दिया जाएगा। साथ ही, हर विद्यालय के गेट तक पक्का रास्ता भी बनवाया जाएगा। श्री सुभाष सुधा और श्री नीरज शर्मा जी का यह सुझाव था।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(v) वर्ष 2020-21 में ही सभी राजकीय विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए R.O. से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से सौर पैनल भी हर विद्यालय में उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी कुल सात विधायकों की ओर से सुझाव आया था।

(vi) जिन गांवों में उच्च विद्यालय या वरिष्ठ माध्यमिक उच्च विद्यालय नहीं है, वहां के 9वीं या 11वीं कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जाएंगी।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
HEALTH SERVICES DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

220 तारांकित प्रश्न संख्या-377 के संदर्भ में श्री परमेश्वर सिंह दुल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य की काफी चिंता है। वे पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं लेकिन हमारे जश्द के अंदर अब तक नहीं आए हैं। पिछली सरकार ने 200 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय लिया था। वहां पर एक बिल्डिंग बना दी गई है। वहां पर एक जी.एन.एम., ए.एन.एम. कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव था। क्या वर्तमान सरकार उसको वह दर्जा देकर उस इलाके को राहत देगी? मेरा अनुरोध है कि उसके लिए डॉक्टरों की भर्ती की जाए और उस अस्पताल को चालू किया जाए। जुलाना एक ऐसा क्षेत्र है जो रोहतक से 35 किलोमीटर, जश्द से 25 किलोमीटर, गोहाणा से 24 किलोमीटर, नारनौद से 22 किलोमीटर दूर है। यह ऐसी जगह पर है जहां नेशनल हाईवे 71 है। वहां की और

13-03-2015

अध्यक्ष महोदय, विधायक महोदय की चिंता सही है। जैसा मैंने पहले कहा कि 2-3 महीने के अंदर हमारी कोशिश है कि हम सब नियुक्तियां पूरी कर सकते हैं।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(31.12.2019)

वर्तमान में नागरिक अस्पताल, जीन्द में 5 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध 4 कार्यरत है तथा चिकित्सा अधिकारियों के 55 पदों के विरुद्ध 16 चिकित्सा अधिकारी कार्यरत है तथा 5 चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित चल रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जुलाना में 1 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, 7 चिकित्सा अधिकारी के पदों के विरुद्ध 4 चिकित्सा अधिकारी तथा एक दन्तक सर्जन कार्यरत है।

इस क्षेत्र की लगभग समान समस्या है। वहाँ पर भी एक डॉक्टर, सर्जन, रेडियोलोजिस्ट, डेंटिस्ट, मेडिसिन डॉक्टर की बहुत आवश्यकता है। जुलाना के लोगों ने अपने पैसे खर्च करके एक अल्ट्रासाउंड मशीन अस्पताल को दान में दी थी। लेकिन पिछली सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण उस मशीन को कमी यूज ही नहीं किया गया। क्या उस मशीन को यूज करके इलाके की जनता को राहत प्रदान की जाएगी? क्या उस नवनिर्मित बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर नियुक्त किये जाएंगे?

221. श्री परमेश्वर सिंह हुल द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 1174 : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जुलाना विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र में इस समय कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं तथा क्या उनकी अवसरचना का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है?

31.3.2016

***श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर मुद्दा है तथा हमने इसकी देखभाल करनी है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदस्यगण की चिंता है कि इमारत पर्याप्त अवस्था में नहीं है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा सभी विधान सभा निर्वाचनक्षेत्रों के साथ-साथ पूरे राज्य में एक विशेष सर्वेक्षण करवाया जाएगा वृत्ति उन्होंने वर्णन किया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पंचायतों या धर्मशालाओं की इमारत में कार्य कर रहे हैं इस मुद्दे के संबंध में, मैं यह बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग को भूमि स्थानांतरित नहीं की गई है जैसे ही भूमि

वर्तमान में जुलाना विधान सभा के अन्तर्गत 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जुलाना-संस्था का भवन व रहियाशी भवन पर्याप्त हैं। भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम करवाने बारे दिनांक 13.05.2019, 21.06.2019, 12.12.2019 को निदेशक अर्बन लोकल बाडी हरियाणा पंचकूला को पत्र लिख दिया गया है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (31.12.2019)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

विभाग को स्थानांतरित की जाएगी हम निश्चित ही मामले को देखेंगे तथा नई इमारतें अवश्य उपलब्ध करवाई जाएगी।***

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ये जमीन ट्रांसफर करवा देंगे, अगर ये जमीन ट्रांसफर करवा देंगे तो हम उस पर अवश्य विचार करेंगे। इसी प्रकार से अगर उन पी.एच.सीज. में से कोई पी.एस.सी. नॉम्स पूरे करती होगी तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरकरामजी-

संस्था का भवन व रहियारी भवन पर्याप्त हैं। निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 86672 दिनांक 18.11.2019 द्वारा भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दी गई है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निडाना-

ग्राम पंचायत निडाना द्वारा 14 कनाल 15 मरला भूमि का प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के नाम करने हेतु दे दिया है। भवन निर्माण के लिए संस्था की ड्राईंग दिनांक 19.02.2014 को अनुमोदित कर दी गई है। भूमि स्वास्थ्य के नाम करवाने हेतु दिनांक 02.01.2019, 15.03.2019, 11.04.2019, 21.06.19, 16.10.2019 द्वारा निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को लिखा गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामराय-

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामराय की 16 कनाल भूमि निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 24114-19 दिनांक 31.03.1997 द्वारा भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दी गई है। भवन निर्माण के लिए संस्था की ड्राईंग दिनांक 26.04.2018 को अनुमोदित कर दी गई है। भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा दिनांक 12.06.2019 को 359.09 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शमलो कला- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शमलो कला की ड्राईंग दिनांक 15.01.2018 को अनुमोदित कर दी गई है। भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा दिनांक 25.07.2018 को 436.97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 16 कनाल भूमि निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 79469-74 दिनांक 27.09.2018 द्वारा भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम कर दी गई है। संस्था के

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भवन की आधारशिला दिनांक 21.10.2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रख दी गई है। वर्तमान में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैयजयवन्ती—
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जैयजयवन्ती की भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम नहीं हैं। भूमि विभाग के नाम करवाने हेतु दिनांक 07.12.2018 को सिविल सर्जन, जीन्द को लिख दिया जाता है। दिनांक 21.06.2019, 16.10.2019 द्वारा निदेशक विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़ को लिख दिया गया है।

8.03.2017

222. श्री मकखन लाल सिंगला द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 1985 : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि गांव बाजेकों के उप-स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत

हां श्रीमान जी, वर्ष 2017-18 में निर्माण कार्य किया जाएगा।

उप स्वास्थ्य केन्द्र बाजेकों की ड्राईंग दिनांक 01.12.2017 अनुमोदित कर दी गई है। जर्जर भवन को डिस्मैटल करवाने के लिये तथा भवन निर्माण के लिये अनुमान तैयार करवाने हेतु

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(31.12.2019)

जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है; यदि हां, तो क्या इस इमारत के पुनर्निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसके कब पुनर्निर्मित किए जाने की संभावना है?

223. ताराकित प्रश्न संख्या 2945 के सन्दर्भ में श्री असीम गोयल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सामान्य अस्पताल, अम्बाला शहर की क्षमता को 200 बैड से 300 बैड तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसकी क्षमता कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है?

224. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों की कमी को दूर करने के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज देहातों से भी बहुत से बच्चे एम.बी.बी.एस. कर रहे हैं इसलिए अगर सरकार द्वारा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सी.एम.ओ. को डॉक्टरों के

दिनांक 12.12.2019 द्वारा कार्यकारी अभियन्ता सिरसा को लिख दिया गया है।

22.02.2019

हां, श्रीमान् जी 64.71 करोड़ रुपये की प्रशासकीय अनुमति दिनांक 20.12.2018 को जारी की गई है। दर्जा बढ़ाए जाने के लिए अपेक्षित निर्माण को पूरा करने के लिए लगभग 24-36 महीने लगेंगे।

22.02.2019

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हरियाणा प्रदेश के हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की समस्या से पिछले लगभग 4 वर्षों से जूझ रहे हैं। हमने यह अधिकार सी.एम.ओ. को पहले ही दे रखा है और उनको 70,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक की तनखाह देने की मंजूरी भी हमने फाइनैस डिपार्टमेंट की तरफ से दे रखी है। वॉक-इन-इंटरव्यू पूरी तरह से ओपन है और कोई भी कैंडीडेट सी.एम.ओ. के पास

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

इंटरव्यू लेने के अधिकार दे दिये जायें तो ऐसा होने से प्रदेश को नये डॉक्टर उपलब्ध हो जायेंगे। अगर सरकार चाहे तो उनकी तनखाह भी फिक्स कर सकती है।

जाकर इंटरव्यू दे सकता है। हमने इसके लिए रिटायर्ड डॉक्टरों को भी पात्र माना हुआ है। हमने इसके लिए उम्र में भी छूट देने का प्रावधान किया हुआ है। फिर भी हम इस को सी-एग्जामिन करवा लेंगे और अगर इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता होगी तो उसको भी किया जायेगा। सभी जानते हैं कि हमारे पास डॉक्टरों की बड़ी भारी कमी है और हम उस कमी को हर हालत में दूर करना चाहते हैं।

22.02.2019

225. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि डॉयरेक्टर, एन.एच.एम, पंचकुला की तरफ से सी.एम.ओ. गुरुग्राम को जो लैटर भेजा गया है, उसमें लिखा हुआ है कि सी.एम.ओ. गुरुग्राम में वाक इन इंटरव्यू के बेसिज

जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार यह एवॉयंटमेंट्स शायद यह रूल एरियाज के लिए है। आपका सुझाव अच्छा है और हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। मैं स्वयं भी इस मैटर को हेल्थ मिनिस्टर जी को प्रेषित कर दूंगा।

पर डॉक्टरों को लगा सकते हैं और इन डॉक्टरों को एन.एच.एम. की तरफ से तनखाह दी जायेगी।

मांडी खेड़ा में 4 डॉक्टर्स हैं लेकिन इस लैटर में पीडियाट्रिक्स और गाइनी डॉक्टर्स के बारे में तो जिक्र किया गया है लेकिन डी.डी.एस. के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है अतः अनुरोध है कि यह भी प्रावधान किया जाये।

27.02.2019

226. तारकित प्रश्न संख्या 3035 के सन्दर्भ में डा0 पवन सैनी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गांव बरोल में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा लाडवा निर्विघ्नक्षेत्र में एक 50 बेड का अस्पताल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारसिंधीन है; यदि हां, तो इनके कब तक खोले जाने की संभावना है ?

उपाध्यक्ष महोदया, गांव बरोल में पी.एच.सी. की प्रिंसिपल एपूर्वल हो चुकी है। हम उसका फर्दर प्रोसैस जल्दी ही इनीशिएट करवा देंगे और उसको जल्दी ही तैयार करवा देंगे। जहां तक लाडवा निर्विघ्न क्षेत्र में 50 बेडित हॉस्पिटल खोलने की बात है तो वहां पर ऑलरेडी 30 बेडित हॉस्पिटल है। हम उसको एग्जामिन करवा लेंगे। अगर स्कोप होगा तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने पर जरूर विचार करेंगे।

27.02.2019

227. तारकित प्रश्न संख्या 3035 के सन्दर्भ में श्री श्याम सिंह विधायक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: उपाध्यक्ष महोदया, मेरे रादौर में एक 50 बेडित हॉस्पिटल

xx उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य का जो अस्पताल है हम उसको भी एग्जामिन करवा लेंगे। हालांकि मैं केवल एग्जामिन करवा सकता हूं और आश्वासन माननीय

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

बनना था। xx उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट भी की हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा?

मुख्यमंत्री महोदय ही देंगे। अगर 50 बैडिट होस्पिटल की बात है तो फिर हम जरूर विचार करेंगे। xx उपाध्यक्ष महोदय, अगर उस होस्पिटल का काम सी.एम. अनाउंसमेंट के अंतर्गत होना है तो हम उसे आख बंद करके मंजूर करके तैयार करवा देंगे।

06.08.2019

228. तारांकित प्रश्न संख्या 3094 के संदर्भ में श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि मातनहेल मेरा खुद का गांव और तहसील हेडक्वार्टर है और अभी जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि झुज्जर में नागरिक अस्पताल में डायलिसिस केंद्र इस महीने के अंत में शुरू कर दिया जायेगा। मैं बताना चाहूंगी कि पिछले साल और उससे भी पिछले साल

अध्यक्ष महोदय, जहां तक झुज्जर में डायलिसिस केंद्र शुरू करने की बात है तो मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि थोड़े ही समय बाद वहां पर डायलिसिस केंद्र चालू कर दिया जायेगा। XX अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश के 22 के 22 जिलों में डायलिसिस सेंटर खोलना चाहती है। हम इस बात को भी मानते हैं कि कहीं-कहीं पर थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है। आदर्श रूप से बहन जी ने झुज्जर जिले में डायलिसिस सेंटर के बारे में जिक्र किया है तो हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर डायलिसिस

माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इज्जर के नागरिक अस्पताल में डायलिसिस केन्द्र शुरू कर दिया जायेगा। उसके बाद हम उस हॉस्पिटल को विजिट करने गये थे और उस हॉस्पिटल की थर्ड फ्लोर को भी पूरी तरह से खाली करवा दिया गया था। पिछले सत्र में मुझे केवल यह आश्वासन दिया गया था कि उस अस्पताल में डायलिसिस केन्द्र शुरू कर दिया जायेगा, चूँकि जब मेरा यह प्रश्न दोबारा से इस सत्र में लिफ्टेड हुआ तो विभाग ने कल ही कुछ मशीनें उस हॉस्पिटल में भिजवाई हैं। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी शीघ्रातिशीघ्र उस डायलिसिस केन्द्र को शुरू करवा देंगे ताकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थवार्ड इज्जर है, वहाँ के लोगों को डायलिसिस की सुविधा जल्द से जल्द मिल सके। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि माननीय मंत्री जी ने पिछली बार जब डायलिसिस केन्द्र शुरू करने का आश्वासन दिया था तो उस समय केवल बहादुरगढ़ में ही डायलिसिस केन्द्र शुरू हो पाया था और इज्जर में

सेक्टर जल्दी से जल्दी चालू करवा दिया जाये। जहाँ तक मातनहेल की बात है तो मैं बताना चाहूँगी कि ऑलरेडी मातनहेल में 50 बेडिड अस्पताल बना हुआ है। माननीय सदस्या की यह बात ठीक है कि इस अस्पताल को इज्जर पॉवर लिमिटेड ने बनाकर दिया था लेकिन हमारी सरकार ने इसकी जमीन का पोर्जेशन पास किया है। हमने इस अस्पताल में स्टाफ बढ़ाने के लिए और इक्विपमेंट्स की आपूर्ति के लिए एफ.डी. डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूँगी कि हमें जैसे ही स्टाफ बढ़ाने के लिए और इक्विपमेंट्स की आपूर्ति मिल जायेगी हम तुरन्त ही 50 बेडिड अस्पताल को चालू करवा देंगे। XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार की योजना है कि हरियाणा प्रदेश के हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज बनाया जाये। जैसा कि माननीय सदस्या जी कह रही हैं कि जहाँ-जहाँ पर अन्यजुड और खाली बिल्डिंग पड़ी हुई हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐसी बिल्डिंग को यूटिलाईज करेगी। (विष्णु) हमने 6 नर्सिंग कॉलेज बनाने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को कांटेक्ट दे रखा

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

शुरू नहीं हो पाया था। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इज्जर में जो 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है, उसकी जो पुरानी बिल्डिंग थी, वह पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थी। उस समय उस बिल्डिंग में कुछ सर्विसेज चल रही थीं, लेकिन आज की स्थिति यह है कि वह बिल्डिंग पूरी तरह से गिर चुकी है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि उसकी भी जांच करवाई जाये और यह भी विचार किया जाए कि इस बिल्डिंग का क्या किया जाये। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मातनहेल गांव में 50 बेड हॉस्पिटल बनाने का प्रोसेस अभी चल रहा है तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जो मातनहेल गांव है, वह एक तहसील हेडक्वार्टर भी है। सी.एल.पी. प्लांट जोकि बिजली का कारखाना है वह खानपुर गांव में स्थित

है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार 22 के 22 जिलों में नर्सिंग कॉलेजिज और डायलिसिस सेंटर बनाना चाहती है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह भी मानना है कि सरकारी अस्पतालों को नर्सिंग कॉलेजिज के साथ अटैच किया जाये ताकि नर्सों को अच्छे तरीके की ट्रेनिंग मिल सके। हमारे हरियाणा प्रदेश में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, वे नर्सिंग का कोर्स करवाते हैं लेकिन उनके पास अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, जिसके कारण वहां पर अच्छी नर्सिंग भी तैयार नहीं हो पाती हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्या ने प्रश्न किया था कि हरियाणा प्रदेश के जिलों में जहां-जहां पर कंडम बिल्डिंग पड़ी हुई हैं उनमें नर्सिंग कॉलेज चलाये जायें तो इनके परिपेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम मैं खुद जाकर इन कंडम बिल्डिंग को एग्जामिन करवाऊंगा। मुझे लगेगा कि यहां पर नर्सिंग कॉलेज चलाने

का स्कोप है तो फिर इन बिल्डिंग में नर्सिंग कॉलेज बनाने में हमें कोई परहेज नहीं होगा।

है और इस हॉस्पिटल को बनाने के लिए सारा का सारा पैसा सी.एल.पी. प्लांट के द्वारा ही दिया गया था। इस हॉस्पिटल को बनाने की प्रक्रिया हमारी सरकार के कार्यकाल में ही शुरू की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूँगी कि इन्होंने उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग को पूरा बनवाने का काम किया, लेकिन इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग कम्प्लीट होने के बाद भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने पी.डब्ल्यू.डी. से उसको टेक-ओवर नहीं किया और लम्बे समय तक वह बिल्डिंग खाली पड़ी रही और पी.एच. सी. मातनहेल एक दूटी-फूटी बिल्डिंग में चलती रही। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहूँगी कि उसकी बिल्डिंग बनने के बाद खाली क्यों पड़ी रही? मैं लगातार छेढ़ साल से इस मामले को विधान सभा की पैटीशन कमेटी में उठाती रही हूँ। वहाँ पर जो भी मशीनें हैं, चाहे एक्स-रे की मशीन हो, चाहे अल्ट्रासाउण्ड की मशीन हो या दूसरी मशीनें हों, वे सारी की सारी सी.एल.पी. प्लांट के द्वारा कारपोरेट

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

रिपॉसिबिलिटी के तहत वहां पर भेजी गई हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि एक तहसील लेवल हेडक्वार्टर पर जो 50 बैड हॉस्पिटल है, उसको बने हुये बहुत ज्यादा समय हो गया है और वह आज तक क्रियाशील नहीं है। वहां पर केवल एक डॉक्टर, चार नर्स और दो ए.एन. एम्ज. हैं और इसके अलावा वहां पर कोई भी फोर्थ क्लास कर्मचारी नहीं है। वहां पर बड़ी-बड़ी घास उग गई है, जिसके कारण उस हॉस्पिटल का गेट भी खुल नहीं सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि तकरीबन 4 से 5 साल बीत चुके हैं और लगभग 2 साल से ज्यादा उसकी बिल्डिंग को बने हुये हो गये हैं तो मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह एक स्पेसिफिक टाइम बता दें

कि कब तक उस 50 बैड हॉस्पिटल को शुरू कर दिया जायेगा ? XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि झज्जर जिले में 100 बैड का अस्पताल कब तक शुरू हो जायेगा जबकि पुराने अस्पताल की बिल्डिंग डेमोलिश हालात में पड़ी हुई है तथा इस बिल्डिंग को बनाने के लिए काफी लम्बा समय भी बीत चुका है। मैं इसके बारे में यह भी बताना चाहूंगी कि वहां की जमीन काफी किफायती है और यह जमीन हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आती है और स्वास्थ्य विभाग ने झज्जर जिले में 100 बैडिड अस्पताल बनाने के लिए जो प्रपोजल सरकार को भेजा हुआ है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि यह अस्पताल कब तक बनकर तैयार हो जायेगा?

5.11.2019

**** मेरी सरकार आगामी वर्षों में 2,000 और हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोलने के लिए प्रतिबद्ध है।

229. राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के संदर्भ में।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

230 श्रीमती नैना सिंह चौटाला, द्वारा पूछा गया अताराकित प्रश्न संख्या 51 :- क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि बाढ़ड़ा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव गोपी में निर्माणधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा उसका व्यौरा क्या है ?

24.02.2020

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपी का रिहायशी भवनों सहित निर्माण कार्य 31.03.2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपी की रिहायशी भवनों सहित 671.76 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति, सरकार के पत्र क्रमांक 20/47/2019-5 एच बी 111 दिनांक 05.07.2019 के तहत जारी की गई।

* उसके अनुसार 639.05 लाख रुपये के कार्य का टैंडर लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़क शाखा) द्वारा आवंटित किया गया।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोपी का रिहायशी भवनों सहित निर्माण कार्य 31.03.2021 तक पूर्ण होने की संभावना है।

24.02.2020

231 श्री अमित सिहाग, द्वारा पूछा गया

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि डबवाली में 100 बिस्तरों के अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा अन्य अमले के पद रिक्त पड़े हैं, तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है ?

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) चिकित्सकों के पदों को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त भर लिया जाएगा जो कि विभाग द्वारा पहले ही शुरू की जा चुकी है और पैरा-चिकित्सक अमले की भर्ती के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है।

25.02.2020

232 श्री श्री कृष्ण हुड्डा, द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 31 :- क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या गांव बरौदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत का निर्माण कार्य आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

हां श्रीमान जी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौदा मोर जिला सोनीपत के भवन निर्माण का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है जिसके लिए 360 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सरकार द्वारा 05.07.2019 जारी की गई है। इस भवन के निर्माण के लिए 09.09.2019 को लोक निर्माण विभाग द्वारा टेन्डर भी प्राप्त किया गया था। कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सोनीपत की रिपोर्ट के अनुसार भवन की जगह बदल दी गई व मुख्य वास्तुकार हरियाणा से पुनः भवन का प्रारूप तैयार करवाकर इस शर्त के साथ अनुमोदित कर दिया गया कि भवन के लिए विवादित भूमि का मालिकाना

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हक जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा। मामला जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सोनीपत के पास विचाराधीन है। भूमि के निश्चित होने के उपरान्त, भवन का निर्माण कार्य आरम्भ होने में तीन मास का समय लगेगा।

26.02.2020

(क) श्रीमान् जी, एक कथन सदन के पटल पर रखा है।

(ख) चिकित्सकों के पदों को भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने उपरान्त भर लिया जाएगा जो कि विभाग द्वारा पहले ही शुरु की जा चुकी है और पैरा-चिकित्सक अमले की भर्ती के लिए मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है।

233 श्री शमशेर सिंह गोगी, द्वारा पूछा गया अतार्कित प्रश्न संख्या 49 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) असंध विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों तथा अन्य चिकित्सक अमले के स्वीकृत पदों का श्रेणीवार व्यौरा क्या है तथा कितने पद रिक्त पड़े हैं; तथा

(ख) उपरोक्त रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं?

26.02.2020

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि ये मुझे लिखित में दें, उस पर अवश्य कार्रवाई की जायेगी।

234 विभिन्न मामले/मार्गे उठाना के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक द्वारा पूछा गया प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल का एक बहुत ही संगीन मामला मैं सदन के सामने उठाना चाहता हूँ। वहाँ पर मेरे विधान सभा क्षेत्र के एक लड़के ने डॉक्टर की प्रताड़ना से तंग आ कर जहर खा कर आत्महत्या कर ली है। उसके अतिरिक्त और भी बहुत से कर्मचारी हैं जो उस डॉक्टर से तंग हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने बहुत अच्छे आदेश निकाले हैं कि किसी भी डॉक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर न लगाया जाए। यह डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में सर्जन हैं लेकिन उनका तबादला होने के बावजूद उस डॉक्टर को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से नहीं हटाया गया है। उस डॉक्टर ने वहाँ से नैशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों का तबादला नासूल, तावडू आदि जगहों पर कर दिया है जो कि इल्लीगल है। इस प्रकार के तबादले

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

नहीं हो सकते हैं। इस कर्मचारी का भी तबादला किया गया था और उसी से तंग आ कर इसने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने से दो दिन पहले वह कर्मचारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मिला था लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अगर समय रहते उसकी समस्या का समाधान होता तो उसको आत्महत्या न करनी पड़ती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में मंत्री जी कोई कार्रवाई करेंगे?

28.02.2020

(क) हाँ श्री मान जी
(ख) हाँ, श्रीमान जी, अल्ट्रासाउंड मशीन नागरिक हस्पताल मंडी खेड़ा में संचालित है परन्तु वर्तमान समय में अल्ट्रासाउंड चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। हालांकि अल्ट्रासाउंड की सुविधा गर्भवती महिलाओं

235 श्री मान खान सिंह द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 113 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या सामान्य अस्पताल मंडीखेड़ा, जिला नूंह जिले में ट्रामा सेंटर खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विद्यारधीन है; यदि हाँ, तो इसका ब्योरा क्या है; तथा

ख) क्या उपरोक्त अस्पताल में अल्ट्रासाउंड तथा विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं तथा रेडियोलोजिस्ट / सोनोलोजिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं ?

को जननी सुरक्षा निजी हस्पतालों के द्वारा मुफ्त उपलब्ध है। गरीबी रेखा से नीचे मरीजों को सात अनुबन्धित निजी हस्पतालों के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त ईलाज व सरकारी कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति बिलों की अदायगी विभाग द्वारा कर दी जाती है।

28.02.2020

236 ताराकित प्रश्न संख्या-285 के संदर्भ में श्री सुरेन्द्र पंवार द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, स्पीकर सर, मेरा क्वेश्चन यही है कि सिविल हॉस्पिटल, सोनीपत में जो चिकित्सकों के पद खाली हैं उनको कब तक भरा जायेगा?

स्पीकर सर, मैंने अभी पिछले प्रश्न में भी यह जवाब दिया है और इसमें भी यही जवाब है कि डॉक्टर्स की भर्ती ऑन है। ***** हम डॉक्टर्स की भी भर्ती करने जा रहे हैं और पैरा मैडीकल स्टॉफ की भर्ती के लिए भी हमने हरियाणा सबोर्डिनेट स्लैक्शन कमीशन को अपनी रिक्रूटमेंशन भेजी हुई है। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक एडहॉक बेसिज पर हम इस स्टॉफ की भर्ती कर लें। इससे सम्बंधित फाईल मेरे से एक्चुव होकर डिपार्टमेंट में नीचे जा चुकी है। डॉक्टर्स और पैरा मैडीकल स्टॉफ की कमी से जितने भी प्रश्न आ रहे हैं मेरा उन सभी में यही उत्तर है कि मैडीकल और पैरा मैडीकल स्टॉफ की भर्ती की प्रक्रिया ऑन है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

28.02.2020

112 MRI, CT Scan, Cath Lab और
Dialysis की सुविधा के साथ-साथ वर्ष
2020-21 में ही सभी जिला हस्पतालों
में कैंसर के इलाज के लिए कीमोथैरेपी
का प्रावधान भी किया जाएगा।

02.03.2020

237 वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के
संदर्भ में।

238 तारांकित प्रश्न संख्या-100 के संदर्भ में
श्री मेवा सिंह एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया
अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, मैं
आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को
बताना चाहूंगा कि मेरे लाडवा हल्के के
बबैन गांव की पी.एच.सी. को 3 महीने
पहले ही सी.एच.सी. में अपग्रेड किया
गया था। वहां पर नयी बिल्डिंग बनकर
तैयार हो गयी है और संबंधित बिल्डिंग
उद्घाटन का इन्तजार कर रही है,
लेकिन अभी तक वहां पर संबंधित डॉक्टरों
नहीं लगाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय, लाडवा के बबैन गांव की सी.
एच.सी. मेरी जानकारी में है। वहां पर डॉक्टरों
और इक्विपमेंट के अलावा दूसरी जरूरी चीजें
लगावाकर काम शुरू करवा देंगे।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वहां पर डॉक्टर लगाये जाएं और संबंधित बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाए।

02.03.2020

श्रीमान जी, मार्च 2020 में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर पर चिकित्सकों के रिक्त पद भर लिए जाएंगे।

239 श्री जगवीर सिंह मलिक, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या-159 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि गोहाना विधानसभा निवाचनक्षेत्र के सामान्य अस्पताल, गोहाना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की संभावना है तथा उसका क्या ब्यौरा है ?

04.03.2020

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि लाडवा के केस को हम एग्जामिन करवा लेंगे और अगर वहां पर सिविल हॉस्पिटल को 100 बैड का करने के लिए जो निधिस्ति नॉन्स हैं वे पूरे होते होंगे तो लाडवा के सिविल हॉस्पिटल को 100 बैड का कर दिया जायेगा।

240 तारांकित प्रश्न संख्या 45 के सन्दर्भ में श्री मेवा सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि लाडवा सब-डिवीजन है और लाडवा के साथ 70 से 80 गांव भी लगते हैं क्या मंत्री जी वहां पर सिविल हॉस्पिटल को 100 बैड का बनाने का कष्ट करेंगे?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

241 ताराकित प्रश्न संख्या 45 के सन्दर्भ में श्री मेवा सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, पिपली से दो-तीन किलोमीटर की दूरी पर खानपुर कोलिया गांव है जहां पर स्वास्थ्य विभाग के अडि कारियों की एक टीम कुछ दिन पहले ट्रॉमा सैन्टर के सर्वे के लिए गई थी। वहां पर बहुत ज्यादा जमीन उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि ट्रॉमा सैन्टर के लिए जितनी जमीन चाहिए उतनी हम खानपुर कोलिया गांव में उपलब्ध करवा देंगे।

04.03.2020

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि ये पंचायत से रेजोल्यूशन पास करवा कर भिजवा दें, मैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दूंगा।

242 श्री दुड़ा राम, द्वारा पूछा गया ताराकित प्रश्न संख्या 386 क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

04.03.2020

(क) तथा (ख) श्रीमान् जी, दिनांक 21.02.2018 को पहले ही 100 बिस्तरीय हस्पताल को 200 बिस्तरीय हस्पताल में उन्नत करने की अनुमोदना प्रदान की जा चुकी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से भूमि उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया

(क) क्या यह तथ्य है कि फतेहाबाद विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में जिला मुख्यालय का सामान्य अस्पताल उदत

क्षेत्र की जनसंख्या के अनुसार पर्याप्त नहीं है; तथा

ख) यदि हां, तो फतेहाबाद में नए अस्पताल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है तथा उपरोक्त अस्पताल की इमारत के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है।

243 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (ii) जिला रेवाड़ी में मनेठी में एम्स के निर्माण में देरी से संबंधित के सन्दर्भ में श्री चिरंजीव राव द्वारा पूछा गया प्रश्न : स्पीकर सर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने मनेठी गांव के अंदर 04 जुलाई, 2015 को एम्स बनाने की घोषणा की थी। ***** स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मनेठी में एम्स को बनाने की कार्यवाही कब तक आरम्भ कर दी जायेगी।

है। भूमि स्थानांतरण के बाद निर्माण पूर्ण होने में प्रायः 3/4 वर्ष लगते हैं।

04.03.2020

अध्यक्ष महोदय, मैंने तो डिटेल्ड रिप्लाइ दे दिया है और उसमें बता दिया है कि सरकार ने ई-पोर्टल पर भूमि अपलोड कर दी है जो लगभग 947 एकड़ है और दूसरी 891 एकड़ है। जिस दिन हमें 200 एकड़ का एक चंकर मिल जायेगा या भूमि की अदला बदली करके भी हमें एक 200 एकड़ का चंकर मिल जायेगा तो हम इस एम्स को बनायेंगे।

***** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि ये भी कुछ काम करें तो यह काम आसान हो सकता है। अगर ये जमीन उपलब्ध करवा दें तो यह काम जल्दी शुरू हो सकता है। इनको किसानों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि किसान ई-पोर्टल पर अपनी ऑफर अपलोड करें तथा किसानों से उनकी जमीन लेकर जल्दी एम्स का काम शुरू किया जा सके।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

27.02.2017

244. राज्यपाल अभिभाषण के संदर्भ में।

XX पहले से चल रहे तीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त, मेरी सरकार ने करनाल में कल्पना चावला राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की है, जो 100 एमबीबीएस सीटों के साथ शैक्षणिक सत्र 2017-18 से चालू हो जाएगा। इससे प्रदेश में तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत होंगी। 'नागरिक अस्पतालों का चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में उन्नयन' की केन्द्रीय योजना के तहत भिवानी के मौजूदा 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का उन्नयन चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जीद में भी एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है। XX

कल्पना चावला राजकीय मैडिकल कालेज सत्र 2017-18 से 100 एमबीबीडीएस0 सीटों के साथ संचालित है।

जिला जीद के गांव हैवतपुर में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इसका निर्माण कार्य एच0एस0आर0डी0सी0 द्वारा तैनात किया जायेगा। एस0एफ0सी0 कमेटी की मीटिंग दिनांक 7.1.2020 को आयोजित की गई जिसमें प्रथम फेज का कार्य 525 करोड़ रुपये की लागत के साथ अनुमोदित किया गया। निविदाएं पहले ही अपलोड कर दी गई हैं और शीघ्र ही क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा आर्बिट्रिट कर दी जाएगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard.

(6.1.2021)

भारत सरकार (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्र क्रमांक नं. 1202/7/2017-ME.1 (FTS)-3093749) dated 29.05.2017 को 100 एमबीबीडीएस0 छात्रों के वार्षिक दाखिले की अनुमति प्रदान की थी। सत्र 2017-18 में एमबीबीडीएस0 पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 100 छात्रों को भर्ती किया गया था, द्वितीय बैच

328

को 2018-19 में भर्ती किया गया तथा 2019-20 में तीसरे बैच को अनुमति दे दी गई थी। इस बारे में सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में चौथे बैच के दाखिले के लिए पहले ही अनुमोदना पत्र क्रमांक No.MCI-34 (41) (R-60) / 2019/ Med./ 119833 दिनांक 08.09.2020 के द्वारा दी जा चुकी है। जिनका दाखिला जल्द ही किया जाएगा।

2. वर्तमान में सभी व्यापक विशेषताओं और एक सुपर स्पेशैल्टी (न्युरासर्जरी) के साथ 500 बिस्तर वाला अस्पताल कल्पना चावला के नाम से जिला करनाल में कार्यरत है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

7.03.2018

245. तारांकित प्रश्न संख्या-2477 के संदर्भ में श्रीमती गीता भुवकल, एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :-
 *** अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि नर्सिंग कॉलेज झज्जर में खोले जाने का प्रोजेक्टल पैडिंग था। हमारा झज्जर का जो पुराना हॉस्पिटल है यह उसमें प्रोजेक्ट था तथा इसकी प्रोजेक्टल हैड ऑफिस भी आई थी कि वहां पर नर्सिंग कॉलेज खोला जाये। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या भविष्य में सरकार की झज्जर या किसी दूसरे जिले में कोई नर्सिंग कॉलेज खोलने की प्लानिंग है?

*** अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज और एक नर्सिंग स्कूल खोलेंगे ताकि हमारे सरकारी अस्पतालों में पैरा मेडिकल स्टाफ मिल सके। हर जिले में माननीय सदस्या का जिला भी आ जाता है।

इस समय राज्य सरकार का जिला झज्जर में सरकारी नर्सिंग स्कूल/कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
 The Committee would like to know the latest position in this regard.
 (6.1.2021)

246. तारांकित प्रश्न संख्या-2477 के संदर्भ में श्री करण सिंह दलाल एम.एल.ए.

द्वारा पूछा गया अनुसूचक प्रश्न :-

*** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हर जिले में नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग स्कूल खोलने की सरकार की जो योजना है उसमें क्या ग्लोबल लैंग्वेज यानि दुनिया की महत्वपूर्ण लैंग्वेज सिखाने का भी प्रावधान किया जायेगा क्योंकि आज नर्सिज की जरूरत ऑल ओवर दी ग्लोब है। इससे हमारी लड़कियों को दूसरे देशों में भी रोजगार मिल सकेगा। क्या मंत्री जी इन नर्सिंग कॉलेजिज और नर्सिंग स्कूलस में ग्लोबल लैंग्वेज इंटीग्रेटड्यूस करने का आश्वासन देंगे?

7.03.2018

*** अध्यक्ष महोदय, नर्सिंग काउंसिल की पहली मीटिंग नहीं हुई है। जैसे ही वह पहली मीटिंग होगी उसमें वह नॉर्मर्स भी तय करेगी और जो सदस्यगण सुझाव दे रहे हैं उन सारी बातों का भी उसमें निर्णय करेंगे। वह जो-जो निर्णय करेंगे उन्हीं पर नर्सिंग काउंसिल और नर्सिंग काउंसिल ऑफ इण्डिया दोनों के तालमेल से ही आगे सारे नर्सिंग स्कूल और कॉलेजिज खुलेंगे।

नर्सिंग काउंसिल द्वारा जानकारी प्राप्त की गई तथा यह बताया गया है कि यह मामला इंडियन नर्सिंग काउंसिल में भेज कर दिशा निर्देश मांग लिए गए हैं। ज्यो ही आई०एन०सी० नई दिल्ली व हरियाणा नर्सिंसज व नर्स मिडवाइफ काउंसिल की मितिग में जो निर्णय लिया जाएगा वह सरकार द्वारा लागू कर दिया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(6.1.2021)

इस बारे में हरियाणा नर्सिंग काउंसिल व इंडीयन नर्सिंग काउंसिल नई दिल्ली से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में मितिग होना अपेक्षित है मामले में कार्यावाही के लिए काउंसिल को लिखा जा रहा है।

331

25.10.2017

अध्यक्ष महोदय, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल के नॉर्मर्स के मुताबिक सशर्त दी गई जमीन पर नर्सिंग कॉलेज नहीं बनाया जा सकता।

सरकार द्वारा समय पर मामले बारे कार्यावाही की जा रही है। इस कॉलेज में अमले की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

ज्यों ही नर्सिंग कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा व अमले की

247. श्री सुभाष सुधा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 2251 क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

क) क्या यह तथ्य है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 4.06.2015 को थानेसर विकास रेली में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी; तथा

ख) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त घोषणा पर विभाग द्वारा अब तक कया कार्यवाही की गई तथा उक्त कॉलेज के कब तक खोले जाने की संभावना है?

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि पंचायत ने दोबारा से 21.10.2017 को जमीन देने के लिए रैज्योलूशन सरकार के पास भेज दिया है। वहाँ पर कब तक कॉलेज बना दिया जायेगा?

248. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा पूछा गया प्रश्न: अध्यक्ष महोदय,

अब माननीय सदस्य ने बताया है कि पंचायत ने दूसरा रैज्योलूशन भेज दिया है। उसका अध्ययन करके जल्द से जल्द वहाँ नर्सिंग कॉलेज बना दिया जाएगा।

वित्त विभाग, हरियाणा के पास विचारधीन है।

स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त कॉलेज में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

22.02.2019

जिला रेवाड़ी के मनेठी गांव में एम्स के निर्माण के लिए एच0एस0आई0 डी0सी0 के माध्यम से भूमि मालिकों

The Committee would like to know the latest position in this regard. (6.1.2021)

***** प्रदेश में एम्स के जो सेंटर मंजूर किये हुए हैं, वे सभी पूरे किये जाने चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) मेरे पास रिकार्ड है जिसमें 1,000 करोड़ रुपये का 'एम्स कैम्पस-2' लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये का कैंसर सेंटर भी शामिल है। (शोर एवं व्यवधान)

249. ताराकित प्रश्न संख्या 35 के संदर्भ में डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:-अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि संबंधित वर्क्स की डी.पी.आर. तैयार होने के बाद भी निर्माण कार्य में विलम्ब क्यों हो रहा है और निर्माण कार्य के लिए कब तक डैंडर जारी किये जाने की संभावना है? प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के स्थान के ऊपर से हाई वोल्टेज बिजली के खम्भे कब तक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि दिनांक 24.5.2015 को इसकी घोषणा की गयी थी। इस कार्य में काफी विलम्ब हो रहा है। इसको जल्दी करवाया जाए ताकि जीन्द जिले की जनता को फायदा मिल सके।

यहां पर मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए कोशिश करेगी। अगर माननीय सदस्य के पास कोई रिकार्ड है तो वह हमें दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

24.02.2020

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विभाग 4 कॉलेजिज का निर्माण करवाने जा रहा है। इसमें एक कॉलेज जीन्द में, दूसरा कॉलेज भिवानी में, तीसरा कॉलेज नारनौल में और चौथा कॉलेज गुरुग्राम में खोला जाएगा। इन चारों कॉलेजिज के वर्क्स अलॉट कर दिये गये हैं और प्रोसेस में है। इनमें से कुछ वर्क्स को कान्सेप्ट प्लान बना रहे हैं, कुछ की डी.पी.आर. बन चुकी है और उन्हीं एजेंसीज के द्वारा संबंधित कॉलेजिज का निर्माण कार्य किया जाना है। लगभग 3 महीने में जीन्द के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू करवा देंगे।

से आफर मांगे गए हैं।
जिला झज्जर के बाढसा गांव में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए एम्स नई दिल्ली को 300 एकड़ भूमि अलाट की गई है। यहां केंद्र सरकार द्वारा 710 बिस्तरों के नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा चुकी है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

24.02.2020

***अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि वे थोड़ा धैर्य रखें। हम भिवानी जिले के लिए मेडिकल कॉलेज बनाकर देंगे। (गौर एवं व्यवधान)

250. तारांकित प्रश्न संख्या 35 के संदर्भ में श्रीमती किरण चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:-अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि जब 6 साल पहले श्रीमती श्रुति चौधरी भिवानी-महेन्द्रगढ़ सीट से मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गयी थी तो उन्होंने उस दौरान मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया था और इसके बारे में तत्कालीन प्रदेश सरकार के पास दिनांक 19.4.2014 को चिट्ठी भी भेजी गयी थी। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि संबंधित कॉलेज का निर्माण करवाया जाएगा। पहली बात तो यह है कि उसमें 6 साल का डिले हो चुका है, लेकिन अभी तक यह क्लीयर नहीं हुआ है कि भिवानी में कहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनेगा ?

24.02.2020

(क) और (ख) श्री मान जी, यद्यपि कैथल जिले में कोई चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, तथापि सरकार गांव हैतवपुर जिला जींद में सरकारी मेडिकल कालेज की स्थापना कर रही है। इसके अलावा जिला कुरुक्षेत्र में 150 एमबीबीएस छात्रों के साथ एक निजी चिकित्सा महाविद्यालय आदेश चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल कार्यरत है। वर्ष 2016 में मिरी-पीरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, शाहबाद, कुरुक्षेत्र की स्थापना के लिए एल0 ओ0 आई0 जारी किया गया था।

जिला कैथल में एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय खोलने के लिए सरकार के विचार में एक प्रस्ताव है, जिसके लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा रही है।

26.08.2020

हां श्रीमान जी, ग्राम पंचायत सरपण खेड़ी द्वारा 160 कनाल 6 मरला भूमि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया 31 अक्टूबर, 2020 तक पूरी होने की सम्भावना है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 31 मार्च 2021 तक अंतिम रूप रि जाने की सम्भावना है। इसके तुरन्त बाद निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी।

251. श्री लीला राम, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 125 क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

क) क्या यह तथ्य है कि जिला कैथल तथा अन्य साथ लगते जिलों जैसे जीन्द तथा कुरुक्षेत्र में कोई चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, तथा

ख) यदि हां, तो जिला कैथल में एक चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है तथा इसके कब तक खोले जाने की संभावना है ?

252 श्री लीला राम, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 503 क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि कैथल में एक चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत है; यदि हां, तो उपरोक्त महाविद्यालय का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

AYUSH DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

10.09.2018

अध्यक्ष महोदय, हम एग्जामिन करवा लेते हैं। यदि ग्राम पंचायत जगह मुहैया करवा देती है तो वहां पर राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय खोल देंगे।

253. ताराकित प्रश्न संख्या 2755 के संदर्भ में माननीय सदस्य डा० पवन सैनी, द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न, क्या आयुष मंत्री कृपया बताएंगे कि लाडवा निर्वाचनक्षेत्र के गांव डंगाली में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक खोले जाने की संभावना है ?

10.09.2018

अध्यक्ष महोदय, अगर वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय के सभी नॉर्म्स पूरे होते होंगे और औषधालय खोलने के लिए जगह भी उपलब्ध होगी तो हम ज़ीद के जाट धर्मशाला में जरूरी आयुर्वेदिक औषधालय खोलेंगे।

254. ताराकित प्रश्न संख्या-2755 के संदर्भ में श्री परमेन्द्र सिंह दुल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस प्रश्न के संबंध में एक सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्योंकि संयोग से इस संबंध में आज प्रश्न लगा है। ज़ीद के जाट धर्मशाला में आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित हुई श्री. लेकिन

पिछली सरकार में यह औषधालय बंद हो गई थी। वर्ष 2015 से हमने जीद के जाट धर्मशाला में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए लिखकर भी दिया हुआ था कि औषधालय के लिए जगह के साथ-साथ सभी प्रकार की सुविधाएं भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माह्र यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह औषधालय फिर से शुरू करवायेंगे?

5.03.2018

255. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में

भारत सरकार ने केन्द्रीय बजट, 2018-19 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना की घोषणा की है, जिसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों का हर वर्ष पांच-पांच लाख रुपये का चिकित्सा बीमा किया जाएगा। मेरी सरकार हरियाणा में इस योजना को 15 अगस्त, 2018 तक लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

05.03.2018

256. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में:

***नूह के गांव अकेरा में एक नया यूनानी कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। जीवन-शैली जनित रोगों के बोझ को कम करने के लिए, प्रत्येक जिले में एक पंचकर्म केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

12.3.2015

257. श्री परमेश्वर सिंह ढुल द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 21: क्या खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री कृपया बताएंगे कि योगा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्वामी रामदेव की नियुक्ति के संबंध में सरकार द्वारा क्या शर्तें तय की गईं तथा उसकी नियुक्ति से अब तक राज्य द्वारा क्या ठोस लाभ प्राप्त किए गए?

इस सम्बन्ध में मामला विचाराधीन है। नियम तथा शर्तें निर्धारित नहीं किए गए हैं। विस्तृत ज्ञापन पर शीघ्र ही हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे।

7.03.2018

258. तारकित प्रश्न संख्या-2546 के संदर्भ में डॉ० पवन सैनी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- *** अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या मेरे हल्के के कुछ गांवों समशरण माजरा, कौला पुर, खानपुर, कोलिया, इशर हेड़ी, लोहरा और बरोट गांवों में व्यायामशाला खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

*** अध्यक्ष जी, इसमें विभाग का उत्तर तो नकारात्मक है लेकिन इनके खेल प्रेम और इनके साईकिल प्रेम और बाकी सारे प्रेम को देखते हुए मैं यहां हों करता हूं कि इनके इन गांवों में भी हम व्यायामशालाएं स्वीकृत करेंगे और उनको बनाएंगे ।

20.02.2019

259. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।

XX परम्परागत चिकित्सा पद्धति के मौजूदा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार ने देवरखाना (झज्जर) में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना करने का मुद्दा भारत सरकार के साथ उठाया है, जिसके लिए 83 कनाल भूमि निर्धारित की गई है। इसी तरह से पंचकूला में एक राष्ट्रीय स्तर का आयुर्वेदिक उपचार, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान खोला जा रहा है। इस संस्थान में 250 बिस्तर होंगे और 500 से अधिक विद्यार्थियों के लिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पी.एच.डी. डिग्री प्रदान करने की सुविधा होगी। XX

28.02.2020

260. श्री सुभाष सुधा, द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 309 : क्या आयुष मंत्री कृपया बताएं कि कुरुक्षेत्र के गांव फतेहपुर (थानेसर) में 100 एकड़ में आयुष विश्वविद्यालय की चारदीवारी के इलावा अन्य निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है तथा इसका व्यौरा क्या है ?

भवन के प्रथम चरण के लगभग 95000 वर्ग मीटर क्षेत्र को 36 महीने की अवधि में निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार एंजेसी (पी.एम.सी.) को नियुक्त करने के लिए विस्तृत निविदा सूचना आमंत्रित करने हेतु तैयार की जा चुकी है और शीघ्र ही जारी करने की संभावना है।

177

.

.

2

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

261. तारांकित प्रश्न संख्या 233 के सन्दर्भ में श्री उमेश अग्रवाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि गुड़गांव इंदिरा आवास योजना के तहत छोटे-छोटे मकान बने हुए थे। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा आवास योजना के तहत जो मकान बने हुए थे वे निश्चित रूप से सिंगल स्टोरी के ही होंगे तथा छोटे-छोटे मकान ही होंगे, उनमें कितने असुरक्षित मकान थे, क्या वहां पर कोई बिल्डिंग गिरने वाली थी तथा वहां पर क्या कार्य होने वाला था? जैसा मंत्री जी ने बताया कि इसमें अनियमितता बरती गई है और एक दिन मैं ही सारे काम कर दिए गए हैं और हजारों करोड़ों रुपये की लागत से फाइव स्टार होटल

अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने जो इस केस के बारे में कहा है यह वाकई में ही सदिध केस है और इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य उमेश अग्रवाल जी और आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार की भ्रष्टाचार की जीरो टोलरेंस की नीति है। इस केस में जो तथ्य फाइल पर उपलब्ध हैं उनसे विलकुल यह सिद्ध हो रहा है कि इसमें किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर यह सब प्रक्रिया अपनाई गई है। यदि सदस्य इसकी जांच करवाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसकी विजिलेंस जांच करवाई जानी चाहिए ताकि सारे तथ्य सामने आ जाएं। (विष्णु) गुड़गांव में तो इस तरह के बहुत से मुद्दे होंगे इसलिए आप लोग यहां मुद्दे ताते रहिए और हम जांच कराते रहेंगे।

सरकार के पत्र दिनांक 7.7.2015 के द्वारा वर्णित मामले की जांच चौकसी विभाग से करवाने का निर्णय लेते हुए चौकसी विभाग से मामले की जांच करवाकर जांच रिपोर्ट टिप्पणी सहित शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजने के लिए अनुरोध किया गया। तदोपरांत शहरी स्थानीय निकाय विभाग के विभिन्न पत्रों के माध्यम से चौकसी विभाग से जांच रिपोर्ट भेजने के लिए कई बार अनुरोध किया गया। लेकिन वांछित सूचना चौकसी विभाग की ओर से अपेक्षित है।

जांच की वर्तमान स्थिति यह है कि नगर निगम, गुरुग्राम के पत्र दिनांक 7.8.2020 द्वारा उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी व्यूरो गुरुग्राम की स्टेटस रिपोर्ट मेल द्वारा भेजी गई जिसके अनुसार जांच क्र. 6 दिनांक

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

को लाभ पहुंचाने के लिए निगमयुक्त की तरफ से एक तरफा कार्यवाही की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जिस अधिकारी द्वारा यह एक तरफा कार्यवाही की गई है क्या उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या सरकार भविष्य में कोई कार्यवाही करने वाली है ताकि आगे से कोई और अधिकारी इस तरह की कार्यवाही न कर सके।

262. श्रीमती शकुन्तला खटक द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 390 :-
क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपा बताएंगे कि क्या माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भिवानी स्टैंड, रोहतक में पुलिस स्टेशन के स्थान पर बहुमंजिला पार्किंग के कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

29.08.2016

हां श्रीमान जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कॉम्प्लेक्स तथा पुराने पुलिस स्टेशन रोहतक में बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण के लिए रोहतक वृत्त के अधीक्षक अभियन्ता, पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एंड आर०) द्वारा पार्किंग के निर्माण हेतु व्यावहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना डिजाईन रिपोर्ट, ड्राईंग, विस्तृत प्राक्कलन तथा निविदा के कागजात तैयार करने के लिए सलाहकार की सेवाएं लेने हेतु

23.07.2015 गुरुग्राम कुर्मवारी/अधिकारी, नगर निगम, गुरुग्राम के विरुद्ध-दर्ज रजिस्टर है। जांच के दौरान जांच-में लगाये गए आरोपों से सम्बन्धित रिकार्ड नगर निगम, गुरुग्राम से प्राप्त करके तथा सम्बन्धित के कथन अंकित करके जांच की अंतिम रिपोर्ट तैयार करके 29.5.2020 को मुख्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला भेजी गई थी। जो जांच में त्रुटियां पाई जाने पर जांच दिनांक 27.7.2020 को प्राप्त हुई है। जांच में पाई गई त्रुटियों की पूर्ति करके जांच अतिशीघ्र आगामी कार्यवाही हेतु नियमानुसार भेजी जाएगी। रिपोर्ट सेवा में प्रस्तुत है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

दिनांक 09.8.2018 को माननीय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में स्वीकृति मिलने उपरान्त मुख्यमन्त्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित CCI बैठक दिनांक 14.11.2018 में प्रोजेक्ट की स्वीकृति प्रदान की गई। तदोपरान्त नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 02.01.2019 को इस प्रोजेक्ट की ई-निविदा आमन्त्रित की गई। PPP

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

दिनांक 23.05.2016 को नगर निगम रोहतक में एक प्राक्कलन दिया गया है जिसका आयुक्त, नगर निगम रोहतक द्वारा दिनांक 13.07.2016 को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है एवं 37.99 लाख ₹00 की राशि कार्यकारी अभियन्ता, प्रांतीय मंडल नं० 3, बी० एंड आर० रोहतक में जमा करा दी गई है। सलाहकार की सेवाएं लेने के लिए निविदाएं पी०डब्ल्यू०डी० (बी० एंड आर०) कार्यालय द्वारा आमंत्रित की जाएगी। इस अवस्था में निर्माण कार्य के पूर्ण होने का समय निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, परन्तु निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाएगा।

की मागदर्शिका के अनुसार प्रोजेक्ट की फाइनल स्वीकृति हेतु माननीय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में CCI की बैठक दिनांक 08.3.2019 को प्रस्ताव रखा गया। दिनांक 08.03.2019 को स्वीकृति मिलने पचात नगर निगम रोहतक के पत्र क्रमांक MCR/XEN/(HQ)/2019/7993 दिनांक 09.3.2019 द्वारा Selected Bidder M/s. Richa Krishna Construction, Faridabad dks letter of Award-cum-letter of intent जारी किया जा चुका है। इस प्रोजेक्ट की समयावधि दिनांक 30.9.2020 तक है और कार्य प्रगति पर है और लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त यहा यह भी बताया जाता है कि COVID-19 के चलते पिछले चार महीनों से कार पार्किंग का कार्य बंद पड़ा था। शेष बचे हुए कार्य को दिनांक 31.3.2021 तक पूर्ण करवा दिया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

9.9.2013

सैक्टर-23 में वर्णित प्रश्न संज्ञान में लाया जाता है कि सैक्टर-23 में dumping ground कि legacy waste के जैविक उपचार का कार्य पंचकूला में एजेंसी को अलसेट किया जा चुका है और कार्य प्रगती पर है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाया जाता है कि पंचकूला शहर के प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे के निवारण के लिए नगर निगम सीमा में झूरीवाला साइट पर एकीकृत ठोस उपशिस्ट प्रबंधन प्लांट प्रस्तावित है जिसके लिए 2 बार निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। परन्तु एकल निवदा के कारण प्रोजेक्ट अलाट नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाया जाता है कि हरियाणा प्रदेश के एकीकृत ठोस अपशिस्ट प्रबंधन प्लांट लगाने के लिए 14 क्लस्टर में विभाजित किया था। परन्तु कुछ स्थानों पर कूड़ा उत्पन्न होने की जगह से प्लांट की दूरी ए स्थल उपलब्ध न होने ए प्लांट की तकनीकी इत्यादि

हां, श्रीमान् जी। सैक्टर 23, पंचकूला से डम्पिंग ग्राउंड स्थानांतरित करने और गाँव झूरीवाला में ठोस अपशिस्ट प्रबन्धन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री देवेन्द्र कुमार बंसल, एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अवार्कित प्रश्न संख्या 478 : क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सैक्टर 23, पंचकूला से डम्पिंग ग्राउंड स्थानांतरित करने तथा ठोस अपशिस्ट प्रबन्धन संयंत्र भी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

263.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

करने से प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक अलाट न हो पाए इसलिए इन मुद्दों/तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कलस्टर्स का पुनर्गठन करके एवं एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट की तकनीकी टेकोलाफजी फ्री रखते हुए प्रस्ताव CoSI (Committee of Secretaries on Infrastructure) की मीटिंग दिनांक 08.07.2020 में दैनिक रूप से CCI (Cabinet Committee on Infrastructure) की मीटिंग में रखने बारे स्वीकृत कर दिया गया है। जिसकी बैठक कार्यवाही विवरण वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाना है इसके उपरान्त पुनर्गठन कलस्टर्स के प्रस्ताव को CCI में निर्णय उपरान्त निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।

2.03.2017

264. माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री अनूप धानक द्वारा उठाया गया मामला: ***मेरे निर्वाचन क्षेत्र उकलाना में एक पार्क के निर्माण में 80 लाख रुपये का खर्च दिखाया गया। उपपक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय व स्थानीय निकाय मंत्री से अपील करता हूँ कि उसकी जाँच करवायेंगे तो कम से कम 50 लाख रुपये का घोटाला मिलेगा।

उपपक्ष महोदय, यह मामला स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित नहीं है। फिर भी हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। यह जिस विभाग का मामला होगा, इसकी जाँच करवाई जायेगी। दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया जायेगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

इस बारे निदेशालय की स्थापना शाखा द्वारा श्री अमित कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, उकलाना (अब नगर परिषद, जीन्द) को ज्ञापन क्रमांक 2ई/2019/38963, दिनांक 06.08.2019, श्री प्रवीण कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, उकलाना (अब नगर परिषद, फतेहाबाद) को ज्ञापन क्रमांक 2ई/2019/38962, दिनांक 06.08.2019 व अनिल मोहिल, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद, उकलाना (अब नगर निगम, हिसार) को ज्ञापन क्रमांक 2ई/2019/38964, दिनांक 06.08.2019 द्वारा इनके विरुद्ध नियम-7 के तहत अनुसैनिक कार्रवाई करने हेतु चार्जशीट जारी की गई। जिसका उत्तर उन द्वारा क्रमशः दिनांक 11.09.2019, 25.09.2019 तथा 25.09.2019 को दिया गया। जिसकी प्रति तथा मामले में अधीक्षक अभियन्ता (मु0) द्वारा की गई जाँच रिपोर्ट की प्रति अनुलग्नकों सहित मुख्य अभियन्ता (मु0) को निदेशालय के यू.ओ. क्रमांक

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

डी.जी.यू.एल.बी./स्था./2ई/2020/26066, दिनांक 24.04.2020 द्वारा भेजकर अनुरोध किया हुआ है कि इन तीनों कनिष्ठ अभियन्ताओं द्वारा दिये गये। उत्तर का अवलोकन/निरीक्षण करके, स्पष्ट टिप्पणी अपनी सिफारिश सहित, शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें, जोकि अभी तक अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में यू.ओ. क्रमांक डी.जी.यू.एल.बी./स्था./2ई/2020/39788, दिनांक 30.07.2020 द्वारा मुख्य अभियन्ता (मु०) को पुनः स्मरण पत्र जारी किया गया है।

6.03.2017

265. ताराकित प्रश्न संख्या 1748 के सदर्थ में श्रीमती किरण चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, आज हमारे मुख्यमंत्री जी यहां बैठे नहीं हैं, मैं इस बारे में बहुत सारी

***जहां तक भिवानी का कंसर्न है, मैं उनको बताना चाहूंगी कि भिवानी के लिए भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे भिवानी कलस्टर का हिस्सा है। हांसी रोड बगानी खेड़ा में 16 एकड़ भूमि पर हम यह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट

मामले में दिनांक 10.08.2020 तक की वर्तमान स्थिति निम्नप्रकार है:- यह प्रस्तुत किया जाता है। भिवानी एकीकृत ठेस कचारा प्रबंधन प्रणाली स्थानीय निकाय भिवानी बगानी खेड़ा,

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(19.8.2020)

विद्वटियां उनकी लिख चुकी हैं, क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और बी.जे.पी. सरकार का एक स्टेलर प्रोग्राम है। स्वच्छ भारत अभियान। भारत किस तरह से स्वच्छ हो सकता है। इस अभियान के द्वारा अगर आपको सही मायने में स्वच्छ भारत की वास्तविक रूप में पहचान बनानी है, तो यह बहुत जरूरी है कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, उसे हर जिले के अंदर लागू जाए, वरना हमारा स्वच्छ भारत का काम पूरा नहीं होने वाला है। आप जानते हैं कि इसका 100 परसेंट सेग्रीगेशन नहीं होता है और सॉलिड वेस्ट की इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन होती है, रोड साइड पर डम्पिंग होती है, जिससे बहुत गंदगी फैलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि वह 31 मार्च, 2014 को खत्म हो गया था। जब केन्द्र सरकार ने इसे मंजूर कर लिया था और साढ़े 4 करोड़ रुपया यहां के लिए दे दिया था। हमने डी.पी.आर. भी भेज दी थी तो उसके बावजूद

प्लांट लगाने जा रहे हैं और यह पूरे नॉर्म्स को भी पूरा करता है, क्योंकि जहां पर शहर की आबादी है, यह जगह उससे 2 किलोमीटर दूर है। कचरे से खाद बनाने के लिए 4 कलस्टर भिवानी, भुना, पुन्हाना और हिसार जिसमें नगर परिषद् भिवानी भी शामिल है, चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए बोली प्रक्रिया जून, 2017 तक पूर्ण होने की संभावना है और इस कलस्टर के निर्माण के बाद निश्चित रूप से कूड़े की लिफ्टिंग, डम्पिंग, सेग्रीगेशन को कम किया जा सकता है और उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। हमारी सरकार उसके लिए पूरी तरह से चिंतित है और हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे। (विष्णु)

चरखी दादरी, लोहारू शामिल है। CoSI (Committee of Secretaries on Infrastructure) और CCI (cabinet Committee on Infrastructure) से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। उसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाया जाता है कि हरियाणा प्रदेश के एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट लगाने के लिए 14 कलस्टर में विभाजित किया था। परन्तु कुछ स्थानों पर कूड़ा उत्पन्न होने की जगह से प्लांट की दूरी एवं प्लांट की तकनीकी कमियां इत्यादि के कारण से प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक अलाट-न हो पाए इसलिए इन मुद्दों/तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कलस्टरों का पुनर्गठन करके एवं एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट की तकनीकी टेक्नोलाफजी फ्री रखते हुए प्रस्ताव CoSI (Committee of Secretaries on Infrastructure) की मीटिंग दिनांक 08.07.2020 में सैद्धांतिक रूप से CCI (cabinet Committee on Infrastructure) की

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

2 साल हो गये हैं, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। उसके ऊपर केन्द्र सरकार से बात करके कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है ?

मीटिंग में रखने बारे स्वीकृत कर दिया गया है। जिसकी बैठक कार्रवाई विवरण वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाना है। इसके उपरांत पुनर्गठन क्लस्टरों के प्रस्ताव को CCI में निर्णय उपरांत निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।

266. श्री कृष्ण लाल कम्बोज द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1074 : क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि—

(क) क्या यह तथ्य है कि रानियां शहर के आस-पास अनेक ढाणियां न तो किसी पंचायत के साथ तथा न ही किसी नगरपालिका के साथ जोड़ी गई हैं; तथा

(ख) क्या इन ढाणियों को किसी पंचायत या नगरपालिका ने साथ जोड़ने/सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव

(क) हां, श्रीमान् जी!

(ख) सरकार इन ढाणियों को साथ लगती पंचायतों के साथ जोड़ने बारे विचार कर रही है। **** हमने यह देखा है कि यह ढाणी या किसी पंचायत से ऐड नहीं थी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं कि इन ढाणियों को जो कलोजेस्ट पंचायत है उनके साथ एड कर देंगे। **** श्रीमान् अध्यक्ष महोदय जी मांग स्वीकार कर ली गई है। माननीय मुख्य मंत्री जी

उपायुक्त सिरसा को निदेशालय के पत्र क्र० 3ए0ई0/2016/10728, दिनांक 11.02.2016 व स्मरण पत्र दिनांक 27.07.2017, 06.09.2017, 11.06.2019, 05.07.2019, 06.01.2020 तथा 20.07.2020 द्वारा उक्त ढाणियों को नगर पालिका रानियां में सम्मिलित करने बारे सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/मापदण्डों अनुसार प्रस्ताव भिजवाने बारे अनुरोध किया गया। परन्तु वांछित रिपोर्ट अभी तक

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

सरकार के विधायी है; यहि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

267. तारकित प्रश्न संख्या 226 के संदर्भ में श्रीमती शकुंतला खटक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि वे इस गांव खोखरा कोट की गलियों और सड़कों को बनाने की समय सीमा तय कर दें और फिर चाहे दो साल में, तीन साल में या पांच साल में बनवा दें इसलिए इस काम की समय सीमा के बारे में मंत्री जी मुझे सदन में बताने का कष्ट करें xxx

ने पहले ही आदेश दे दिया है। आपकी बात वाजिब है। इन ढाणियों को नजदीकी पंचायत के साथ मिला दिया जायेगा।

20.03.2015

स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्या को ऑन दि फ्लोर आफ दि हाउस बताना चाहता हूँ कि उस गांव में 75.69 लाख रुपये का काम प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जो अनुमान प्रक्रिया पास की जानी है वह 189.93 लाख रुपये की है। यह पैसा जैसे ही पास हो जाएगा उस पर काम शुरू करवा देंगे। 301.89 लाख रुपये के सड़कों के अनुमान स्वीकृति हेतु प्रक्रिया में हैं। जैसे ही अनुमानों की स्वीकृति प्राप्त होगी, उन सड़कों के कार्य को भी subject to availability of funds पूरा कर लिया जाएगा। सभी विकास कार्य राज्य सरकार से अनुदान प्राप्ति के अनुसार ही किए जाते हैं मगर मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि विधायी क्षेत्र नगर निगम, रोहतक में राज्य सरकार से अनुदान राशि प्राप्ति के बाद प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य करवाए जाएंगे।

उपपुक्त, सिस्सा से अपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त करके माननीय समिति की सेवा में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

इस बारे में बताया जाता है कि खोखरा कोट में सभी राजस्व रास्तों का निर्माण करवाया जा चुका है। 2015 से लेकर 2020 तक लगभग 10.47 करोड़ रुपये के कार्य केवल खोखरा कोट क्षेत्र में करवाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अमरुत योजना के तहत सीवर लाईन डालने का कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है व इस कार्य को पूर्ण करवाने की समयावधि बढ़ाकर दिनांक 15.3.2021 तक कर दी गई है। अमरुत योजना के तहत पानी की लाईन का कार्य लगभग 65 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। कार्य दिनांक 31.3.2021 तक पूर्ण करवा दिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

268. श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया
अतारांकित प्रश्न संख्या 372 :- क्या
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया
बताएंगे कि :-
- (क) क्या यह तथ्य है कि बीटीएम रोड,
भिवानी में क्रिश्चियन कब्रिस्तान के
चारों ओर का फुटपाथ पूरी तरह से
क्षतिग्रस्त हो गया है ; तथा
- (ख) क्या यह भी तथ्य है कि गत कई वर्षों
से इस फुटपाथ का रखरखाव/मरम्मत
कार्य पिछले कई वर्षों से नहीं किया
गया है; यदि हां, तो उसके कारण
क्या हैं तथा उपरोक्त फुटपाथ के
कब तक मरम्मत/पुनर्निर्मित किए
जाने की संभावना है ?

29.08.2016

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) यद्यपि, फुटपाथ का रख रखाव सामान्य
मरम्मत द्वारा किया जा रहा है, परन्तु
इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।
अतः इसके पुनर्निर्माण का अनुमान
तैयार किया जा चुका है तथा
प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने के
लिए प्रक्रिया में है। वर्तमान में समय
सीमा नहीं दी जा सकती।

यह कार्य कार्यकारी अभियंता
PWD(B&R) भिवानी से संबंधित है।
इस बारे इस कार्यालय द्वारा उनसे
संपर्क किया गया तथा उनके द्वारा
बताया गया कि वैश्य कॉलेज से बी0
टी0 एम मिल (सेक्शन वैश्य कॉलेज
से बी0टी0एम चौक तक) कि0 मी0 0
से 0.43 तक (सिड आई0डी0 न0 2239)
की 11.88 लाख रू0 की प्रशासकिय
स्वीकृति अतिरिक्त मुख्य सचिव
हरियाणा लो0 नि0 वि0 भवन एवं मार्ग
शाखा के पत्र क्रमांक 9/281/
2016-3 बी0 एंड आर डब्ल्यू दिनांक
14.09.2016 के द्वारा शीर्षक 3054 के
अन्तर्गत प्राप्त हुई। इस कार्य कि जो
निविदा प्राप्त हुई थी उस ठेकेदार को
काम अलॉट कर दिया गया था लेकिन
समयअवधि पूरी होने के बावजूद उस

The Committee
would like to know
the latest position
in this regard.
(19.8.2020)

ठेकेदार ने काम नहीं किया। इसके पश्चात उस ठेकेदार की अनुबंधित राशि जब्त कर ली गई तथा इस कार्य के दोबारा टेन्डर प्राप्त कर लिए गए जो कि स्वीकृत के लिए अधीक्षक अभियंता भिवानी वृत्त को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। इस कार्य के दोबारा लिए गए टेन्डरों की ठेकेदार को अलॉट करने के बाद यह कार्य दिनांक 14.11.2017 को पूरा किया जा चुका है। अतः उपरोक्त रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए आप महोदय को अवगत करवाया जाता है कि उक्त कार्य PWD(B&R) द्वारा पूर्ण करवाया जा चुका है। इसके अलावा नगरपरिषद भिवानी द्वारा इसके साथ लगती गली का निर्माण भी करवाया जा चुका है। सुचनार्थ आप महोदय कि सेवा में रिपोर्ट प्रस्तुत है।

23.10.2017

269. श्री हरी चन्द्र मिश्रा, द्वारा पूछा गया
अतिरिक्त प्रश्न संख्या 640 क्या शहरी
स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:

क) क्या जींद शहर में अर्बन एस्टेट, स्कीम नं 5, स्कीम नं. 6 तथा डिफेंस कालोनी

संबन्धित बारे आप महोदय को अवगत करवाया जाता है कि जीन्द शहर में अर्बन एस्टेट सैक्टर-10, 11, एक्सटेंशन तथा डिफेंस कालोनी की सड़कों का पुन निर्माण का कार्य मौके

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(19.8.2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आरवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

की क्षतिग्रस्त सड़कों को पुनः निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, तथा

(ख) यदि हां, तो इनके कब तक पुनः निर्मित किये जाने की संभावना है ?

पर पुर्ण हो चुका है। स्कीम नं 5 व 6 की क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनः निर्माण हेतु मुख्यमंत्री घोषणा 23109 dt 12-09-2018 के तहत 466.45 लाख रुपये का कार्य पूर्व में इस कार्यालय के कार्य आदेश संख्या MCJ/2019/ 4765 दिनांक 20.09.2019 के माध्यम से श्री सतपाल ठेकेदार को कार्य अलाट किया गया था। परन्तु दिनांक 31.01.2020 को सतपाल ठेकेदार का देहांत हो गया। जिसका रण कार्य मौके पर बन्द है। लगभग 35 प्रतिशत कार्य मौके पर हो गया है। अब इस कार्य के शेष भाग को करवाने हेतु दिनांक 14.05.2020 कोई-निविदा आमन्त्रित की गई थी जिसकी आवेदन की अन्तिम तिथि 21.05.2020 तक थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते एजेंसियों का निविदा में भाग न लेपाना

एवं एक एजेंसी का समय पर दस्तावेज जमाना होने पर आपत्ति दर्ज होने के कारण निविदा को दिनांक 08.09.2020 को आनलाईन निरस्त करना पड़ा। जल्द ही पुनः ई-निविदा आमन्त्रित करके कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा।

12.03.2018

270. तारांकित प्रश्न संख्या-2559 के संदर्भ में श्री मकखन लाल सिंगला द्वारा पूछा गया अनुपूर्वक क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि सिरसा शहर में हुडा द्वारा विकसित किए गए सभी पार्क बुरी अवस्था में हैं; यदि हां, तो उपरोक्त पार्कों का ठीक रख-रखाव कब तक किए जाने की संभावना है ?

महोदय, केवल उन पार्कों की स्थिति खराब है जिन्हें हुडा द्वारा नगर परिषद सिरसा को हस्तांतरित किया गया है। इन पार्कों में मरम्मत एवं रख रखाव का कार्य नगर परिषद सिरसा के सदन की साधारण बैठक में प्रस्ताव पारित करने परचात करवाया जाएगा।*****

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(19.8.2020)

357

नगर परिषद सिरसा द्वारा सिरसा शहर में हुडा विभाग द्वारा विकसित किए गए सभी 40 न. पार्कों के रख रखाव हेतु ई-निविदा के माध्यम से ठेके पर दिये गये हैं। इस कार्य की अनुमानित लागत 75.42 लाख रुपये है। जिस फर्म/एजेंसी को पार्कों के रख रखाव का कार्य दिया हुआ है, उस फर्म द्वारा नियमित रूप से रख रखाव का कार्य किया जा रहा है और आज तक रुपये 61.50 लाख का भुगतान किया जा चुका है। अब इन पार्कों में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है और कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा पार्कों के रख रखाव की मॉनिटरिंग भी की जा रही है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

14.03.2018

271. तय्यकित प्रश्न संख्या 2621 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र जिले से डेली 70 टन कचरा निकलता है यह हमारे जिले की बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम लीज पर जमीन लेकर कचरा खालने का प्रबन्ध करते हैं तो कचरे के कारण वहां पर रहने वाले लोगों में बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है, इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए जल्दी से जल्दी टैंडर प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू करवाया जाए।

XX में माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि विभाग द्वारा 2 बार टैंडर काल किये जा चुके हैं परन्तु सिंगल बिड आयी है और कोई भी टैंडर रिसीव नहीं हुआ है जिसके कारण विभाग इस काम को नहीं कर पाया। इसके लिए फिर से विभाग द्वारा 15 अप्रैल को नये टैंडर लगाए जाएंगे और उसके टैंडर रिसीव होने के बाद हम इसका काम जल्दी ही पूरा करवा देंगे।

मामले में दिनांक 10.08.2020 तक की वर्तमान स्थिति निम्नप्रकार है:- यह प्रस्तुत किया जाता है कुरुक्षेत्र एकीकृत ठोस कचरा प्रबन्धन प्रणाली करनाल-कैथल-कुरुक्षेत्र क्लस्टर का हिस्सा है। CoSI (Committee of Secretaries on Infrastructure) और CCI (cabinet Committee on Infrastructure) is आवश्यक से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। हालांकि यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी शहरी स्थानीय निकाय को निदेशित किया है कि जब तक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट शुरू नहीं होता कचरे को Material Recover Facilities (MRF) or Wet Waste Composting द्वारा उपचारित किया जाए।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

14.03.2018

272. तारांकित प्रश्न संख्या 2621 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री सुभाष बराला द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि भूना में जो सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाया जाना था, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है और क्या उसमें भी कोई ऊर्जा पैदा करने वाला संयंत्र साथ में लगाया जाएगा?

XX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह भी बताना चाहूंगा कि यहां पर 45.65 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट लगाया जाएगा और इसके लिए हमने 5 जनवरी, 2018 को टेंडर कॉल किया था, जिसकी अंतिम तिथि 6 मार्च, 2018 थी। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब उस टेंडर को खोला गया तो हमें सिर्फ 1 ही टेंडर रिसीव हुआ इसलिए हम अब दोबारा से टेंडर कॉल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जून, 2018 तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद इसका काम आरंभ हो जाएगा और अगस्त, 2019 तक यह काम पूर्ण हो जाएगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(19.8.2020)

मामले में दिनांक 10.08.2020 तक की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:- भूना-हिसार-फतेहाबाद एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है। हिसार में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली के लिए भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया की जा रहा है। पहले चिन्हित की गयी भूमि उपयुक्त नहीं थी क्योंकि यह भूमि एयरपोर्ट क्षेत्र की 2 किलोमीटर की सीमा के अंदर पड़ती थी। भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया के साथ साथ Tender Document i.e. Request For Proposal (RFP), Work Contract, CoSI के समक्ष दिनांक 08.07.2020 कि मीटिंग में रखे गये जिसकी सैधातिक स्वीकृति CoSI (Committee of Secretaries on Infrastructure) मिली हुई है। ओर बैठक कार्रवाई विवरण वित्त विभाग से आने के बाद निविदा आमंत्रित की जायेगी।

15.03.2018

273. तारांकित प्रश्न संख्या 2305 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री केहर सिंह, द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या शहरी

हों, महोदय। यह पार्क नगर पालिका हथीन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में विकसित किया जाएगा।

The Committee would like to know the latest position

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएं कि क्या हथीन कस्बे में एक पार्क विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक विकसित होने की संभावना है?

पुनः कैसे एक करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से उपायुक्त, पलवल द्वारा लगाए गए एतराजों को हल करके इस कार्यालय के यदि क्रमांक 481/MCH/2020 दिनांक 19.03.2020 द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना०) हथीन के माध्यम से उपायुक्त, पलवल को प्रासन्निक स्वीकृति प्रदान करने हेतु भेजा हुआ है, जो अपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त करे माननीय समिति को अवगत करवा दिया जायेगा।

in this regard.
(19.8.2020)

10.09.2018

274. अतारकित प्रश्न संख्या 693 के संदर्भ में श्री कुलवंत राम बाजीगर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या-शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएं कि क्या चीका कस्बे की डी.ए.वी. कॉलोनी में स्वर्ण जयंती पार्क का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

हाँ, श्रीमान जी। चीका शहर के डी.ए.वी. कॉलोनी में स्वर्ण जयंती पार्क का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने दिनांक 01.06.2018 को रुपये 132.83 लाख की प्रासन्निक स्वीकृति इस पार्क के निर्माण के लिए प्रदान कर दी है। सिविल कोर्ट, गुडला में सीमा रानी व

मामले में दिनांक 10.08.2020 तक की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:- नगर पालिका चीका में स्वर्ण जयंती पार्क के निर्माण हेतु शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा दिनांक 01.06.2018 को रुपये 132.83 लाख की प्रासन्निक स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(19.8.2020)

यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है ?

अन्य ने उपरोक्त पार्क के निर्माण को रोकने के लिए एक केस दायर किया हुआ है। माननीय सिविल कोर्ट, गुडला ने 20.08.2018 को आदेश पारित किये हैं कि प्रतिवादी कोई पार्क का निर्माण नहीं करेगा जब तक कि यह केस कोर्ट में लंबित है। इस अर्जी का निपटान कर दिया गया है। नगर पालिका चीका सिविल कोर्ट, गुडला के आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायालय कैथल में अर्जी दायर करेगा। माननीय जिला न्यायालय कैथल के निर्णय के अनुसार इस पार्क का निर्माण शुरू किया जायेगा।

पार्क के निर्माण को रोकने के लिए श्रीमती सीमा रानी व अन्य द्वारा एक कोर्ट केस सिविल न्यायालय, गुडला में केस संख्या सी0एस0/253/2018 के तहत दायर किया गया था। उक्त केस में सुनवाई करते हुए माननीय सिविल न्यायालय, गुलहा द्वारा दिनांक 20.08.2018 को आदेश पारित किये गए कि जब तक उक्त केस इस न्यायालय में लंबित है तब तक प्रतिवादी यानी नगर पालिका चीका सम्बंधित भूमि पर पार्क का निर्माण नहीं करेगा। उक्त आदेशों में न्यायालय द्वारा नगर पालिका चीका को उक्त भूमि को लीज पर देने बारे छूट प्रदान की गई थी। जिसकी पालना में नगर पालिका चीका द्वारा सम्बंधित भूमि को लीज पर दिया जा रहा है। अब उक्त केस में माननीय सिविल न्यायालय, गुडला द्वारा आगामी तिथि 22.08.2020 Plaintiff Evidence हेतु निश्चित की गई है। नगर पालिका चीका द्वारा माननीय सिविल न्यायालय, गुडला द्वारा पारित किए गए बंदी आदेश दिनांक 20.08.2020 के विरुद्ध एक

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अपील माननीय जिला न्यायालय, कैथल में केस संख्या CMA/74/2018 के तहत दायर की हुई है, जिसकी सुनवाई हेतु आगामी तिथि 13.11.2020 निश्चित है। माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।

11.09.2018

275. तारांकित प्रश्न संख्या 2685 के संदर्भ में श्री पिथरी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मंत्री कृपया बताएंगे कि:-
- (क) क्या यह तथ्य है कि नरवाना शहर में ढाकल लिंक रोड़, विश्वकर्मा चौक से रामनगर गली नं० 10 तक बुरी अवस्था में है ; तथा
- (ख) यदि हां, तो इसके कब तक मरम्मत किये जाने की संभावना है ?

- (क) हां, श्रीमान।
(ख) श्रीमान, यह सड़क नगर परिषद, नरवाना को एच.एस.ए.एम.डी. द्वारा दिनांक 25.07.2018 को सौंपी गई है। सड़क की मरम्मत का कार्य नगर परिषद, नरवाना के सदन में प्रस्ताव होने उपरान्त कराया जायेगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(19.8.2020)

नगर परिषद कार्यालय द्वारा ढाकल रोड़ का निर्माण कार्य ₹0 94.00 लाख की अनुमानित लागत से किया जा रहा है, कार्य 60 प्रतिशत हो चुका था परन्तु नगर परिषद नरवाना में प्रधान के अविश्वास प्रस्ताव होने के कारण किसी भी बिल की अदायगी नहीं की गई जिस कारण उक्त एजेन्सी ने कार्य बीच में ही रोक दिया गया था। परन्तु अब उक्त कार्य वर्तमान समय में प्रगति पर है और जल्द ही दिनांक 22-07-2020 तक पूरा कर दिया जायेगा।

11.09.2018

276. तारांकित प्रश्न संख्या 2769 के संदर्भ में श्री मूल चंद शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 फरवरी, 2016 को फरीदाबाद के सैक्टर 22-23 तथा ईस्ट इंडिया कालोनी में पानी उपलब्ध कराने की दिशा में एक घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत मिले पैसे से यहाँ पर बूस्टरज तैयार किए गए। सैक्टर 22-23 में स्थित बूस्टरज की दो लाइनें हैं। पहली लाइन से एन.आई. टी. फरीदाबाद को पानी मिलता है और सैक्टर 23 की दूसरी लाइन से ईस्ट इंडिया कालोनी में लगे बूस्टर को पानी मिलता है जिससे आगे संजय कालोनी व शिव कालोनी और अन्य तीन कालोनियों को पानी मिलता है। परन्तु अफसोस इस बात का है कि बूस्टरज में पानी ही नहीं आ रहा है जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सेशन में भी मैंने इस संबंध में सदन में आवाज उठाई थी और तब कहा गया था कि इन बूस्टरज में पानी आयेगा। न तो उस समय पानी था और न ही आज इन

XXXX अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जानकारी मिली है वह यह है कि बल्लभगढ़ के सैक्टर 23 में लगे बूस्टर में पानी की आपूर्ति हो रही है। यदि इस बूस्टर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है तो मैं एक बार विभाग से चैक करवा लेता हूँ। XXXX अध्यक्ष महोदय, मैं उस जिले की कष्ट निवारण समिति का चेयरमैन हूँ। वहाँ अधिकारियों के साथ बैठकर इस समस्या का हल निकाल लिया जायेगा।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

ईस्ट इंडिया कालोनी में बने बूस्टर को लाईन नं०-2 से जोड़ने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है जिसकी कार्य अवधि दिनांक 20.01.2020 से 19.04.2020 तक थी किन्तु कोविड-19 के कारण यह कार्य रुका हुआ है जोकि नवम्बर, 2020 तक पूरा करा दिया जाएगा और इस लाईन नं०-2 में पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए सैक्टर-3, 8 और 9 की ग्रीन बैल्ट में 10 नये ट्यूबवैल लगाने के लिए वर्क ऑर्डर (मै० रोहित कंस्ट्रक्शन) को दिनांक 22.07.2020 को जारी किया गया है, जिसकी कार्य अवधि दिनांक 01.08.2020 से 31.01.2021 तक है, जोकि प्रगति पर है। इसके साथ-साथ सैक्टर-8, और 10 की ग्रीन बैल्ट में पहले से लगे 20 ट्यूबवैलों को भी पुनःप्रवर्तन करने के लिए दिनांक 22.07.2020 को (मै० कुमरजी लाल) को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसकी कार्य अवधि दिनांक 01.08.2020 से 31.01.2021

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

बूस्टर में पानी पहुँच सका है। सदन में यह जवाब दिया गया था कि सैक्टर 23 स्थित बूस्टर में पानी की सप्लाई है जबकि यहाँ पर न पहले पानी था और न ही आज पानी है। सैक्टर 22 के लोगों की तो यह हालत बनी हुई है कि लोगों को मोल लेकर पीने का पानी पीना पड़ रहा है क्योंकि धरती के नीचे का पानी खारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपये विकास के कामों के लिए दिए हुए हैं लेकिन उनका कोई भी अंता पता नहीं है कि कहाँ पर पैसा लगा हुआ है ? आज बल्लभगढ़ की हालत यह है कि लाइन नं० 2 पर कॉलोनी में पीने का पानी नहीं है। लोग पानी खरीदकर पी रहे हैं। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 5 करोड़ रुपये बूस्टरों आदि के लिए दिए हुए हैं लेकिन उनमें पानी की आपूर्ति आरम्भ नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हमें आश्वासन दें कि कब तक

तक है, जोकि कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2014 में विकास कार्यों के लिए रुपये 8.32 करोड़ व रुपये 6.80 करोड़ की राशी निगम को प्राप्त हुई थी, जिसके तहत उस समय विकास कार्य करा दिये गये थे। बूस्टरों आदि के लिए निगम में कोई भी ग्रांट प्राप्त नहीं हुई है।

कॉलोनी में लगे बूस्टरो में पानी की आपूर्ति आरम्भ हो जायेगी? XXXX अध्यक्ष महोदय, बल्लभगढ़ के सैक्टर-23 में लगे बूस्टर में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है। XXXX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि बल्लभगढ़ के सैक्टर 23 में से पानी ईस्ट इंडिया कॉलोनी में जाएगा और ईस्ट इंडिया कॉलोनी से 5 अन्य संजय, शिव, राजीव नगर आदि कॉलोनियों को पानी जायेगा। XXXX

277. अतारणिकित प्रश्न संख्या-737 के संदर्भ में श्री पिथी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या नरवाना शहर में ठोस कचरे का उचित निपटान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

21.02.2019

हां, श्रीमान जी। प्रस्तावित इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जीनव कलस्टर के अंतर्गत आने वाली पालिकाओं में से नरवाना एक है, जिसमें घर घर से कूड़े का संग्रह, प्राथमिक और माध्यमिक परिवहन, सेनेटरी लैंडफिल में निष्क्रिय सामग्री का प्रसंस्करण और निपटान शामिल हैं। जीनव कलस्टर के लिए निविदा प्रक्रिया दिनांक 30.04.2019 तक पूरी होने की सम्भावना है।

मामले में दिनांक 10.08.2020 तक की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:- नरवाना एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन कलस्टर प्रणाली में जीनव कलस्टर का है। हालांकि यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी शहरी स्थानीय निकाय को निदेशित किया है कि जब तक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट शुरू नहीं होता कचरे की Material Recover Facilities (MRF) or Wet Waste Composting द्वारा उपचारित किया जाए।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

278. तारकित प्रश्न संख्या 2943 के संदर्भ में श्रीमती सीमा त्रिखा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया जी को यह बताना चाहती हूँ कि फरीदाबाद जिले में जो बड़खल विधान सभा क्षेत्र है उसमें इस समय 10 वार्ड हैं जो कि पूरे जिले में किसी भी विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा हैं। फरीदाबाद के एक औद्योगिक शहर होने की वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों से लोगों के आने के कारण यहां पर लगभग 56 परसैंट या यूं कह लें कि पूरे शहर का स्लम भी इसी विधान सभा क्षेत्र में ही रहता है। हमारे वहां पर पानी की सप्लाई ददसिया में ट्यूबवैल लगाकर दी जा रही है। जो पाईप लाईन इसके लिए डाली गई हैं वे बहुत सी जगहों पर पक्कर हैं जिससे हमारे किसी भी

स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्या को यह बताना चाहती हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि बड़खल विधान सभा क्षेत्र में 4 एम.एल.डी. पानी की कमी है यह बात हम भी स्वीकार करते हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए नगर निगम, फरीदाबाद के स्तर पर सम्भावनायें तलाश करने के लिए विस्तृत तौर पर इस विषय को एग्जामिन किया गया है। जैसा कि माननीय सदस्या ने स्वयं भी माना है कि वहां पर हमने काफी मात्रा में बड़े ट्यूबवैलज भी लगाये हैं। भविष्य में इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसमें हम यमुना नदी के किनारे पर 119 लाख रुपये की लागत से 12 नये ट्यूबवैलज लगाने जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ 502.18 लाख रुपये की राशि से हम मेवला, सैक्टर-48 और लकड़पुर में तीन बूस्टिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि

बड़खल विधानसभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई की आपूर्ति करने के लिए रैनीवैल लाईन नं० 4, 5, 6 व 7 से पानी सप्लाई की जा रही है। यहां यह बताना भी उचित होगा कि लाईन नं०-6 जोकि ददसिया लाईन नं०-6 के नाम से जानी जाती है, वर्ष 2000 में शुरू की गई थी जिसमें से सैक्टर-14, 15, 16, 17, 15ए0, 16ए0, 19, 28, 29, 30, 31, सैक्टर-21ए0, बी0 सी0, एन0एच0-1, 2, 3, 5 एस0जी0एम0 नगर से होते हुये डुबुआ कालोनी इत्यादि क्षेत्रों तक पानी की सप्लाई की जाती है, इस लाईन पर 4 रैनीवैल व 39 ट्यूबवैल लगाये गये थे परन्तु समय के साथ-साथ यमुना किनारे स्थित रैनीवैल व ट्यूबवैलों का जल स्तर कम होने के साथ-साथ इनकी क्षमता घटती गई और ट्यूबवैल

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(19.8.2020)

बूस्टिंग स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में पानी की सप्लाय नहीं हो पाती है। वहां पर ट्यूबवैलज लगवाने के लिए माननीय मंत्री महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों में कहीं भी कोई कमी नहीं रही है। आज के दिन गुरुग्राम और फरीदाबाद की जमीन में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। इसी प्रकार से मेरे हल्के में भी पानी की बहुत ज्यादा कमी है इसलिए मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि हमें दो बूस्टिंग स्टेशन और दिये जायें और इसके साथ ही साथ ददसिया के किनारे 10 बड़े ट्यूबवैलज लगाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की पर्याप्त आपूर्ति की जाये।

ग्रीष्मकालीन सीजन आने से पहले इनको स्थापित कर दिया जायेगा ताकि वहां की जनता को गर्मियों के दिनों में पानी की कमी की वजह से कोई भी परेशानी न हो। हमारे पास फरीदाबाद में टोटल 15 एम.एल.डी. पानी की कमी है। इसके लिए नगर निगम, फरीदाबाद में हमने 210 अतिरिक्त ट्यूबवैलज लगाने की योजना तैयार की है। इन ट्यूबवैलज को भी हम शीघ्रातिशीघ्र लगावायेंगे।

भी खत्म होते रहे। 39 ट्यूबवैलों में 14 ट्यूबवैलों जोकि पूर्णतय खत्म हो गये थे, के स्थान पर 12 नये ट्यूबवैलों का प्रस्ताव बनाया गया व सभी 12 ट्यूबवैलों के बोर कर दिये गये हैं और इनमें से 8 ट्यूबवैल चालू कर दिये गये हैं और बाकी 4 ट्यूबवैलों को भी जल्द ही चालू कर दिया जायेगा। यहां यह भी बताया जाता है कि ददसिया लाईन नं०-7 हुआ अब एच०एस०वी०पी० विभाग से निगम को वर्ष 2018 में हस्तांतरित हुई है और इस लाईन में पानी की मात्रा भरपूर है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि सैक्टर-48 में बूस्टिंग स्टेशन रैनीवैल जो जे०एन०एन०यू० आर०एम० योजना, 2008 के तहत लाईन नं०-4 पर बनाया गया है। इस लाईन नं०-4 पर 2 रैनीवैल और 28 ट्यूबवैल प्रस्तावित थे परन्तु इस लाईन पर केवल 2 रैनीवैल और 1 ट्यूबवैल ही लग पाये और 27 ट्यूबवैलों की किन्ही कारणों से जगह

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अधीग्रहित नहीं की जा सकी इसलिए इस लाईन पर पानी का उत्पादन बहुत कम है जोकि सेक्टर-48 बूस्टिंग तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ यह भी बताया जाता है कि इसी बूस्टिंग के साथ एक पुराना बूस्टिंग ददसिया लाईन नं०-6 पर बना हुआ है जो कार्यरत है जिससे इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई की जा रही है। जहाँ तक नये बूस्टिंग व पानी का प्रश्न है, इस नये बूस्टिंग में ददसिया लाईन नं०-7 से पानी पहुंचाने हेतु अमरुत योजना के तहत सेक्टर-45 की बूस्टिंग से लाईन जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। यहाँ यह बताया जाता है कि मेवला महाराजपुर व लक्कड़पुर के बूस्टिंग JNNURM योजना के तहत पानी का अण्डरग्राउण्ड वाटर टैंक और पम्प चैम्बर बना दिये गये हैं परन्तु

इलैक्ट्रीक पैनल का कोई भी कार्य जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के तहत NBCC द्वारा नहीं किया गया है और अब ये JNNURM योजना बन्द हो चुकी है। मेवला महाराजपुर के अण्डरग्राउण्ड वाटर टैंक को रैनीवेल लाईन नं0-6 ददसिया से जोड़ दिया गया है पैनल बोर्डों के अनुमान बना दिये गये हैं जोकि प्रासकीय स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है और टैण्डर प्राप्त होने उपरान्त इस कार्य को पूरा करा दिया जायेगा। जहाँ तक लक्कड़पुर बूस्टर का प्रन है, के बारे में बताया जाता है कि अण्डरग्राउण्ड वाटर टैंक का बन चुका है और इसमें डिस्ट्रीबूशन लाईन अमरुत योजना के तहत खाली जा रही हैं और इलैक्ट्रीक कार्य का अनुमान बनाने की प्रक्रिया में है और टैण्डर प्राप्त होने उपरान्त इस कार्य को पूरा करा दिया जायेगा, अमरुत योजना के तहत चल रहे कार्य को पूरा कराने में कम-से-कम 6 माह का समय लगेगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

279. तारांकित प्रश्न संख्या-2897 के संदर्भ में श्री मकखन लाल सिंगला द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :-
- (क) क्या यह तथ्य है कि वर्षा के मौसम में सिरसा शहर में पानी एकत्रित हो जाता है; तथा
- (ख) यदि हां, तो क्या सिरसा शहर में उचित जलनिकास प्रणाली उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है तथा उसका ब्यौरा क्या है?

25.02.2019

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) सरकार द्वारा अमृत परियोजना के तहत बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए 8.13 करोड़ रुपये की लागत की योजना को मंजूरी दी जा चुकी है। ठेकेदार को कार्यदिश दिनांक 07.09.2018 को जारी किया गया है। ठेकेदार द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। दिनांक 31.10.2019 तक कार्य के पूरा होने की सम्भावना है।

दिनांक 10.08.2020 को मामले की वर्तमान स्थिति निम्नप्रकार है: (क) हां, श्रीमान जी। (ख) सरकार द्वारा अमृत परियोजना के तहत बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था के लिए 8.13 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को मंजूरी दी गई थी व अब इस कार्य को 9.88 करोड़ रुपये की लागत तक बढ़ा दिया गया है। कार्य के आरम्भ में उपयुक्त भूमि/स्थान उपलब्ध ना होने के कारण कार्य को सुचारु रूप से शुरू नहीं करवाया जा सका। अब उपयुक्त भूमि/स्थान का चयन कर लिया गया है व ठेकेदार द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। पाईपलाइन बिछाने का कार्य तीव्रता से प्रगति पर है। इस कार्य के 31.03.2021 तक पूरा होने की सम्भावना है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

26.02.2019

280. तारांकित प्रश्न संख्या-2998 के संदर्भ में श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि झज्जर में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

नगर पालिका झज्जर इंडीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रोहतक क्लस्टर का हिस्सा है, जिसके लिए निविदा 15 मार्च 2019 तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है। इंडीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अगस्त 2021 तक स्थापित हो जायेगा।

मामले में दिनांक 10.08.2020 तक की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:- झज्जर एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर प्रणाली में रोहतक बहादुरगढ़ झज्जर क्लस्टर का भाग है। यह भी संज्ञान में लाया जाता है की हरियाणा प्रदेश के एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्लांट लगाने के लिए 14 क्लस्टर में विभाजित किया था। परन्तु कुछ स्थानों पर कूड़ा उत्पन्न होने की जगह से प्लांट की दूरी ए स्थल उपलब्ध न होने ए प्लांट की तकनीकी इत्यदि करने से प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक अलाट न हो पाए इसलिए न मुद्दों/तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्लस्टरों का पुनगठन करके एवं एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट की तकनीकी टेकनोलॉजी फ्री रखते हुए प्रस्ताव CoSI (Committee of Secretaries on Infrastructure) की मीटिंग दिनांक 08.07.2020 में सैद्धांतिक रूप से CCI (cabinet Committee on Infrastructure) की मीटिंग में रखने बारे स्वीकृत कर दिया गया है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई, कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

जिसकी बैठक कार्यवाही विवरण वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाना है। इसके उपरान्त पुनर्गठन क्लस्टरों के प्रस्ताव को CCI में निर्णय उपरान्त निविदाएं आमंत्रित की जायेगी।

21.02.2019

281. ताराकित प्रश्न संख्या 2914 के संदर्भ में श्री मूलचन्द शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:-*** मेरा यह कहना है कि ईको ग्रीन प्रोजेक्ट पर सफाई के नाम पर करोड़ों रुपये सरकार के द्वारा खर्च किये जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लगभग सभी खाली प्लॉट्स में मलबा स्टोर हुआ पड़ा है। ईको ग्रीन ने यह एग्रीमेंट किया था कि जितने भी प्लॉट्स में इस प्रकार से मलबा भरा पड़ा है हम उनकी प्रॉपर सफाई करेंगे लेकिन वहां पर जो पिछले 10 साल से अर्थात् कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय से

***मैंने विभाग के साथ ही साथ कम्पनी के अधिकारियों को भी डॉयरेक्शन दी है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा स्ट्रैथन करें ताकि इन खत्तों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कम हो सके। इसके अलावा जहां तक सी. एण्ड डी. वेस्ट का सम्बन्ध है इस बारे में मेरा यह कहना है कि सी. एण्ड डी. वेस्ट के डिस्पोजल के लिए हम नये टैण्डर ईनवाइट कर रहे हैं जिसके तहत सी.एण्ड डी. वेस्ट को अलग से ट्रीट किया जायेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह टैण्डर जल्दी ही प्लोट हो जायेगा। इस प्रकार से हम सी.एण्ड डी. वेस्ट की भी अलग से ट्रीटमेंट की व्यवस्था करेंगे।

मामले में दिनांक 10.08.2020 तक की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:- इस बारे यह बताया जाता है कि सन् 2018 से फरीदाबाद नगर निगम ने इको ग्रीन की द्वारा अब तक किये गये कार्य कि प्रोग्रेस निम्न प्रकार से है:-

Particular	2017-18	2020-21
Door to Door Vehicle	245	286
Secondary Collection Points	600	300
Secondary Collection Vehicles	Aprox.	
GVP	125	103
	400	100

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(19.8.2020)

भी जो मलबा भरा पड़ा है आज तक भी वहां से मलबे की एक टोकरी भी नहीं उठाई गई है। मेन रोडज की सफाई हो गई है लेकिन स्लम वार्डज की सफाई की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगी कि यह सफाई कब तक हो जायेगी?

Note:- यहां यह भी बताया जाता है कि फरीदाबाद नगर निगम द्वारा कुड़े किं शिकायत कि निपटान के लिए हेल्मलाईन नं० 9599780982, स्वच्छता ऐप CRIC सेंटर (Toll Free No. 18001025953) लगाये गये है। जिनके द्वारा 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों को निपटान 48 घंटों के अन्दर ही करा दिया जाता है और जहाँ तक खाली पड़े प्लॉट्स में पड़े मलबे का सवाल है इस बारे बताया जाता है कि नगर निगम, फरीदाबाद ने सरकार को तीन साईट चिन्हित करके बताई गयी है जोकि निम्न प्रकार से है:-

- * Mirzapur MCF Land for Ballabgarh Zone : (10 acre approx.)
- * Pali Crusher Zone for NIT Zone (12 acre approx.)
- * Gausala Village Mawai for Old Faridabad Zone (05 acre approx.)

Note:- फरीदाबाद नगर निगम द्वारा मलबा उठाने हेतु एक हेल्मलाईन नंबर 9599780982 जारी किया हुआ है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

जिस पर खली प्लॉट्स व अन्य स्थानों पर पड़े मलबे की शिकायत की जा सकती है। अन्य वॉर्डों कि तरह स्लम वार्डों से भी Door to Door Garbage Collection का कार्य नियमित रूप से किया जाता है।

21.02.2019

282. अतारक्षित प्रश्न संख्या-725 के संदर्भ में श्री करण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-
- (क) क्या पलवल शहर में मल शोधन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; तथा
- (ख) यदि हां, क्या उपरोक्त मल शोधन संयंत्र को स्थापित करने के लिए अपेक्षित एजेंसी से पर्यावरण अनुमति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है ?

(क) हां, श्रीमान जी। पलवल में 27.50 एम. एल.डी. की कुल क्षमता के 3 नं. मल शोधन संयंत्र बनाने का प्रस्ताव है। यह कार्य रु 43.00 करोड़ की लागत से अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत किया जा रहा है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी। मल शोधन संयंत्र लगाने के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मल शोधन संयंत्र स्थापित करने की सहमति ली जा रही है।

दिनांक 10.08.2020 को मामले की वर्तमान स्थिति निम्नप्रकार है:

(क) हां, श्रीमान जी। पलवल में 27.50 एम.एल.डी. की कुल क्षमता के 3 नं. मल शोधन संयंत्र बनाने का प्रस्ताव है। यह कार्य रु 43.00 करोड़ की लागत से अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत किया जा रहा है। मल शोधन संयंत्र बनाने का कार्य 31.03.2020 तक पूरा होने की सम्भावना है।

(ख) नहीं, श्रीमान जी। मल शोधन संयंत्र लगाने के लिए पर्यावरण मंजूरी

374
The Committee
would like to know
the latest position
in this regard.
(19.8.2020)

प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, नगर परिषद पलवल द्वारा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मल संयंत्र स्थापित करने की सहमति देने बारे अनुरोध किया गया था व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र क्रमांक H S P C B / C o n s e n t / : 329973819PALCTE6381301 दिनांक 03.04.2019 के द्वारा मल शोधन संयंत्र लगाने बारे अपनी सहमति दे दी है।

27.02.2019

283. तारांकित प्रश्न संख्या-3052 के संदर्भ में श्री ज्ञान चंद गुप्ता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या जिला पंचकूला के गांव चौकी में एक शमशान घाट निर्मित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त गांव में शमशान घाट कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है?

हां, जी। गांव चौकी जिला पंचकुला में शमशान घाट के निर्माण का प्रस्ताव नगर निगम, पंचकुला के पास विचाराधीन है। xx उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आश्वासन देना चाहूंगी कि एच.एस.वी.पी. द्वारा लैंड ट्रांसफर होते ही यह काम आरम्भ करवा दिया जाएगा।

एच.एस.वी.पी द्वारा गांव चौकी की सारी भूमि का अधिग्रहण किया गया है। शमान घाट निर्मित करने के लिए नगर निगम के पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। नगर निगम द्वारा एच.एस.वी.पी को एक बीघा भूमि पर शमान घाट निर्मित करने के लिए NOC देने बारे दिनांक 17.9.2018 व 25.2.2019 को पत्र लिखा गया था, जो कि अपेक्षित है। अतः अवगत कराया जाता है कि एच.एस.वी.पी द्वारा भूमि के हस्तांतरण के बाद गांव

The Committee would like to know the latest position in this regard. (19.8.2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

में शमान घाट के निर्माण के अनुमान को सक्षम अधिकारियों से अनुमोदित करवा लिया जाएगा और कार्य को ई-निविदा के माध्यम से निष्पादित कर लिया जाएगा।

06.08.2019

284. तारांकित प्रश्न संख्या 3084 के संदर्भ में श्री ललित नागर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के के एरियाज की सीवर लाइन में 6-6 इंच के पाइप डाले जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) ग अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा सीवर लाइन में 6-6 इंच के पाइप डाले जा रहे हैं परन्तु 6 इंच के पाइप में से मल-मूत्र का निकास नहीं हो सकता। विभागीय अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं इनसे भी इस बात की जानकारी ली जा सकती है। (शोर एवं व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अगर 6 इंच की पाइपलाइन डाली गयी होगी तो उसकी जांच करवायी जाएगी। हमने 6 इंच की पाइपलाइन डालने की सैक्शन नहीं दी। वर्तमान में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से 6 इंच की पाइपलाइन फिजिबल भी नहीं हैं। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह ठीक नहीं है। अगर यह बात सही हुई तो उसकी जांच करवाएंगे। (शोर एवं व्यवधान) XX अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि हमने हरियाणा प्रदेश में कहीं भी मेन सीवर लाइन में 6 इंच की पाइप लाइन डालने के आदेश नहीं दिये हैं, केवल इंडीविजुअल हाउस की सीवर लाइन

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(19.8.2020)

इस लाइन को डालने का कार्य Amrut Scheme के तहत किया जा रहा है और इसमें 8 इंच (200MM) से कम की पाइप लाइन नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि केवल इंडीविजुअल हाउस की सीवर लाइन जोकि मेन सीवर लाइन से जोड़नी है सिर्फ वही 6 इंच की है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया जाता है कि इस कार्य के लिए 156.96 करोड़ रुपये की राशि का बक ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसकी कार्य अवधि 31-03-2021 तक है। इसमें

जनसंख्या के अनुसार सीवर लाइन डालने का प्रावधान भी किया हुआ है।

ही 6 इंच की है। मान लीजिए कि मेरा घर है और मुझे अपने घर को मेन सीवर लाइन से कनेक्ट करना है तो केवल वही पर 6 इंच का पाइप लाइन डाला गया है। इसके अलावा हमने कहीं पर भी 6 इंच की पाइप लाइन लगाने के आदेश नहीं दिये हैं और अभी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि मेन सीवर लाइन के अंदर 6 इंच का पाइप डाला गया है तो मैं इन्हें कहना चाहूंगी कि अगर ये मुझे इसके बारे में जानकारी देंगे कि किस मेन सीवर लाइन में 6 इंच की पाइप लाइन डाली गयी है तो मैं ऑन दि प्लोर ऑफ दि हाउस यह कहती हूँ कि हम उसकी जाँच करवायेंगे और जिस भी अधिकांसी/कर्मचारी या कॉन्ट्रैक्टर ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

06.08.2019

उपाध्यक्ष महोदया, जैसाकि पिरथी जी ने प्रश्न उठाया है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जिला जींद में भगवान वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि धर्मशाला के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, चौधरी विरेन्द्र सिंह जी तथा मैंने भी पैसे देने की एक घोषणा की थी। हमारी तरफ से पैसे केवल इसीलिए नहीं दिए जा सके हैं क्योंकि अभी तक इस पैसे के लिए वहां की

285. सदस्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों के संदर्भ में श्री पिरथी सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : XX दूसरा 15 अवटूर को मुख्यमंत्री जी जब जीन्द में गए थे तो वह भी इस धर्मशाला को बनाने के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा करके आए थे। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी व मंत्री जी से

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अनुरोध करना चाहूंगा कि वाल्मिकी धर्मशाला को बनाने के लिए वह पैसा जल्दी भेजे ताकि उसका काम आगे बढ़ सके। XX उपाध्यक्ष महोदय, रिजोल्यूशन मंगवाना तो सरकार का काम है। जब चौधरी बिरेन्द्र सिंह ने भी अपने द्वारा की गई घोषणा के पैसे दे दिए हैं तो सरकार के मंत्री द्वारा उनके द्वारा की गई घोषणा के पैसे भी दिए जाने चाहिए। जैसे रविदास धर्मशाला, डॉ. भीम राव अम्बेडकर भवन तथा अन्य धर्मशालाओं के लिए पैसा आया है तो वाल्मीकि धर्मशाला के लिए भी घोषणा की गई राशि को दे देना चाहिए।

नगरपालिका का रिजोल्यूशन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य विरथी जी को आश्चर्य करता हूँ कि जिस दिन यह रिजोल्यूशन आ जायेगा उसी दिन पैसा रिलीज कर दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जींद में वाल्मीकि समाज के तीन पार्षद हैं मैंने उनसे भी कहा था और इस सदन के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि जिस दिन यह रिजोल्यूशन आ जायेगा उसी दिन घोषणा की राशि की एक-एक पाई देने का काम किया जायेगा। XX उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर से माननीय सदस्य को आश्चर्य करता हूँ कि आज-कल या पुरसो या जिस दिन भी नगरपालिका का रिजोल्यूशन हमें प्राप्त हो जायेगा उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी तथा मेरे द्वारा की गई घोषणा की राशि रिलीज कर दी जायेगी।

25.02.2020

**** आगामी गर्मियों के मौसम में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए, दादरिया क्षेत्र में 12 नए नलकूप स्थापित किए गए हैं और इन्हे मुख्य जल आपूर्ति प्रणाली से जोड़ने का कार्य निविदा प्रक्रिया में है। तीन अतिरिक्त नलकूप लाईन नंबर 4 से जोड़े जा रहे हैं जोकि सैक्टर-48 के ब्रस्टिंग स्टेशन को पानी की आपूर्ति करेंगे।

26.02.2020

अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य ने एक बहुत ही जायज चिंता व्यक्त की है। कई वर्षों से यह प्रोजेक्ट नॉन-प्लानिंग की वजह से पेंडिंग रहा। जैसा बताया गया कि हमारी माननीय सांसद ने अनजान कारणों से इसकी जगह को शिफ्ट कर दिया और इसको पंजाब के बॉर्डर के नजदीक ले जाया गया जिसके लिए एन.ओ.सी. लेने में कई साल का समय लग गया। जिससे इस प्रोजेक्ट की सारी की सारी मशीनरी खराब हो गई। अब सरकार

286. श्रीमती सीमा त्रिखा, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 118 : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) बड़खल में एन.बी.सी.सी. तथा नगर निगम द्वारा स्थापित बुस्टरों की स्थिति क्या है तथा उन बुस्टरों की संख्या कितनी है जो कार्य नहीं कर रहे हैं; तथा:

ख) क्या आने वाले गर्मी के मौसम में पानी आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष प्रबंध किए गए हैं, तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

287. तारांकित प्रश्न संख्या 171 के संदर्भ में माननीय सदस्य श्री असीम गोयल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मेरी और माननीय मंत्री जी की मर्ज और दिक्कत एक ही है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं कि दिनांक 1 नवम्बर, 1988 को पंजाब और हरियाणा अलग हुआ था, तब मलकानी कमीशन बनाया गया था। उस मलकानी कमीशन ने एशिया के सबसे गंदे शहरों

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

में से एक अम्बाला का नाम लिया था और हम तब से इस गंदगी के दश को झेलते आ रहे हैं। पिछली बार जब राज्य और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय जो हमारे अम्बाला से सांसद थी उनको केन्द्रीय मंत्री बनाया गया था। उन्होंने चार्डना की रिजर्विड और ओल्ड टैक्नीक की मशीनरी को बिना एन.ओ.सी. लिए उस प्लांट को लगावा दिया और जो इंटर स्टेट का इशू था उसको भी हल नहीं किया गया। जो एन.जी.टी. की एन.ओ.सी. रिक्वायर्ड थी उसको भी प्राप्त नहीं किया गया था। इस सबका यह परिणाम यह हुआ कि वह प्लांट आज तक नहीं चला। उस प्लांट को लगे 13 से 14 साल हो चुके हैं। आज वह पूरी तरह से जर्जर हालत में हो गया है। आज हालत यह है कि जो 17 एकड़ जमीन म्युनिसिपल कारपोरेशन ने कूड़े के लिए निश्चित की

ने कलस्टर योजना के तहत इसका वेस्ट दू एनर्जी की योजना बनाई है। इस कलस्टर में करनाल से अम्बाला तक के जिले भी शहर हैं अर्थात् जितनी भी एम.सी.ज. हैं सभी को इसमें इंकल्यूड किया गया है। इसके लिए कोई बिड नहीं आ रही है क्योंकि शायद वह वॉयबल नहीं है। हम इसका एक टैण्डर और निकालेंगे। अगर उसमें कोई बिड आती है तो हम वहां पर वेस्ट दू एनर्जी का प्लांट स्थापित करेंगे नहीं तो हम इसको डि-सैंट्रलाइज करेंगे। जिसके तहत हम प्रत्येक शहर के लिए अलग प्लांट लगायेंगे और वेस्ट दू कम्पोस्ट के प्लांट लगाने को प्राथमिकता देंगे जोकि छोटा होता है और उसको लगाने के लिए बहुत सी पार्टीज इंड्रेस्टिड भी होती हैं। फिर हम उसके ऊपर एक्सपैरीमेंट करेंगे। अभी हम इसका एक बार और टैण्डर लगा देते हैं।

थी वह लैण्ड पूरी तरह से फिल हो चुकी है। उसके अभाव में आज कूड़ा डालने की एक इंच जगह भी अम्बाला शहर या अम्बाला छावनी में उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं एक जानकारी और यह देना चाहूँगा कि माननीय कोर्ट ने कमिश्नर और जो कमीशन में ई.ओ. नियुक्त हैं उनकी सरकारी गाड़ियों को भी गंदगी न उठ पाने की वजह से अटैच कर दिया है। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने अलग-अलग तीन टैण्डर्ज को लगाने की बात की है जिनमें कोई निविदा नहीं आई है। गुरुग्राम-फरीदाबाद पहला कलस्टर और सोनीपत दूसरा कलस्टर था। इसी प्रकार से अम्बाला-करनाल तीसरा कलस्टर था। मेरा निवेदन है कि 338 करोड़ रुपये का लास्ट टैण्डर जो लगा था उसकी शर्तों में बदलाव करके इस काम को पूरा किया जाये क्योंकि यह काम होना पब्लिक और दोनों शहरों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरा आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि नियमों में आवश्यक बदलाव या

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

संशोधन करके इस काम की निविदा को जल्दी से जल्दी आमंत्रित किया जाये ताकि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो सके।

288. श्री घनश्याम दास अरोड़ा, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 349 : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि राज्य में 3-4 जिलों के प्रत्येक कलस्टर में बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

28.02.2020

महोदय, हां, इस प्रकार की योजना अंतिम निर्णय तक विचाराधीन है।

विवरण

कुल 86 नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं से कचरा प्रबंधन हेतु 14 कलस्टर (सामुहिक संयंत्र) बनाये गये हैं। इन 14 कलस्टर (सामुहिक संयंत्र) में से 4 कचरे से बिजली उत्पादन संयंत्र हैं और 10 कलस्टर (सामुहिक संयंत्र) में कचरे से खाद का निर्माण/कचरे से ईंधन (आर.डी.एफ.) के संयंत्र हैं। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।*****

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ तक कस्बों के स्तर पर खाद बनाने वाले विकेंद्रीकरण योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

28.02.2020

289. श्री प्रदीप चौधरी, द्वारा पूछा गया: श्रीमान् जी, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 164 (सी) में संशोधन उपरान्त सरकार द्वारा यादी क्रमांक 14/73/2018-4क1, दिनांक 16.8.2018 द्वारा दुकानदारों को 20 साल पूर्ण होने के बाद सम्पत्ति का अधिकार देने हेतु विस्तृत विषा निर्देश जारी किये गये हैं। मामला नगर निगम पंचकुला के विचाराधीन है।

03.03.2020

290. श्री नीरज शर्मा, द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या-61 : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि एन. आई.टी. फरीदाबाद के वार्ड नं. 1,3,5,6,7,8,9 तथा 10 में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए ?
- महोदय, एन.आई.टी. बुनाव क्षेत्र के वार्ड 1,3,5,6,7,8,9 तथा 10 के लिए पीने के पानी की आपूर्ति करने वाले 248 ट्यूबवैल हैं। गांव मोटूका में स्थित रैनीवैल सिस्टम से वार्ड नं. 1 तथा 3 के लिए भी पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है तथा गांव मंझावली एवं ददसिया में वार्ड नं. 5,6,7,8,9 तथा 10 में स्थित रैनीवैल के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही है मौजूदा अंतर को 2020 से पहले JNNURM योजना के तहत स्थापित 26 नए नलकूपों के चालू होने से रोक दिया जाएगा। गग अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

8 वाडों में दिए जा रहे पानी के बारे में पूछा है, के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि इन 8 वाडों में 54 एम.एल.डी. पानी मिलना चाहिए जिसके अग्रेस्ट अभी इनको 38.62 एम.एल. डी. पीने का पानी दिया जा रहा है और-जो गैप है वह 15.62 एम.एल.डी. का बनता है। इस गैप को सरकार 26 नए ट्यूबवैलज लगा कर पूरा करने का काम करेगी।

03.03.2020

291. शून्यकाल के दौरान उठाये गये विभिन्न मामलों के संदर्भ में श्री वरुण चौधरी द्वारा उठाया गया मामला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इम्प्लूमेंट ट्रस्ट अंबाला का सारा रिकॉर्ड अलमारी समेत गायब हो गया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज साहब से अनुरोध है कि इस सुशासन संकल्प वर्ष में संबंधित मामले की जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें 100 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान अनुमानित है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसकी सारी छान-बीन करवायेंगे और उसकी जांच भी करवा देंगे।

04.03.2020

श्रीमान जी, श्री शीतला माता मन्दिर के गर्भगृह के निर्माण (प्रथम चरण) के लिए जलद निविदाएं जारी की जाएंगी। मुख्य गर्भगृह के निर्माण का कार्य निविदाओं के आवंटन के 3 वर्ष के भीतर पूर्ण हो जाएगा। उसके तुरन्त बाद श्री शीतला माता की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित कर दी जाएगी।

***** अध्यक्ष महोदय, हम पूरी कोशिश करेंगे कि मार्च, 2020 तक इसका टैंडर फ्लोट हो जाये।

292. श्री सुधीर कुमार सिंगला, द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 370 : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि गुरुग्राम में श्री शीतला माता मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा उक्त गर्भगृह में श्री शीतला माता की प्रतिमा कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

***** माननीय मंत्री जी आवंटन की कोई तो समय-सीमा तय कर दें कि एक महीने में, दो महीने में या फिर तीन महीने में, जिसमें टैंडर का प्रारूप भी बन गया है और इसकी शर्त में भी छूट मिल गई है तो कितने दिनों में टैंडर फ्लोट हो जायेगा। इसके साथ अब होली और नवरात्रों का समय आने वाला है और लगभग देश-विदेश से 40-50 लाख श्रद्धालु इस मन्दिर में दर्शन के लिए आते हैं। जिसके कारण से ट्रैफिक का जाम लगा रहता है, इसलिए वहां पर मन्दिर तक जाने के लिए अंडर पाथ की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यातायात भी सुचारु रूप से चलता रहे और श्रद्धालुओं को भी मन्दिर में जाने के लिए कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

26.08.2020

293. श्री भारत भूषण बत्तार, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 589, क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) रोहतक के जल घरों जिनकी गाद निकालने के लिए अमृत योजना के तहत 14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी, का ब्यौरा क्या है तथा उक्त कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त कार्य के अब तक पूरा न होने के क्या कारण है;

(ख) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई तथा उक्त कार्य के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है तथा उसका पूरा ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) रोहतक नगर निगम के जल घरों से गाद निकालने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई राशि का ब्यौरा

(क) नगर निगम रोहतक द्वारा औद्योगिक विकास समुह (आई.डी.सी.) में जल घर के नवीनीकरण और वृद्धिकरण, सोनीपत रोड़ पर जल घर न० 1 व झज्जर रोड़ पर जल घर न० 2 के भंडारण और अवसादन टैंकों से गाद निकालने का कार्य व पुराने रोहतक शहर में वितरण पाइप लाइन बिछाने का कार्य शुरू करवाया गया है, जिसकी अनुमानित लागत मु० 1509.00 लाख रुपये है। यह कार्य अमरुत योजना का हिस्सा नहीं है। सोनीपत रोड़ पर स्थित जल घर न. 1 के भंडारण और अवसादन टैंकों से गाद निकालने व मरम्मत का कार्य पूर्ण हो चुका है, तथा इसके अतिरिक्त बचा हुआ कार्य प्रगति पर है। कोविड-19 महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी लोक डाउन के कारण कार्य को अट्ठाई महीने तक रोक दिया गया था। अब नगर निगम रोहतक द्वारा कार्य करवाया जा रहा है तथा यह कार्य निकट भविष्य में पूर्ण कर दिया जायेगा।

(ख) कोविड-19 महामारी के चलते राष्ट्रव्यापी

क्या है तथा स्वीकृति की तिथि कौन सी है तथा उन जल घरों के नाम क्या हैं जिनकी गाद उक्त राशि से निकाली गई; तथा

(घ) उपरोक्त (ग) में वर्णित कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त कार्यों को अब तक पूरा न किए जाने के कारण क्या हैं तथा इन कार्यों के कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

लोकडाउन के कारण कार्य को अढ़ाई महीने तक रोक दिया गया था। अब, श्रमिक व धनराशी की कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी है। इसलिए, नगर निगम के किसी भी अधिकारी की कार्य में देरी के लिए जिम्मेवारी निर्धारित नहीं की जा सकती। शेष सारा बचा हुआ कार्य आगामी पांच माह के भीतर पूरा होने की संभावना है।

(ग) जलघर में गाद निकासी के कार्य हेतु 233.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 12.09.2019 को प्रदान की गई थी। इस राशि के प्रयोग से सोनीपत रोड पर स्थित जलघर नं० 1 और झज्जर रोड पर स्थित जलघर नं० 2 के मंडारण और अवसादन टैंकों से गाद निकालने का कार्य किया जाना है।

(घ) उक्त कार्य में सोनीपत रोड पर वाटर वर्क्स नं० 1 मंडारण और अवसादन टैंकों से गाद निकासी व मरम्मत का कार्य पूरा करवा दिया गया है और झज्जर रोड पर जलघर नं० 2 के मंडारण और अवसादन टैंकों से गाद निकासी का शेष कार्य प्रगति पर है। उक्त कार्य समय पर पूर्ण न होने का कारण अनुच्छेद 'ख' में वर्णित किया है तथा गाद निकासी का कार्य आने वाले दो माह में पूर्ण करने होने की संभावना है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

26.08.2020

श्रीमान् जी ।

294. डा0 कृष्ण लाल मिश्रा, द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या 97 क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या यह तथ्य है कि जीव शहर में अमृत योजना के अंतर्गत बरसात के पानी तथा सीवरेज लाईन का कार्य किया जा रहा है; यदि हां, तो उपरोक्त कार्य के लिए आवंटित किए गए टेंडर का ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) क्या उपरोक्त कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं किया गया है; यदि हां, तो सरकार द्वारा उपरोक्त कार्य को देरी से पूरा करने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों तथा ठेकेदार के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही की गई है?

(क) हां, यह तथ्य है कि जीव शहर में बरसाती पानी और सीवरेज लाइन के कार्य अमरुत योजना के तहत निष्पादित किए जा रहे हैं। उपरोक्त कार्यों के लिए आवंटित निविदाओं का विवरण निम्नानुसार है:

कार्य का नाम	मूल अनुबंध राशि (रुपये करोड़ों में)	वर्धित अनुबंध राशि (रुपये करोड़ों में)	कार्य आदेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि
बरसाती पानी की निकासी	19.97	28.05.2018	24.62	07.12.2019
सीवरेज	6.77	06.11.2018	11.70	15.08.2019
				31.12.2020

(ख) हां, उपरोक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूरा नहीं हुआ है।

कार्य के निष्पादन के दौरान, अन्य विभागों जैसे कि एन.एच.ए.आई, पी.डब्ल्यू.डी. (बी एण्ड आर), रेलवे इत्यादि से कुछ अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए जाने की आवश्यकता है और नगर परिषद, जीव द्वारा इनके लिए आवेदन कर दिया गया है। परन्तु विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र समय पर प्राप्त नहीं हुए थे जिसके फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने में देरी हुई।

जनहित में, सीवरेंज लाइन बिछाने के लिए हाल ही में नियमित की गई कॉलोनियों को शामिल किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अनुरोध पर कुछ पुरानी सीवर लाइन को बदला गया है तथा कुछ सीवर लाइन के संरक्षण को बदलना पड़ा जिसके फलस्वरूप कार्य में देरी हुई। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन भी कार्य में देरी का एक कारण है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए तथा नगर परिषद, जीन्द की अनुशंसा पर, अमरुत के तहत गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा उपरोक्त दोनों कार्यों की समयवधि बढ़ा दी गई है।

दोनों कार्य प्रगति पर हैं और 31.12.2020 तक पूर्ण होने की संभावना है।

26.08.2020

295. श्री जगवीर सिंह मलिक, द्वारा पूछा गया
अतारंकित प्रश्न संख्या 106 क्या शहरी
स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि
क्या गोहाना तथा सोनीपत में ठोस कचरा
प्रबंधन संयंत्र स्थापित करने का कोई
प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि
हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसके
कब तक स्थापित किए जाने की संभावना
है ?

हां, श्रीमान जी, नगर निगम, सोनीपत
एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना
हरियाणा के सोनीपत-पानीपत क्लस्टर (500
टी.पी.डी.) का एक हिस्सा है। एकीकृत ठोस
अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट को स्थापित करने व
चलाने का कार्य एजेंसी को आवंटित किया
गया है और प्रसंस्करण संयंत्र का निर्माण
कार्य प्रगति पर है जो मार्च 2021 तक पूरा
होने की संभावना है। XXX

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
**WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND
BACKWARD CLASSES DEPARTMENT**

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

8.03.2018

296. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुख्य मंत्री द्वारा दिये गए रिप्लाय के संदर्भ में।

अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में एस.सी. और बी.सी. के बच्चों के लिए 11 होस्टलज का निर्माण करवाया जा रहा है। (मैंने थप-थपाई गई) अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 1025 नए ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू करवाई जा रही है। अध्यक्ष महोदय, गरीबों के कल्याण के लिए अभी तक प्रदेश और केन्द्र की लगभग 250 से 300 ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें बहुत सी योजनाएं विद्यार्थियों, महिलाओं, अनुसूचित जाति, किसानों और मजदूरों से जुड़ी हुई हैं। (मैंने थप-थपाई गई) अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत-सी योजनाओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने की दृष्टि से यह तय किया गया है कि हर तहसील केन्द्र पर अधिकारियों की देख-रेख में एक अंत्योदय कार्यालय खोला जाएगा और उस अंत्योदय कार्यालय में एक ही छत के नीचे सब लोगों को योजनाएं

उपलब्ध होंगी, यहीं से उन्हें जानकारीयाँ मिलेंगी, वे यहीं पर फार्म भी भर सकेंगे और अपनी-अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 15 अप्रैल, 2018 से कुछ कार्यालय शुरू भी हो जाएंगे और बाकी के कार्यालय अगले साल खोले जाएंगे।

22.02.2019

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि पहले जो एस. सी. कमीशन बना हुआ था उसको भंग कर दिया था। अब कैबिनेट की मीटिंग में एस.सी. कमीशन के लिए एप्रूवल हो चुकी है और जल्दी ही एस.सी. कमीशन का गठन हो जाएगा।

297. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री उदय भान द्वारा पूछा गया प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ***** वर्ष 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय वायदा किया गया था कि एस.सी. कमीशन को और अधिक मजबूती प्रदान करके उसका नये सिरे से गठन करेंगे। परन्तु सरकार के कार्यकाल का साढ़े 4 साल का समय बीत जाने के बाद भी एस.सी. कमीशन का गठन नहीं किया गया है। *** (विघ्न)



OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

293. श्री सुभाष चौधरी द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या-599 : क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि-

(क) क्या यह तथ्य है कि पलवल रेली में 1-4-2012 को माननीय मुख्य मंत्री द्वारा एक विश्वविद्यालय तथा इसमें एक पृथक अनुसूचित जातियों के लिये होस्टल खोलने की घोषणा की गई थी; यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई; तथा

(ख) पूर्वोक्त विश्वविद्यालय तथा होस्टल के कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

25-02-2014

(क) *****

विभाग द्वारा पांच स्थानों का सर्वे किया गया तदोपरान्त उक्त पांच स्थानों के तुलनात्मक गुणवत्ता और उनमें से प्रत्येक की उपयुक्तता का मूल्यांकन एक उपयुक्त स्थान का अंतिम चयन शीघ्र ही कर लिया जायेगा।*****

(ख) वाई.एम.सी.ए. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के दूसरे परिसर के निर्माण तथा इसके पूरा होने की कोई समय सीमा तब तक निर्धारित नहीं की जा सकती जब तक की इसके लिए स्थल का चयन तथा अन्य प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं हो जाती। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की लड़कियों के छात्रवास का निर्माण भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुदान राशि प्राप्त होने के उपरान्त ही शुरू हो पायेगा।

(क) राज्य सरकार ने अपने यादिक क्रमांक 44/49/2017-4TTE दिनांक 05.03.2018 के द्वारा 18.5 एकड़ भूमि नगर निगम फरीदाबाद जोकि फरीदाबाद, गुरुगाम रोड पर स्थित है, का अनुमोदन कर दिया है और नगर-निगम से भूमि हस्तांतरण करने का अनुमोदन अभी प्रतीक्षित है।

(ख) इस सन्दर्भ में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2016 से (वर्ष 2016.17, 2017.18 और 2018.19 में क्रमशः 27.11.2016, 07.10.2017 और 29.12.2018) एस. सी./एस.टी. छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को आवेदन कर रहा है, परन्तु अभी तक अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। विश्वविद्यालय ने पुनः

03.01.2020 को AQIS स्कीम (HFS यानि SC/ST छात्रावास) के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को आवेदन किया है, अनुदान प्राप्त होने उपरांत निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

30.3.2016

299. तारांकित प्रश्न संख्या 1001 के संदर्भ में श्री हरि चन्द मिठा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि:-
(क) क्या जींद शहर में बहुतकनीकी महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

** अध्यक्ष महोदय, मिठा साहब में अपनी बात मनवाने की एक कला है। मैं मिठा साहब को पहले ही कह चुका हूँ कि आपके सवाल पर हम नहीं में जवाब बहुत कम देते हैं। ऑटो मार्केट बनवाना तो मेरे बस की बात नहीं है और बहुतकनीकी संस्थान की प्रपोजल मिठा साहब आप वहां से बनवाकर भिजवा दे हम उस पर जरूर विचार करेंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard..
(7.1.2020)

जी हों। जींद शहर में एक राजकीय बहुतकनीकी खोलने का प्रस्ताव है, तथा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा क्रमांक 9744 दिनांक 26-12-2014 को घोषणा की जा चुकी है। यह घोषणा शौक्षणिक सत्र 2015-2016, 2016-2017 के दौरान कम दाखिलों के साथ साथ परियोजना की कुल लागत को मदेनजर रखने के बाद गैर-व्यवहार्य पाई गई है। मुख्यमंत्री महोदय ने 09-09-2016 को एक वर्ष के लिए इसे अमल में ना रखने के लिए मंजूरी दी थी।

एक साल बाद, दिनांक 06.12.2017, 17.01.2018 और 22.02.2018 को डीसी जींद को पुनः जींद शहर में या चौ0 रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के परिसर में भूमि की पहचान के

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

लिए अनुरोध किया गया था। डीडीपीओ जींद द्वारा जींद हांसी स्टेट हाइवे पर गांव राजपूरा भान में जमीन की पहचान की गई थी। उपकुलपति के कार्यालय द्वारा सूचित किया गया कि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के परिसर में कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दिनांक 22-03-2018 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया कि नई सरकारी बहुतकनीकी की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के परिसर में उपलब्ध करवाई जाए। तदनुसार 2.5 एकड़ से 4 एकड़ जींद की उपयुक्त भूमि को उपलब्ध करवाने के लिए अर्धसरकारी पत्र दिनांक 11-05-2018 व पत्र क्रमांक 539/विकास दिनांक 04-06-2018 के द्वारा उपकुलपति, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद को अनुरोध

किया गया। परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई।

दिनांक 16-07-2018 को मुख्य सचिव, हरियाणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2.5 एकड़ कृषि विभाग की भूमि जो चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद के साथ लगती है को समुचित एप्रोच रोड के साथ तकनीकी शिक्षा विभाग को जींद शहर में राजकीय बहुतकनीकी की स्थापना के लिए प्रदान किया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने दिनांक 11-10-2018 को जींद शहर में राजकीय बहुतकनीकी की स्थापना हेतु कृषि विभाग (HAMETI) के कब्जे की 2.5 एकड़ भूमि को तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरण के लिए आदेश दिया है। तत्पश्चात, दिनांक 14.08.018 के द्वारा कृषि विभाग हरियाणा के ए0सी0एस0 को राजकीय बहुतकनीकी जींद की स्थापना के लिए 2.5 एकड़ भूमि प्रदान करने के लिए अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2019 को हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि जींद शहर में राजकीय बहुतकनीकी की स्थापना हेतु कृषि विभाग द्वारा 2.5 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।

राजस्व और आपदा प्रबंध विभाग ने 20 कनाल 07 सरले कृषि विभाग की भूमि के हस्तांतरण के लिए दिनांक 23.07.2019 के द्वारा जींद शहर में राजकीय बहुतकनीकी जींद की स्थापना के लिए स्वीकृति जारी की है।

मुख्य वास्तुकार, हरियाणा द्वारा तैयार योजना और चित्र का खाका सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। राजकीय बहुतकनीकी जींद के निर्माण के लिए अनुमानित खर्च का अनुमान रू० 16.34 करोड़ वित्त विभाग हरियाणा की Standing Finance Committee "A" के विचारधीन है।

26.02.2020

300. श्रीमती गीता भुवकल, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 148 : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि झज्जर में आई.आई.टी. दिल्ली के विस्तार केन्द्र की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसके कब तक चालू किए जाने की संभावना है ?

महोदय, आई.आई.टी.दिल्ली द्वारा जीव विज्ञान पार्क के रूप में गाँव बाढ़सा, झज्जर में आई.आई.टी. दिल्ली एक्सटेंशन कैंपस की स्थापना की जा रही है। आई.आई.टी. दिल्ली से आश्वासन दिया है कि स्वीकृति और भूमि पर कब्जे के बाद तीन वर्षों में पूरी तरह से काम करेगा।

28.02.2020

301. श्री कुलदीप वत्स, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 191 : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि आई.आई.टी. बाढ़सा के भवन का निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा।
*****आई.आई.टी. को प्रदेश सरकार ने नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है। आई.आई.टी. दिल्ली जोकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ने इस कार्य के लिए दी गई जमीन का सर्वे किया था और सर्वे करकर उन्होंने इस जमीन को लेने से मना कर दिया है।*****

*****सर्वे में यह बात पता चली है कि यह गड्डों वाली बहुत गहरी जमीन है और इसमें बाढ़ का पानी आता है। अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस आई.आई.टी. के लिए जो यह गड्डों वाली जमीन दी

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

थी, उस जमीन को केन्द्र सरकार की बॉडी अर्थात् आई.आई.टी., दिल्ली ने लेने से मना कर दिया है और इस जमीन पर आई.आई.टी. बनाने से मना कर दिया है। अब हमने संबंधित डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए कोई दूसरी जगह चिन्हित करने के लिए कहा है। जब यह जमीन चिन्हित हो जायेगी और आई.आई.टी., दिल्ली को यह जमीन पसंद आ जायेगी तो उस जमीन को लेकर हम आई.आई.टी., दिल्ली को देंगे।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

DEVELOPMENT & PANCHAYATS DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

302. तारांकित प्रश्न संख्या 534 के सन्दर्भ में श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

क) क्या यह तथ्य है कि दिसम्बर 2009 में गांव सहलावास, गुड़गाव की 5 एकड़ तथा 3 मरला पंचायत की भूमि राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को एक चैरिटेबल नेत्र अस्पताल स्थापित करने के लिए 3 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से पांच प्रतिशत वार्षिक बढ़ोतरी के साथ 33 वर्षों के लिए पट्टे पर दी थी तथा पट्टे के अनुबन्ध के अनुसार अस्पताल दो वर्षों की अवधि के अन्दर निर्मित किया जायेगा; यदि हाँ, तो योजना की स्थिति क्या है; तथा

(ख) क्या उपरोक्त पट्टा भूमि में कोई अवैधता थी?

****अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि राजीव गांधी

(क) हाँ, श्रीमान जी। हालाँकि न्यास की प्रार्थना पर पत्र दिनांक 28.2.2014 द्वारा निर्माण की अवधि 7.1.2017 तक बढ़ाई गई थी। अभी तक 1200 वर्ग फुट के शैड का निर्माण किया गया है।

(ख) मामले का निरीक्षण किया जा रहा है।

*** इस मामले में बार-बार प्रश्न उठ रहे हैं। इसलिए इन सब तथ्यों व इसके इतिहास को देखते हुए लगता है तथा माननीय सदस्य की मंशा भी यही है कि इस सारे मामले की जाँच की जाए क्योंकि बार बार नियमों में संशोधन किया गया तथा निर्माण की अवधि बढ़ाई गई। इसलिए मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इस मामले की जाँच में हम आगे बढ़ेंगे।

**** अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है कि दूसरी संस्थाओं को बुलाकर पहले के आधार पर यह जमीन दी गई हो। उस दौरान बहुत

सभी उपायुक्तों को पत्र दिनांक 14-05-2015 को लिखा गया था कि यदि जो भूमि जिस उद्देश्य हेतु दी गई थी, का प्रयोग उस उद्देश्य नहीं हुआ है या किसी शर्त की उल्लंघना की गई है, ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट इस विभाग को भेजी जाए ताकि ऐसे भूमि स्थानान्तरण के मामलों को रद्द करने बारे कार्यवाही की जा सकें। किसी भी पंचायत द्वारा अपनी भूमि वापिस लेने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव अभी तक इस कार्यालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है जिस पर भूमि वापिस लेने बारे विचार किया जा सकें। अतः विभाग के स्तर पर कोई कार्यवाही वांछित नहीं है।

यहां पर यह भी अवगत करवाया जाता है कि शहरी एवं ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा ने उनके पत्र दिनांक

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(27.7.2020)

धर्मार्थ ट्रस्ट को जो यह जमीन दी गई उसकी अलॉटमेंट के लिए क्या दूसरी धर्मार्थ संस्थानों से एप्लीकेशन मांगी गई थी या केवल राजीव गान्धी धर्मार्थ ट्रस्ट से एप्लीकेशन लेकर जमीन अलॉट कर दी। अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री जी ने कहा कि दो साल की अवधि में यह हस्पताल बनना था लेकिन उस पर अभी तक हस्पताल नहीं बना है। इसलिए जिस परपज के लिए यह जमीन ली गई थी, वह परपज पूरा नहीं हुआ है तो क्या यह जमीन ग्राम पंचायत को वापिस लौटाई जाएगी?

सी संस्थाओं को किसी अन्य स्थान पर भी जमीन लीज पर दी गई है और यह विभाग के सामने जांच का विषय है। अध्यक्ष महोदय, दो सालों का समय ऐसा रहा है जिसमें काफी संस्थाओं को लीज पर जमीन दी गई है। माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमें उन सबके बीच में जाने की आवश्यकता है। पंचायत की तरफ से अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है कि पंचायत अपनी भूमि वापिस लेना चाहती है तो सरकार उस पर विचार करेगी।

24.05.2017 द्वारा सूचित किया था कि राजीव गान्धी चैरीटेबल ट्रस्ट द्वारा हस्पताल का ओकयुपेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने बारे दिया गया आवेदन वरिष्ठ नगर योजनाकार गुडगांव द्वारा उनके पत्र दिनांक 03.01.2017 द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.08.2017 तथा 05.12.2017 द्वारा उपायुक्त, गुडगांव से रिपोर्ट मांगी गई थी। उपायुक्त, गुडगांव ने उनके पत्र दिनांक 06.12.2017 द्वारा रिपोर्ट दी कि ट्रस्ट द्वारा केवल ओपीडी प्रारम्भ की गई है और हस्पताल को उचित ढंग से चालू नहीं किया गया है और न ही रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर राजीव गान्धी चैरीटेबल ट्रस्ट कार्यालय के पत्र दिनांक 09.03.2018 द्वारा भूमि की लीज डीड रदद् करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। इस नोटिस के उत्तर में ट्रस्ट ने अपने पत्र दिनांक 20.03.2018 द्वारा उपायुक्त की रिपोर्ट व वरिष्ठ नगर योजनाकार के पत्र की प्रतियां मांगी।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ट्रस्ट ने उनके पत्र दिनांक 10.05.2018 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका नं०.9257 आफ 2018 में पारित आदेश की एक प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार ट्रस्ट द्वारा मांगे गये दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाने है और उसे सुनवाई का एक मौका दिया जाना है और इस सम्पत्ति को वापिस लेने बारे कोई भी बलपूर्वक कार्यवाही नहीं की जानी है। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10.07.2018 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके पश्चात पत्र दिनांक 05.10.2018 द्वारा निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग तथा उपायुक्त गुरुग्राम को उनसे संबंधित दस्तावेज ट्रस्ट को देने के लिए लिख दिया गया था। पत्र दिनांक 22.02.2019 तथा 29.04.2019 द्वारा ट्रस्ट को पुनः कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने के लिए लिखा

गया और उत्तर प्राप्त न होने पर पत्र दिनांक 18.07.2019 तथा 07.08.2019 द्वारा ट्रस्ट को निजी सुनवाई हेतु क्रमशः दिनांक 29.07.2019 तथा 19.08.2019 को उपस्थित होने हेतु लिखा गया, लेकिन ट्रस्ट द्वारा सीओसीपीओ नं० 2751-ऑफ 2019 दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.09.2019 ट्रस्ट को निर्देश दिये की चार सप्ताह के अन्दर-अन्दर कारण बताओ नोटिस का उत्तर दायर किया जाये और उसके चार सप्ताह के अन्दर-अन्दर सरकार द्वारा उचित आदेश पारित किया जाये। लेकिन अभी तक कारण बताओ नोटिस का ट्रस्ट द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(27.7.2020)

उपरोक्त आश्वासन का जवाब इस विभाग के पत्र दिनांक HSSBM-SPM-2018/30949 दिनांक 15.05.2018 द्वारा भेज दिया गया था। जिसके बाद दिनांक 02.08.2018 को आश्वासन समिति की बैठक में इस मामले पर

22.3.2016

अध्यक्ष महोदय *** मुझे विभाग द्वारा पता चला है कि लोगों ने 2,29,574 शौचालय खुद बनाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी लगा था कि सरकार की सहायक स्कीम से बनने वाला यह आँकड़ा बहुत बड़ा है*** अध्यक्ष महोदय ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने

303. तारकित प्रश्न संख्या 1226 के संदर्भ में श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो उनके उत्तर में

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिलावार घरेलू शौचालयों पर अक्टूबर, 2014 से अब तक किए गए कुल खर्च की जो फिगर दी गई है वह बहुत ही बड़ी और भारी फिगर है। मेवात और पूरे हरियाणा प्रदेश में नये शौचालय के निर्माण कार्य बहुत धांधलेबाजी हुई है*** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत जिलावार घरेलू शौचालयों पर अक्टूबर, 2014 से अब तक किए गए कुल खर्च में किए गए घोटाले की जांच विजिलेंस या किसी सीटिंग जज से इन्क्वैरी करवाने की कृपा करेंगे?*** कांग्रेस के पिछले 10 साल के शासनकाल में पंचायत विभाग को बुरी तरह से लूटा गया था*** पंचायत विभाग में की गई लूट के बारे में पिछले सत्र में

शौचालय खुद बनाए हों और सरकारी स्कीम का भी फायदा उठा लिया हो। यह इस अवसर की उपलब्धता हो सकती है इसलिए जांच का विषय है। मेवात में शौचालय बनाने की संख्या बहुत बड़ी है।*** माननीय सदस्य के सवाल का जवाब देने के लिए मैं विभागीय अधिकारियों को शौचालयों के निर्माण पर खर्च की जांच करने की आज्ञा दूंगा तथा मेवात क्षेत्र में बेस लाइन सर्वे को भी दोबारा से करवा लिया जायेगा। अगर माननीय सदस्य को लगता है कि घोटाला हुआ है तो हम इस केस की विजिलेंस जांच करवाने के लिए तैयार हैं और इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक पिछले सत्र में माननीय सदस्य को दिये गए आश्वासन का कोई जवाब न मिलने की बात है तो उस परिपेक्ष में मैं बताना चाहूंगा कि मेवात में हमारा लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं मेवात के माननीय सदस्यों को मेवात की सारी रिपोर्ट उपलब्ध कराऊंगा। इसके अतिरिक्त मैं

विस्तृत विचार-विमर्श हुआ और कमेटी ने चाहा कि इस मामले में दोषी अधिकारियों का स्पष्टीकरण और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट कमेटी को 1 महीने के अंदर प्रस्तुत कर दें। इस विषय में कथन हैं कि वर्ष 2012 में हुए बेस लाइन सर्वे और एम0आई0एस0 में हुए ईद्राज में अंतर के लिए 8 प्रेरक दोषी पाए गए थे जिनमें से श्री मुकेश तथा मोहम्मद सराफत प्रेरको को अगस्त 2013 में हटा दिया गया था तथा सहीद, अब्दुल सहीद, इमरान खान, रोहताश, मोहम्मद अरशद तथा आबिद हुसैन की सेवाएं सितम्बर 2014 से समाप्त कर दी गई थीं। जिसकी सूचना सचिव हरियाणा विधान सभा सचिवालय चण्डीगढ़ को इस विभाग के पत्र क्रमांक HSSBM-SPM-2019/17079 दिनांक 01.03. 2019 द्वारा दी जा चुकी है। सेवा

तारांकित प्रश्न सख्या 959 लगाया था जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में तीन महीने में जांच करवाने का आश्वासन दिया था और कहा था कि तीन महीने के अन्दर लिखित में जवाब दे दिया जायेगा लेकिन आज तक सचिवालय से कोई भी जवाब नहीं आया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस कोलाही के लिए विभाग के खिलाफ कार्यवाही करें।

माननीय जाकि हुसैन जी को बताना चाहूंगा कि अगर आपको दिए गए आश्वासन संबंधी विभाग से कोई रिप्लाय प्राप्त नहीं हुआ है तो हम इसकी भी विजिलेंस जांच करवाने के लिए तैयार है।

समाप्ति के सबुत के तौर पर अतिरिक्त उपायुक्त मेवात के पत्र क्रमांक 6286-87 दिनांक 16.08.2013 तथा आदेश क्रमांक 1282-93 दिनांक 30.09.2014 की प्रति संलग्न हैं। उपरोक्त स्थिति के देखते हुए कमेटी से अनुरोध है कि इस आश्वासन को झोप करने का कष्ट करें।

18-3-2015

304. श्री परमेश्वर सिंह ढुल द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 के संदर्भ में— अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन का ध्यान एक अत्यावश्यक तथा अति लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा के गांवों के जोहड़ों में लगातार गांव का गंदा पानी काफी समय से जमा हो रहा है। गांव के पशु अकसर उन जोहड़ों से पानी पीते हैं जिसके कारण आज न केवल पशु स्वास्थ्य बल्कि आम जनमानस के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। गांवों के बच्चों का स्वास्थ्य

.....आने वाले वर्ष में 1472 स्थानों पर ठोस और तरल कचरा प्रबन्धन के लिए 214 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गये हैं। मुझे लगता है कि बहुत तेजी के साथ इस रास्ते पर बढ़ रहे हैं और इस प्रकार की चिन्ता माननीय सदस्यों ने ध्यस्त की है वह बहुत वाजिब है। हमारा मानना है कि बहुत तेजी के साथ इस विषय पर आगे बढ़ने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिक जांच के आधार पर किसी भी पानी में बायोलॉजिकल्स का लेवल क्या है और जो दूसरे कैमिकल्स हैं उनका लेवल क्या है? वह पानी मनुष्य व पशुओं के उपयोग के लिए है या नहरों में छोड़ने के

ग्रामीण क्षेत्रों का ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन करना, राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरकार का प्रयास है कि घरों से निकलने वाले पानी को नालियों/नालों के माध्यम से तालाब में लाकर पानी को निशारा जाए ताकि उसका पुनः उपयोग किया जा सके। वर्तमान में गन्दे पानी की गुणवत्ता सुधार हेतु 5 तालाब बनाये जाते हैं जिसमें एनरोबिक पोण्ड 10 फुट गहरा, फैब्रिटेड पोण्ड 5 फुट गहरा तथा, सैचुरेशन पोण्ड

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आवृत्ति	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भी प्रभावित हो रहा है। गांवों की गलियां पानी तथा कीचड़ से भरी रहती हैं जिस कारण जनमानस को वहां आने-जाने में गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ता है। दूषित पानी के कारण बीमारियाँ फैल रही हैं। प्रदेश की ज्यादातर जनसंख्या गांव में बसती है। पानी की निकासी न होने के कारण जन जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। आज इस गम्भीर समस्या से पूरा प्रदेश त्रस्त है।

इस गम्भीर समस्या के मध्यमजर, सरकार को इस महान सदन के पटल पर एक वस्तुस्थिति देना चाहिए।

लायक है या नहीं है, किसी सामान्य उपयोग के लिए जोहड़ में छोड़ने के लायक है या नहीं है। उन सबकी जांच के लिए भी सिस्टम बनाये जा रहे हैं कि उस पानी की पी.एच. वैल्यू क्या है। बी.ओ.डी. लेवल क्या है ? इसका सी.ओ.डी. लेवल क्या है ? उस तरह के भी सब वैज्ञानिक जांच के लिए सांकेतिक मानक पैमाने तैयार किए जा रहे हैं।

***** नहर विभाग को इस प्रकार के आदेश दे दिए गए हैं कि आने वाले 6 महीनों में वे हर डेल तक पानी, पम्पिंग और टेल पर हमारे विभाग का अधिकारी खड़ा होगा। अध्यक्ष महोदय आज व्हट्सअप की बहुत अच्छी फेसीलिटी आ गई है। पानी और एक्सीयन दोनों की फोटो हमारे पास आए ऐसा हमने विभाग को कहा है ताकि हमें पता चले कि डेल तक पानी पहुंचा है या नहीं। निश्चित तौर से हम आने वाले 6 महीनों में कोई भी कैनाल ऐसी नहीं छोड़ेंगे जिसकी डेल तक पानी न पहुंचे। निश्चित रूप से हम इस ग्रांटे पर काम कर रहे हैं। *****किस

6 फुट गहरा बनाया जाता है। ताकि पानी को निखाकर उसे पुनः उपयोग में लाये जा सके। इस प्रणाली से निखारे गये पानी की बीओडी 10 तथा सीओडी 10 लेवल काफी कम हो जाता है। सरकार द्वारा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की 1394 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं जिस पर 389 करोड़ व्यय होने का अनुमान है। जिसमें से अब तक 180.71 करोड़ रुपये राशि जारी की जा चुकी है तथा 170.16 करोड़ रुपये की राशि व्यय हो चुकी है। इन 1394 परियोजनाओं में से 1324 परियोजनाएँ तरल कचरा प्रबंधन से सम्बंधित हैं। शुरू किये गये कार्यों में से तरल कचरा प्रबंधन के 536 कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। 462 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है तथा 326 अभी शुरू किये जाने हैं।

तरह से हम अपनी सम्पदा को, तालाबों को और जोहड़ों को और गहरा करके रिचार्जिंग और आस पास की सिंचाई के लिए उपयोग कर सकेंगे इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है इस पर इन्होंने चर्चा शुरू की है। इस प्रकार लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सेलिड वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा हम टोटल स्वच्छता की दृष्टि से अपने गांवों को अच्छा बनाने के लिए काम कर सकेंगे ऐसा मुझे लगता है।

इसी प्रकार 1359 में से ठोस कचरा प्रबंधन के 722 कार्य पूर्ण हो चुके हैं 172 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और शेष 465 अभी शुरू किये जाने हैं। यद्यपि सरकार ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु एक विस्तृत समाधान पर कार्य कर रही है परन्तु उस कार्य में कुछ चुनौतियां भी हैं जैसे आबादी के अन्दर स्थित तालाबों के पानी को आबादी से बाहर निकालने की समस्या, पानी की गुणवत्ता हेतु बायो आक्सीजन डिमांड (बीओडी) को कायम रखना, बरसात के मौसम में तालाबों का ओवरफ्लॉ होना, तथा पानी की निकासी आदि कई चुनौतियां हैं क्योंकि परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात उनका रख-रखाव करना ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी होती है और सभी प्रयत्न तब तक सफल नहीं होंगे जब तक जनता स्वयं इसे अपने स्वास्थ्य के लिये जरूरी नहीं समझेंगे। इसलिये एसबीएमजी का विशेष जोर लोगों में वातावरण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता आदि के प्रति जागरूक करके उनकी विचारधारा में परिवर्तन लाना है

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत करवाया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19.08.2018 द्वारा हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण (एच0पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0एम0ए0) का गठन किया गया। एच0पी0डब्ल्यू0डब्ल्यू0एम0ए0 द्वारा 15652 ग्रामीण तालाबों का रिकार्ड अपनी वेबसाइट पर पी0डी0एम0एस0 पर डाला गया है। जिसमें तालाबों बारे सारी जानकारी उपलब्ध है।

18-3-2015

305. श्री परमेश्वर सिंह ठुल द्वारा दिये गये ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 के संदर्भ में श्रीमती गीता मुक्कल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न - ***** मेरे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से जोहड़ हैं और खासतौर से भूरावास में बहुत बड़ा तालाब है जिसमें जलखुम्बी हो गई है। वहां कई बच्चों

***** भूरावास के अंदर जलखुम्बी की वजह से नुक्सान हुआ है। वहां पर पूरे जोहड़ को जलखुम्बी ने घेर लिया है। उसकी तरफ हम पूरा ध्यान देंगे और अधिकारियों को आदेश दिए जायेंगे कि वहां से जलखुम्बी को तुरंत प्रभाव से हटाकर तालाब को स्वच्छ और निर्मल किया जाये।

इस विषय बारे अवगत करवाया जाता है कि गांव भूरावास में तालाब की जलखुम्बी को वर्ष 2017-18 में पूर्णतया निकाल दिया गया था। (फोटो संलग्न)

गांव छुछक वास में बस स्टैण्ड वाले जोहड़ के चारों तरफ गन्दे पानी

The Committee would like to know the latest position in this regard. (27.7.2020)

और पशुओं की डेय हो चुकी है और कई सालों से हम प्रयासरत हैं कि विभाग की किसी न किसी योजना के तहत उस जोहड़ की सफाई करवा दी जाए या उसमें मिट्टी का भरवाव कर दिया जाए। मनरेगा के तहत तो इसके समाधान के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस काम के लिए बार बार असमर्थता यह जताई जा रही है कि इस तरह का कोई बजट प्रोजेक्ट नहीं है क्योंकि मनरेगा के तहत मैच्युल काम होगा और मशीनों से यह काम करवा नहीं रहे हैं। हमने कई संस्थानों से इस काम के लिए बात भी की लेकिन यह अभी भी बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हमारे यहां छूछकवास गांव है जिसको हमारे सांसद भाई दीपेन्द्र हुडा जी ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत गोद लिया है। अध्यक्ष महोदय, आप भी यहां से निकलते होंगे, वहां जोहड़ों में बहुत ज्यादा बदबू आती है। अध्यक्ष महोदय, बहुत से गांवों में इस प्रकार की समस्या है तो क्या सरकार द्वारा बजट में कोई प्रोजेक्ट करके सभी जगह के तालाबों को सुधार करने की व्यवस्था की जाएगी।

***** इसी तरह से छूछकवास के जोहड़ की भी बिता की गई है। मैं व्यक्तिगत रूप से विभाग को आदेश दूंगा और वहां की समस्याओं को दूर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व मंत्री महोदय को आश्वासन देता हूँ कि उनके कार्यकाल में वहां जो भी कामियां रही हैं उनको हम निश्चित रूप से अच्छा करेंगे।

के नाले व नालियों का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा किया जा चुका है और इसे गांव के बाहर 3 पोण्ड सिस्टम से जोड़ दिया गया है। अतः अब बस स्टेण्ड वाले जोहड़ में गन्दा पानी नहीं जाता है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

306. तारकित प्रश्न संख्या 1325 के संदर्भ में श्री आनन्द सिंह दांगी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न—
स्वीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि यह एक सीधी सी बात है कि फिरनी और लाल डोरे के बीच के जो मकान हैं क्या आप उनको भी सभी सुविधाएं लाल डोरे के अंदर वाले मकानों की तरह प्रदान करवाने की व्यवस्था करेंगे?

04.03.2013

अध्यक्ष महोदय, यह जो समस्या है जैसा मैंने पहले भी बताया कि केवल हरियाणा की नहीं है बल्कि पंजाब और दिल्ली में भी इस तरह की समस्या है। जहां तक हरियाणा का संबंध है, हमने इस बारे में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है तथा हम उस पर रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। We are waiting for that report, we are well aware of this problem. इससे क्या रास्ता निकलता है, क्या हल निकल सकता है यह कमेटी देखेगी और जिन साधियों ने आज जो सुझाव दिये हैं, कमेटी उनको भी कंसीडर करेगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(27-7-2020)

मंत्री परिषद के निर्णय अनुसार अर्बन लोकल बॉडी तथा पंचायत की भूमि पर कब्रों तथा लाल डोरे के विस्तार के मुद्दे बारे निम्न कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी:-

- Capt. Abhimanyu, FM,
- Sh. O.P.Dhankar, AM,
- Smt. Kavita Jain, ULBM,
- Sh. Krishan Kumar Bedi, MSJE.

उपरोक्त कमेटी की अन्तिम बैठक दिनांक 10.07.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार लाल डोरा समाप्त करने के लिए सर्वे ऑफ इण्डिया के माध्यम से आबादी देह के नक्शे बनाये जा रहे हैं। हाल में लाल डोरे बारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना

“स्वामित्व” का शुभ आरम्भ किया गया है। जिसके लिए Survey of India से नक्शे फाईनल होने के पश्चात गांवों में लाल डोरे के अन्दर की सम्पत्ति के मालिकों का रिकार्ड तैयार हो जाएगा।

5.03.2018

307. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।

राज्य में गांवों के विकास के लिए महान नेता चौधरी छोटू राम जी के नाम पर दीनबन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई है, जिसके तहत आगामी दो वर्षों की अवधि के दौरान 3,000 से 10,000 की आबादी वाले 1,700 गांवों के विकास पर 5,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा दीनबन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना आरम्भ की गई है। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार जिन गांवों की जनसंख्या 3,000 से 10,000 तक की है उन गांवों में दीनबन्धु हरियाणा ग्राम उदय योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के समक्ष आवश्यक मौक्तिक, सामाजिक तथा आर्थिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। जिसके अन्तर्गत 19 जिलों में 481 आंगनवाड़ी केन्द्र, 700 विलेज ज्ञान केन्द्र, 53 वैटरनरी होस्पिटल तथा 92 वैटरनरी डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया जाना है। उक्त कार्य नाबार्ड द्वारा दी जाने वाली फण्डिंग (लोन) के सहयोग से किये जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत इन प्रोजेक्ट्स के निर्माण

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

हेतु वित्त वर्ष 2018-19 में मु0 8.13 करोड़ रुपये तथा वित्त वर्ष 2019-20 में मु0 63.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

23.10.2017

308. श्री जय प्रकाश द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 2102 क्या कृषि मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या अनाज मंडी कलायत से गांव खरक पांडवा तक सड़क का कोई प्रस्ताव सरकार निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसके कब तक निर्मित किए जाने की सम्भावना है?

XX अध्यक्ष महोदय, भाई जय प्रकाश जी अनाज मंडी कलायत से गांव खरक पांडवा तक एक सड़क बनवाना चाहते हैं जिसके लिए डिपार्टमेंट ने तो “ना” कही है लेकिन भाई जय प्रकाश जी की धिंता के मद्देनजर मैं आश्वस्त करता हूँ कि इनके द्वारा इस सड़क को बनाने संबंधी प्रपोजल को मैं स्वीकार करता हूँ और जल्द से जल्द इस सड़क को बना दिया जायेगा।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

**INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND
COMMUNICATION DEPARTMENT**

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

309. बजट 2015-16

17.3.2015

***हमारी सरकार विभिन्न विभागों के ई-शासन आवेदनों को जोड़ने और ऑनलाइन के अभिसरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्टेट रेजीडेंट डाटाबेस बनाने की योजना बना रही है। इससे बेहतर नागरिक सेवा मानचित्रण और समेकित कार्यक्रम क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा। नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क सिस्टम के तहत नागरिकों का डिजिटल अवसरचना के लाभ उपलब्ध करवाए जायेंगे। इस कार्यक्रम के तहत सितम्बर, 2015 तक हरियाणा के लगभग 4000 गांवों को 100 एम.बी.पी.एस. इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। ***

स्टेट रेजीडेंट डाटाबेस

सरकार द्वारा स्टेट रेजीडेंट डाटा बेस (एस.आर.डी.बी) परियोजना को आधार ई.के.वाई.सी आधारित बनाये जाने बारे निर्णय लिया गया। परन्तु नागरिकों की गोपनीयता और आधार से संबंधित मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के दृष्टिगत इस परियोजना पर कार्य माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने तक स्थगित कर दिया गया। दिनांक 28.09.2018 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेश पारित हो गए जिसके दृष्टिगत दिनांक 31.01.2019 को प्रशासकीय सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को स्थागित कर दिया जाए तथा इस परियोजना के बजट

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(13.7.2020)

को स्टेट डाटा सेंटर के नवीनीकरण करने के लिये खर्च करने बारे अनुमोदन वित्त विभाग से प्राप्त कर लिया जाए । तदनुसार मामले को वित्त विभाग को भेजा गया और वित्त विभाग ने इस परियोजना की राशि को स्टेट डाटा सेंटर परियोजना में खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, तदनुसार इस राशि को स्टेट डाटा सेंटर के नवीनीकरण करने पर खर्च किया जा रहा है ।

उक्त को ध्यान में रखते हुए इस मामले को ड्रॉप करने का अनुरोध किया जाता है ।

नेशनल ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क सिस्टम (भारत नैट)

इस परियोजना के तहत राज्य में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा 6188 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल केबल बिछा दी गई है । विभाग ने सी.एस.सी.ई. गवर्नेंस सर्विसज इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) के माध्यम से इस परियोजना के अन्तर्गत आने

क्र.० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

वाले 1223 ग्राम पंचायतों में वाई फाई हॉट स्पॉट उपलब्ध करा दिये गये है व 1585 फाइबर टू द होम (FTTH) (सरकार एवं गैर सरकारी) उपलब्ध करवा दिये गए हैं जिस से 848 ग्राम पंचायत फाइबर टू द होम परियोजना में कवर हो गई हैं। वहीं, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने दिनांक 15.07.2019 को इस परियोजना के तहत आने वाली राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट प्रदान करने के लिए, बी.बी.एन.एल यू.एस. ओ.एफओर सी.एस.सी ई.गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया। इस एम.ओ.यू. के तहत सभी ग्राम पंचायतों में वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट उपलब्ध कराने के लिये राशि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा सीधे ही सी.एस.सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को दी जायेगी।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

310. ताराकित प्रश्न संख्या 878 के संदर्भ में श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- ** अध्यक्ष महोदय, जब एल.आर. भी इस बात को मानता है और उस समय के आयुक्त, पशु पालन विभाग ने भी एच.पी.एस.सी. को लिखकर सूचना दी थी कि रूज संशोधित हो चुके हैं। उन्होंने यह प्रोसैस इसलिफ जारी रखा कि उसमें एच.पी.एस.सी. के चेरमैन, मैम्बरज के रिश्तेदार, मुख्यमंत्री और उनके बेटों के चेहरे थे जिन्होंने रिश्तेदार देकर इन पदों को प्राप्त किया। क्या यह भी सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री या उनके बेटे अजय सिंह चौटाला के नोट पर यह सारा प्रोसैस पूरा हुआ है? क्या डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री के बेटे द्वारा लिखे गये नोट को ग्राउंड बनाकर फाईल चला दी? मैं आपके माध्यम

** अगर यह बात सही है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि इस केस में हेराफेरी नहीं होगी और इस केस का पूरा फैसला किया जाएगा। यह बात नहीं है कि इसमें ज्यादा देर लगेगी, हम 30 दिन के जंदर ही इसका फैसला कर देंगे।

25.3.2008

दिनांक 16.11.2010 को कमेटी द्वारा पूछी गई नवीनतम स्थिति के सम्बन्ध में व्यक्त किया जाता है कि डा० श्री कृष्ण बागेरिया व डा० लाल चन्द रंगा, उप निदेशक ने यादिका क्रमांक 15118/2010 माननीय उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में दायर कर गुहार लगाई थी कि उनको पद के अनुरूप कार्य दिया जाये। इस सम्बन्ध में दिनांक 24.08.2010 को माननीय उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किये गये थे:-

“Till Further orders, no further proceedings would be taken against the petitioners and the would be assigned duties of the post on which the are working”
इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ने विभाग द्वारा दायर

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(16.08.2017)

से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस बारे में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की है?

की गई पुनर्विचार याचिका क्रमांक 294/2008 को दिनांक 11.03.2011 को खारिज कर दिया गया। उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 24.08.2010 की अनुपालना में सरकार ने अपने आदेश दिनांक 17.03.2011 द्वारा डा0 श्री कृष्ण बागेशिया व डा0 लाल चन्द रंगा को तथा दिनांक 10.08.2011 द्वारा डा0 बिरेन्द्र सिंह लोरा व डा0 कल्याना सिंह को उनके पद के अनुरूप पद स्थापित कर दिया गया तथा पदों के अनुरूप उनको कार्यभार भी दे दिया गया। इस प्रकार माननीय मुख्य उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक 15118/2010 का निपटान दिनांक 25.02.2012 को कर दिया। इसके उपरान्त इन अधिकारियों द्वारा repatriation Notice के विरुद्ध की गई याचिका क्रमांक 21576/2008 तथा 540/2009 माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित थी जो क्रमशः डा0 लाल चन्द रंगा व अन्य तथा डा0 बी0एस0लोरा द्वारा दायर की हुई थी। सरकार द्वारा अब इन अधिकारियों के repatriation Notice दिनांक

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

07.08.2013 को विद झ़ा कर लिये गये। माननीय उच्च न्यायालय ने इन अधिकारियों को जबसे उनके जूनियर अधिकारी को संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है तब से पदोन्नत करने के आदेश दिनांक 7.10.2013 को प्रदान किए थे। सरकार द्वारा इन अधिकारियों को दिनांक 20.02.2014 से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है। सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.10.2013 के विरुद्ध एलपी0ए0 फाईल की हुई है और कोर्ट के पूर्व आदेशों पर स्टे की गई है। मामले अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त इन अधिकारियों की नियुक्ति को डा0 दलीप सिंह व अन्य ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका नं0 3206/2015 दायर करके चुनौती दी हुई है। यह

केस माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 17.08.2017 निर्धारित है।

10-3-2015

311. श्री हरि चंद मिठा द्वारा पूछा गया अतारकित प्रश्न संख्या 30: क्या पशुपालन एवं डेरी उद्योग मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या राज्य में आधारा गायों के लिए गोशालाओं का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

अध्यक्ष जी, राज्य में गोशालाएं निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही है। फिर भी राज्य में उपयुक्त स्थानों पर सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) प्रणाली में गौ अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की सम्भावनाओं को तलाशा जा रहा है।

After perusing the written reply and oral examination of the Departmental representatives the Committee observed that though the department has taken steps to address the problem of stray cow and stray animals but the problem still exists. The Committee therefore, recommends that more concrete steps be taken for permanent solution of the problem.

राज्य में हरियाणा गौ-सेवा आयोग, गोशालाओं, ग्राम पंचायतों एवं सरकार की सहभागिता से बेसहारा गायों को रखने के लिए गौअभ्यारण्य स्थापित करने हेतु गौ-सेवा आयोग के स्तर पर उचित कार्यवाही की जा रही है। वित्त वर्ष 2015-16 में आयोग को 9.20 करोड़ रुपये की राशि अनुदान स्वरूप प्रदान की गई। जिसका अधिकांश भाग गौअभ्यारण्य की स्थापना पर आयोग को 20 करोड़ रुपये की राशि का अनुदान राशि की गई है वर्ष 2017-18 हेतु 20.00 करोड़ रु की राशि का प्रावधान है।

राज्य में गौ- गौअभ्यारण्य के विषय में स्थिति इस प्रकार है:-

- गांव नैन, जिला पानीपत में गौ- अभ्यारण्य निर्माण का कार्य आरम्भ हो चुका है।

- गांव मलिकपुर बांगड की भूमि भी उपयुक्त नहीं है इसलिए अन्य स्थान पर भूमि तलाश की जा रही है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

- गांव बड़वाई एवं नौरंगाबाद, जिला भिवानी में गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध न कराये जाने के फलस्वरूप यहां पर गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने का कार्य आरम्भ नहीं हो सका है। भूमि उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त, भिवानी के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं।
- गांव गोकलपुरा, जिला भिवानी में गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने हेतु अभी भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस सम्बन्ध में उपायुक्त भिवानी के स्तर पर भूमि चिन्हित करने का कार्य किया जा रहा है।
- गौशाला भिवानी में आवारा गायों को रखने की व्यवस्था की गई है तथा अब तक 1158 आवारा गाय वहां पर रखी गई हैं।
- मत्सय फार्म, भिवानी में 2.5 एकड़

भूमि में गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने का कार्य आरम्भ हो गया है।

- हिसार में गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने हेतु नगर निगम, हिसार की राजकीय पशुधन फार्म हिसार की 50 एकड़ भूमि 1.00 रुपया प्रति वर्ष प्रति एकड़ की दर से 33 वर्ष के लिए पट्टे पर उपलब्ध करवा दी गई है। नगर निगम द्वारा गौ-अभ्यारण्य स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

- इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन के माध्यम से पंचायत विकास विभाग, स्थानीय निकाय विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग को सम्मिलित करके हुए बेसहारा गावों के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। जिसके तहत विभिन्न गांवों तथा शहरों में पशु बाड़े तथा नंदीशाला बनाए गए हैं, और बेसहारा गौवंश को इनमें शरण दी गई है।

- इसके साथ-साथ मौजूदा गौशालाओं में भी विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से अब तक लगभग 85000 गौवंश को इन

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

312. श्री बलवन्त सिंह सढौरा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 558: क्या सहकारिता राज्य मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) दुग्ध संयंत्रों पर लगाये जा रहे दुग्ध कर की वसूली की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) दुग्ध कर की वसूली के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये; तथा

(ग) क्या दुग्ध करों की बकाया ब्याज, देनदारी एकमुश्त निपटारे के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

24.3.2015

*** अध्यक्ष महोदय, इन सारी बातों से ऐसा लगता है कि इस विषय में कई बातों पर गहराई से विचार किये जाने की आवश्यकता है। कई तरह के बैंक होते हैं और पशुओं के लिए एक सीमन बैंक भी होता है लेकिन सीमन बैंक के अधिकारियों को भी वसूली की जिम्मेवारी दे दी गई। यह तो अक्सर सुना गया है कि बैंक वाले और एक्साईज एण्ड टैक्सेसन विभाग के अधिकारी तो वसूली करते हैं। कई ऐसी गलतियाँ हुई हैं जैसे वास्तव में वसूली का काम उनके बस का था ही नहीं, उनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं थी, न ही उनके पास कोई चैकिंग की अथॉरिटी थी और न ही उनके पास कहश जाने की अथॉरिटी थी। अपने आप किसी ने उनको पैसे देने नहीं थे इसलिए मैं कहना

संस्थाओं में पुनर्वासित करवाया जा चुका है। और सरकार के प्रयास है कि 15 अगस्त 2017 तक प्रदेश के सभी बेसहारा गौवंश को पुनर्वासित करने हेतु सतत प्रयास किए जाएंगे।

इस सम्बन्ध में यह बताया जाता है कि दुग्ध उपकर के ब्याज माफी वारे तथा मुख्य बिन्दुओं पर मामला सरकार के पास लम्बित है। जिस पर अभी सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना बाकी है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(16.08.2017)

चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस सिस्टम में कई बातों को सुधारने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य ने सही सवाल उठाया है इसलिए सरकार इस पर विचार कर रही है। कुछ जैनून सवाल डेयरी वालों ने भी उठाए हैं जैसे उन्होंने कहा कि हमारी 60 लाख लीटर प्रति दिन दूध प्रोसेस करने की कैपेसिटी है लेकिन किसी सीजन में हमको 30 लाख लीटर दूध ही मिल रहा है तो आप यदि 60 लाख लीटर पर कर लगाएंगे तो हम पर पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए आप कैपेसिटी पर टेक्स मत लगाईए बल्कि एकजुट प्रोसेसिंग पर लगाईए। उनकी ये बातें वाजिब हैं इसलिए उन पर विचार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं।

29.08.2016

313. श्री केहर सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1465 :- क्या पशु पालन एवं डेरी विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या मानपुर तथा बामनी खेड़ा गांवों के पशु चिकित्सालयों की जीर्ण-शीर्ण इमारतों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हां, तो इन इमारतों के कब तक निर्मित किये जाने की संभावना है ?

हां, श्रीमान जी, इन पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों का निर्माण कार्य चालू वित्त वर्ष (2016-17) में प्रारम्भ किया जायेगा।

राजकीय पशु चिकित्सालय, मानपुर के भवन निर्माण के लिए 35.83 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है और कार्य प्रारम्भ हो चुका है। पशु चिकित्सालय, बामनी खेड़ा की मुरम्मत हेतु 16.19 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं। जिससे मुरम्मत कार्य हो रहा है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(16.08.2017)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

314. तारांकित प्रश्न संख्या 272 के संदर्भ में श्री रणधीर गंगवा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या आंबारा पशुओं से किसानों की फसलों को बचाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है: यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?
- 20.03.2015
- श्री मान जी, वर्तमान में आंबारा पशुओं को 408 गऊशालाओं, जिन्हें नगर निकायों तथा निजी संगठनों द्वारा संचालित किया जा रहा है, में रखा जाता है। हालांकि, इस समस्या की जटिलता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा एक विस्तारयुक्त नीति बनाने का प्रस्ताव है, इसके अतिरिक्त, गऊ अभियारण्यों, गऊ सदन व गऊ गृहों की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो इस समस्या का निदान करने में दूरगामी साबित होगा।

- 17.03.2016
- ****हमारी सरकार की योजना प्रदेश में 40 "गौ अम्यारण" स्थापित करने की है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि वे सरकार को इस उद्देश्य के लिए उनके विधान सभा क्षेत्र में जहाँ-जहाँ पर जमीन अवेलेबल है वह उपलब्ध करवायें उसके बाद हम वहाँ-वहाँ पर "गौ अम्यारण्य" स्थापित करने का काम करेंगे।**** 4 जिलों में तो हमें जमीन मिल गई है और उन चारों
315. सर्वश्री ओम प्रकाश बरवा, पिरथी सिंह, बलवान सिंह दौलपुरिया, रणधीर सिंह कापड़ीबास, जगवीर सिंह मलिक और श्रीमती किरण चौधरी द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1027: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह तथ्य है कि आंबारा पशु फसलों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं तथा दुर्घटनाएं भी कर रहे हैं; यदि हां, तो

क्या उपर्युक्त समस्या के स्थान पर समाधान के लिए नदीशालाएं खोलने या किसी अन्य ठोस कार्य योजना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है यदि है तो उसका ब्यौरा क्या है?

316.

तारकित प्रश्न संख्या 1027 के संदर्भ में श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूंगा कि यह समस्या ज्यादातर जर्सी और संकर नस्ल के जो बछड़े हैं उनसे है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन नस्ल के बछड़ों का कोई उपयोग नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या हमारी सरकार फर्टिलिटी सीड को बैंन करके कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बनायेगी जिससे शी-काऊ अर्थात् इस नस्ल

जिलों को तो मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस वित्त वर्ष के प्रारम्भिक महीनों में ही हम "गो अभ्यारण्य" शुरू करने की स्थिति में आ जायेंगे। बाकी के जिलों में अभी हमें इस उद्देश्य हेतु जमीन नहीं मिली है। इसलिए मेरा सभी विधायक साथियों से एक बार फिर से निवेदन है कि वे अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र की पंचायतों को इस उद्देश्य के लिए जमीन देने के लिए तैयार करें ताकि यहाँ पर भी "गो अभ्यारण्य" जल्दी शुरू किये जा सकें।

17.03.2016

***अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर एक विषय शंकर नस्ल के बछड़ों के बारे में भी उठाया गया था। ये केवल फसलों को ही खराब नहीं करते हैं। बल्कि ये दूसरे पशुओं जैसे गाय और भैंस को भी नुकसान पहुँचाते हैं। यह नस्ल जहाँ की है और उन लोगों का जैसा स्वभाव है इन पशुओं का स्वभाव भी उसी प्रकार का होता है। इसको देखते हुए विभाग ने 01 अप्रैल, 2016 से इनकी नसबंदी करने का निर्णय लिया है। हमारा विभाग इस रास्ते पर भी आगे बढ़ रहा है कि ज्यादातर बछड़ियाँ ही पैदा हों। हमने अपने विभाग से इस रास्ते पर भी काम करने के लिए कहा है कि अपने अच्छी नस्ल के देशी साँड़ों के सीमन को ही

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

की बछड़ियां ज्यादा पैदा हों क्योंकि आज इस नस्ल के बछड़ों की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि ऐसा किया जा सकता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे पशु पालकों का भी फायदा होगा और सरकार के स्तर पर इस समस्या का परमानेंट समाधान भी निकल जायेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो चाहे कितने भी "गौ अभ्यारण्य" खोल लिये जायें इस समस्या का समाधान नहीं होगा क्योंकि इनकी संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी दर से बढ़ती ही रहेगी जो कि बढ़ भी रही है। मैं समझता हूँ कि इस समस्या का इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं हो पायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे मेरे इस सुझाव पर जल्दी से अमल करेंगे और सरकारी स्तर पर इसके लिए कोई योजना बनायेंगे।

सीमन बैकों में प्राथमिकता दी जाये ताकि ये संकर नस्ल के बछड़े पैदा ही न हों।

28.02.2017

हां, श्रीमान जी। जैसे ही विस्तार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी इसे कार्यान्वित कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य असीम गोयल जी ने उपरोक्त सवाल में पूछा है कि लखनौर साहिब में वी.एल.डी.ए कॉलेज तथा क्लीनिक खोलने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी तो मैं कहता हूं कि हां श्रीमान जी इसकी डी.पी.आर तैयार हो गई है, इसको क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

7.03.2017

जी हां श्रीमान। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्रीमती संतोष यादव के विधान सभा क्षेत्र के तीन गांवों से संबंधित है। मैं माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश यादव को सदन में आश्वस्त करता हूं कि हम इन तीनों गांवों में पशु औषधालय खोल देंगे।

9.03.2017

xx अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में जब इनका सवाल लगा था तो जब मैं सवाल का उत्तर दे रहा था उस समय माननीय सदस्य सदन से गायब हो गये थे, क्योंकि उस समय इस

317. श्री असीम गोयल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 1707 : क्या पशुपालन एवं डेरी विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लखनौर साहिब (अम्बाला) में पशुओं के लिए वी.एल.डी.ए. कॉलेज तथा पोलीक्लीनिक खोलने की घोषणा की गई थी; यदि हां, तो उपरोक्त घोषणा पर कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

318. श्री ओम प्रकाश यादव द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या-1972 : क्या पशुपालन एवं डेरी विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या अटेली विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव रसूलपुर, नांगल तथा ढाना में नया राजकीय पशु औषधालय/राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार विचाराधीन है?

319. तारांकित प्रश्न संख्या 1855 के सन्दर्भ में श्री सुखविन्द द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाढड़ा विधान सभा

क्र० संख्या	सदस्य	दिनांक/आवृत्ति	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

क्षेत्र में देसी गाय का एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की घोषणा की थी। माननीय मंत्री जी ने अनुसंधान केन्द्र के बजाय एक गाय का संवर्धन केन्द्र स्थापित करने की बात सदन में कही थी। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के गाँव रुदौली में पंचायत भूमि देने के लिए तैयार है, इसलिए वहाँ पर किसानों की तरफ से एक गाय का संवर्धन केन्द्र स्थापित करने का प्रयास किया जाए। इसके साथ-साथ जो जिला स्तर पर अभ्यारण्य केन्द्र बनाने की बात है उसके लिए भी हमारी पंचायत भूमि देने के लिए तैयार है इसलिए मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वहाँ पर अभ्यारण्य केन्द्र भी बनवाने का कष्ट किया जाए।

कार्य को करने के लिए इनकी "न" थी और इस काम के लिए ये उस समय विभाग को जमीन देने के लिए भी तैयार नहीं थे लेकिन आज माननीय सदस्य का जमीन देने के लिए मन बना है, इनकी पॉजिटिविटी है तो मैं भी विभाग को इस बारे में पॉजिटिव कहूँगा और इनके यहाँ उस कार्य को करवाने के लिए आगे प्रयास किये जायेंगे।

13.03.2018

320. तारकित प्रश्न संख्या- 2585 के संदर्भ में श्री बख्शीश सिंह विक्र द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि:-
(क) क्या असंघ विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के गावों मर्दान हैड़ी, औरंद, जलमाना, सालवन, बालू, रूखसाना, गोली, मुनक तथा जुण्डला के पशु चिकित्सालयों की इमारतों की मरम्मत करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; यदि हां, तो उपरोक्त अस्पतालों की इमारतों की मरम्मत कब तक कराये जाने की संभावना है; तथा

(क) जी हाँ श्रीमान। यद्यपि इस स्तर पर कोई निश्चित समय अवधि नहीं दी जा सकती, पर इस कार्य को 2018-19 में करने का प्रयास किया जाएगा।*****

5.03.2018

321. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में

राजकीय पशुधन फार्म, हिसार में एक गोकुल ग्राम स्थापित किया जाएगा। हरियाणा, साहीवाल और थारपारकर नस्ल के मौजूदा भेड़ियों के उन्नयन और उपलब्ध बुनियादी ढांचे को समुचित रूप से सुदृढ़ करके गोकुल ग्राम के उद्देश्यों को हासिल किया जाएगा। प्रदेश में गीर नस्ल की गायों के पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

322. वर्ष 2018-19 के लिए वित्त मंत्री द्वारा
दिये बजट अभिभाषण के संदर्भ में।

9.03.2018

माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विश्व प्रसिद्ध मुराह नस्ल की भैंस का गर्वित मंडार हैं। मुराह जर्मप्लाजम के और अधिक विकास, प्रचार और संरक्षण के लिए, मैं वर्ष 2018-19 के दौरान नारनौद उपमण्डल, हिसार में 'मुराह अनुसंधान एवं कौशल विकास केंद्र' स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह केंद्र स्वरोजगार के लिए डेरी/डेरी फार्मिंग के मूल्य वर्धित उत्पादों हेतु महिलाओं, बेरोजगार युवाओं और किसानों का कौशल विकास करके मुराह नस्ल की भैंसों का समग्र विकास सुनिश्चित करने में एक दूरगामी कदम साबित होगा। इसके अतिरिक्त, पशु चिकित्सा क्षेत्र में शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के तहत एक पशु चिकित्सा पशुधन विकास डिप्लोमा कॉलेज लखनौर साहिब, अम्बाला में स्थापित किया जाएगा।

8.03.2018

323. ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाओं के संदर्भ में श्री राम चन्द कम्बोज द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे हल्के में बीमारी की वजह से पशुओं की मौत पर मुआवजा न मिलने बारे में था। माननीय कृषि मंत्री जी ने एक दिन इसी सदन में घोषणा की थी कि मरने वाले दुधारू पशुओं का 25 हजार और दूसरे पशुओं का 5 हजार का मुआवजा दिया जायेगा लेकिन आज तक मेरे गांव के जो पशुपालक थे जिनके पशुओं की मौत हो गई थी, उनको कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूँ कि यदि मुआवजा नहीं मिला तो माननीय साथी को कभी भी बीच में इस बात का जिक्र जरूर करना चाहिए था। मैं आज ही चैक करवाता हूँ अगर पशुपालकों को मुआवजा नहीं मिला है तो जरूर मिलेगा, माननीय साथी किसी भी प्रकार की कोई चिंता न करें।

11.09.2018

श्रीमान जी, राजकीय पशु चिकित्सालय कालावाली के भवन की कुछ मरम्मत की आवश्यकता है तथा मरम्मत कार्य जल्द ही किया जायेगा।

324. तारांकित प्रश्न संख्या 2801 के सन्दर्भ में श्री बलकौर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या पशुपालन एवं डेरी मंत्री कृपया बताएंगे क्या यह तथ्य है कि कालावाली (सिरसा) में राजकीय पशु चिकित्सालय जर्जर अवस्था में है; यदि हां, तो उपरोक्त पशु चिकित्सालय के कब तक पुनः निर्मित किए जाने की संभावना है ?

मैं माननीय विधायक जी को बताना चाहूंगा कि कालावाली (सिरसा) में जो राजकीय पशु चिकित्सालय है, उसकी भवन की कुछ मरम्मत की आवश्यकता है, इसलिए यह मरम्मत कार्य इसी वर्ष में करवा दिया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

325. तारांकित प्रश्न संख्या 2955 के संदर्भ में श्री बलकौर सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि कालावाली विधान सभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव डर्बी तथा लहगैवाला में पशु अस्पताल का निर्माण करने को कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

25.02.2019

श्रीमान जी, गांव दड़बी में राजकीय पशु औषधालय के भवन का निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है तथा गांव लहगैवाला में राजकीय पशु औषधालय का कार्य जल्द ही आरम्भ किया जायेगा।

326. तारांकित प्रश्न संख्या 2959 के संदर्भ में श्री करण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : क्या पशुपालन एवं डेरी विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

क) वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अम्बाला केन्द्रीय सहकारिता उपभोक्ता स्टोर लिमिटेड से एकल निविदा आधार पर हरियाणा पशुधन विकास

22.02.2019

(क) XXX

(ख) XXX

(ग) मामला जांचाधीन है।

बोर्ड द्वारा विभिन्न मदों की खरीद का ब्यौरा क्या है ;

ख) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अम्बाला केन्द्रीय सहकारिता उपभोक्ता स्टोर लिमिटेड को एक अनुमोदित स्रोत घोषित नहीं किया था; तथा

ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा अन अनुमोदित स्रोत से खरीद करने के लिये हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

25.02.2019

327. वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा क्रम संख्या-53 पर दिया गया आश्वासन।

ग्रामीण क्षेत्रों में दूध की मिलावट का पता लगाने के लिये, सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में प्रत्येक राजकीय पशु चिकित्सा अस्पताल के स्तर पर तीव्र दुग्ध परीक्षण सुविधा विकसित की जाएगी। राज्य में पशु पालकों द्वारा फोन पर घर-द्वार पर सचल पशु चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करने के लिये पायलट परियोजना के रूप में आरम्भ में तीन जिलों (जौंद, यमुनानगर और मेवात) में पशु संजीवनी सेवा शुरू की जायेगी और बाद में इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में किया जायेगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

328. वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा क्रम संख्या-132 पर दिया गया आश्वासन।

25.02.2019

वर्ष 2018-19 के दौरान, 18.0 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए। वर्ष 2019-20 के दौरान 30 मेगावाट की ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा, 278 गौशालाओं में 1,606 केवी क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की गई है।

25.02.2020

*** गांव श्यामकलां, बाढड़ा एवं भांडवा में पशु चिकित्सा संस्थाओं का निर्माण कार्य 2020-21 के दौरान करवाया जाएगा।***

329. श्रीमती नैना सिंह चौटाला, द्वारा पूछा गया अतारंकित प्रश्न संख्या 57 क्या पशु पालन एवं डेयरी विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या बाढड़ा विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांवों रुदड़ोल, श्यामकलां, ऊन, बाढड़ा, बदराई तथा भंडा में पशु अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

28.02.2020

330. वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के संदर्भ में।

49. वर्ष 2020-21 से 'पशु संजीवनी सेवा' के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवायें पशुपालक के घर द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी आरम्भ की जाएंगी।

3.03.2020

331. श्री चिरंजीव राव द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 28 क्या पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इन मुख्य उपकरणों की आपूर्ति अगले वित्त वर्ष 2020-21 में की जाएगी।

(क) क्या जिला रेवाड़ी के गांव साहरनवास के

पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक में अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्सरे मशीन, हाईड्रोलिक टेबल तथा अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; तथा (ख) यदि हां, तो उक्त पॉलीक्लिनिक में उपरोक्त उपकरणों के कब तक उपलब्ध करवाये जाने की संभावना है?

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

332. श्री ज्ञान चन्द गुप्ता द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 124- क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या यह तथ्य है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने वर्ष 1997 तथा 2008 के दौरान राजीव कालोनी तथा इन्दिरा कालोनी, सेक्टर 17 पंचकूला के निवासियों के पुनर्वास करने के लिए 2500/- रुपये तथा 5800/- रुपये क्रमशः प्रति व्यक्ति वसूल किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोक्त कालोनियों में अभी तक किसी निर्धन परिवार का पुनर्वास नहीं करने के कारण क्या हैं; तथा

(ग) क्या ऊपर के भाग (क) में यथानिर्दिष्ट नीति या किसी अन्य नीति के तहत गन्दी बस्तियों अर्थात् राजीव कालोनी तथा इन्दिरा

पंचकूला को मलिन बस्ती रहित करने के लिए हुडा भूमि पर काबिज चिह्नित मलिन परिवार को आशियाना योजना के अंतर्गत विभिन्न चरणों में पुनर्वासित करने की योजना है। -

10.3.2015

05 नवम्बर, 2018 को माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें कि सेक्टर-20 पंचकूला में खाली पड़ी लगभग 20 एकड़ भूमि पर 9000 आवासीय इकाइयों के निर्माण का सुझाव दिया गया। यह इकाइयां उन झुग्गी-झोंपड़ी वालों को पुनर्वासित करने के लिए बनाई जाएंगी जिन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। राजीव कॉलोनी व इन्दिरा कॉलोनी के निवासी भी इसमें शामिल हैं। यह इकाइयां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जाएंगी। पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाएगी। जो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के पात्र नहीं हैं उन्हें भी

The Committee would like to know the latest position in this regard. (3-12-2018)

कालोनी में निवास करने वाले निर्धन परिवारों के पुनर्वास करने सम्बन्धी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की कोई योजना है?

20.3.2015

333. तारांकित प्रश्न संख्या-536 के संदर्भ में श्री टेकचंद शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न- अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी इस समय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय प्लॉट अलॉट हुए थे उस समय के कलैक्टर रेट में और हुडा के रेट में क्या अन्तर था। उस समय कलैक्टर का रेट तो ज्यादा था या हुडा के रेट के हिसाब के जो दिए गए उनमें कितना अंतर था।

xx अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को प्लॉट मिले हैं, उनमें पात्रता के बारे में कुछ प्रश्नबिन्दु सामने आए हैं और यह मामला कोर्ट में पेंडिंग है। सरकार को उच्च न्यायालय से जो भी आदेश मिलेगा सरकार उसकी पालना करेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार भी अपने स्तर पर इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। सरकार को भी ऐसा लगता है कि यह मामला कार्यवाही और जांच के योग्य है। सरकार को इस पूरे मामले में कहीं न कहीं गड़बड़ी दिखाई दे रही है इसलिए इसे जांच के योग्य मान रही है।

03-09-2015

334. श्री कुलदीप बिश्नोई द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या 683 के संदर्भ में पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों

आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय साथी चौधरी कुलदीप जी ने यह जो विषय उठाया है वैसे तो यह अलग प्रश्न है लेकिन मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए इस सवाल

शहरी विकास निकाय द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। फिलहाल इस योजना को अमल में लाने के लिए मामला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नगर एवं ग्राम आयोजना शाखा के पास विचाराधीन है तथा इसमें अग्रिम कार्यवाही शीघ्र अपेक्षित है।

मामले की सी.बी.आई. व प्रवर्तन निदेशालाय (Enforcement Directorate) भारत सरकार द्वारा की जा रही जांच पर अभी तक अन्तिम निर्णय आना बाकी है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(3-12-2018)

445

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(3-12-2018)

इस बारे कथन है कि शहरी सम्पदा विभाग द्वारा पिछली 10 वर्ष (2005-2014) कार्यकाल में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के लिए कुल

क्र.० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

में श्रुपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय में कितनी ज़मीन एक्वायर करने की नोटिफिकेशन करने के बाद रिलीज़ की गई। उनमें मौजूदा सरकार को क्या अनियमितताएँ मिली और यदि उनमें सरकार को अनियमितताएँ मिली हैं तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में यह वायदा किया गया था कि पिछली सरकार के समय में जितने भी भूमि घोटाले हुए हैं सरकार बनने के बाद एक साल के अंदर-अंदर उनकी जांच करके सख्त कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस समय किए गए भूमि घोटालों की जांच करने के लिए विधान सभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए तभी इसका जल्द अच्छा रिजल्ट आयेगा। यदि इसका सही और जल्द रिजल्ट चाहिए तो मुझे भी उस कमेटी का मੈबर ज़रूर बनाया जाए। मैं उन सभी

का जवाब देना चाहूंगा। माननीय सदस्य की धिंता याज़िब है और सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में ज़मीनों की एक्वीजिशन के नाम पर उनको रिलीज़ करने के नाम पर जो बेकायदगियाँ और घोटाले हुए हैं तथा हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया गया है। पूरे सदन ने पिछले सेशन में भी इसकी अभिव्यक्ति की थी और विपक्ष के सदस्यों ने सरकार का सहयोग करके इस बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है। सरकार एक-एक मामले का बड़ी जिम्मेवारी और सूक्ष्मता से गहन अध्ययन कर रही है। जो-जो मामले सरकार को जांच के योग्य लगे हैं उनको सरकार ने जांच के लिए आगे भेजने का काम किया है। मेरा माननीय सदस्य चौधरी कुलदीप जी से निवेदन है कि यदि उनके पास इससे सम्बंधित कोई और जानकारी भी है तो सरकार को उपलब्ध करवायें। जो जानकारी हमें पहले मिली है उनका अध्ययन सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। माननीय सदन के नेता ने सदन में विश्वास

26582.99 एकड़ भूमि अर्जन की गई। इसी दौरान कुल 3839.37 एकड़ भूमि रिलीज़ की गई है। नोट: यह ध्यान में लाया जाता है कि सैक्टर 58 से 67 गुडगाँव में रिहायशी तथा कमर्शियल सैक्टरों के लिए 1417.07 एकड़ भूमि अधिसूचित की गई परन्तु केवल 85.95 एकड़ भूमि पर अवार्ड सुनाया गया। इस अर्जन कार्यवाही के विरुद्ध वायर सिविल अपील नं० 9211-13/16 देव दत्त इत्यादि बनाम राज्य सरकार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भूमि अर्जन में हुई अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करने के लिए निर्देश दिये गये हैं। आदेशों की प्रति अभी विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

इस मामले में CBI द्वारा जांच हेतु समस्त भूमि अर्जन सम्बन्धी रिकार्ड सौंप दिया गया है। जांच अभी विचाराधीन है।

घोटालों का दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा।

335. श्री उमेश अग्रवाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 232: क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) उन बिल्डरो की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार द्वारा वर्ष 2000 से अब तक फ्लैटों का निर्माण करने तथा प्लाट विकसित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमति दी गई थी;

(ख) उन बिल्डरो की संख्या कितनी है जिन्होंने ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैटों का निर्माण करने थे तथा प्लाट विकसित करने के लिए अनुमति दी गई थी तथा कितने फ्लैट तथा प्लाट विकसित किये जाने हैं;

(ग) ऊपर यथा निर्दिष्ट बिल्डरो कि संख्या कितनी है जिन्होंने ई.डब्ल्यू.एस. फ्लैट/प्लाट दिये तथा उनके लामानुभंगियों का ब्यौरा क्या है; तथा

व्यक्त किया है और अपोजिशन के साथियों ने सहयोग किया है। हम इस विषय की पूरी ईक्वायरी करवा रहे हैं और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे।

11-3-2015

मान्यवर इन फ्लैटों की लामार्थियों की सूची न मिलने का मुख्य कारण मैं फिर से बताता हूँ कि वर्ष 2010 से पहले बिल्डर्स और कॉलोनाइजरो को ई.डब्ल्यू.एस. के फ्लैटों के आबंटन करने की स्वतंत्रता थी और जितना भी आबंटन होने की सूची उनके पास उपलब्ध थी वह प्राप्त की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आश्वासन दिया है कि 3 महीने के भीतर उस सूची का ऑकलन करके वह उपलब्ध करा दी जायेगी।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(3-12-2018)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की नीति दिनांक 13.02.2010 के अनुसार किसी भी रिहायशी लॉईसेंस प्लाटिड कॉलोनी के कुल अनुमोदित फ्लैटों की 20 संख्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये देने का प्रावधान है। वर्तमान में 08.07.2013 की नीति के अनुसार किसी भी बिल्डर को लॉईसेंस कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0डब्ल्यू0एस0) के लिये निर्धारित फ्लैटों को पूर्ण रूप से हरियाणा आवास बोर्ड को स्थानान्तरित करना होता है तथा हरियाणा आवास बोर्ड द्वारा इन फ्लैटों पर भवन बनाकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लामार्थियों को आवंटित किया जाता है।

2. हरियाणा राज्य में आज तक बिल्डरो द्वारा ई0डब्ल्यू0एस0 लामार्थियों को आवंटित किये गये फ्लैटों का ब्यौरा

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(घ) उन बिल्डरों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की जिन्होंने ई.डब्ल्यू एस फ्लैट/प्लॉट विकसित नहीं किये तथा ई.डब्ल्यू एस फ्लैट/प्लॉट कब तक विकसित किए जाएंगे?

निम्न प्रकार से है:-

सीमांकन योजना के अनुसार 33570 कुल अनुमोदित ई0डब्ल्यू0एस0 प्लॉटों की संख्या 11949 कॉलोनाइजर द्वारा आवंटित ई0डब्ल्यू0एस0प्लॉट हरियाणा आवास बोर्ड / वरिष्ठ 13459 नगर योजनाकार को स्थानांतरित ई0 डब्ल्यू0 एस0 प्लॉटों की संख्या 8162 कॉलोनाइजर द्वारा आवंटित किये जाने वाले शेष ई0डब्ल्यू0एस0प्लॉट ई0 डब्ल्यू0 एस0 लाभार्थियों को आवंटित किये गये प्लॉटों का ब्यौरा संलग्नक-1 में वर्णित है।

3. द्विपक्षीय समझौते के अनुसार बिल्डरों द्वारा विकसित की जाने वाली समूह आवास योजनाओं के कुल अनुमोदित प्लॉटों की 15: संख्या बिल्डरों द्वारा ई0 डब्ल्यू0 एस0 लाभार्थियों को आवंटित करना अनिवार्य है। 25.09.2018 तक बिल्डरों द्वारा हरियाणा में कुल 28556 प्लॉट समूह आवास योजनाओं में ई0 डब्ल्यू0 एस0 लाभार्थियों को आवंटित किये जा चुके हैं।

ई0 डब्ल्यू0 एस0 लाभार्थियों को आवंटित किये गये प्लैटों का ब्यौरा संलग्नक-2 में वर्णित है।

4. नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अब तक कुल 891 लाईसेंस रिहायशी प्लाटिड कॉलोनी तथा कुल 378 लाईसेंस समुह आवास विकास योजनाएं विकसित हेतु प्रदान किये गए हैं।

5. चूंकि ई0 डब्ल्यू0 एस0 प्लॉट वर्तमान नीति के अनुसार बिल्डरो द्वारा सीधे तौर पर हरियाणा आवास बोर्ड को स्थानांतरित किये जाते हैं, इसलिए इस विभाग द्वारा बिल्डरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। जहां तक ई0 डब्ल्यू0 एस0 प्लैट के निर्माणों का प्रश्न है, इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई बिल्डर मुख्य प्लैटों के अनुपात में ई0 डब्ल्यू0 एस0 प्लैटों का निर्माण पूर्ण नहीं करता है, तब तक विभाग द्वारा उस बिल्डर को कब्जे प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा बिल्डरो को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

336. तारांकित प्रश्न संख्या 2211 के संदर्भ में श्री तेजपाल तंवर द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :-***अध्यक्ष महोदय, 18 अक्टूबर, 2013 को तावडू में 7, 8 और 11 तीन सैक्टर विकसित करने के लिए हुडा द्वारा भूमि अधिग्रहण की गई थी। जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई थी उनको मुआवजा भी दे दिया गया है लेकिन वहां पर सैक्टर विकसित करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, यदि वहां पर हुडा जल्द सैक्टर विकसित कर देगा तो इससे जनता को फायदा होगा और लोगों को रहने के लिए अच्छी जगह मिल जायेगी। मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तावडू में कब तक हुडा के ये तीनों सैक्टर विकसित कर दिए जायेंगे ?

24.10.2017

***अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि तावडू में हुडा के सैक्टर विकसित करने के लिए ले आउट प्लान एक महीने में तैयार हो जायेगा और एक साल के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके वहां प्लॉट अलोट कर दिए जायेंगे।

10.09.2018

337. तारांकित प्रश्न संख्या 2770 के संदर्भ में श्री उमेश अग्रवाल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:- अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कौन-सा रूट फाइनल किया गया है ? क्या पुराना गुरुग्राम शहर जिसके अंदर रेलवे स्टेशन और दूसरे क्षेत्र हैं वे मैट्रो से जुड़ेंगे या नहीं और यह काम कब तक शुरू हो जाएगा ?

अध्यक्ष जी, इसके लिए 2 रूट्स प्रस्तावित हैं। इनकी डी.पी.आर. भी बन रही है। पहला रूट हुडा सिटी सेंटर, गुरुग्राम से रेलवे स्टेशन, गुरुग्राम तक है। यह रूट वाया सुभाष चौक, राजीव चौक और न्यू कॉलोनी मोड़ है। यह 12.2 किलोमीटर लम्बा रूट है। दूसरा रूट हुडा सिटी सेंटर से द्वारका तक है। यह रूट वाया सुभाष चौक, सोहना रोड़, हीरो हॉंडा चौक, सैक्टर 33, 34, 37, 10, 10 ए, 9, 9 ए, ई.एस.आई. हॉस्पिटल, सैक्टर 4 और 5 चौक, द्वारका, नई दिल्ली है। इसकी दिसम्बर, 2018 तक डी.पी.आर. बन जाएगी। इसका काम 36-38 महीने में पूरा हो जाएगा।

10.09.2018

338. अतारांकित प्रश्न संख्या 692 के संदर्भ में श्रीमती रेणुका बिश्नोई द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- क्या मुख्य मंत्री कृपया बताएंगे कि हॉस्ती की ऑटो मार्किट के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रीमान जी, ऑटो मार्किट हॉस्ती के विकास कार्य वर्ष 2005 में 261.71 लाख रुपये की लागत के साथ पूर्ण किये जा चुके हैं। सड़कों की विशेष मरम्मत तथा ले-आउट प्लैन के संशोधन के कारण अतिरिक्त पार्किंग स्थल के निर्माण का कार्य, जिसकी लागत 87.15 लाख रुपये है, अलॉट होने की प्रक्रिया में है तथा निकट भविष्य में किया जाएगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

339. श्री कर्ण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 45: क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या पृथला शुष्क बन्दरगाह (झाई पोर्ट) विकास योजना को भारतीय रेलवे के पश्चिमी मालभाड़ा गलियारा (वेस्टर्न फराईट कॉरिडोर) के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है तथा इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

13.03.2015

पृथला के अंतिम विकास प्लान 2031 अनुसार 3548 एकड़ (पृथला विकास प्लान के कुल अर्बनाइजेशन क्षेत्र का 40.59 प्रतिशत) भूमि में शुष्क बन्दरगाह (झाई पोर्ट) प्रस्तावित किया गया है यह शुष्क बन्दरगाह दिल्ली-मथुरा रेलवे लाईन तथा भारतीय रेलवे के प्रस्तावित पश्चिमी मालभाड़ा गलियारा (वेस्टर्न फराईट कॉरिडोर) के दोनों तरफ प्रस्तावित किया है। विकास प्लान के सेक्टर-1 व 6ए में इन गलियारों का एक स्टेशन यार्ड भी प्रस्तावित है।

डेडीकैट फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है के प्रोजेक्ट प्रबंधक अनुसार पलवल जिले में इस गलियारे के फेज-III की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा 29.12.2014 को इसका पंचाट (अवार्ड) भी घोषित हो चुका है। इस गलियारे को 2019 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(08-10-2018)

12.03.2018

अध्यक्ष महोदय, ***** हरियाणा सरकार ने मल्टी मोडल ट्रांजिट सेंटर के लिए बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे व रेलवे स्टेशन के पास परिवहन विभाग, हरियाणा की जगह को स्वीकृति दी है। हरियाणा राज्य परिवहन फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में 12 बस बेज का बस अड्डा है जिसका निर्माण वर्ष 1988 में किया गया था। बल्लभगढ़ बस अड्डे की अंतिम मरम्मत वर्ष 2007 में की गई थी। महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, फरीदाबाद ने जल्द ही अनुमानित आंकलन तैयार करके शीघ्र भिजवाने का आश्वासन दिया है। मरम्मत का अनुमानित आंकलन प्राप्त होने और प्रशासनिक अनुमति लेने के बाद कार्य शुरू कर दिया जाएगा। *****

20.02.2019

XX आम जनता के हित में लाइसेंसशुदा कालोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए निर्धारित प्लॉट और प्लेट के आवंटन के लिए 17 मई, 2018 को एक व्यापक नीति तैयार की गई है। आवासीय प्लॉटिड कॉलोनियों में 20 प्रतिशत प्लॉट और

340. तारांकित प्रश्न संख्या 2554 के संदर्भ में श्री मूल चंद शर्मा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जैसाकि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि फरीदाबाद की परिवहन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बल्लभगढ़ में मल्टी मोडल ट्रांजिट सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस संदर्भ में मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा?

341. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।

क्र. संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग्रुप हाऊसिंग कॉलोनियों में 15 प्रतिशत आवासीय प्लॉट ईडब्ल्यूएस. के लिए आरक्षित होंगे। दोनों ही मामलों में आवंटन आवास बोर्ड द्वारा किया जाएगा। XX

25.02.2019

342. तारांकित प्रश्न संख्या 2946 के संदर्भ में श्री असीम गोयल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, (अम्बाला सिटी के राजीव गांधी स्टेडियम में एक ताप नियंत्रित स्वीमिंग पूल तथा स्थिटिक रनिंग ट्रैक बनाने के लिए 25.05.2016 की एक सी.एम. अनाउंसमेंट है।) इस घोषणा से संबंधित यह सवाल मैंने विद्यमान सभा के सत्र में तीसरी बार लगाया है। अगर माननीय मंत्री महोदय अम्बाला शहर में ताप नियंत्रित स्वीमिंग पूल नहीं बनवा सकते तो कम से कम एक साधारण स्वीमिंग पूल तो अवश्य बनवा दें।

अध्यक्ष महोदय, हम अम्बाला शहर में नैक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में साधारण स्वीमिंग पूल बनवा देंगे।

5.08.2019

****हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एच. एस.डी.पी.) द्वारा सैक्टर-23, पंचकूला के निकट घग्गर नदी के तट पर दो रिवर व्यू हट का निर्माण वर्ष 2008 में 8.30 लाख रुपये की अनुमानित राशि से किया गया है तथा यह हटें अच्छी स्थिति में हैं। घग्गर नदी के साथ सड़क की दूसरी लेन के निर्माण के बाद इन हटों के संपर्क पथों और उनके साथ लगी लोहे की पाइपों की मरम्मत का कार्य प्रगति उत्पन्न हुई थी। इस मरम्मत का कार्य प्रगति पर है व इसके 31.08.2019 तक पूरा होने की सम्भावना है और इसके बाद हटें अभिगम्य हो जाएंगी।

21.02.2019

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि माननीय सदस्य का यह सवाल बिल्कुल सैपरेट है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भी घोषणाएं की हैं आज हरियाणा के इतिहास में यह रिकार्ड है कि वे सभी घोषणाएं लगातार प्रगति पर चल रही हैं, इसलिए अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है तो वह भी जल्दी ही पूरी कर दी जाएगी।

343. श्री वेद नारंग द्वारा पूछा गया अतिरिक्त प्रश्न संख्या 810: क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि सैक्टर-23, पंचकूला के समीप घग्गर के किनारे पर निर्मित किए गए रिवर व्यू हट निर्माण के पश्चात् खाली पड़े हैं; यदि हां, तो उनकी स्थिति क्या है तथा उपरोक्त हटों के कब तक उचित ढंग से विकसित/रख-खाव किए जाने की संभावना है ?

344. ताराकित प्रश्न संख्या 2894 के संदर्भ में श्री कृष्ण लाल मिड्डा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जीन्द हल्के में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऑटो मार्केट बनाने की घोषणा की थी, वह कब तक पूरी की जाएगी।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

06.08.2019

XX अम्बाला, रोहतक और गुरुग्राम में जमीन के सैक्शन-4 और 6 के बावजूद जमीन को अधिग्रहण से रिलीज करने का जो घोटेला हुआ है इसकी जांच हम सीबीआई. से करवायेंगे। अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से ये ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनकी जांच हम सीबीआई. से करवायेंगे। मानेसर घोटेला भी सीबीआई. को जांच के लिए दिया गया। इसी प्रकार से पंचकुला में इंडस्ट्रियल प्लाट्स की जिस प्रकार से अपने चहत्तों में बंदरगाँव की गई उसकी भी सीबीआई. जांच कर रही है। इसी तरह से ए.जे.एल. के मामले में बिल्डिंग को भी कॉन्फिसकेट कर लिया है तथा सीबीआई. जांच चल रही है। इस प्रकार से ये 4 विषय सीबीआई. में चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस महान सदन को बताना चाहूँगा कि हम इन सभी विषयों की जांच करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

345. शून्यकाल तथा विभिन्न मांगों के दौरान सदस्यगण द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के संदर्भ में।

25.02.2020

**** माननीय सदस्य ने आर.ओ. लगाने की बात की है तो डैफिनेटली मैं आर. ओ. के ऊपर भी काम करूंगा। आपके वहां स्टेडियम में हम आर.ओ. भी लगवाएंगे।****

346. तारांकित प्रश्न संख्या 230 के संदर्भ में श्री राजेन्द्र सिंह जून द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न:- "अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल से शायद मंत्री जी ने प्रश्न को सही तरह से नहीं पढ़ा है इसलिए मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। मैंने पूछा है क्या बहादुरगढ़ सैक्टर-2 में बादली रोड़ पर स्थित डॉ० भीम राव अबंडेकर स्टेडियम में एथलेटिक ट्रैक और अन्य खेलों से संबंधित आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ६ अध्यक्ष महोदय, अगर स्पोर्ट्स की सुविधाएं नहीं होंगी, ऐथलेटिक का ट्रैक नहीं होगा, इंडोर हॉल नहीं होगा, बास्केट बॉल का कोर्ट नहीं होगा, टेनिस कोर्ट नहीं होगा, कुश्ती के लिए मैट नहीं होगा या ग्राउंड में घास नहीं होगी या खिलाड़ियों के पीने के लिए आर.ओ. का पानी नहीं होगा तो खिलाड़ी देश के लिए किस प्रकार से खेलेंगे? जब आप खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करेंगे तभी तो खिलाड़ी देश के लिए अच्छा खेलेंगे।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

347. श्री विनोद भ्याना, द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 274 : क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) हाँ, श्री मानजी,

(ख) लाटरी करने के पश्चात 286 व्यापारियों को जारी किए गए आशय पत्रों में से 165 व्यापारियों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 25 प्रतिशत राशि व 108 व्यापारियों द्वारा दिनांक 30.04.2019 को 25 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई थी (अर्थात कुल 273 व्यापारियों द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई)। 273 व्यापारियों में से अब तक 207 व्यापारियों को कब्जे की पेशकश की जा चुकी है और बकाया 66 व्यापारियों को शीघ्र ही कब्जे की पेशकश जारी कर दी जाएगी।

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष 2016 में हांसी विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि 31 दिसम्बर, 2016 तक निर्माणधीन ऑटो मार्केट में दुकानों का कब्जा, ऑटो मार्केट हांसी के व्यापारियों को दे दिया जाएगा; तथा

(ख) क्या यह भी तथ्य है कि मार्च, 2019 तक ऑटो मार्केट के व्यापारियों द्वारा उक्त दुकानों के लिए 25 प्रतिशत राशि भी जमा करवा दी गई है, परन्तु अब तक उक्त दुकानों का कब्जा नहीं दिया गया; यदि हां, तो उपरोक्त दुकानों का

28.02.2020

कब्जा कब तक दिए जाने की संभावना है ?

02.03.2020

348. तारांकित प्रश्न संख्या-37 के संदर्भ में डॉ. कृष्ण लाल मिश्रा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जीन्द शहर में जो ऑटो मार्किट के निर्माण की घोषणा हुई थी क्या उसको नगर परिषद को सौंपा गया था? उस ऑटो मार्किट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसका कोड नं. 9745 है और यह दिनांक 26.11.2014 की घोषणा है। मेरे पिता जी ने उस समय यह डिमांड माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और उस समय की संबंधित मंत्री श्रीमती कविता जैन जी ने इसके लिए 'हां' में जवाब दिया था लेकिन अभी तक इस कार्य पर कोई कार्य नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने जो प्रश्न रखा है। वह बिल्कुल ठीक है। यह मुख्यमंत्री जी की घोषणा है जिसका कोड नं. 9745 है। इसके लिए राष्ट्रीय राज मार्ग-332 पर 100 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि उसके साथ ही यह बनना है हम चाहते हैं कि उसके साथ ही यह ऑटो मार्किट भी बसाई जाए, इसलिए माननीय विधायक से मेरी विनती है कि आप वहां जमीन उपलब्ध करवाएं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उसको पूरा करेंगे।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

03.03.2020

349. श्री सुभाष सुधा द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 310 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:

- (क) 0 क्या यह तथ्य है कि कुरुक्षेत्र शहर के सैक्टर 2,3 तथा 13 में पुरानी पेयजल आपूर्ति पाईप लाईनें तथा सीवरेंज पाईप लाईनें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं; तथा यदि हां, तो क्या उक्त पाईप लाईनों को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इनके कब तक बदले जाने की संभावना है ?

xx अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र के सैक्टर 2, 3 और 13 की सीवरेंज लाइनें ठीक से काम कर रही हैं। सीवर लाइनों की सामयिक सफाई आवश्यकता के अनुसार करवा दी जाती है। सैक्टर 3 कुरुक्षेत्र की आंतरिक ए.सी./सी. आई. पाइपलाइनों के प्रतिस्थापन के लिए यथार्थ में एक प्रस्ताव है। लगभग 416.10 लाख रुपये का एक आकलन अनुमोदन की प्रक्रिया में है। कार्य आबंटन से जुड़े सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के 12 महीनों के भीतर कार्य को पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
SPORTS AND YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

350. तारांकित प्रश्न संख्या 2855 के संदर्भ में श्री सुभाष सुधा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिला कुरुक्षेत्र में साइकलिंग के लगभग 100 खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन वर्ष 2006 से लेकर वर्ष 2015 तक रोड पर साइकलिंग की प्रैक्टिस करते हुए 3 खिलाड़ियों की मौत हो गई है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से निवेदन है कि कुरुक्षेत्र में साइकलिंग के बेहतरीन खिलाड़ियों की संख्या के मद्देनजर यहां पर जल्द से जल्द साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जाये और जहां तक जमीन उपलब्ध कराने की बात है, जमीन की कमी को साइकलिंग ट्रैक के निर्माण में आड़े नहीं आने दिया जायेगा।

11.09.2018

अध्यक्ष महोदय, मैं खुद भी एक कार्यक्रम के दौरान माननीय सदस्य के एरिया में गया था और वहां पर एक घोषणा करके आया था कि सरकार इनके एरिया में साइकलिंग ट्रैक का निर्माण करेगी। पहले साइकलिंग ट्रैक के निर्माण में जमीन की दिक्कत आड़े आ रही थी जोकि अब दूर हो गई है क्योंकि यूनियर्सिटी ने मान लिया है कि वह 6 एकड़ जमीन देगी जिसका जल्द ही एम.ओ.यू. होने वाला है और इस प्रकार हम जल्द ही यहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेलोड्रम बनाकर देंगे। निःसंदेह यहां पर साइकलिंग के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। यहां पर साइकलिंग की दो नर्सरियां भी चल रही हैं जिसके लिए हमने दो कोच भी लगा रखे हैं। खिलाड़ियों के साइकलिंग में बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए यहां पर जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिल ट्रैक का निर्माण किया जायेगा।

जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी, कुरुक्षेत्र द्वारा लिखा गया है कि कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क शाखा) प्रांतीय मण्डल-2, कुरुक्षेत्र द्वारा साइकिलिंग वेलोड्रम की ड्राईंग तैयार करके लोक निर्माण विभाग, चण्डीगढ़ को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा चुकी है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(2.9.2020)

13.03.2018

(क) हां, श्रीमान जी। *****

351. ताराकित प्रश्न संख्या-2327 के संदर्भ में श्री परमेन्द्र सिंह बुल द्वारा पूछा गया - अनुपूरक प्रश्न क्या खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या राज्य के गांवों तथा विद्यालयों में खेल नर्सरियां तथा व्यायामशालाएं खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; तथा

24.02.2020

352. ताराकित प्रश्न संख्या 41 के संदर्भ में श्रीमती निर्मल रानी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न-अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः मेरा प्रश्न स्टेडियम के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत होती है, के संदर्भ में है। मेरे क्षेत्र में जो पुरखास गांव में स्टेडियम है वहां पर सुविधाओं का अभाव है। इस गांव से 40-50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होकर निकले हैं। उनको अर्जुन अवार्ड तथा एकलव्य अवार्ड तक मिल चुके हैं। कोई भी स्टेडियम महज चारदीवारी से नहीं बनता बल्कि तमाम प्रकार की अनेकों खेल सुविधाओं का समावेश करके

***अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1966 से लेकर आज तक हरियाणा प्रदेश में कोई भी इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ है। हमें इस दिशा में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमारी जो आने वाली जैनरेशन है उनकी खेलों में और ज्यादा रूचि बढ़े और उनको दूसरे युवा अपना आइडल समझकर खेलों में और ज्यादा दिलचस्पी लें। हमें खेलों में नई प्रतिभाओं व खेल नर्सरीज को नित रोज बढ़ाने का काम करना चाहिए। जो बच्चे खेलों में आगे बढ़ना चाहते हैं हमारी सरकार उन बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में भी कार्य करेगी और पुराने खिलाड़ियों को रोल मॉडल बनाकर युवाओं का खेलों के प्रति रुझान पैदा करने का काम भी किया जायेगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ही कोई स्टेडियम अपना मूल रूप धारण कर पाता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पुरखास गांव के स्टेडियम की सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाये और साथ ही मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि वे एक बार हमारे पुरखास गांव का दौरा करने जरूर आये ताकि हमारे खिलाड़ियों को और भी ज्यादा प्रोत्साहन मिले।

28.02.2020

XXX महेंद्रगढ़ में तरण ताल के लिए बिजली कनेक्शन जारी किया जा रहा है और उसके बाद तरण ताल शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

353. राव दान सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 60 :- क्या खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री कृपया बताएं कि क्या यह तथ्य है कि पिछले कुछ वर्षों से महेंद्रगढ़ में तरण ताल के रखरखाव का कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है; यदि हां, तो क्या उपरोक्त तरण ताल को आने वाले मौसम में आरम्भ करवाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

28.02.2020

354. तारांकित प्रश्न संख्या-60 के संदर्भ में राव दान सिंह द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, हम सूखी धरती के जरूर हैं लेकिन पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि तरण ताल में बिना पानी के तैरा जा रहा है। 12 नवम्बर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था लेकिन आज तक उसमें द्यूबवैल के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं है। उसमें जो लाईटें लगी हुई थी रख-रखाव की बात तो छोड़िए जो शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थर लगाये गये थे वे भी क्षत-विक्षत हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जब वहां पर द्यूबवैल ही नहीं था तो उस तरण ताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कैसे करवा दिया गया? तीसरी बात यह है कि महेन्द्रगढ़ में इस तरण ताल के साथ में ही चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के समय में इंडोर स्टेडियम बनाया गया था और उसमें बैडमिंटन का कोर्ट था। आज उसके सारे वुडन फ्लोर को वीमक चाट चुकी है। इसी प्रकार से जो दरवाजे थे उनको

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वीमिंग पूल के साथ-साथ स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट की मटेरिअल के बारे में भी पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2010 में इस तरण ताल के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। अर्बन लोकल बॉडीज विभाग ने इसके लिए 3.60 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की और पी. डब्ल्यू.डी. ने इसको बनाया तथा वर्ष 2017 में यह कमलीट हुआ है। उस समय इसमें द्यूबवैल नहीं लगा हुआ था वर्ष 2018 में इसमें द्यूबवैल लगाया गया है तथा परमीशन होने के बाद बिजली का कनेक्शन अभी नहीं हुआ है। जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है तो उसके बाद 12.2.2020 को इसके लिए कनेक्शन अलाई कर दिया गया है तथा बहुत जल्द इसका बिजली का कनेक्शन शुरू हो जायेगा। * * * * * बहुत जल्द बिजली का कनेक्शन जारी हो कर यह तरण ताल शुरू हो जायेगा।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

भी दीमक चाट चुकी है। इस प्रकार से यहाँ पर लाखों रुपये का ज़िम का सामान था लेकिन आज उसमें से कुछ भी नहीं बचा है। अगर मंत्री जी चाहें तो मैं उसके फोटों भी दे सकता हूँ। इसलिए उसकी मेंटीनेस भी बहुत जरूरी है। एक बात बहुत अच्छी हुई है और यह हमारा सौभाग्य है कि एक खिलाड़ी को प्रदेश का खेल मंत्री बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो चीजें पहले बनी हुई हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाये, पहले जो चीजें बनी हुई हैं उनका मेंटीनेस तो जरूर किया जाये। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि यह तरण ताल कब तक चालू कर दिया जायेगा?

04.03.2020

*****अभी तक वहाँ पर स्टेडियम बनाने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए सर्वे करवा लूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यही कहना चाहूंगा कि जहाँ-जहाँ खिलाड़ी

355. ताराकित प्रश्न संख्या 180 के सन्दर्भ में श्री सुभाष गांगोली द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : *****अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी से अनुरोध है कि आज बजट सेशन का लॉस्ट दिन है, इसलिए मेरे स्टेडियम (to construct sports stadium in village Hatt of Safidon Assembly Constituency) बनाने के प्रश्न का हां में जवाब दिया जाए।

जो-जो गेम खेलता है, उसके हिसाब से सर्वे करवा कर उसी जगह पर मैदान बनाए जाएंगे। विभाग स्टेडियम में पवेलियन बनाने पर होने वाले खर्च की बजाए वह राशि खिलाड़ियों की डाईट इत्यादि पर लगाना चाहते हैं ताकि खिलाड़ी खेल की फील्ड में आगे बढ़ सकें और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें।*****

04.03.2020

356. तारांकित प्रश्न संख्या 180 के सन्दर्भ में श्री प्रदीप चौधरी द्वारा पूछा गया अनुसूक्त प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे कालका विधान सभा क्षेत्र में मात्र 2-3 स्टेडियम हैं। मेरे हल्के का रैयतर क्षेत्र बहुत बड़े ब्लॉक की तरह है। वहां पर आसपास 40-50 गांव हैं। अगर वहां पर पंचायत जमीन दे दे तो क्या वहां पर स्टेडियम बना देंगे ? उस एरिया में स्टेडियम की बहुत बड़ी डिमांड है। क्या वहां पर स्टेडियम बनवा दिया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां पर जरूरत है और जहां पर अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं, वहां पर डेफिनेटली मैदान बनाएंगे और मैदान खिलाड़ियों के लिए ही होते हैं। जो स्टेडियम होते हैं वे दिखाने के लिए होते हैं। जहां पर इन्टरनेशनल सुविधाएं होती हैं, उसको स्टेडियम कहते हैं और जहां पर प्रैक्टिस होती है उसको मैदान कहते हैं। जहां पर खिलाड़ियों की जरूरत होगी, वहां पर प्रैक्टिस ग्राउंड जरूर बनवाएंगे। जहां पर जिस गेम के खिलाड़ी हैं, उनको वह सुविधा जरूर देंगे।

4.03.2020

357. तारांकित प्रश्न संख्या 367 के सन्दर्भ में श्री लक्ष्मण नापा द्वारा पूछा गया अनुसूक्त प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012 की

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के रतिया के जाखन ढाढी गांव में चार गेम्स खेली जाती है। सरकार इस एरिया के पॉपुलर गेम्स का

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एक मुख्यमंत्री घोषणा है कि रतिया में एक खेल स्टेडियम बनेगा जिसके संदर्भ में माननीय खेल मंत्री जी ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है। इस परिपेक्ष्य में मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि रतिया एक बहुत बड़ा शहर है और इसके 25 किलोमीटर के एरिया में कोई भी खेल स्टेडियम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, रतिया के गांव जाखान ढाढी की 6 एकड़ भूमि खेल विभाग को ट्रांसफर हो चुकी है और वर्तमान में भी इस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने 22.02.2020 तक इस सारी जमीन की निशानदेही वगैरह करवाकर सब कुछ क्लीयर कर दिया है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूँ कि यहां पर खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए।

ग्राउंड बनाकर अपना एक सर्वे कर रही है। निश्चित रूप से इनके एरिया के पंपुलर गेम्ज को बढ़ावा देने की दिशा में जिस तरह के भेदान की जरूरत होगी, सरकार उस तरह का भेदान बनाकर इनके एरिया में देने का काम करेगी।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

358. श्री निशान सिंह द्वारा पूछा गया तारकित प्रश्न संख्या 1037 :- "क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या टोहाना में एक न्यायिक संव्यूह निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?"

15-3-2002

जी हां।

टोहाना में उप-मण्डल स्तर के कम्प्लैक्स/न्यायिक संव्यूह के निर्माण हेतु 98 कनाल 17 मरले भूमि, भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप धारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा-4 के अधीन भूमि अभिग्रहण की अधिसूचना, दिनांक 1.10.2007, भूमि अभिग्रहण की धारा-6 की अधिसूचना, दिनांक 1.10.2008 तथा आदेश, दिनांक 26.2.2008 को राजस्व विभाग द्वारा जारी किये जा चुके हैं। माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गठित भवन कमेटी ने उपरोक्त वर्णित भूमि को निरीक्षण उपरान्त प्रस्तावित भवन के लिए उपयुक्त पाया है तथा भूमि का अनुमोदन कर दिया है। अब यह मामला दिनांक 21.4.2009 को भवन कमेटी के सम्मुख रखा जाना तय है, जिसमें प्रस्तावित भवन में स्कोप ऑफ वर्क पर विचार किया जाना है।

(10.4.09)

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(17-6-2009)

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

TOURISM DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

359. श्रीमती सीमा त्रिखा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 110 : क्या पर्यटन मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या ऐतिहासिक तथा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, बड़खल झील फरीदाबाद का पुनर्नवीकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो पूर्वोक्त प्रस्ताव के कब कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

12.3.2015

श्रीमान् जी, फरीदाबाद की बड़खल झील के पुर्नउद्धार की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रस्ताव है। ***

अध्यक्ष महोदय, मेरी विधायिका ने जो बड़खल झील में पानी की व्यवस्था करने की बात की है हम इस पर विचार कर रहे हैं। उनका आंकलन ठीक है कि पहले झील में पानी होता था परन्तु बरसातें कम हुई और जो राजस्थान से पानी आता था वह भी रुक गया। इस बड़खल झील में पानी भरा जाए यह भी हमारे अगले विस्तार के अन्दर एक बिन्दु है।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (13.1.2021)

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बड़खल झील परियोजना का विस्तार एक अनुमोदित परियोजना है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा भी बड़खल झील के विस्तार हेतु घोषणा संख्या 10196 की गई है जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फरीदाबाद द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। बड़खल झील कार्यालय परियोजना के प्रमुख घटकों की स्थिति निम्नानुसार है:-

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फरीदाबाद ने सूचित किया है कि बड़खल झील को भरने के लिए ड्रीटेड वेस्ट वाटर उपलब्ध कराने के लिए 4 कि०मी० लंबी पाइपलाइन के साथ 10एम०एल०डी० एस०टी०पी० की स्थापना से संबंधित 10 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। बाकी घटकों के

सम्बन्ध में यानी लोक फ़ंट डेवलपमेंट, सरफ़ेस पार्किंग, लोक बंध सहित (झील के तल) की मजबूती हेतु एक डी0पी0आर0 तैयार की जा रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फरीदाबाद द्वारा आवश्यक मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव संख्या FP/ HT/ Others/ 41689/ 2019 दिनांक 20.08.2019 को वन विभाग को प्रस्तुत किया गया था जो कि अभी वन विभाग की अनुमति के विचाराधीन है।

5.03.2018

360. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में

कुलक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए, स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कृष्णा सर्किट का विकास किया जा रहा है। हम इस परियोजना के तहत ब्रह्मसरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्निहित सरोवर तथा कुलक्षेत्र की शहरी अवसंरचना का विकास करेंगे।

473

The Committee would like to know the latest position in this regard. (13.1.2021)

1. ब्रह्म सरोवर:- मल्लीप्रप्ल पर्यटन सूचना केन्द्र, रेलिंग, गजीबो, पार्किंग, लाईटिंग, स्मूल पेंटिंग, डस्ट बिन, बेचिज, नया प्रसाधन खंड, फसाड, फर्श, स्त्री स्नान घाट, परिक्रमा पाथ आदि का कार्य दिनांक 14.12.2016 को शुरु हुआ था तथा दिनांक 15.07.2019 को पूर्ण हो चुका है। इस पर 2516.00 लाख रु0 की राशि खर्च की गई है।

मूजिकल फव्वारामय मल्लीमिडिया शो को कार्य 1600.00 लाख की लागत

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

से भारतीय पर्यटन विकास निगम, दिल्ली द्वारा एक डिपोजिट कार्य के रूप में किया जा रहा है जिसके लिए 320.00 लाख रु० की राशि जारी की जा चुकी है। भारतीय पर्यटन विकास निगम ने कार्यकारी एजेंसी को कार्य दिनांक 17.01.2020 को आबंटित कर दिया है, परन्तु एक निश्चित प्रकार के प्लेटफॉर्म में डिजाइन परिवर्तन के कारण आईटी0डी0सी0 के साथ मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है जैसा कि टैंडर में परिवर्तन आवश्यक होगा।

2. नरकातारी का विकास:- शोपिंग क्षेत्र, बहुददेशीय भवन, प्रशासन, चारदिवारी पैदल मार्ग, पार्किंग, विष्णु सहरानाम पर स्टोन रेलिंग इत्यादि का कार्य दिनांक 23.04.2018 को शुरू हुआ था तथा दिनांक 15.07.2019 को पूर्ण हो चुका है। इस पर 129.93 लाख रु० की राशि खर्च की गई है।

3. सन्नहित सरोवर का विकास:- स्नान घाट, आर सी सी रेलिंग लेक, गजीबो, बेंच, डस्टबिन, प्रशासन, चारदिवारी पैदल मार्ग, परिक्रमा पथ पर शेड इत्यादि का कार्य दिनांक 26.04.2017 को शुरू हुआ था तथा दिनांक 30.11.2019 को पूर्ण हो चुका है। इस पर 413.04 लाख रु0 की राशि खर्च की गई है।
4. सी सी टी वी की निविदा इस माह के अंत तक सुनिश्चित कर दी जाएगी।
5. शहर की आधारभूत संरचना का विकास:- इस कार्य की राशि उपयुक्त कुलक्षेत्र को स्थानांतरित कर दी गई थी तथा सार्वजनिक शौचालय, पर्यटन सूचना केंद्र, पैदल मार्ग, संकेतक, डस्टबिन, बाहरी लाइट व्यवस्था, पानी के कूलर का कार्य दिनांक 26.04.2017 को शुरू हुआ था तथा दिनांक 31.07.2020 को पूर्ण हो चुका है। इस पर 505.95 लाख रु0 की राशि खर्च की गई है।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

6. ज्योतिसर का विकास कार्य:-

इस विकास कार्य के लिए धनराशि कार्यकारी अभियंता हरियाणा लोक निर्माण विभाग (भवन व सड़कें) को स्थानांतरित कर दी गई थी व उनके द्वारा दिनांक 26.04.2017 को कार्य शुरु करते हुए 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 2507.88 लाख रु० की राशि खर्च की जा चुकी है। महाभारत से संबंधित घटनाओं के सृजन/प्रदर्शनी से संबंधित कार्य के लिए परामर्शदाता कम्पनी की नियुक्त की जा चुकी है व कार्य प्रगति पर है।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

**FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
DEPARTMENT**

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

361. धान खरीद घोटाले का मामला उठाने की चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया आश्वासन।

01-12-2015

***समूचे विपक्ष के माननीय साधियों की मांग को मानते हुए मिलर्ज के स्टॉक की फिजिकल वैरीफिकेशन करवाने का निर्णय लिया है। हमने समूचे विपक्ष की बात को मानते हुए ही यह निर्णय लिया है कि हम एफ.सी.आर. की देखरेख में मिलर्ज के स्टॉक की फिजिकल वैरीफिकेशन करवायेंगे। मिलर्ज के धान की स्टॉक की फिजिकल वैरीफिकेशन के दौरान जहां भी गड़गड़ मिलेगी उन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और किसी भी सूत्र में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा। मिलर्ज की धान के स्टॉक की फिजिकल वैरीफिकेशन के दौरान अगर हमारे सामने कोई ऐसे तथ्य भी आयेंगे जिनके अंदर बहुत बड़ी जानकारी छिपी होगी हम उसकी भी बड़ी से बड़ी जांच करवायेंगे।

हरियाणा विधान सभा के नवम्बर 2015 में शीतकालीन अधिवेशन में हरियाणा के मुख्य विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि पी.बी. 1509 किस्म की धान को सरकार द्वारा ग्रेड ए के रूप में खरीद करने से मिलर्ज को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है तथा इसमें लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का घपला हुआ है। इस संबंध में नवम्बर 2015 में हुये हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन में विपक्ष द्वारा लाये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुये यह कहा था कि वह खरीफ वर्ष 2015-16 में खरीद किये गये धान की विशेष भौतिक जांच करवायेंगे। सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार खरीद किये गये धान के स्टॉक की भौतिक जांच करवाने के निर्देश दिये गये। पहले स्तर में

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(27.7.2020)

माननीय कमेटी द्वारा दिए गए आदेशों की पालना में वरिष्ठ आई. ए.एस. अधिकारियों द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट्स हरियाणा विधान सभा सचिवालय को को दे दी गई है।

पी.बी 1509 धान के आंकड़ों की भौतिक जांच करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिये वरिष्ठ आई.एस. अधिकारियों की डियूटी भी लगाई गई। पी.बी 1509 धान की भौतिक जांच के लिये जिला उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटीयों का गठन किया गया। इन कमेटीयों द्वारा भौतिक जांच की रिपोर्ट भिजवाई गई। भौतिक जांच के उपरान्त सरकार के स्तर से इस धान को ई-टैन्डर के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिये विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी छपवाये गये। विभाग द्वारा टैन्डर आमंत्रित किये गये इसके अनुसार दिनांक 25.02.2016 सांय 5.00 बजे से 08.03.2016 सांय 5.00 बजे तक टैन्डर भरने का समय था तथा दिनांक 09.03.2016 को टैक्नीकल बिड व 10.03.2016 को फाइनैशियल बिड खोली जानी थी। दिनांक 09.03.2016 को जब टैक्नीकल बिड खोली गई तब तक किसी भी पार्टी द्वारा कोई टैन्डर नहीं भरा गया था।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अन्य खरीद संस्थाओं से भी इस बारे में बात की गई, उन द्वारा बताया गया कि उनके पास भी किसी भी पार्टी द्वारा कोई टैंडर नहीं भरा गया। पी.बी 1509 धान के निपटान के लिये क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सुझाव प्राप्त किये गये उन द्वारा इस धान का चावल स्वीकार करने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड पंचकुला से प्राप्त पी.बी 1509 धान की कीमतें दिनांक 01.02.2016 से 08.03.2016 के दौरान 1350/- रुपये से 1770/- रुपये प्रति क्विंटल के बीच रही हैं। यदि इस दौरान राज्य की सात मण्डियों में प्रचलित कीमतों का औसत मूल्य लिया जाये तो यह लगभग 1560/- रुपये प्रति क्विंटल आता है। सम्भवतः इसीलिये ई-टैंडर में भी किसी व्यापारी द्वारा कोई टैंडर नहीं दिया गया।

हरियाणा विधान सभा के बजट अधिवेशन में सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से आहवान किया गया कि यदि कोई भी इस धान के आरक्षित मूल्य 1614/- प्रतिक्विंटल के हिसाब से पी.बी 1509 धान का खरीददार हो तो सरकार धान देने को तैयार है। यदि किसी भी सदस्यों के पास 1614/- प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का आफर हो तो वह अपना नाम माननीय खाद्य मंत्री महोदय को एक-दो दिन में लिखवा दें, परन्तु दो दिन तक जब कोई खरीददार नहीं आया तब सरकार द्वारा इस धान का चावल लेने का निर्णय लिया गया। विधान सभा से अनुमोदित प्रस्ताव के दृष्टिगत इस धान का चावल भारतीय खाद्य निगम को प्रेषित करने के आदेश दिये गये। दिये गये आदेशों की अनुपालना में सभी सम्बन्धित को पत्र जारी कर दिया गया था। भारत सरकार को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया कि इस धान को केन्द्रीय पूल से बाहर करने की आवश्यकता नहीं है।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

PERSONNEL DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र.० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

362. श्री तेजेन्द्र पाल सिंह मान द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 516 : क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि क्या वर्ष 2001 से 2005 तक के दौरान हरियाणा सरकार के आई.ए.एस. तथा आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध कोई छापा मारा गया था; यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है तथा प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

20-9-2006

मैं केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हरियाणा सरकार के आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारियों के विरुद्ध मारे गए छापे से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या 516 तथा कार्मिक विभाग में 22.8.2006 को प्राप्त हुई उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित करना चाहूँगा तदनुसार कार्मिक विभाग ने कार्मिक विभाग तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उक्त तारांकित प्रश्न का उत्तर तैयार करने के लिये संबद्ध सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से संबद्ध सूचना का इंतजार है। कार्मिक विभाग संबंधित विभागों से संबद्ध सूचना एकत्र करने के प्रयास कर रहा है परन्तु ऐसा लगता है कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो से संबद्ध सूचना मिलने में कुछ समय लगेगा। अतः प्रश्न का उत्तर तैयार करने के

इस संदर्भ में व्यक्त किया जाता है कि वांछित सूचना हरियाणा सरकार कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 29/18/2006. 2 एस 1, दिनांक 15.12.2006 द्वारा विधान सभा, हरियाणा को भेजी जा चुकी है। हरियाणा सरकार के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 2001-2005 के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापे मारे गए थे उनका विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है:-

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(27-11-2017)

लिए 15 दिनों का समय बढ़ाने के लिये
आपसे अनुरोध किया जाता है।

क्रमांक	केस संख्या एवं तिथि	अधिकारी का नाम	छपा मारे जाने की तिथि	नवीनतम स्थिति
1	2	3	4	5
1.	आर.सी. 2(ए)/2003-ए.सी. यू.-II दिल्ली, दिनांक 26.3.03	श्री आनन्द मोहन शरण, भा.प्र.अ. भूतपूर्व आयुक्त लैण्ड डिपोजल) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	27.3.2003	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के मध्य नजर भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 107/4/2004-ए.वी.डी-1, दिनांक 11.03.2005 द्वारा श्री आनन्द मोहन शरण, आई. ए.एस. के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है।
				इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा अपने ज्ञापन क्रमांक 106/4/2005-ए.वी.डी-1, दिनांक 30.03.2005 द्वारा आल इण्डिया सर्विस (दण्ड एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ की गई। जिसकी विभागीय जांच श्री अशोक कुमार, आयुक्त, विभागीय जांच और जांच अधिकारी, केन्द्रीय विजिलेंस कमीशन भारत सरकार से करवाई गई। जांच रिपोर्ट दिनांक 13.05.2011 में चार्ज-1 को अशतः सिद्ध और चार्ज-11 को सिद्ध नहीं पाया गया। भारत सरकार द्वारा आदेश क्रमांक 106/4/2005-ए.वी.डी-1, दिनांक 23.12.2016 के

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

तहत निर्णय लिया है कि मामले की दोबारा से जांच अधिकारी द्वारा आगे जांच करवाई जाये और श्री अरुण कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है जिसकी प्रति संलग्न है। मामले में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाना है। इस के पश्चात भारत सरकार से इस बारे कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तिथि 31.08.2025 है।

16.4.2004 तथा
28.5.2004

श्री सन्दीप गर्ग,
भा.प्र.आ. भूतपूर्व रिजनाल
डायरेक्टर (नार्थ एंडलटशन सैल
भारत सरकार, पैट्रोलियम मंत्रालय,
नई दिल्ली

2. आर.सी.
3(ए)/2004-ए.सी.
यू-ix दिल्ली,
दिनांक 24.5.04

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के मध्य नजर भारत सरकार कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक 107/2/2006-ए.वी.डी-1, दिनांक 06.07.2006 द्वारा श्री सन्दीप गर्ग, आई. ए.एस. के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाने की अनुमति प्रदान की गई थी। भ्रष्टाचार रोकथाम नियम, 1988 की धारा 13 (2) साथ पढ़ा जाये 13 (1) (ई) के तहत श्री गर्ग विशेष न्यायधीश, (पी. सी. नियम 1988), सी.बी.आई. नई दिल्ली द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.04.2016 द्वारा श्री सन्दीप

गर्ग, आई.ए.एस. को चार वर्ष की कठोर कारावास साथ ही रुपये 25 लाख जुर्माना की सजा दी गई। सजा होने पर श्री सन्दीप गर्ग, आई.ए.एस. को दिनांक 23.04.2016 से निलंबित कर दिया गया। इस संदर्भ में जारी आदेश दिनांक 30.05.2016 की प्रति संलग्न है। अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1969 की धारा 7(2) के तहत सेवा से बर्खास्तगी और निष्कासन की सजा केवल केन्द्र सरकार ही दे सकती है। अतः दिनांक 07.12.2016 द्वारा भारत सरकार को उचित आगे कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा गया है जिसकी प्रति संलग्न है। अंतिम निर्णय भारत सरकार से इस बारे अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली ने अपने पत्र क्रमांक दिनांक 29.06.2017 द्वारा सूचित किया है कि माननीय विशेष अदालत (पी.सी. एक्ट), केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा श्री सन्दीप गर्ग, भा.प्र.अ. को दिनांक 01.06.2016 को बेल दी जा चुकी है। इस संदर्भ में जारी आदेश दिनांक 29.06.2017 की प्रति संलग्न है।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
CIVIL AVIATION DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

363. तारांकित प्रश्न संख्या 124 के संदर्भ में श्रीमती सुमिता सिंह, एम.एल.ए. द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न***
 ***अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी महोदय से पूछना चाहूंगी कि जो इन्होंने बात कही कि रन-वे को बड़ा किया जायेगा। मैं बताना चाहूंगी कि रन-वे को बड़ा करने के लिए साथ लगती जमीन को एक्वायर करना पड़ेगा। क्या इसके लिये अभी तक कोई कार्यवाही शुरू की गयी है?"

9-3-2010

अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही प्रारम्भ है।

इस मामले में सूचित किया जाता है कि तत्कालीन मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन के उपरान्त करनाल हवाई अड्डे पर बड़े जहाजों के लिये रन-वे का विस्तार करने का प्रस्ताव तत्कालीन कार्यकारी निदेशक, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन, सिविल एरोडोम, करनाल से दिनांक 1.3.2011 को प्राप्त किया गया था जिसके अनुसार इस कार्य हेतु लगभग 20 एकड़ भूमि अधिग्रहण करनी पड़ेगी तथा इस कार्य पर लगभग 7 से 10 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने की संभावना थी। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही हेतु दिनांक 11.3.2011 को उपायुक्त, करनाल से वांछित भूमि चिन्हित करके जिला नगर योजनाकार, उपनिदेशक कृषि व संबंधित तहसीलदार को अनापत्ति

The Committee would like to know the latest position in this regard.
 (11-5-2016)

प्रमाणपत्र जारी करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर निम्न कार्रवाई की :-

1. दिनांक 25.4.2011 को कार्यकारी निदेशक, हरियाणा इंस्टीच्यूट आफ सिविल ऐंविऐशन ने उपायुक्त, करनाल को वांछित जमाबंदी एवं अक्षश सिजरा के दस्तावेज प्रस्तुत किए।
2. दिनांक 27.5.2011 को उपनिदेशक, कृषि विभाग, करनाल ने उक्त संदर्भ में स्थिति बारे अवगत करवाया।
3. दिनांक 23.1.2012 को कार्यकारी निदेशक, हरियाणा इंस्टीच्यूट आफ सिविल ऐंविऐशन ने पुनः उपायुक्त, करनाल को उक्त जमीन अधिग्रहण करने हेतु अनुरोध किया।
4. दिनांक 30.1.2012 को इस कार्यालय द्वारा पुनः उपायुक्त,

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

करनाल को उक्त जमीन का अधिग्रहण करने हेतु अनुरोध किया गया।

इसी दौरान दिनांक 27.7.2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केन्द्रीय मंत्री, सिविल विमानन, भारत सरकार मध्य हुई बैठक में हिसार एवं करनाल हवाई पट्टियों के विकास हेतु यह निर्णय लिया गया कि इन्हें घरेलू हवाई अड्डे के तौर पर अपग्रेड किया जाए। तदोपरान्त भारतीय विमानपत्तन से पत्राचार चलता रहा लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा दिनांक 8.11.2014 को करनाल हवाई अड्डे का विकास करने की घोषणा कर दी गई। इस पर कार्यवाही करने के लिए कार्यकारी निदेशक, हरियाणा इंस्टीच्यूट आफ

सिविल ऐविएशन से उनकी रिपोर्ट मांगी गई जो उन्होंने दिनांक 28.7.2015 को प्रस्तुत की जिसके अनुसार करनाल को घरेलू हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 22 एकड़ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। यह हल्के वजन के परिवहन विमान जैसे कि एटीआर 42, क्यू 400 तथा लघु व्यवसायिक जेट विमान उतारने में सहायक होगी। विमानों को खड़ा करने के लिए एक अतिरिक्त हैंगर का निर्माण किया जाएगा। प्रथम चरण में रनवे का विस्तार 3000 फुट से 4500 फुट किया जायेगा। हैंगर के निर्माण तथा रनवे की री-कारपेटिंग के लिए 12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट मांगा गया था। योजना विभाग ने सुझाव दिया था कि अतिरिक्त बजट की मांग आगामी वित्त वर्ष 2016-17 में की जाये। यद्यपि योजना विभाग द्वारा हिसार के अतिरिक्त सभी हवाई अड्डों/हवाई पट्टियों के विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष 2016-17

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

में 20 करोड़ रुपये का बजट अलाट किया गया है।

करनाल हवाई अड्डे पर अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण करने की संभावनाओं के बारे में निरीक्षण करने के लिए कार्यालय द्वारा उपायुक्त, करनाल को अनुरोध किया गया है। दिनांक 12.4.2016 एवं 27.4.2016 को निर्धारित बैठकों में प्रधान सचिव, सिविल विमानन विभाग द्वारा डिप्टी चीफ फ्लाईंग इंस्ट्रक्टर-कम-ऑफिसर-इं चार्ज, हरियाणा सिविल विमानन संस्थान, करनाल को उपायुक्त, करनाल के साथ तालमेल रखने के लिए हिदायतें दी तथा माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा को कार्यन्वित करने के बारे में उपायुक्त, करनाल की स्पष्ट सिफारिश प्राप्त करें।

उपरोक्त तथ्यों के मध्यमजर यह

अंकिता किया जाता है कि करनाल हवाई अड्डे को विकसित करने बारे विभाग द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है। अतः इस मामले को ड्रॉप कर दिया जाये।

(11-5-2016)

16.3.2015

364. राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान

*** अध्यक्ष महोदय, हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हिसार को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित करेंगे। एक काउंटर बिजनेस सिटी इसको हम बनाएंगे ताकि जिस लोकेशनल और जिन चीजों के बारे में बताया जा रहा है उसका लोकेशनल एडवेंटर्ज दूसरे स्थानों पर भी हो सकता है। इसलिए हम इसको करेंगे।

दिनांक 29.12.2014 को माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा हिसार हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई है। हरियाणा सरकार के पास हिसार हवाई अड्डे पर 196 एकड़ भूमि मौजूद है तथा हिसार हवाई अड्डे के साथ अतिरिक्त 3200 एकड़ भूमि की पहचान की गई है जिसका इस्तेमाल असानी से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिये किया जा सकता है।

हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में हिसार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिये दिनांक 4.3.2016 को M/s Frost & Sullivan India Private Limited, Chennai को सलाहकार नियुक्त

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

किया है। सलाहाकार का प्राथमिक कार्य Inception Report, Feasibility Study, Bidding documents etc. सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत तकनीकी योग्यता/मानक तैयार करना होगा।

विधि विभाग हरियाणा से अनुबंध बेट करवा कर दिनांक 04.03.2016 को सिविल विमानन विभाग, हरियाणा तथा M/s Frost & Sullivan India Private Limited, Chennai के मध्य एक एग्रीमेंट कर लिया गया है। M/s Frost & Sullivan India Private Limited, Chennai द्वारा अन्तिम Inception Report दिनांक 8.4.2016 को प्रस्तुत की गई है।

इसके अतिरिक्त राज्य में वर्ष 2016-17 स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान हरियाणा सरकार ने पहले चरण में मौजूदा हवाई पट्टी का विस्तार 4000 फुट से 7000 फुट करने तथा टर्मिनल भवन को 50 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण

की योजना बनाई है। इस सम्बन्ध में प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सिविल विमानन विभाग द्वारा दिनांक 12.4.2016 एवं 27.4.2016 को लोक निर्माण विभाग एवं सिविल विमानन विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ मिटिंग कर विस्तृत चर्चा की गई। लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कें शाखा के अधिकारियों को इन कार्यों को शीघ्रता से निपटाने के लिए हिदायतें दी गई। हिसार हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित करने के लिए सिविल विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से साईट क्लीयरेंस (Site Clearance) लेने के लिए कार्यालय द्वारा एक पत्र क्रमांक एविएसन-जी-2016/393, दिनांक 29.04.2016 लिखा गया है।

चूंकि इस सन्दर्भ में विभाग द्वारा वांछित कार्रवाई अमल में लाई जा रही है तथा पूरी व्यवस्था स्थापित करने में समय लगेगा। अतः इस मामले को ड्रॉप (drop) कर दिया जाये।

(11-5-16)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

5.03.2018

365. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के
संदर्भ में

मेरी सरकार ने तीन घरणों में हिसार हवाई
अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब के रूप में
विकसित करने के लिए एक कार्य योजना को
अंतिम रूप दिया है। आगामी आठ माह में
मौजूदा हवाई क्षेत्र को रीजनल कनेक्टिविटी
स्क्रीम एयरपोर्ट में उन्नत किया जाएगा।
दूसरे घरण में, रखरखाव, मरम्मत और
ओवरहॉलिंग (एमआरओ), पाकिंग और
राब-बेसिंग कार्यों के लिए रनवे को 4000
फुट से बढ़ाकर 9,000 फुट किया जाएगा।
अंत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत अंतर्राष्ट्रीय
विमानन हब के विकास के लिए निविदाएं
आमंत्रित की जाएंगी।

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

SAINIK AND ARDH SAINIK DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

25.02.2020

366. श्री चिरंजीव राव, द्वारा पूछा गया तारांकित
 प्रश्न संख्या 26 : क्या शिक्षा मंत्री कृपया
 बताएंगे कि क्या सैनिक विद्यालय को
 रेवाड़ी से गांव गोधरा, जिला रेवाड़ी में
 इसकी नव निर्मित ईमारत में स्थानांतरित
 करने का कोई प्रस्ताव सरकार के
 विचाराधीन है; यदि हां, तो इसको कब
 तक स्थानांतरित किए जाने की संभावना
 है ?

हाँ, श्रीमान जी। सैनिक स्कूल को रेवाड़ी से
 स्थायी स्थान गोठड़ा टप्पा खोरी में स्थानांतरण
 होने में लगभग 36 महीने का समय लगने की
 संभावना है।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
HORTICULTURE DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आशवासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

367. अतारांकित प्रश्न संख्या 581 के सन्दर्भ में श्री परमेन्द्र सिंह दुल द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कृपया बताएंगे कि:-
- (क) राज्य में फलों एवं सब्जियों के लिए 140 इन्टीग्रेटेड पैक हाऊस स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है
- (ख) यदि हां, तो इन्टीग्रेटेड पैक हाऊस कहाँ स्थापित किए जाने प्रस्तावित है तथा उक्त पैक हाऊस कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

8.03.2018

(क) हाँ, श्रीमान जी

(ख) हरियाणा सरकार द्वारा बागवानी के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य के सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर किसान उत्पादक संघों (FPOs) द्वारा सब्जियों और फलों के लिए 140 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए जाएंगे तथा सरकार परियोजना अधारित क्रेडिट लीन्कड अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। "परियोजना अवधि 2017-18 से 2019-2020 (3वर्ष) है तथा पहले वर्ष में 30, दूसरे वर्ष में 51 तथा तीसरे वर्ष में 59 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किए जाने प्रस्तावित है।***

03.07.2020

अब तक कुल 68 प्रोजेक्टों के आशय पत्र (Letter of Intent) जारी किए जा चुके, जिनमें से 3 प्रोजेक्ट स्थापित हो चुके हैं किसानों द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। 7 प्रोजेक्टों पर कार्य चल रहा है। आशा है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 50 प्रोजेक्ट स्थापित हो जायेंगे।

विशिष्ट सेब मंडी पिंजौर:-वर्तमान में सेब मंडी सैक्टर-20, पंचकूला में 3, 3 एकड़ क्षेत्र में चल रही है। पिछले तीन सालों के दौरान सेब की आक को देखते हुए वर्तमान स्थान अपर्याप्त होने के कारण हरियाणा सरकार द्वारा एच.एम.टी. पिंजौर में अत्याधुनिक नई सेब, फल व सब्जी मंडी स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दी गई। माननीय मुख्यमंत्री दिनांक 07.09.2018 को एच.एस.आई.डी.सी. से 78.33 एकड़ भूमि को

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(6-7-2020)

62.54 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर पर 8040000 मण्डल को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस कार्य की महत्वता को देखते हुए मैसर्स एर्नस्ट एंड यंग एएलपी को इस सेब मंडी की योजना बनाने हेतु 30.08.2019 को सलाहकार नियुक्त किया गया। सलाहकार द्वारा एक प्रारंभिक रिपोर्ट 19.10.2019 को प्रस्तुत की गई। इस बारे में सभी हिस्सेदारों के विचार जानने हेतु एक दिन की स्टैकहोल्डर बैठक 19.11.2019 को होटल हैयात रिजेंसी, चण्डीगढ़ में आयोजित की गई। तदोपरान्त सभी हिस्सेदारों के विचारों को ध्यान में रखते हुए सलाहकार द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को सरकार द्वारा 21.03.2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इस मार्किट को ईपीओसीओ मोड़ पर विकसित करने हेतु डीपीओआर बन गई है तथा इस कार्य के लिए निविदाएं 15 जुलाई 2020 तक आमंत्रित किये जाने की संभावना है।

फूल मंडी, गुरुग्राम:—राज्य सरकार द्वारा फूलों की खेती में सार्वजनिक निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पहली फूल मंडी गुरुग्राम में विकसित करने की योजना बनाई है। इस मंडी द्वारा उन किसानों को जिन्होंने पारंपरिक फूलों के उत्पादन में विविधता को अपनाया है उनको लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्ति हेतु निविदाएं प्राप्त कर ली गई हैं तथा सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दी गई है। सैक्टर 52-ए गुरुग्राम में जी०एम०डी०ए० की 8.26 एकड़ भूमि ह०रा०कृ०वि० बोर्ड को पट्टे पर देने हेतु प्रक्रिया जारी है।

मसाला मंडी, सेरसा, सोनीपत:-
सेरसा (सोनीपत) में 16 एकड़ 18 मरले ग्राम पंचायत भूमि बनाने हेतु हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा खरीद ली गई है। माननीय कृषि मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में इस मंडी में दी जाने वाली सुविधाओं बारे 29.12.2019 को आढ़तियों के साथ बैठक हुई। आढ़तियों द्वारा इस मण्डी को 40 से 50 एकड़ भूमि पर बनाने की मांग की गई।

5.11.2019

***मेरी सरकार विशिष्ट मंडियां जैसे कि विजौर में आधुनिक सेव मंडी, गुरुग्राम में फूलों की मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी भी स्थापित करेंगी।

14.03.2018

अध्यक्ष महोदय, बहन प्रेम लता जी ने शहीद कैप्टन पवन खटकड़ के नाम पर किसी संस्था का नाम रखने का सवाल उठाया है। इस बारे में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि कैप्टन पवन खटकड़ के नाम से सरकार होर्टीकल्चर का बहुत बड़ा रीजनल सेंटर बनाने जा रही है जिसका कार्य बहुत जल्द शुरू हो जायेगा।

368. राज्यपाल के अभिभाषण के संदर्भ में।

369. ताराकित प्रश्न संख्या 2632 के संदर्भ में श्रीमती प्रेम लता द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, हमारे जींद जिले के कैप्टन पवन खटकड़ जी तीन साल पहले देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गये थे। वे अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे। उस समय जाट आरक्षण का मुद्दा चल रहा था जिसके कारण मुख्यमंत्री जी ने हमें हैलीकोप्टर प्रोवाइड करवाया था ताकि हम शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल हो सकें। कैप्टन अभिमन्यु जी, सुभाष बराला जी और मैं वहां पर गये थे और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि उस शहीद के नाम से कोई न कोई संस्था बनाई जायेगी जिसके लिए 50 करोड़ रुपये भी एनाउंस किए गए थे। तीन साल का समय हो गया उस शहीद के नाम से जो संस्था बनाई जानी है उस पर कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

FISHERIES DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

20.02.2019

370. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के
संदर्भ में।

XX मेरी सरकार ने खारे पानी में बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन के लिए जल क्षेत्र में वृद्धि करने की योजना बनाई है। मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करने के लिए आगामी वर्ष के दौरान जिला झण्डर, जींद और चरखी-दादरी के जल भराव क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। मोती की खेती की दो इकाइयां स्थापित की जाएंगी और हरियाणा के 15 सरकारी मत्स्य बीज फार्मों पर 935.00 लाख फिश फिंगरलिंग्स का उत्पादन किया जाएगा। XX

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

JAIL AND JUDICIAL

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

17-03-2015

371. तारांकित प्रश्न संख्या 543 के संदर्भ में श्री महीपाल ढंडा द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी मानते हैं कि इसमें (गुड़गाँव में निचली अदालत में मारुति आगजनी तथा दंगा मामले में लड़ने के लिए वकीलों की नियुक्तियों के संबंध में) कुछ धांधली हुई है और अगर धांधली हुई है तो इस पर क्या सरकार एक्शन लेगी क्योंकि इस पर जनता की खून-पसीने की कमाई के करोड़ों रुपये का नुकसान पिछली सरकार के कारण हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विन्ता व्यक्त की है कि इस पूरे मामले में कोई धांधली या गड़बड़-घोटाला तो नहीं हुआ है। इस बारे में मेरा कहना है कि इस केस की पूरी जानकारी प्राप्त होने के बाद ही सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है कि इसमें कोई अनियमितता हुई है, इसमें कोई कानूनी गड़बड़ हुई है या किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए कानून-कायदे ताक पर रखे गये हैं, अगर ऐसी अनियमितताएं सरकार के ध्यान में आती हैं तो सरकार माननीय सदस्य की भावनाओं का निश्चित तौर पर सम्मान करेगी और सरकार का यह प्रयास होगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

18.3.2015

372. तारांकित प्रश्न संख्या 543 के संदर्भ में श्रीमती किरण चौधरी द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

आदणीय कांग्रेस लैजिस्लेटिव पार्टी की अध्यक्ष हमारे सदन की वरिष्ठ नेता ने अपनी पार्टी के उन वकील साथियों की फीस के बारे में सवाल

माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या यह सत्य है कि जितने भी ये सीनियर एडवोकेट हैं, ये अपने-अपने हिसाब से अपनी फीस लेते हैं। दूसरी बात क्या यह सत्य है कि जब कोई जरूरी मीटर होते हैं तब यह आम तरीका है कि सीनियर एडवोकेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ईवन लोवर कोर्ट में जाया जाता है। इस बात को जानते हो। मैं एक एडवोकेट हूँ मैं खुद इस बात को जानती हूँ कि यह तो होता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि इस बारे में हमें जानकारी दें।

पूछा है। क्या वह सामान्यतः इतनी ऊँची फीस लेते हैं ? निश्चित तौर पर लेते होंगे। उनकी फीस की जानकारी सदन में नहीं है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह सरकार तय करती है कि किस वकील को रखना है और किस मामले में कितनी फीस देनी है। मैं तो उनके जवाब में इतना ही कहूँगा कि माननीय सदस्या ने जो चिन्ता व्यक्त की है और जो विषय उठाया है कि क्या देश के सुप्रीम कोर्ट में या निचली अदालतों में क्या कोई वकील पार्टी से बाहर के थे और उनकी फीस क्या थी ? क्या और कोई विकल्प थे ? उन वकीलों को जो इतनी ऊँची फीस दी गई यह विषय बार-बार निकल कर आ रहा है। यह अनुसंधान का विषय है। जांच करने पर कोई बात निकलेगी या कोई या कोई बेकायदगी सामने आएगी तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर अपनी कार्यवाही करेगी।

9-3-2010

373. महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जवाब।

हाई कोर्ट का हमने भी दावा किया है और आज के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया भी इन प्रिंसिपल एग्री करते हैं और यह मेरा भी वायदा है कि हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे और चण्डीगढ़ में अपना अलग से हाई कोर्ट बनवाकर ही रहेंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(14-01-2020)

हरियाणा प्राप्त के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाने की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव 4 मई, 2017 को हरियाणा विधान सभा द्वारा पारित किया जा चुका है तथा इस प्रस्ताव की प्रति कार्यालय के अर्ध सरकारी

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

पत्र 21/39/ 2005-2जेजै-11, दिनांक 07.03.2018 द्वारा Sh. Suresh Chandra, Secretary to Govt. of India, Law & Justice Department, New Delhi को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। अब मामले में आगामी कार्यवाही भारत सरकार के सतर पर की जानी है तथा भारत सरकार से जवाब आने पर मामले में हरियाणा सरकार द्वारा तदनुसार कार्यवाही कर ली जायेगी। कार्यालय दिनांक 13.01.2020 को स्मरण पत्र जारी कर दिया गया है।

05.11.2019

***महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मुकदमों के तीव्रता से निपटान के लिये चार डैडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट और 12 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की जाएंगी।

374. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के
संदर्भ में।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

375. वित्त मंत्री द्वारा दिये गये बजट भाषण के जवाब के सन्दर्भ में।

20.3.2015

xx अध्यक्ष महोदय, श्रीमती किरण चौधरी जी द्वारा उठाये गये राखी गद्दी के मामले को मैंने नोट कर लिया है तथा इस दिशा में हम भविष्य में अवश्य कार्य करेंगे।

22.02.2019

376. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान श्री मकखन लाल सिंगला द्वारा पूछा गया प्रश्न :- उपाध्यक्ष महोदय, सिरसा के थेड़ गांव के निवासियों को पुरातत्व विभाग ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में हटा दिया है। वे लोग वहां पर पिछले 70 साल से रह रहे थे। उनमें से कुछ परिवारों को रहने के लिए हाउसिंग बोर्ड के मकान दिये गये थे तथा बाकी लोगों को भी वहां से हटाने के नोटिस दिये जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को हाउसिंग बोर्ड के मकानों

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है मैं उसके बारे में बताया चाहता हूँ कि 1984 में थेड़ गांव में 82 एकड़ जमीन थी और वहां पर हजारों लोग रह रहे थे। उस जमीन में पुरातत्व काल के सिक्के, मूर्तियां, पत्थर और शिलालेख मिले हैं इसीलिए माननीय हाई कोर्ट के आदेशों से उस जमीन में पुरातत्व विभाग तथा उपायुक्त ने उन लोगों को सैक्टर 21 के हाउसिंग बोर्ड के मकानों में शिफ्ट करवा दिया है। वहां पर 1260 हाउसिंग बोर्ड के मकान थे जिनमें 649 परिवारों को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है।

इस बारे में 26.10.2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सैक्रेटरी, पुरातत्व विभाग, उपायुक्त और हाउसिंग बोर्ड की आपस में तीन मीटिंग हो चुकी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी उनका समाधान कर दिया जायेगा।

में ठहराया गया है उनको अभी तक उन मकानों का मालिकाना हक नहीं दिया गया है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि पहले उन लोगों को मकान बना कर दिये जायें तथा उनके नाम रजिस्ट्री करवा दी जाये ताकि वे सही ढंग से रह सकें क्योंकि ये परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा मेहनत मजदूरी करके अपना तथा अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
**INFORMATION, PUBLIC RELATIONS &
LANGUAGES DEPARTMENT**

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

377. नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन।

04.11.2016

***उसमें चाहे वह गीता स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम हों, चाहे अब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती का कार्यक्रम आएगा, इस तरह से गांव-गांव में स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम होंगे। हरियाणा की अपनी फिल्म कला भी है। हरियाणवी फिल्मों को कैसे अधिक से अधिक बढ़ावा हो उसके लिए भी एक फिल्म पॉलिसी बहुत जल्दी 31 दिसम्बर से पहले-पहले ही आ जाएगी।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
**SKILL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL TRAINING
DEPARTMENT**

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

378. तारांकित प्रश्न संख्या- 2468 के संदर्भ में श्री पिरथी सिंह द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न:-***अध्यक्ष महोदय, साईं नौ एकड़ भूमि में नरवाना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण वर्ष 1962-63 में हुआ था। वहां की मांग के अनुरूप परिसर में पार्क बनाना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि वहां पर सड़कें तो बननी शुरू हो गई है लेकिन उन पर काफी धीमी गति से काम चल रहा है।*** अध्यक्ष महोदय, एक तो वहां पर लाईट का प्रबंध किया जाये दूसरा पोलिटैक्निक कॉलेज और आई.टी.आई. के बीच दीवार बनाई जाये। इस संस्थान में स्टाफ की भी कमी है, उसे भी पूरा किया जाये।
- अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने सड़कों के बारे में सदन में कहा है। पिछले सत्र में भी माननीय विधायक जी ने इस संबंध में प्रश्न पूछा था मैं उनको बताना चाहूंगा कि 35 लाख 63 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी थी और उसका टेंडर अलॉट होकर काम भी शुरू हो चुका है, जो 31-मार्च, 2018 तक सारी सड़कों का निर्माण पूरा हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी यदि नरवाना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ग्राउण्ड में कुछ इम्प्रूवमेंट करने की बात कहे या खेलने के लिए और कोई व्यवस्था करनी है तो उसके लिए सरकार तैयार है।*** अध्यक्ष महोदय, जहां तक आई.टी.आई. में दीवार की बात है, उसकी भी 17 लाख 22 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति हो चुकी है। अगले 2-3 महीने में दीवार बनकर तैयार हो जायेगी जहां तक लाइटों की बात है वह भी लगा दी जायेगी।

25.10.2017

379. श्री पिस्वी सिंह द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 2109 : क्या औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री कृपया बताएंगे कि :-
 (क) क्या यह तथ्य है कि नरवाना शहर में आई.टी.आई. परिसर में सड़कें बहुत खराब अवस्था में हैं; तथा
 (ख) यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों का पुनः निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उक्त सड़कों के कब तक पुनः निर्मित किए जाने की सम्भावना है?

(क) हां श्रीमान,
 (ख) दिनांक 13.10.2017 को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नरवाना के आंतरिक सड़कों की मुरम्मत के लिए 35.63 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति को जारी की जा चुकी है। यह कार्य लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा कार्य प्रारंभ होने की वास्तविक तिथि से चार महीने के अन्दर पूर्ण कर दिया जाएगा।

28.02.2020

380. वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के संदर्भ में।

82. सत्र 2019-20 से 4 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 4 नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किए गए हैं। साथ ही 22 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी सत्र में सिकरोना, इन्द्री और जीवन नगर में तीन नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे।

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

84. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से निकलने वाले प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण देने तथा उद्योगों से अग्रानुबंधन के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यक्रम में पूर्णतः बदलाव किया गया है। वर्ष 2020-21 में सौर ऊर्जा बैकअप, प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली, नवीनतम उपकरण, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अमला, इंटरनेट कनेक्शन और सभी सुविधाओं से युक्त 24 नए आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाएंगे।
89. वर्ष 2020-21 में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा उद्योग/भागीदार/विदेशी अभिकरण के सहयोग से राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पन्नीवाला मोटा, सिरसा में एक अति आधुनिक आदर्श कौशल केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

91. सरकार द्वारा संचालित सभी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प दिया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के हर स्नातक को संस्थान छोड़ने से पहले निःशुल्क पासपोर्ट प्रदान किया जाए।

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

381. तारांकित प्रश्न संख्या 2701 के संदर्भ में श्री नगेन्द्र भडाना द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बताएंगे कि जिला फरीदाबाद में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये गए?

10.09.2018

II फरीदाबाद जिले में सभी बड़े तथा माध्यम जल प्रदूषण उद्योगों को प्रदूषण स्तर की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा उसका पता लगाने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए निदेशित किया गया है।

III फरीदाबाद जिले में स्थापित सभी उत्सर्जक उद्योगों को सीपीसीबी के निदेशों के अनुसार ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए निदेशित किया गया है।

5 प्रस्तावित कार्यवाही

I फरीदाबाद जिले में परिवेशी वायु गुण की मॉनिटरिंग के लिए चार और सतत परिवेशी वायु गुण मॉनिटरिंग स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) लगाने की प्रक्रिया जारी है।

II फरीदाबाद जिले में घरेलू बहिःस्राव के उपचार के लिए एचएसवीपी/गुलबी

द्वारा 140 एमएलडी की क्षमता के चार मलजल उपचार संयंत्र प्रस्ताव के अधीन हैं।

11.09.2018

382. तारांकित प्रश्न संख्या 2768 के संदर्भ में डॉ. अमर सिंह यादव द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न :- XXX अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातों की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले 3-4 साल से मेरे निर्वाचन क्षेत्र नांगल चौधरी में माइनिंग बढ़ी है। ऑक्साइड से माइनिंग चल रही है, लीज भी वहाँ रिन्यू हुई है और उसके साथ-साथ क्रैशरों की संख्या भी रोजाना बढ़ रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा जो विशेष एतराज है वह इस बात को लेकर है कि सरकार ने इसके लिए कोई ऐसी योजना बनाकर एक जोन निर्धारित क्यों नहीं किया है? अब तो यह हो रहा है कि खेत-खेत में क्रैशर लग रहे हैं और गांव के नजदीक ही क्रैशर लगे हुए हैं। सर, पता नहीं माननीय मंत्री जी ने ऐसा क्यों कहा कि सभी क्रैशर नॉर्मन के मुताबिक ही लगे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है वह जायज है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि मैं उस जिले का कष्ट निवारण समिति का चेयरमैन भी हूँ इसलिए हर महीने मीटिंग के लिए वहाँ जाता भी रहा हूँ। लेकिन मुझे आज तक इस संबंध में कोई भी इस प्रकार की शिकायत नहीं मिली है। माननीय सदस्य के मुताबिक थर्ड पार्टी से निरीक्षण भी करा लिया जायेगा। माननीय सदस्य ने एक बात और कही थी कि हर रोज वहाँ पर नये-नये क्रैशर लग रहे हैं, इसके जवाब में मैं बताना चाहता हूँ कि 54 एन.ओ.सीज. हमने इशू की हैं और 17 क्रैशर स्थापित हुए हैं। जिन लोगों ने एन.ओ.सी. ली है, वे रैगुलर काम कर रहे हैं। जो नये क्रैशर लग रहे हैं वे पैरामीटर के हिसाब से ही लग रहे हैं। जो 48 पुराने क्रैशर थे, उनमें से 4 क्रैशर के नॉर्मज पूरे नहीं थे, इसलिए शिफ्टिंग का तीन साल का टाईम पीरियड दिया हुआ था, उसमें से एक साल अभी भी बचा हुआ है। जैसे ही

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी अनुरोध है कि एक बार थर्ड पार्टी से निरीक्षण करावा लीजिए। दूसरी माननीय मंत्री जी ने पी.एम.10 की बात कही है कि यह नॉर्म्ज के मुताबिक है। सर, इसकी टाइमिंग में जरूर बताऊंगा यदि माननीय मंत्री जी मुझे साथ में लेकर सर्वे करेंगे। माननीय मंत्री जी थर्ड पार्टी से निरीक्षण करावा लें, यदि ये दोनों बातें सत्य मिली तो मैं भविष्य में इस तरह के प्रश्न विधान सभा में नहीं लगाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के 3-4 गांव चौलेडा, मेघोत, बिगोपुर, इस्लामपुरा और खातोली ऐसे हैं जहां पर रैडम मेडिकल चैकअप करावाओगे तो आधे से ज्यादा लोग लॉन्स की बीमारी से प्रभावित मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, क्रैशर के नॉर्म्ज के मुताबिक धूल से बचने के लिए किसी ने भी दीवार ऊँची नहीं बना रखी है।

टाइम पीरियड पूरा होगा, वैसे ही वहां से शिफ्ट कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, एम.पी. 10 का सैम्पल चैक करने के लिए मेरे विभाग के अधिकारी जब भी माननीय सदस्य कहेंगे उससे तालमेल कर लेंगे।

बल्कि खुले में ही क्रशर चल रहे हैं और न ही कोई पानी चलाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो एन.ओ.सी. देता है, उसके पैरामीटर का भी पता नहीं कि किस आधार पर एन.ओ.सी. देता है। अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर देखेंगे तो वहां पर स्थिति भयावह है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी व्यक्तिगत रूप से वहां पर जरूर देखें और किसी थर्ड पार्टी से इन दोनों बातों की जरूर वैरीफिकेशन करवा लें। इस बात से मैं सहमत हूँ।



OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Note :—In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

14.03.2018

383. अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गई ऑब्जर्वेशन।

XX अगर किसी अधिकारी/कर्मचारी ने गले से ढोल निकालने का काम किया है तो वह अलग बात है लेकिन माननीय सदस्य के साथ कोई दुर्व्यवहार किया होगा तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने इस मामले की जांच के आदेश दे दिये हैं। मैंने उसी टाइम डुल साहब को बता दिया था कि मामले की जांच होने के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। (शोर एवं व्यावधान)

15.03.2018

384. मुख्यमंत्री द्वारा दी गई सूचना।

यह सर्वमान्य बात है कि हरियाणा में स्पोर्ट्स पर्सन में जितना वातावरण बना है उसमें इस समय ग्रामीण क्षेत्र का नौजवान ही आगे बढ़ रहा है। ग्रुप डी में बाकी प्रतिशत्ता कुछ भी रखेंगे लेकिन उसमें रिजर्वेशन तो जरूर होगी।

हम ग्रुप डी में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग से 10 प्रतिशत की रिजर्वेशन रखेंगे। जिसका मैं आज सदन में आश्वासन देता हूँ।

10.09.2018

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि विवंगत मिड्डल साहब द्वारा डिमांड किए गए जींद जिले के बरसोला गांव के वंश लोचन तीर्थ का जीर्णोद्धार भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा।

10.09.2018

(क) हां, श्रीमान जी।
(ख) प्रस्ताव जल्द ही अधिसूचित होने की संभावना है।

385. श्री हरिचन्द मिड्डल द्वारा दिये गये तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के संदर्भ में।

386. अतारांकित प्रश्न संख्या 714 के संदर्भ में श्री करण सिंह दलाल द्वारा पूछा गया अनुरोध प्रश्न क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या राज्य में मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित को रोजगार देने के लिए अनुकम्पा नीति को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त नीति को कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

28.12.2018

387. ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 16 (राज्य के विभिन्न जिलों में बीमारी वर्ष के कारण कृषि भूमि में सेम की समस्या से संबंधित) के संबंध में कृषि मंत्री द्वारा दिया गया आश्वासन।
- XX अध्यक्ष महोदय, पशुओं के संबंध में मुआवजे के लिए जो सवाल माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया था, वह वास्तव में सही है और मुआवजा मिलना चाहिए था। मुआवजों का प्रावधान बजट के किसी भी फंड में न होने की वजह से जरूर इस काम में देरी हुई है, इसलिए सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष में से पशुओं के लिए मुआवजा तुरंत ही देने जा रही है। XX

05.11.2019

388. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।
- ***मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों के विभिन्न बैकलॉग को भरने का अभियान चलाएगी।

28.02.2020

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तथा सरकारी कर्मचारियों के अनुभव से फायदा उठाने के लिए, जो सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के उपरांत नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय प्रारंभ करना चाहेंगे, सरकार उनके बैंकों के द्वारा ऋण लेने पर गारंटी देगी।

389. वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के संदर्भ में। 292.

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
WOMEN & CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

5.03.2018

390. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।

मुझे यह घोषणा करते हुए भी अति प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में अंबाला जिले के बराड़ा और नारायणगढ़ खण्डों में खाद्यान्नों में पोषकता बढ़ाने (फूड फोर्टिफिकेशन) के कार्यक्रम को पायलट आधार पर शुरू किया गया है, जिसे शीघ्र ही समस्त राज्य में लागू किया जाएगा। यह राज्य में महिलाओं में कुपोषण और रक्ताल्पता की समस्या पर, काबू पाने में सहायक सिद्ध होगा।

6.03.2018

391. हाउस में विपक्ष द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स/सहायकों की मांगों/आंदोलन का मामला उठाने के सन्दर्भ में।

xxअध्यक्ष महोदय, जिन आंगनवाड़ी वर्कर्स को 10 वर्ष से ज्यादा काम करते हुये हो गये हैं उनको कुशल श्रमिका का दर्जा दिया जायेगा और उनको एक कुशल श्रमिक के समान वेतन दिया जाएगा और अब उनका वेतन 11,429/- रुपये मासिक हो जायेगा। इसके साथ जिन आंगनवाड़ी वर्कर्स का 10 वर्ष से कम का अनुभव हुआ है उन्हें अर्धकुशल

श्रमिक की श्रेणी में रखा गया है और उनका वेतन 10286/- रुपये मासिक देने की सहमति दी गई है। इसी के साथ जो आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं उनको 5715/- रुपये मासिक वेतन देने की सहमति दी गई है। मिनी आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को भी हमने अर्धकुशल श्रमिक का दर्जा दिया है और उनको पहले 4000/- रुपये मासिक वेतन दिया जाता था। अब उन्हें अर्धकुशल श्रमिक के बराबर 10,286/- रुपये मासिक वेतन दिया जायेगा।xx

OUTSTANDING ASSURANCES

Relating to the

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

392. ताराकित प्रश्न संख्या 2396 के सन्दर्भ में श्रीमती प्रेम लता द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:-

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए रूफ टॉप सौलर पैनलों के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पन्न करने का कोई लक्ष्य रखा है;

(ख) रूफ टॉप सौलर पैनलों के माध्यम से आज तक कुल कितनी बिजली उत्पन्न की गई;

(ग) क्या निर्धारित किए गये लक्ष्य प्राप्त किए गये हैं; तथा

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अंतर को समाप्त करने के लिए क्या पग उठाए गए ?

9.03.2018

**** v. सरकार द्वारा 278 गौशालाओं में 1.6 मैगावाट कुल क्षमता के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना है।

vi. 17 जेलों में रिन्डूअबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (रिस्को) पद्धति के अन्तर्गत 25 वर्षों के लिए 3.32 रुपये प्रति यूनिट की खरीद दर पर 4 मैगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। यह संयंत्र निजी कम्पनी द्वारा अपने खर्च पर लगाए जाएंगे तथा उपरोक्त खरीद दर पर 25 वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति करेंगे।****

01.11.2020

(V) सरकार द्वारा 330 गौशालाओं में 2.0 मैगावाट कुल क्षमता के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जा चुके हैं।

(VI) वर्ष 2018-19 में जेल मुख्यालय व 17 जेलों में रिन्डूअबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (रिस्को) पद्धति के अंतर्गत 25 वर्षों के लिए 3.32 रुपये प्रति यूनिट की खरीद दर पर 4.5 मैगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जा चुके हैं। यह संयंत्र निजी कम्पनी द्वारा अपने खर्च पर लगाये गये हैं तथा उपरोक्त खरीद दर पर 25 वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति करेंगे।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (25.11.2020)

393. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में

5.03.2018

मेरी सरकार ने प्रदेश की 278 गौशालाओं में 1.6 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि उनके बिजली के बिल को कम किया जा सके। मेरी सरकार ने जेलों, स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रूफ टॉप सोलर प्लांट स्थापित करने की भी योजना बनाई है। 'मनोहर ज्योति' योजना के तहत 230.00 करोड़ रुपये की कुल लागत से 3 एलईडी प्रकाश प्रणालियों, एक डीसी संचालित सीलिंग फैन और एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट सिस्टम को बिजली प्रदान करने वाली एक लाख सौर आधारित गृह प्रणालियां उपलब्ध करवाई जाएंगी।

01.11.2020

मेरी सरकार ने प्रदेश की 300 गौशालाओं में 2.0 मेगावाट क्षमता के ऊर्जा संयंत्र लगाये जा चुके हैं। 17 जेलों में रिचूअबल एनर्जी सर्विस कम्पनी (रेस्को) पद्धति के अंतर्गत 25 वर्षों के लिए 3.32 रुपये प्रति यूनिट की खरीद दर पर 4.5 मेगावाट क्षमता के रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाये जा चुके हैं। यह संयंत्र निजी कम्पनी द्वारा अपने खर्च पर लगाये गये हैं। तथा उपरोक्त खरीद दर पर 25 वर्षों के लिए बिजली आपूर्ति करेंगे। सरकार द्वारा 84 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तथा 82 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कुल 1240 किलोवाट क्षमता के सौर प्लांट स्थापित किये गये।

वर्ष 2019-20 में मनोहर ज्योति योजना के तहत 4500 गृह प्रणालियां उपलब्ध करवाई गई जिसकी कुल क्षमता 675 किलोवाट है।

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(25.11.2020)

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

394. श्री हरि चन्द मिठा द्वारा पूछा गया तारांकित प्रश्न संख्या 36: क्या खेलकूद एवं युवा मामले मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या जीनन्द विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र के गांव जाजवान तथा गांव बरसोला में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त स्टेडियम का निर्माण कब तक किए जाने की सम्भावना है?

11.3.2015

(क) *** गांव बरसोला में खेल स्टेडियम निर्माणधीन है।

(ख) स्टेडियम के निर्माण हेतु हरियाणा ग्रामीण विकास निधि बोर्ड द्वारा पंचायती राज को प्रथम किस्त रु. 59,89,000/- की राशि कुल अनुमानित लागत रु. 1,19,78,000/- के विरुद्ध स्वीकृत की गई है। 40% कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसे ही हरियाणा ग्रामीण विकास निधि बोर्ड द्वारा दूसरी किस्त जारी की जायेगी। बरसोला स्टेडियम काक अधूरा कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा।

गांव बरसोला: गांव बरसोला में रु 1,19,78,000/- की अनुमानित लागत का एक स्पोर्ट्स स्टेडियम स्वीकृत किया गया था, जिसमें एच0आर0डी0 एफ0ए बोर्ड के पत्र क्रमांक 4292 दिनांक 13.06.2013 और प्रथम किस्त रु 59,89,000/- जारी की गई थी। शेष राशि रु 59,89,000/- दूसरी किस्त के रूप में पत्र क्रमांक न0. 34198 दिनांक 25.03.2015 भी जारी कर दी गयी थी। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, गांव बरसोला में उक्त स्टेडियम पूरा होने के करीब है।

गांव जाजवान: गांव जाजवान में स्टेडियम निर्माण के लिए एच0आर0 डी0एफ0ए बोर्ड के कार्यालय में अभी तक कोई अनुमान प्राप्त नहीं हुये।

The Committee would like to know the latest position in this regard. (10.8.2020)

395. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संदर्भ में।

20.02.2019

XX 'श्याम प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन' के तहत राज्य के साथ-साथ लगते हुए 152 गांवों के 10 समूहों की तीन चरणों में पहचान की गई है। ये समूह आर्थिक गतिविधियां, इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं, कौशल विकास एवं स्थानीय उद्यमिता प्रदान करके विकसित किये जाएंगे। इनके विकास पर तीन से पांच वर्षों में 884.59 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। XX

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन भारत सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन की शुरुआत दिनांक 21 फरवरी, 2016 को किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार करते हुए देश का स्थायी एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। रूबन क्लस्टर मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 आबादी वाले तथा मरूभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के समीप बसे गांवों का एक क्लस्टर (Cluster) है। सभी चयनित क्लस्टरों का 3 से 5 वर्षों के अंतर्गत विकास किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कुल चयनित 10 क्लस्टरों में 152 गांव शामिल किये गये थे, परन्तु बाद में 2 गांव बराड़ा व मौजगढ़ (अंबाला)

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(10.8.2020)

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

नगरपालिका (MC) में आने के बाद कलस्टर से हटा दिए गए थे। 150 गांवों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्र.	जिले का नाम	समूह (Cluster) का नाम	कुल गांव
1	अम्बाला	मुलाना	14
2	जीन्द	उध्याना खुर्द	15
3	करनाल	बल्ला	05
4	फतेहाबाद	समैन	10
5	झज्जर	बदली	19
6	रेवाड़ी	कोसली	17
7	पंचकुला	गणेशपुर	38
8	पनीपत	सिवाह	10
9	फरीदाबाद	तिगाँव	10
10	गुड्डा	सिंगर	12
कुल			150

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन में अब तक कुल 214 कार्य प्रारम्भ किये

गये है तथा यह मिशन 115722 करोड़ रुपये का है व जुलाई 2020 तक 247.11 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके है।

22.02.2019

हौं, श्रीमान जी। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ऐसे ग्रामीण गरीब परिवार जोकि SECC-2011 के स्वतः शामिल मापदंडों अथवा कोई भी तीन वचित मापदंडों के अन्तर्गत बीपीएल सूची में सत्यापन के उपरान्त शामिल किया जायेगा। यह प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी।

396. तारांकित प्रश्न संख्या 2872 के सन्दर्भ में श्री जगदीर सिंह मलिक द्वारा पूछा गया अनुपूरक प्रश्न: क्या विकास एवं पंचायत मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या यह तथ्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा आरम्भ से ही बीपीएल सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया गया है; यदि हां, तो इसके कब तक किये जाने की संभावना है ?

OUTSTANDING ASSURANCES
Relating to the
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

*Note :—*In case an Assurance shown outstanding against a particular Department does not relate to it, the same may be transferred to the Department concerned under intimation to the Haryana Vidhan Sabha Secretariat.

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की. गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

397. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री जाकिर हुसैन द्वारा पूछा गया प्रश्न: अध्यक्ष महोदय, *** गरीबों के खाने के लिए 'अंत्योदय आहार योजना' शुरू की गई है। मैं समझता हूँ कि इस योजना के और भी सेंटर होंगे तो हमारे नूंह जिले को भी इस योजना में शामिल किया जाये क्योंकि नूंह जिले में बहुत गरीबी है इसलिए वहाँ पर इस योजना की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को यही कहना चाहूंगा कि वहाँ पर दो सेंटर एक नूंह जिले में और एक बड़कली या फिरोजपुर झिरका में खोले जायें।

22.02.2019

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि 'अंत्योदय आहार योजना' बहुत ही लोक हितैषी योजना है। हमारी सरकार इस योजना को 22 के 22 जिलों में खोलने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, हमें जिस जिले में जहाँ-जहाँ भी स्थान उपलब्ध हो रहे हैं, वहाँ-वहाँ इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। जहाँ तक नूंह-हल्के की बात है तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि वहाँ पर भी जल्दी ही इस योजना का सेंटर खोल दिया जायेगा।

निर्माण श्रमिकों, औद्योगिक श्रमिकों व राज्य के अन्य जरूरतमन्द लोगों को स्वच्छ एवं पौष्टिक भोजन रियायती दरों पर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा 'अंत्योदय आहार योजना' की शुरुआत की गई है। तत्कालीन माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, हरियाणा की अध्यक्षता में दिनांक 05.05.2017 को हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि ऐसी 23 रियायती दर कैंटीनों को चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जायेगा तथा प्रत्येक जिले में ऐसी एक कैंटीन खोली जाएगी। इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन कैंटीनों को स्थापित करने के लिए HSIIDC / Urban Local Bodies / HUDA द्वारा उचित स्थान उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा संबंधित जिला उपायुक्त इन जगहों

The Committee would like to know the latest position in this regard.
(10.8.2020)

को चिन्हित करके फाईनल करेंगे। इस संबंध में प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग द्वारा दिनांक 16.06.2017 तथा 30.11.2017 को तत्कालीन जिला उपायुक्त, मेवात (नूँह) को भी अर्ध-सरकारी पत्रों के माध्यम से उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया था। परन्तु इस संदर्भ में जिला प्रशासन द्वारा कोई भी उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं करवाया जा सका। अतः इसके बाद दिनांक 21.07.2020 को पुनः प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग द्वारा जिला उपायुक्त, मेवात (नूँह) से रियायती भोजन कैंटीन स्थापित करने हेतु उपयुक्त स्थान/भवन उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया है। उपयुक्त स्थान मिलने उपरांत इस संदर्भ में आगामी कार्यवाही आरंभ कर दी जाएगी।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने अपने पत्र क्रमांक 634 दिनांक 22.07.2020 द्वारा श्रम विभाग को सूचित किया है कि किसानों, मजदूरों व अन्य जरूरतमन्द लोगों को 10 रुपये की

क्र० संख्या	संदर्भ	दिनांक/आश्वासन	सरकार द्वारा की गई कार्यवाही	टिप्पणी
1	2	3	4	5

रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए बोर्ड द्वारा नई अनाज मण्डी, नूंह में 16.02.2020 से अटल किसान-मजदूर कैंटीन खोली जा चुकी है।

22.02.2019

398. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान श्री नरेश कौशिक द्वारा पूछा गया प्रश्न: ***** समापति महोदय, मेरी श्रम एवं रोजगार मंत्री भाई नायब सैनी जी से भी एक प्रार्थना है कि हमारा 100 बैडिड ई.एस.आई. अस्पताल मंजूर हो चुका है। आप उसका शिलान्यास करवाकर उसका काम भी जल्द से जल्द करवाने का काम करें।

समापति महोदय, माननीय विधायक जी ने बहादुरगढ़ के अन्दर जो ई.एस.आई. अस्पताल की बात की है। उसकी पैमेंट भी लगभग सारी आ गई है और उसका जल्दी ही माननीय केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार जी से समय लेकर आचार संहिता लगने से पहले ही शीघ्र ही उसका काम शुरू हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास है।

100 बैडिड ई.एस.आई. अस्पताल, बहादुरगढ़ का शिलान्यास माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा के कर कमलों से दिनांक 03.03.2019 को Video Conferencing के माध्यम से करवाया जा चुका है। भवन का निर्माण कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा करवाया जाना है। भवन का प्राथमिक नक्शा कार्यालय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय सदन, सैक्टर 9ए, चण्डीगढ़ द्वारा तैयार कर अनुमोदन हेतु कार्यालय महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप

भवन, सी0आई0जी0 मार्ग, नई दिल्ली को पत्र क्रमांक सी0ए0(पी0-डी0)/568/2020/418 दिनांक 08.06.2020 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है (प्रति संलग्न)। इस विभाग की ओर से भी पत्र क्रमांक 38/139-ई0एस0आई0-1पी0बी0-2020/315 दिनांक 07.07.2020 द्वारा भवन के प्राथमिक नक्शे का अनुमोदन हेतु अनुरोध कर दिया गया है (प्रति संलग्न)।

9099—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

© 2021

Published under the authority of the Haryana Vidhan Sabha and Printed by the
Controller, Printing and Stationery, Haryana, Panchkula.